खण्ड–484, अंक–6
मंगलवार, 21 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(12 मार्च, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2013)

(खण्ड 484 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-58
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	58-60
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी को 'डार्क एरिया' घोषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	60
कानपुर महानगर के महाराजपुर स्थित डी-ब्लाक, डिफेंस कालोनी, जाजमऊ एवं जे0के0 कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60-61
मेरठ नगर निगम के कतिपय तालाबों की सफाई न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61
जनपद मेरठ में दिल्ली रोड स्थित मेवला फ्लाई ओवर ब्रिज के पास की रोड पर जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61-62
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	62
जनपद कौशाम्बी के अजुहा क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं किसानों के हित सुरक्षित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62-63
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के कतिपय गांवों में पेयजल संकट के निवारण हेतु ओवरहेड टैंक स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली स्थित क्षतिग्रस्त दाहा-बरनावा मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	63-64
जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा के ब्लाक विशेश्वरगंज में संचालित कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	64
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के कतिपय मार्गों एवं पाइप लाइनों की मरम्मत/नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64-65

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के कस्बा निगोही में निर्माणाधीन शहीद सरदार भगत सिंह स्मृति द्वार का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65
जनपद मथुरा स्थित छावनी एरिया वेटनरी कालेज के पास मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पशुवधशाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65-66
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के सूखे हुए जलाशयों में पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	66-67
उ0 प्र0 विधान सभा एवं परिषद् के माननीय सदस्यों के सुरक्षा कर्मियों को सत्र के दौरान सर्दी, गर्मी एवं बरसात से बचाये जाने हेतु विधान भवन परिसर में स्थान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	67
जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में विभिन्न चौराहों की बन्द पड़ी हाईमास्क लाइट चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	67
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	67-68
मा0 अध्यक्ष पीठ के निदेशानुसार स्थानान्तरित किये गये जनपद जौनपुर के थाना मुगरा बादशाहपुर के थानाध्यक्ष श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	68-75
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287 पयागपुर के विकास खण्ड जरवल के अन्तर्गत विभिन्न सम्पर्क मार्गों पर पिच रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अमित पाण्डेय आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	75
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत विभिन्न सम्पर्क मार्गों पर पिच रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अमित पाण्डेय आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	75
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित विभिन्न ग्राम पंचायतों/मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री दीपक तिवारी आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	75
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड कैसरगंज के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित विभिन्न ग्राम पंचायतों/मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री जटाशंकर मिश्र आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	76

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित विभिन्न ग्राम पंचायतों/मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री प्रभात पाठक आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	76
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड जरवल के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पुल/पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अनूप कुमार शुक्ल आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	76
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड पयागपुर में बड़ना तालाब का बरसात के पानी की निकासी हेतु 500 मीटर पक्के नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री नरबदेश्वर प्रसाद आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	76
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित विभिन्न ग्राम पंचायतों/मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री विनय कुमार सिंह आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	77
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित विभिन्न ग्राम पंचायतों/मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री दीपक तिवारी आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	77
विधान सभा की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना को लिये जाने का अनुरोध	77
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	78-84
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान	84-87
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)	87-108
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास तथा जल संसाधन) (स्वीकृत)	108-113
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) ...	113-142

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	142-143
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग (स्वीकृत)	143-167
प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री हुकुम सिंह, श्री प्रदीप माथुर आदि की नियम-56 की सूचना पर नियम-52 के अन्तर्गत डेढ़ घण्टे की चर्चा	167-198
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	198-200
जनपद अलीगढ़ के राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी स्थल पर दुकानों के निर्माण में हुई धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	201-202
जनपद लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत ऐरा चीनी मिल प्रबन्धन द्वारा गन्ना तौल का कार्य कर रहे कर्मचारियों को निर्धारित वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भैय्या द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	202-203
जनपद मुरादाबाद के कुन्दरकी प्राथमिक विद्यालय में मृत सहायक अध्यापक के स्थान पर आश्रित की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री जियाउद्दीन रिजवी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	204-205
जनपद कासगंज के क्षेत्र अमांपुर के अन्तर्गत ग्राम मोहनपुर कस्बा से गंजडुडवारा मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ममतेश शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	206
जनपद गोरखपुर के तहसील गोला में छात्रों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमती राजकली सिंह इण्टर कालेज, अरांव जगदीश को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	206-208
जनपद सीतापुर में जिला योजना अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत स्वीकृत गांव में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में श्री रामहेत भारती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	208-209
झांसी के बबीना क्षेत्र में नहर पटरियों का पुनर्निर्माण कराये जाने एवं सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)...	209

विषय	पृष्ठ-संख्या
बहराइच के मोहल्ला घसियारीपुरा में जलभराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार ओझा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	209
जनपद कुशीनगर में ए0पी0 तटबन्ध का एक्सटेंशन नरवाजोत व अमवाखास बंधे पर बाढ़ खण्ड में स्वीकृत परियोजनाओं पर बजट आवंटित कर समय से पहले कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	209-212
जनपद बलिया थाना कोतवाली गाजीपुर के ग्राम बिन्द निवासी सीताराम भारती की हत्या की नीयत से किये गये हमले की नामजद एफ0आई0आर0 होने के बावजूद भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	212
जनपद लखनऊ के आलमबाग निवासी श्री गिरजा शंकर के मकान पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गेंदालाल चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	212
उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षकों के परीक्षा बहिष्कार से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री वीरपाल राठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	212
हीवेट पालीटेक्निक, महानगर, लखनऊ में प्राचार्य की हटधर्मिता के फलस्वरूप छात्र-छात्राओं पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	213
नत्थी	214

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 2013

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-337

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
9. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
10. अजीमुलहक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
11. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
15. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
16. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
17. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
18. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
19. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
20. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
21. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
22. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
23. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
24. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
25. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
26. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
27. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
28. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
29. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
30. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
31. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
32. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
34. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
35. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
36. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
37. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
38. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
39. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
40. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
41. आशीष यादव, श्री — बदायूं
42. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
43. इकबाल, श्री — बिजनौर
44. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
45. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
46. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
47. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
48. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
49. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
50. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
51. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
52. उदयराज, श्री — उन्नाव
53. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी

54. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
55. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
56. उमाशंकर, श्री बलिया
57. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
58. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
59. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
60. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
61. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
62. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
63. काली चरन सुमन, श्री आगरा
64. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
65. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
66. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
67. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
68. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
69. कैलाश, श्री गाजीपुर
70. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
71. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
72. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
73. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
74. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
75. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
76. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
77. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
78. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
79. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
80. गोमती यादव, श्री लखनऊ
81. गोरख पासवान, श्री बलिया
82. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
83. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
84. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
85. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
86. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
87. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
88. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
89. जगपाल, श्री सहारनपुर
90. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
91. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
92. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
93. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
94. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
95. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
96. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
97. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
98. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
99. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
100. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
101. तसलीम, श्री बिजनौर
102. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
103. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
104. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
105. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
106. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
107. दलजीत सिंह, श्री बांदा
108. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
109. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
110. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
111. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
112. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
113. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
114. देवनारायण उर्फ जी0एम0 सिंह श्री महराजगंज
115. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
116. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
117. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
118. धर्मराज, श्री बाराबंकी

119. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
120. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
121. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
122. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
123. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
124. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
125. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
126. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
127. नारद राय, श्री बलिया
128. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
129. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
130. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
131. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
132. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
133. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
134. पीतमराम, श्री पीलीभीत
135. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
136. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
137. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
138. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
139. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
140. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
141. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
142. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
143. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
144. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
145. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
146. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
147. फेरन लाल, श्री ललितपुर
148. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
149. बदलू खां, श्री उन्नाव
150. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
151. बाबू खां, श्री हरदोई
152. बाबूलाल, श्री गोण्डा
153. बावन सिंह, श्री गोण्डा
154. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
155. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
156. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
157. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
158. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
159. बैजनाथ, श्री मऊ
160. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
161. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
162. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
163. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
164. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
165. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
166. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
167. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
168. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
169. मनबोध, श्री देवरिया
170. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
171. मनीष रावत, श्री सीतापुर
172. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
173. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
174. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
175. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
176. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
177. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
178. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
179. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
180. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
181. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
182. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
183. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
184. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
185. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
186. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ

187. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
188. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
189. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
190. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
191. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
192. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
193. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
194. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
195. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
196. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
197. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
198. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
199. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
200. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
201. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
202. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
203. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
204. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
205. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
206. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
207. रणजीत सुमन, श्री एटा
208. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
209. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
210. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
211. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
212. रवि शर्मा, श्री झांसी
213. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
214. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
215. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
216. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
217. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
218. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
219. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
220. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
221. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
222. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
223. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
224. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
225. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
226. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
227. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
228. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
229. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
230. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
231. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
232. राम करन आर्य, श्री बस्ती
233. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
234. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
235. राम गोविन्द, श्री बलिया
236. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
237. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
238. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
239. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
240. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
241. राम मगन, श्री बाराबंकी
242. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
243. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
244. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
245. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
246. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
247. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
248. रामहेत भारती, श्री सीतापुर

249. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
250. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
251. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
252. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
253. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
254. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
255. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
256. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
257. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
258. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
259. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
260. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
261. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
262. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
263. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
264. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
265. विजय सिंह, श्री रामपुर
266. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
267. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
268. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
269. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
270. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
271. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
272. वीरपाल राठी, श्री बागपत
273. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
274. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
275. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
276. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
277. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
278. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
279. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
280. शाकिर अली, श्री देवरिया
281. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
282. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री मेरठ
283. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
284. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
285. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
286. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
287. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
288. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
289. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
290. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
291. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
292. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
293. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
294. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
295. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
296. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
297. संजय कपूर, श्री रामपुर
298. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
299. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
300. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
301. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
302. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
303. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
304. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
305. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
306. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
307. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर

308. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
309. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
310. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
311. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
312. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
313. सियाराम सागर, डा0 बरेली
314. सीमा, श्रीमती जौनपुर
315. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
316. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
317. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
318. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
319. सुधाकर, श्री मऊ
320. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
321. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
322. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
323. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
324. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
325. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
326. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
327. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
328. सुल्तान बेग, श्री बरेली
329. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
330. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
331. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
332. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
333. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
334. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
335. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
336. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
337. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की योजना

*01-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का पेयजल प्रदूषित होने से ग्रामीणों को अनेकों प्रकार की बीमारियां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप')-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की गुणवत्ता प्रभावित कुछ बस्तियों के पेयजल में रासायनिक अशुद्धियां पाई गई हैं किन्तु प्रदूषित पेयजल के कारण ग्रामीणों को अनेकों प्रकार की बीमारियां होने की सूचना नहीं है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की योजनाएं केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व से ही संचालित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि तारांकित प्रश्न पर अनुपूरक रखने का आपने अवसर प्रदान किया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की गुणता प्रभावित कुछ बस्तियों के पेयजल में रसायनिक अशुद्धियां पाई गई हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे प्रदेश में किन-किन जनपदों के किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों में किन-किन प्रकार की रासायनिक अशुद्धियां पायी गयी हैं ? और इसका सर्वे किस संस्था द्वारा कराया गया है।

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

मान्यवर, 75 जिलों में आर्सेनिक आदि से 64 जिले प्रभावित पाये गये जिसमें खारा पानी, आयरन, फ्लोराइट, नाइट्रेड यह अशुद्धियां पायी गयीं।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने एक तरफ तो रासायनिक अशुद्धियों की बात स्वीकार की है वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है प्रदूषित पेयजल के कारण ग्रामीणों को अनेक प्रकार की बीमारियां होने की कोई सूचना नहीं है। यदि प्रदूषित पेयजल से कोई बीमारियां नहीं हो रही हैं तो इंडिया मार्का सेकेण्ड हैण्डपम्प, पाइप वाटर पेयजल योजना क्यों चलायी जा रही है ? क्या स्वास्थ्य महकमे से दूषित पेयजल से कोई बीमारी न होने की कोई रिपोर्ट सरकार ने मंगाई है।

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

माननीय अध्यक्ष जी, बीमारियों का पता स्वास्थ्य विभाग करता है उसकी जानकारी आने के बाद जल निगम की टीम जाकर उसका उपाय ढूंढती है उसका उपाय करते हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने बताया है कि दूषित पानी है और उसमें जिन प्रकार के तत्वों का जिक्र किया है तो क्या इन तत्वों से बीमारी नहीं होती है ? हो सकता है कि जिन अधिकारियों ने यह रिपोर्ट बनायी हो उनके पास उससे बीमारियों के होने की सूचना न आयी हो। हालांकि ऐसी सूचनायें हैं। क्योंकि गांव में जाकर उस हैण्डपम्प पर लाल पेंट से लिख आये हैं कि यह प्रदूषित पानी है इसका पानी न पियें। कम से कम इस तरह की बातें हाउस में न आयें कि इतने केमिकल वाले पानी पिये जा रहे हैं और यह जवाब आये कि बीमारी की सूचना नहीं है तो यह तो अजीब सी बात है। पानी में मिलावट है उसको यह मान लें कि इन तत्वों से बीमारी होती है। इसके निराकरण की व्यवस्था सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके बारे में मा0 मंत्री जी कुछ बतायें। क्योंकि यह विरोधाभाषी है कि रासायनिक तत्व आ रहे हैं और बीमारी नहीं है।

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने पहले ही कहा कि जब स्वास्थ्य विभाग सूचना देता है बीमारी की तो जल निगम हमारी एथॉरिटी वहां काम करती है, उसका निस्तारण करती है। रही बात शुद्ध पेयजल की यह जरूरी नहीं कि जहां जल खारा हो, तो वहां उससे तुरन्त बीमारी फैल जाय। उसके इलाज के लिए हम गहरा बोर कराते हैं, वाटर पाइप लाइन की व्यवस्था कराते हैं और वहां पर संयंत्र लगाकर उसकी सफाई भी करा रहे हैं, तो इसका देख-रेख हम स्वयं माननीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, 2008-2009 में एक टी0टी0एस0पी0 की योजना आई, उसमें अलीगढ़ जनपद को 360.33 करोड़ रुपया मिला।

श्री अध्यक्ष-

यह क्या है, आप पानी के बारे में पूछें। प्रश्न से सम्बन्धित अनुपूरक कीजिए।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें पैसा खा लिया गया है, मैं इसकी जांच के लिए कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

महत्वपूर्ण है, तो उसका समय होता है कि कब इसको उठाया जाय, ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण है तो जब चाहो तब उठा दो। इसके लिए नियमावली है, आप इसे नियमों में दीजिएगा तो इस पर कुछ होगा। अब आप बैठिये।

श्रीमती रूबी प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि जनपद सोनभद्र के न्योरपुर दुद्धी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत न्योरपुर, बभनी और दुद्धी तीनों ब्लाक में हैण्डपम्प के पानी में पारा की मात्रा 84 परसेण्ट पाई गई। हम मा0 मंत्री जी आश्वासन नहीं इस पर कार्यवाही चाहते हैं कि जो पारा की वजह से वहां पर पेय जल प्रदूषित है, सी0एफ0डब्ल्यू0 की रिपोर्ट है, सुनीता नारायण की रिपोर्ट है, कई हैण्डपम्पों पर उन्होंनें रिसर्च किया और पाया कि हैण्डपम्प के पानी में 84 परसेण्ट पारा है। इसकी रोकथाम के लिए मा0 मंत्री जी क्या उपाय करेंगे ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है, हमने पहले ही बताया कि जहां इण्डिया मार्का-2 में यह शिकायत आ रही है, वहां पर हम गहरा बोर करा रहे हैं, इसके बाद भी अगर इनकी कोई शिकायत है तो उसकी हम जांच करवा लेंगे।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही अहम सवाल है और मा0 सदस्य इसको गम्भीरता से ले रहे हैं और वैसे ही लेंगे। जिस तरह का पानी बुन्देलखण्ड में, आगरा में या जहां विधायक जी ने बतलाया, पारा है, प्रदूषित पानी है, प्रदूषित का मतलब यह नहीं है कि जैसे मैले कूड़े की गन्दगी अन्दर जा रही है, बल्कि ऐसा प्रदूषण जो कुदरती है, ऐसी चीजें। उन्हें साफ करने में जो खर्च आ रहा है, उतने मे आप बिसलहरी टैंक लाकर खड़ा कर दें। मेरा यह मतलब नहीं है कि उस पर काम नहीं होगा, उस पर काम हो रहा है, कोशिश जारी है। एक ही जगह हम बोर करते हैं तो बिल्कुल जहरीला पानी निकल रहा है, दूसरी जगह बोर करते हैं। एक हैण्डपम्प लगाने के लिए हमें 8-8, 10-10 जगह बोर करना पड़ता है और आपको यह जानकर हैरत होगी, क्या कुदरत का निजाम है और कितना हम कुदरत के निजाम से खिलवाड़ किये हैं। कल यह बात मालूम हुई कि उन जगहों पर जहां तालाब हैं या जहां तालाब थे, उनके इर्द-गिर्द जब डिगिन की गई तो वहां मीठा पानी निकला। कोशिश हम यह कर रहे हैं कि हम तालाबों की तालाश करें, तालाबों को पुनर्जीवित करें, खासतौर से बुन्देलखण्ड में 22 तारीख को हमने एक बड़ी मीटिंग रखी है, दिल्ली से भी एक्सपर्ट बुलाये हैं। मैंनें झांसी में भी जाकर बैठक की थी, इस तरह की, उनकी समस्यायें सुनी थी, जगहों का एक्सपर्ट इन्स्पेक्शन किया था। जो-जो पानी में खराबियां हैं कैसे वह ठीक हो सकता है, कैसे लोगों को पानी मिल सकता है। 22 तारीख को हमने मा0 मुख्य मंत्री जी के साथ और एक्सपट्र्स के साथ एक मीटिंग रखी है। यह शिकायत आपकी बिल्कुल जायज है, लेकिन आप खुद बताइये, मार्क-2 हमें लगाना है, नीचे से कुदरत का पानी लेना है, फर्स्ट स्टेटा खराब, सेकेण्ड खराब, थर्ड खराब, अब कहां जायं। दूसरी जगह खोदाई करते हैं, तीसरी जगह करते हैं, नल की कीमत एक है, कई-कई नल की कीमत लग जाती है। तो यह समस्या है, लेकिन उसके जो नीचे पानी है, उसे हम नीचे नहीं ठीक कर सकते, जब तक पानी को हम बाहर न निकाल लें तो हमने चार-चार इंच के पाइप लगाये हैं। सबमरसेबल डाल रहे हैं। मंत्री जी मौजूद थे, कल कितनी डांट पड़ी है इसी पर कि जो अच्छी क्वालिटी के सबमरसेबल थे, वो भी लगे लेकिन पिछली सरकार में ऐसे सबमरसेबल लगे, मैं कटाक्ष के लिये नहीं कह रहा हूं, जो सारे बन्द पड़े हैं। जहां पानी निकल सकता था, वहां पानी खराब है। उन सबको हम लिंक करके पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कराने पर विचार कर रहे हैं। हमारी बराबर कोशिश है इस बात की कि हम अच्छा, साफ पानी लोगों को दे सकें। इस पर हमारा काम चल रहा है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, विशेष रूप से इन्सेफ्लाइटिस प्रभावित गोरखपुर मण्डल, बस्ती मण्डल और देवी पाटन मण्डल के सभी जिलों में चूंकि जल स्तर ऊंचा होने के नाते सामान्य रूप से लोग देशी नल लगाते रहे हैं और इन्सेफ्लाइटिस टीम की परीक्षण कमेटी ने इन क्षेत्रों में भ्रमण करके विशेष रूप से

उन नलों को चिन्हित किया कि इन देशी हैण्ड पाइपों के पानी को न पियें। चिन्हित करके उसमें लिख भी दिया गया लेकिन उसके एवज में अभी भी इण्डिया मार्का नल नहीं लग पाये हैं। लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हुयी थी लेकिन बीच में चुनावी प्रक्रिया आयी और सत्ता परिवर्तन भी हुआ तो जो गति थी उसमें ठहराव आया। चूंकि विशेष रूप से तराई के क्षेत्र हैं देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, बस्ती, गोण्डा, बलरामपुर जो विशेष रूप से इन्सेफ्लाइटिस से प्रभावित क्षेत्र हैं। जहां पर परीक्षण करने के बाद चिन्हित कर दिया गया है कि देशी नलों से पानी न पिया जाये। क्या सरकार इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर इण्डिया मार्का नल स्थापित कराने का कष्ट करेगी ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप-

मा0 अध्यक्ष जी, दो मण्डलों में जहां इन्सेफ्लाइटिस बीमारी की शिकायत है, काम चल रहा है हमारा, गोरखपुर मण्डल और बस्ती मण्डल 95.69 करोड़ रुपये की हमने व्यवस्था की है। जिसमें से 28.80 करोड़ खर्च हो चुका है। कुल प्रस्तावित योजनायें 18822 हैण्ड पम्प तथा 3357 मिनी वाटर सप्लाई योजना की हैं। 7744 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं। प्रस्तावित 3317 मिनी पाइप वाटर सप्लाई योजना से 1167 स्थल पर भूमि उपलब्ध हो चुकी है और सूची प्राप्त है। 617 योजना पर कार्य प्रारम्भ है, उसमें हम तेजी से काम कर रहे हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि उस बीमारी से लड़ करके उससे छुटकारा दिलाया जाये। हम उस पर काम कर रहे हैं।

श्री अखिलेश सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, एक बहुत गंभीर विषय है और पूरे प्रदेश के लिये बहुत गंभीर है। जो जवाब मा0 मंत्री जी की तरफ से आया है उसको अच्छे से पढ़ें। बहुत सी बस्तियां ऐसी हैं जहां इतना अशुद्ध पेयजल आता है कि वहां पर विकलांग बच्चे पैदा होने लगे हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में सिधौना ग्राम सभा है। अभी डेढ़ महीना पहले मैं गया था तो वहां एक मोटा का पुरवा है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मोटा का पुरवा है वहां पर 50 परसेण्ट आबादी विकलांग हो चुकी है पेयजल की समस्या से। मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसी स्थितियां हैं कि बच्चे विकलांग हो रहे हैं। लोग गांवों से पलायन कर रहे हैं। क्या वहां पर बगल में जहां शुद्ध पेयजल है, वहां पर पानी की टंकियां बनाकर इन बस्तियों को आप पानी सप्लाई करेंगे। उदाहरण के रूप में मैंने बताया कि सिधौना ग्राम सभा में एक मोटा का पुरवा है जहां पर 50 परसेण्ट आबादी विकलांग हो चुकी है। आप जांच करा लें।

(सत्ता पक्ष के एक मा0 सदस्य द्वारा यह बोलने पर कि सई नदी के किनारे पर है)

नहीं, नहीं, सई नदी के किनारे नहीं है, कोई नदी नहीं है।

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

मा0 अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न का उत्तर पहले से दिया जा चुका है। इसके बाद भी मा0 सदस्य अगर कोई पर्टीकुलर गांव बता रहे हैं तो मेरी और सरकार की जिम्मेदारी है कि हम काम को करेंगे और प्रदेश की पूरी जनता को शुद्ध पेयजल दिलाना मेरा नैतिक कर्तव्य है। जो पर्टीकुलर गांव बताया है, हम कल ही परसों अपने विभाग की टीम भेज के दिखवा लेंगे कि क्या है, हम उसका देख-रेख करा देंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रश्न सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है, एक गांव का या एक मण्डल का प्रश्न नहीं है, पूरे प्रदेश का प्रश्न है और जैसे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया, इस बात के लिए कि अंदर का पानी अंदर ही ठीक नहीं हो सकता, संभव नहीं है, कोई टैक्नोलॉजी ऐसी है नहीं और यह निश्चित है कि जो पानी नीचे है वह ऊपर से ही डिस्चार्ज होकर के पानी भारी मात्रा में नीचे जा रहा है। ऊपर का पानी मान्यवर, जितनी नदियां हैं, वह सारी-की-सारी जो नदियां हैं, मान्यवर, वह प्रदूषित हो चुकी हैं, ऐसी स्थिति में इण्डिया मार्का-2 जो हैं, वह उसका समाधान है ही नहीं, जहां-जहां प्रदूषण हो चुका है, वहां से इण्डिया मार्का-2 से आप शुद्ध पानी ले ही नहीं सकते हैं और संख्या इतनी हो जायेगी, उसका शुद्धिकरण भी आप नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में एक मात्र विकल्प है, वहीं मैं मा0 मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि बजाय इण्डिया मार्का-2 पर पैसा खर्च करने के, बस्तियों को चयनित करके, गांवों को चयनित करके, टंकी बनाने की योजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और वहीं से उसको ट्रीट करके पानी को, उसका शुद्धिकरण करके तब आपूर्ति की जानी चाहिए, क्या इस योजना पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

मा0 अध्यक्ष जी, इस योजना पर विचार भी है और 10 हजार की आबादी वाले गांवों को हमने ले भी लिया है और धीरे-धीरे इसकी आबादी घटती जायेगी, यह योजना हम लागू कर रहे हैं और चल भी रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 हुकुम सिंह जी का जो सवाल आया है कि ऐसे गांवों में जहां प्रदूषित पानी है, वहां पानी की टंकियां बनाकर, यह एक विकल्प है, लेकिन मसलन पारा है, जो गंदगी हमारे कूड़े से जमीन में जा रही है, उसमें पारा नहीं है, वह कुदरती तौर पर, जो कुदरत नीचे मिनरल्स और अन्य चीजें पैदा करती है, उसमें वह सब है। उसमें एक परेशानी आ रही है, जब हम छोटा पाइप डालते हैं, मार्क-2 के लिए या छोटे समरसेबिल के लिए, तब तो वह कामयाब रहता है वह बोर, और जब उसी बोर में हम बड़ा मोटर लगाकर ओवर हैड टैंक भरना चाहते हैं तो बोर फेल हो जाता है, ये परेशानी आ रही है, तो उसमें हमने यह किया है कि जितने छोटे बोरिंग्स हैं, जिनमें 3 ईंच का पाइप डाल रहे हैं हम, उनके कई स्रोत से जहां से पानी निकल रहा है, उन्हें एक जगह कलेक्ट करके फिर ओवर हैड टैंक भर सकें, इसकी कोशिश कर रहे हैं, यह सबसे बड़ी समस्या है कि जब छोटे बोर में हम बड़ा डालते हैं तो वह चोक कर जाता है।

श्री कालीचरण सुमन-

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आगरा जनपद के अंतर्गत आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र है, जहां से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, यहां पर खारे पानी की समस्या है और मैंने एक अतारांकित प्रश्न भी लगाया था, इसमें मा0 मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है कि हां, खारे पानी की समस्या है और इनका उत्तर भी आया है कि टी0पी0एच0जी0 की टंकियों के द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर तो दे दिया है, ठीक से।

श्री कालीचरण सुमन-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जानकारी करना चाहते हैं टी0पी0एफ0जी0 की टंकियां बंद पड़ी हैं, वह चालू नहीं हैं और इनके उत्तर में कहा गया है कि सप्लाई हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

ये अतारांकित प्रश्न को कहां आप तारांकित में परिवर्तित कर रहे हैं, मा0 सुमन जी, आप बैठिए।

(श्री अजय कुमार लल्लू के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठिए, बैठिए आप का हर चीज जरूरी रहता है, अब आप बैठिए, मा0 मुकेश जी आपके पीछे हैं, वह पूछ रहे हैं, आप बैठ जाइये।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी की बातों से मैं सहमत हूं, वास्तव में यह समस्या है, लेकिन मैं इस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का, मा0 मंत्री जी का कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने 2013-14 के बजट अभिभाषण में कहा है कि दूषित पानी वाले समस्त गांवों को भी नगरीय क्षेत्रों की तरह, नल से जल उपलब्ध कराने की योजना से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है, तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बहराइच जनपद की कुल कितनी ग्राम पंचायतों को इससे आच्छादित किया गया है, वे कौन-कौन सी ग्राम पंचायतें हैं, जिनको इसमें लिया गया है, इसमें जोड़ा गया है ?

श्री अध्यक्ष-

आपके पास सूचना है मा0 मंत्री जी, अगर हो तो बता दें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है।

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

मा0 अध्यक्ष जी, इनका जो प्रश्न है उसका उत्तर हम पहले दे चुके हैं और मेरी पूरी कोशिश है। जैसे बहराइच में इन्होंने कहा था तो हमने वहां पर 438 आर्सेनिक रिमूवल प्लांट लगाये हैं, पानी को शुद्ध करने के लिए और इण्डिया मार्का-2 पम्प भी लग रहा है और पानी सप्लाई की व्यवस्था को हम सुधार भी रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर मेरे द्वारा पहले से दिया जा चुका है।

प्रदेश में ईंट भट्ठा हेतु मिट्टी खनन सम्बन्धी नीति की पुनः समीक्षा कराने की मांग

*02-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ईंट भट्ठा के लिये मिट्टी का खनन बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? क्या सरकार को जानकारी है कि मिट्टी न मिलने के कारण ईंट बहुत महंगी हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार मिट्टी खनन सम्बन्धी नीति

की पुनः समीक्षा करके कच्ची मिट्टी भट्ठों को उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री फरीद महफूज किदवई)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में मिट्टी का खनन कुछ प्रभावित हुआ था। परन्तु उ0 प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में आवश्यक संशोधन के उपरान्त मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है जिससे प्रदेश में ईंट भट्ठे सुचारु रूप से संचालित हो रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, प्रदेश में मिट्टी खनन बन्द होने से ईंट का रेट 3500 से एक दम से 5500 पहुंच गया। क्या प्रदेश में मशीन के माध्यम से मिट्टी का खनन अनुमन्य है या नहीं ? जो ईंट के रेट बढ़े हुए हैं उसको घटाने के लिए, सरकार कोई निर्देश जारी करेगी ? मान्यवर, पी0डब्लू0डी0 में रेट 4200 रुपये है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न और उसका उत्तर देख लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हाथ से मिट्टी खोदना अनुमन्य है मशीन से नहीं। क्या सरकार जे0सी0बी0 और दूसरी मशीनों से मिट्टी खुदाई की अनुमति देगी ताकि रेट नीचे आ सके।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, हाथ से खुदाई सिर्फ अनुमन्य है वह भी दो मीटर तक। इसके अलावा कोई भी खुदाई अनुमन्य नहीं है। मशीन से खुदाई के लिए कोई प्राविजन नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब कोई भट्ठे का लाइसेंस प्राप्त करता है तो वह खनन का भी लाइसेंस प्राप्त करता है। मिट्टी खनन का भी। मान्यवर, एक बार रेट ऊपर चले जाते हैं तो फिर वह नीचे नहीं आ पाते। इसमें जो हमारा प्रश्न है और उसके माध्यम से मैने समस्या प्रस्तुत की है रेट बढ़ने की वह ज्यों की त्यों बनी हुई है तो मेरा निवेदन है कि क्या नियमों में परिवर्तन करके मिट्टी का खनन मशीन से कराये जाने की अनुमति देने पर विचार करेंगे ताकि रेट नीचे आ सकें।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर शासन के सामने ऐसा कोई प्राविधान विचाराधीन नहीं है।

श्री गुटियारी लाल दुबेश-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहूंगा कि आगरा में ताजमहल की वजह से ईट भट्ठे 70 कि0मी0 की दूरी पर कर दिये गये हैं कि ताजमहल काला न हो जाय, प्रदूषित न हो जाय और बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां चली गयी तो मैं माननीय मंत्री जी से इतना चाहता हूं कि क्या उसकी दूरी कम हो सकती है।

श्री अध्यक्ष-

यह कहां उसमें है, आप बैठिये, यह इस सवाल से संबंधित नहीं है ?

श्री गुटियारी लाल दुबेश-

मान्यवर, आगरा में भी ईंट महगी हुई है, ईंट भट्ठा दूर चले गये तो ईंट मंहगी हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

यह उससे संबंधित नहीं है।

श्री सुदेश शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि जो चिन्ता जाहिर की थी खनन के मामले में। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी का जवाब बिलकुल अधूरा है। जो मिट्टी खनन की बात है तो उसमें हाथों से तो पहले से ही खोदाई हो रही थी। मशीन से आज भी खोदाई हो रही है केवल कागजों में रुकी हुई है और उससे केवल और केवल पुलिस और तहसील करा रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल पूछें।

श्री सुदेश शर्मा-

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब दो मीटर तक का खनन भट्टों पर हाथों से किया जायेगा तो फिर उसकी लेविलिंग खेत वाला मांगता है वह हाथों से तो नहीं होगा तो क्या उसके लिए भी मशीन पर प्रतिबन्ध है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आपका सवाल है कि जब खुद जाय तो क्या लेविल करने के लिए मशीन का प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध है।

श्री फरीद महफूज किदवई-

अपने खेत को लेबिल करने के लिए, मान्यवर, एक तो यह सवाल जो है जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं उसका इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह है हाथ से खोद रहे हैं पहले तो उच्च न्यायालय में रोक लग गयी थी उसमें नियमावली में बदलाव किया गया और बदलाव करने के बाद केवल, केवल भट्ठे के संचालन के लिए यह प्राविजन किया गया कि दो मीटर तक खुदाई की जा सकती है वह भी हाथ से, मशीन से खुदाई करने का मान्यवर, जैसा मैंने अभी बताया कि कोई

प्राविजन नहीं है। अगर कहीं खुदाई मिट्टी की मशीन से हो रही है तो वह गैरकानूनी चीज है उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष-

लेविलिंग पर पूछ रहे हैं कि जैसे हमारा खेत गहरा हो गया, हाथ से खुदाई होगी तो लेबिलिंग पर क्या है ?

श्री फरीद महफूज किदवई-

इसके बारे में मान्यवर, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर बड़ा मुकम्मल आ गया। देखिये, खनन रेत का होगा, बजरी का होगा और जो आप लेबिलिंग की बात कर रहे हैं वह अगर किसी खेत में मिट्टी ऊपर नीचे है उसकी लेविलिंग होगी तो सवाल आप खनन की जगह का कर रहे हैं या हर खेत का कर रहे हैं अगर हर खेत का कर रहे हैं तो उसका जवाब तो मंत्री जी के पास नहीं है वह तो आप लेविल कर ही सकते हैं उसमें क्या परेशानी है ? लेकिन खनन की जो बात है वह नियमानुसार मशीन से खनन नहीं किया जा सकता है।

(श्री सतीश महाना का नाम पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री सुदेश शर्मा-

मान्यवर, महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष-

महत्वपूर्ण है आपने प्रश्न पूछ लिया सरकार का जो जवाब था वह दे दिया अब उसमें क्या है ?

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री सतीश महाना-

मुझे बुला लिया गया है अब आप खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये आपका नहीं लिखा जा रहा है। माननीय महाना जी, अपनी बात रखें।

श्री सुदेश शर्मा-

मान्यवर, मैं अपनी बात नहीं रख सकता हूं, कोई सीनियर सदस्य खड़े हो जाते हैं यह गलत बात है। मान्यवर, यह कौन सी बात है।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, यह समस्या पूरे प्रदेश की है।

(श्री सुदेश शर्मा के अपने आसन से हटकर आगे बढ़ने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी सीट पर रहें।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी सीट पर रहिये और वहीं से कहिये ।

(माननीय सदस्य श्री सुदेश शर्मा अपनी सीट पर वापस चले गये)

श्री दलवीर सिंह-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री बहुत विद्वान मंत्री हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पुलिस किसानों को रोज तंग कर रही है, मिट्टी उठ गयी किसान के खेत से, अब लेवलिंग तो जे0सी0बी0 से ही होगी और कोई साधन नहीं होता है, क्या सरकार इसके लिये इजाजत देती है ? जब वहां दरोगा और पुलिस बैठी है, पेन, पेंसिल लेकर हिसाब लगा करके कि कितना पैसा जोड़े, कम से कम वह तो खत्म होगा, इस पर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे कि क्या किसान लेवलिंग करने के लिये मशीन का प्रयोग कर सकता है ? माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसमें दो शब्द कह दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। झंझट कट जायेगा, वरना किसानों की रोज ऐसी तैसी हो रही है। इस पर आप थोड़ा कहलवा दें ।

श्री अध्यक्ष-

मैं कैसे कह सकता हूं, जवाब देना सरकार का काम है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। खेत तो किसान के हैं और यह व्यवहारिक कठिनाई है, जिससे उत्तेजित है माननीय सदस्यगण। व्यवहारिक कठिनाई यह है कि जहां किसान ने अपने लिये भी अपने घेर में भी मिट्टी डालने के लिये वहां ट्राली या बुग्गी खड़ी कर ली, तुरन्त लेखपाल पहुंचेंगे, पुलिस पहुंचेगी, ट्राली भी बंद होगी और किसान भी बंद होगा। यह कहां का न्याय है, इस समस्या के समाधान के लिये सदस्य उत्तेजित हैं। मान्यवर, खनून को लेकर जितना शोषण किसान का हो रहा है, वह अनुमान से बाहर की बात है। इसलिये यह सवाल आया। आज मजदूर मिलता नहीं है, मनरेगा लगने के बाद में खेत के लिये या मिट्टी उठाने के लिये मजदूर नहीं मिलता। माननीय उच्च न्यायालय यह ठीक है, कि उनके आदेश रहे होंगे और माननीय उच्च न्यायालय को शायद इन बांतों की जानकारी भी न हो कि क्या हो रहा है। पूरा शोषण आज किसान का हो रहा है, पकड़-पकड़ कर बंद किये जा रहे हैं, उनकी ट्राली बंद की जा रही है। अगर किसान को यह भी हक नहीं, पैसा देकर किसान कुछ भी कर ले, कोई रोकने वाला नहीं है। अनुमति नहीं मिलने वाली है, मान्यवर, यह समस्या सार्वजनिक है, प्रदेश के समस्त किसानों से जुड़ी हुयी है, अगर आप उचित समझें मान्यवर, आज अगर इस पर उत्तर न आता तो इस पर चर्चा का मौका दे दें ।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, मैं थोड़ा इस संबंध में आपको बताना चाहता हूं। माननीय खन्ना जी ने जो प्रश्न रखा था, वह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था, कुछ वेस्टर्न यू0पी0 के भट्ठा मालिकों ने जिनके पास ईंटों का स्टाक भारा पड़ा था, पकी-अधपकी हुयी ईंटों का, वह न्यायालय से एक तथाकथित आदेश ले आये,

कुछ दिन के लिये खनन रोक दिया गया, उनकी ईटें जो 1200 रुपये हजार बिकनी थी, वह 6 हजार रुपये हजार बिक गयीं। जैसे ही उनकी ईंट बिक गयी, वह आदेश खत्म हो गया, खनन् का काम फिर चालू हो गया, ईंट के रेट वही 6 हजार बने रहे, अब वह ईंट के रेट किस तरह से डाउन हों, माननीय खन्ना जी का प्रश्न यह महत्वपूर्ण है कि वह यह कह रहे हैं कि रेट यह सरकार कैसे डाउन करायेगी ? दूसरी बात, जब किसान अपने घर घेर के लिये खेत से मिट्टी लाता है, जब खेत को एक समान करने के लिये जे0सी0बी0 चलाता है तो फौरन दरोगा पहुंच जाता है और रिश्वत दे दो तो फौरन काम चालू और चालान भी नहीं कटता, पैसा लेकर काम चालू करा देता है। इसमें सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश हो जायेगा तो किसान इससे बच जायेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बड़ा स्पष्ट सवाल है ।

श्री सुदेश शर्मा-

अगर हम कोई बात पूछ नहीं सकते, हमारी बात का कोई जवाब न आये तो हमारे यहां बैठने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

शर्मा जी आप बैठ जाओ। आप ही किसान नहीं हो, सब किसान के घर से आये हैं।

श्री सुदेश शर्मा-

मान्यवर, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप हमको तरीका न समझाओ, आप बैठो ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, कानूनन यह बड़ा स्पष्ट है, इसमें थोड़ा सा उत्तर में कंफ्यूजन हो जायेगा तो मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी इसमें विचार कर लें। मान्यवर, जो हाईकोर्ट का आदेश है, उसमें खुदाई पर प्रतिबंध है, समतल करने पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, इसको स्पष्ट करने में सरकार को क्या दिक्कत है। यह सही बात है कि आज इसके जरिये पुलिस का जुल्म किसान पर हो रहा है और मैं तो यह कह रहा हूं कि इसके जरिये पैसा वसूली का नया धंधा पुलिस को मिल गया है। इसमें राजस्व और पुलिस दोनों की मिलीभगत से रेट तय हो गया है। यह सच है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। मेरा आसान सा सवाल है इसमें कहीं कोई कानूनी रोक नहीं है। आप यह स्पष्ट कर दें कि सरकार की मंशा यह है कि अगर खुदाई करके ईंट भट्ठे के लिए मशीन इस्तेमाल हो रही है तो उस पर रोक है। अगर खेती के काम के लिए इस्तेमाल हो रही है तो इस पर रोक नहीं है इसको कहने में क्या दिक्कत है। मान्यवर, केवल स्पष्टीकरण आ जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आपका सवाल है कि यह स्पष्ट कर दिया जाय जो लेबिल खेत का बनाना है।

श्री हुकुम सिंह-

उसमें क्या दिक्कत है ? मशीन का प्रयोग करने में क्या दिक्कत है।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है कि प्रदेश में ईंट भट्ठा के लिए मिट्टी का खनन बन्द कर दिया गया है यह पूछा है। इसका मैंने जवाब यह दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने पहले कुछ रोक लगाई थी लेकिन उसके बाद नियमावली में संशोधन करके भट्ठे के लिए जो खनन है उसको शुरू करा दिया गया है। उसमें एक शर्त यह लगाई गई है कि हाथ से खनन होगा और दो मीटर गहराई तक खनन होगा।

(नेता राष्ट्रीय लोक दल सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर अपने दल के साथ सदन त्यागकर चले गए)

श्री अध्यक्ष-

दलवीर सिंह जी आप सुनेंगे नहीं और बाहर जाएंगे। माननीय मंत्री जी यह सही है कि जितने माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाए हैं इससे गांवों में किसानों को परेशानी है। जैसे हम अपने खेत को बराबर करते हैं तो उसमें हम क्या मशीन का प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में माननीय सदस्यों का पूछना है क्योंकि इस पर किसान को पकड़कर बंद कर देते हैं और परेशान करते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी आप भी किसान हैं। जो नई मशीनें ईजाद हुई हैं उसमें एक तो जे0सी0बी0 है जो डिगिंग करती है और एक लेवलर होता है तो अगर आप अपनी जमीन को लेवल करना चाहते हैं लेवलर से तो कोई पाबन्दी नहीं है। पाबन्दी डिगिंग पर है मशीन से होगी या हाथ से होगी। माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से यह प्रतिबन्ध है कि आप मशीन से डिगिंग नहीं करेंगे। मान्यवर, उसमें कई नुकसान हैं यह सही बात है कि ईंट की कीमत बहुत बढ़ गई ईंट भट्ठे वाले यह कहते हैं कि हमें तो बड़ा घाटा होता है मगर मैं उनसे पूछता हूं यारो तुमने इस साल एक भट्ठा लगाया था अगले साल तीन हो गए यह कैसा घाटा है। मान्यवर डिगिंग के लिए सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय का प्रतिबन्ध है आप भी किसान हैं।

श्री अध्यक्ष-

यहां पर 80 प्रतिशत लोग किसान हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर जब आप जमीन की ऊपर की लेयर उतार लेते हैं तो नीचे की मिट्टी बेकार हो जाती है। उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कई वर्ष लगते हैं। इस तरह से फसलों का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। वक्ती तौर पर तो किसान का फायदा होता है कि उसकी मिट्टी बिक जाती है लेकिन बची हुई जमीन जहां से मिट्टी निकलती है वह जमीन उसके किसी काम की नहीं रह जाती है। कई चीजों पर विचार करके माननीय उच्च न्यायालय का यह निर्देश है उसी के हिसाब से बीच का रास्ता निकालने के लिए ताकि किसान की ऐसी जमीन जो टीलेनुमा बनी हो और उसे एकसार करना चाहते हों तो उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है लेवलर चलाने के लिए लेकिन लेवलर होता है कि यहां से मिट्टी उठाकर वहां बिछा दीजिए जमीन लेबिल हो गई लेकिन अगर आप डिगिंग करेंगे उस मिट्टी को

बेचेंगे तो उसके लिए बीच का रास्ता निकालने के लिए हाथ से खुदाई करके हाथ से उस मिट्टी को निकालने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब छोड़िये इस प्रश्न को। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी इस प्रश्न को स्थगित करके आप बात कर लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसे स्थगित न करें बल्कि ऐसा करें कि यह सही है कि हमारा जो आपस का विधान सभा का माहौल है इस तरह के प्रश्नों पर सभी माननीय नेता आपके साथ बैठ जायं माननीय मंत्री जी आपके साथ रहें और जो भी बेहतर समझते हों वह कर लें।

प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों से निपटने हेतु जिला राष्ट्रीय एकीकरण समितियों का गठन

*03-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे, तनाव एवं अन्य विषम परिस्थितियों से निपटने व साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिये राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा जिला स्तर पर जिला एकीकरण समितियां गठित की गयी हैं ? यदि हां, तो अब तक कितने जिलों में यह एकीकरण समिति गठित हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सम्पन्न हुई बैठकों में दिये गये सुझावों पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्, प्रान्तीय रक्षक दल, व्यावसायिक शिक्षा मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

जी हां।

सूचना एकत्र की जा रही है।

तदैव।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए जिला स्तर पर एकीकरण समिति गठित करने का निर्देश सरकार का है। मान्यवर, इन समितियों का कार्य जिले में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाना, धर्मों के त्योहारों पर सामूहिक मिलन समारोह आयोजित करना तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना जो सौहार्द का संदेश देते हों। मान्यवर, सरकार लगता है कि प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने के प्रति गम्भीर नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, कृपापूर्वक हमारा सवाल देख लें, हमने सरकार से पूछा कि क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे, तनाव एवं अन्य विषम परिस्थितियों से निपटने व साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा जिला स्तर पर जिला एकीकरण समितियां गठित की गई हैं ? सरकार ने कहा कि जी हां। जब मैंने दूसरे पैरा में पूछा कि यदि हां तो अब तक कितने जिलों में यह एकीकरण समितियां गठित हो चुकी हैं ? उस पर सरकार कह रही है कि हम अभी सूचना मंगा रहे

हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह सवाल हमने 14-02-2013 को लगाया था करीब एक महीना हो गया है, एक महीने में सरकार अभी सूचना ही एकत्र करा रही है। सरकार को यह पता नहीं कि कितने जिलों में समितियां गठित हो गई हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि सरकार प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाना नहीं चाह रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार द्वारा प्रदेश के जिलाधिकारियों को समितियों के गठन के लिए कब पत्र लिखा गया उसकी दिनांक बता दें ?

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाना नहीं चाहती है लेकिन मैं कहता हूं कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश में जानी जाती है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि शासनादेश सं0-415/40-2012-17(27)/79 दिनांक 14 जून, 2012 को प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। पत्र सं0-897/40-212-17(27)/89 दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अनुश्रवण कराया गया है। उक्त प्रश्न का उत्तरालेख एवं अनुपूरक सामग्री, चूंकि पूरे प्रदेश के सभी जनपदों से यह सूचना कलेक्ट नहीं हो पाई है इसलिए यह जवाब आया कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, 44 जनपदों की सूचना हमें मिल गई है शेष जनपदों की सूचना के लिए जिलाधिकारियों को पुनः निर्देशित किया गया है कि आप इसको तत्काल यहां प्रेषित कर दें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचना मिलते ही पहुंचा दूंगा।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, पूरा उत्तर हो गया है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, जून में पत्र लिखा गया और आज मार्च है, 9 महीने का समय हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सूचना नहीं एकत्र हो पाई, जैसे ही सूचना मिलेगी वह आपके पास पहुंचा देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, पूरा उत्तर आ गया है, माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि 44 जनपदों की सूचना आ गई है, अब इसमें कुछ बचता ही नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया कि 44 जिलों से सूचना आ गई है। सूचना क्या आ गई, समितियां गठित हुईं या नहीं हुईं इसको माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया है। दूसरी चीज मान्यवर, जून में शासनादेश गया सभी जिलाधिकारियों को और 14 फरवरी को माननीय सदस्य डा0 धर्मपाल सिंह जी ने यह सूचना लगाई यानी कि एक महीना सूचना लगाये भी हो

गया है, कुल 75 ही जिले हैं। एक महीने में जिला स्तर पर जिला एकीकरण समितियों का गठन किया जाना है। मात्र एक छोटा सा बिन्दु है और मान्यवर, हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द बनाये रखने के लिए यह अति महत्वपूर्ण होती है। ईद का अवसर आता है, होली का अवसर आता है तो इन्हीं कमेटियों के माध्यम से जिलों में शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपील की जाती है। इन्हीं लोगों के माध्यम से अपने-अपने समाज में सौहार्द का वातावरण तैयार करने के लिए सन्देश दिया जाता है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक होती है, सभी जनप्रतिनिधि भाग लेते हैं और साथ ही साथ ईद मिलन और होली मिलन जैसे त्योहार पर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने के लिए कार्यक्रम भी किये जाते हैं। सरकार के गठन के एक साल हो गये, यहां तक कि जून में निर्देश दिये जाने के भी लगभग 8 महीने से ज्यादा हो गये लेकिन यह सरकार की संवेदनशून्यता को जाहिर करती है कि क्या कारण है कि आपके निर्देश का जिलाधिकारी अनुपालन नहीं कर रहे हैं ? जिन जिलाधिकारियों ने अपने-अपने जिले में जिला एकीकरण समितियों का गठन नहीं किया, क्या आप उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे ? दूसरे, उन 44 जनपदों में जहां की सूचना एकत्र हो गयी है, उनमें समितियां गठित हो गयी हैं या नहीं हुई हैं इसका भी स्पष्ट उत्तर आ जाए। तीसरे जो शेष जिले रह गये हैं जहां से अभी सूचना आनी बाकी है, तो वह सूचना कब तक मंगा लेंगे और कब तक अवगत करा देंगे, यह छोटे-छोटे तीन प्रश्न हैं, इसका माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, प्रश्न छोटा नहीं है, प्रश्न बहुत बड़ा है। प्रश्न इतना बड़ा है कि आपके कार्य करने का तरीका, सदन और सदन के बाहर एक सा ही रहा है। हम सन् 1980 में पहली बार यहां आये थे और सब पुराने सदस्य अच्छी तरह वाकिफ हैं कि सदन में किस तरह सदस्य एक-दूसरे से मिलते थे। मुख्य मंत्री जी का क्या तरीका रहता था सदस्यों के साथ और ईद पर, होली पर, दीवाली पर अफसरान एम0एल0एज0 और एम0पीज0 के घर जाया करते थे। अफसरान ईद और बकरीद पर हमारे यहां आते थे और होली और दीवाली पर हम अफसरान के यहां जाते थे। लेकिन जब-जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आयी, अधिकारी आना तो बहुत दूर की बात, ईदगाह के बाहर जो कैम्प लगते हैं उनमें इस तरह खड़े होते थे कि अगर कोई विपक्ष का एम0एल0ए0, एम0पी0 उधर से गुजर गया तो पीठ मोड़कर इसलिए खड़े हो जाते थे कि अगर वह उनसे मिल लिये तो इसकी सूचना मुख्य मंत्री जी को हो जायेगी और वह वहां से हटा दिये जायेंगे। मान्यवर, इतना घटिया व्यवहार रहा है आप इसकी जांच करायें। सरकार यह मालूम करे कि बहुजन पार्टी की सरकारों में कितने जिले ऐसे हैं जिनमें ऐसे त्योहारों पर पुरानी रिवायत के ऐतबार से जो 1952 या 1947 से चली आ रही थी कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के घर जाया करते थे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कितनी जगह गये और नहीं गये तो उसके क्या कारण है ? यह मेरी अकेले की पीड़ा नहीं है। यह जो आपने इतनी दूरी का, नफरत का माहौल बनाया, आप बुरा मानेंगे। क्या माहौल था कुण्डा का जिस दिन मा0 मुख्य मंत्री जी गये थे। आपके लोग जो धरना दिये बैठे थे वह कहां ले जाना चाहते थे ? कैसे सौहार्द के रिश्ते बनेंगे ? क्या नहीं हो सकता था उस वक्त ? तो मान्यवर, सौहार्द के रिश्ते बनाने के लिए जो पहल आपकी तरफ से होनी थी वह आपकी तरफ से नहीं हुई। एकीकरण कमेटियों के बारे में भी आप सुन लीजिए। कमेटियों की जरा लिस्टें मंगा लीजिए, जो पहले की थीं, कोई शरीफ आदमी था उसमें। (शोर)

बात मिट्टी के खनून की हो रही थी अभी, बात मिट्टी के खनून पर टल गयी अगर नाम लेंगे तो आप वाकआउट कर जायेंगे। इसी सदन में बैठे हैं आपके साथ, इस वक्त भी उनका खनून चल रहा होगा। (सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आयी कि नाम बता दिया जाए।) नाराज हो जायेंगे, अभी वाकआउट कर जायेंगे मगर क्योंकि जिम्मेदार लोग हैं आपके साथ बैठे हैं बड़े नेता हैं आपके, उन्हें खनन का पूरा अधिकार है। हम रोकेंगे तो दंगा करा देंगें। सौहार्द कायम करने के लिये दिलों में गुन्जाइश की जरूरत होती है और उसकी शुरूआत पहले सदन से होती है फिर पूरे प्रदेश में सन्देश जाता है। वह संदेश आपकी तरफ से नहीं दिया गया। वह सन्देश अब पिछले लगभग एक साल से फिर दिया जा रहा है। (मेजें थपथपाई गईं) माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह पिछली सरकार में जब मुख्य मंत्री की हैसियत में पहली बार सदन में तशरीफ लाये पूरा सदन जानता है जो उस वक्त के चुने हुए सदस्य आज होंगे कि वह सबसे पहले उस कुर्सी पर गये और वहां पर जाने के बाद सबसे हाथ मिलाते हुए तब इस कुर्सी पर आये। क्या कभी ऐसा मंजर देखा गया आपकी सरकारों में नहीं देखा गया। आप ही नहीं देख सके तो हम क्या देखते। इसलिये सौहार्द बनाने की जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी ही जिम्मेदारी आप की है। जहां समितियां गठित नहीं हैं, उसके तकनीकी कारण हैं। वह समितियां गठित हो जायेंगी जल्द से जल्द और समितियों से सौहार्द का काम लिया जायेगा।

(प्रश्न संख्या 4 पर माननीय सदस्य अखिलेश प्रताप का नाम पुकारे जाने पर माननीय नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष- अब खत्म कर दो, आगे बढ़ा जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिये किस तरीके से बात को पलट दिये। जो उत्तर आना चाहिए वह तो आया नहीं लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत चालाक हैं और अपनी चालाकी में फंस जाते हैं। हमारी चार बार की सरकार थी और एक बार भी दंगा नहीं हुआ। आपकी सरकार में एक साल के अंदर 12 बड़े दंगे हो गये। आपकी इसी नाकामयाबी के नाते हो गये और जिस तरीके से आप हिन्दू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप बात करते हैं सौहार्द बनाये रखने की। हमारी चार बार की सरकार थी। चार बार की सरकार में एक भी जगह हिन्दु मुस्लिम सौहार्द नहीं बिगड़ने पाया। वह चाहे मथुरा का ईदगाह मैदान रहा हो, काशी का ज्ञान व्यापी मस्जिद रहा हो चाहे यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि के विवाद पर आया निर्णय रहा हो। कहीं भी एक जगह भी कहीं इस तरह का सौहार्द नहीं बिगड़ने पाया। क्या कारण है आज एक साल के अंदर ही 12 बड़े दंगे हो गये। 500 घर दुकानें जला दी गईं।

श्री अध्यक्ष- अब इस पर तो चर्चा हो गई।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हिन्दू मुस्लिम भाई चारा तार तार कर दिया गया। यह समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा अपने पाप पर चादर डालने के लिये बहुजन समाज पार्टी का नाम लेकर अपनी बात को उलझाने की कोशिश

करते हैं। (मेजें थपथपाई गई) मान्यवर, इसका उत्तर आना चाहिए था वह उत्तर तो चला गया घपले में। उत्तर में कोई बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने नहीं किया और बड़ी बारीकी से, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप अपनी बुद्धि का प्रयोग बात को टालने में लगा देते हैं अगर इसी तरीके से बुद्धि का प्रयोग काम कराने में लगा दें तो हम समझते हैं कि बेहतर होगा और सरकार की भी किरकिरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं और मान्यवर, यह हमेशा अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर जाते हैं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

अध्यक्ष जी, मैं तो इतना नाराज होकर जवाब दूंगा नहीं। हुआ दरअसल यह है कि आपके लोग जिन कामों में व्यस्त थे लूट में, खसोट में, दलाली में, बलात्कार में वह हैं तो जेलों में। (व्यवधान) भेजेंगे, फिक्र मत करो, अगर इतना ही शौक है जेल जाने का तो इंजतार करो। जाओगे, लेकिन कानून के रास्ते से जाओगे। और अपनी ही सरकार में अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को आपने खुद भी जेल भेजा। मजबूरी थी आपकी, चुनाव सामने था। तो जो आपके कार्यकर्ता इन कामों में लगे थे लूट खसोट में सरकार आने के बाद जब उन्हें यह काम नहीं मिला तो दंगों में लग गये। उन्हें तो काम चाहिए था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यह सरकार का उत्तर है। यह दंगा कराने वाली सरकार है। यह समाजवादी पार्टी हिन्दू मुस्लिम भाईचारे को तार-तार करने वाली पार्टी है। उत्तर देने से कतराने वाली है। रोजाना सैकड़ों बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। यह सरकार अपराधियों को बचाने वाली सरकार है। यह सरकार बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार है। रोजाना सैकड़ों हत्यायें हो रही हैं यह सरकार हत्यारों को बचाने वाली सरकार है यह सरकार जिस तरह से हीला-हवाली का रवैया अपना रही है उसी का कारण है पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। हत्यायें हो रही हैं, बलात्कार की घटनायें हो रही हैं, लूट और डकैती हो रही हैं, जनता पर जुल्म और अत्याचार बढ़े हैं और सरकार उस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रही है, आज भी मान्यवर, आपने कानून-व्यवस्था पर चर्चा लगाया है मैं उस पर जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है उस पर आप बोलिएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आज यह सरकार जिस तरह से जुल्म और अत्याचार के माध्यम से प्रदेश में दहशत पैदा कर रही है। मैं केवल आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और मैंने पहले भी कहा था..

श्री मोहम्मद आजम खां-

अरे थक जाएंगे, अभी तो चर्चा होनी है अभी से थक जाएंगे। थक जाएंगे तो क्या होगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसी लिए मैं कहना चाहता हूं कि संसदीय कार्यमंत्री जी अपनी बुद्धि का प्रयोग इस पर अंकुश लगाने के लिए करें।

श्री अध्यक्ष-

अब दोनों लोग एक साथ खड़े हैं, मैं क्या करूं ? आप दोनों को ही विशेषाधिकार प्राप्त है सदन में खड़े होने का, लेकिन दोनों एक साथ खड़े होकर बोलेंगे तो मैं क्या करूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपने नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिए कहा होता तो मैं बैठ जाता लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने इस बात का ख्याल ही नहीं रखा कि आप आदेश करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष-

आप उत्तर की बात कर रहे हैं आप बैठ जाएं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी आपने बिल्कुल सही बात कही, कि मैं क्या करूं, नेता प्रतिपक्ष खड़े हो गए, उनकी शायद कुछ मजबूरी भी है और शायद कुछ ऐसा मर्ज भी है। मान्यवर, अगर आपका आदेश नेता प्रतिपक्ष के लिए हो जाता तो मैं बैठ जाता।

श्री अध्यक्ष-

एक सवाल था, आपने जवाब दे दिया कि टेक्निकल कारणों से नहीं बन पाई। उन्होंने एक सीधा जवाब दे दिया कि जो बन गई हैं और जो नहीं बनी हैं उसकी सूची आपको भिजवा देंगे। तो अब यह प्रश्न खत्म हो गया। अब आगे प्रश्न लेने दीजिए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष दल के जो प्रासंगिक प्रश्न हुए और उधर से तार्किक उत्तर आया यह सदन के सामने हो रहा है। मान्यवर, क्या यह संभव है कि बाकी शेष सदन को आप संरक्षण दें और कोई समय निर्धारित कर दें, यह दोनों सदन में हों, और घंटा दो घंटा लग जाए तो बाकी का समय बच जाएगा। मान्यवर यह लगभग प्रतिदिन का विषय हो गया है। आप वह बात कहेंगे जो यहां नहीं है आप वह उत्तर देंगे जो यहां नहीं है न यह सदन की कार्यवाही से संबंधित है न प्रश्न से यह संबंधित है। यह दोनों मिले हुए हैं एक दूसरे से, ताकि कोई और सवाल न कर सके।

प्रदेश में हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में बालिकाओं की संख्या में हो रही कमी को दूर करने के उपाय

*04-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आठ से बारह तक कक्षाओं में लड़कियों की संख्या कम होती जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार की कोई नीति है जिससे उक्त कक्षाओं में लड़कियों की संख्या में कमी न होने पाये ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विजय बहादुर पाल)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि प्रदेश में हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षाओं में बालिकाओं की पंजीकृत संख्या तथा उनके उत्तीर्ण प्रतिशत में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। साथ ही बालिकाओं को शत-प्रतिशत शिक्षित एवं उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनायें यथा कन्या विद्या धन इत्यादि प्रदेश स्तर पर चलायी जा रही हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जब यह सरकार बनी थी तो कई बार उधर से और हमारे बड़े भाई आजम खां साहब ने भी यह बात कही थी कि सरकार नई बनी है लेकिन जवाब वही पुरानी घिसे-घिसाये उन अधिकारियों के चले आ रहे हैं, सरकारी बयान हैं। मान्यवर, हमने पहले प्रश्न में जो सवाल किया है कि आठ से बारह तक कक्षाओं में लड़कियों की संख्या घट रही है ? इसमें मुझे लगता है कि वही पुराना रवैया चला आ रहा है, उत्तर है-जी नहीं, संख्या नहीं घट रही हैं मान्यवर, अभी दो महीने पहले एक सर्वे रिपोर्ट जारी हुई थी, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया की एक संस्था है, उसने यह रिपोर्ट जारी की थी, उसने यह बात बताई है कि 15 से 16 वर्ष की लड़कियों की यू0पी0 में 26.5 परसेण्ट तादात कम हो रही है, इतनी लड़कियां स्कूल जाती नहीं हैं और उसमें यह बताया कि पिछले 5 वर्षों में यू0पी0 में क्लास ड्राप करने वाली लड़कियों की संख्या 11 परसेण्ट है, टोटल लड़कियों की संख्या के हिसाब से। मान्यवर, 7-10 वर्ष तक की लड़कियों की संख्या में 4 परसेण्ट की कमी हो रही है, ऊपर की कक्षा में जाने में और 11-14 वर्ष की लड़कियों की संख्या में 11.5 परसेण्ट की कमी ऊपर की कक्षाओं में जाने में हो रही है। उसी तरह से 15-16 वर्ष की लड़कियों की संख्या में ऊपर जाने में 26 परसेण्ट की कमी हो रही है। तो मान्यवर, यह कैसे जवाब आ गया कि यह घट नहीं रही हैं। हो सकता है कि यह पुराने आंकड़े हों, उन आंकड़ों के हिसाब से अधिकारियों ने कुछ बनाया हो तो इसमें बड़ा विरोधाभास है, जो गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया की रिपोर्ट है, वह कुछ और बता रही है, जवाब यहां आ रहा है कि संख्या घट नहीं रही है और जो अन्य प्रदेश हैं, उनमें लड़कियों की संख्या बढ़ रही है और यह अखबारों में भी छपा है, इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट की हमारे पास फोटो कापी भी है तो मान्यवर, हमको लगता है कि इसमें कहीं कमी है, कोई त्रुटि है। बहरहाल इसको सरकार देख ले, हमें इसमें यकीन नहीं है कि जो सरकार ने उत्तर दिया है कि इनकी संख्या घट नहीं रही है। दूसरी बात यह घट तो रही हैं, रिपोर्ट के हिसाब से तो मान्यवर, हाईस्कूल और इण्टर में लड़कियां घट रही हैं, वह न घटें, जैसे आप कन्या विद्या धन और दूसरी चीजें दे रहे हैं, वह सराहनीय कार्य है, लेकिन वह एक लिमिटेड क्राइटेरिया के लोगों को मिलता है तो क्या ऐसी सभी लड़कियों को जो हाईस्कूल और इण्टर की क्लास ज्वाइन करें, उन्हें निःशुल्क पढ़ायेंगे, उनकी एडमिशन फीस क्या माफ होगी और इसके अलावा और कोई चीज आप कर सकते हों वह आप बतायें ?

श्री विजय बहादुर पाल-

माननीय सदस्य को कोटि-कोटि धन्यवाद कि आपने कम से कम सरकार की अच्छी योजनाओं की प्रशंसा के शब्द कहे। आपने प्रशंसा के शब्द कहे यह सबने सुना और मैंने भी सुना और मैं जो कह रहा हूं उसे भी कृपा करके सुनिए। आपको यह आंकड़े तो बहुत अच्छे लगे, मेरा अपना कहना है कि आप और आपका दल इस देश में लम्बे समय तक सत्तासीन रहा और वर्ष 50 से ले करके कितने वर्षों बाद आपको राइट टू एजूकेशन की याद आई, आपने देशवासियों को कैसे भ्रमित बनाये रखा, अंधकार में बनाये रखा।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, जो प्रश्न है, आप उसका जवाब दीजिए।

श्री विजय बहादुर पाल-

आंकड़ा तो यह भी है कि दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों में भारत जैसे विशाल देश का कोई एक भी विश्वविद्यालय नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, वह यह नहीं पूछ रहे हैं।

श्री विजय बहादुर पाल-

मान्यवर, वह जो पूछ रहे हैं, मैं उसी पर आ रहा हूं। माननीय सदस्य जी, मैं सरकार की ओर से जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहती है जो उत्तर प्रदेश को देश का नम्बर एक का प्रदेश बनाना चाहती है। उस सरकार का संकल्प है कि बच्चे पढ़ें, बालिकायें स्कूल जायें। मैंने स्कूलों में देखा है आप भी स्कूलों में जाकर देखें कि बालिकाओं की संख्या स्कूलों में ज्यादा देखने को मिलती है। बालकों की कम मिलती है। इसलिए माननीय सदस्य जी सच्चाई का आमना सामना कीजिए।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री विजय बहादुर पाल-

आपको कान्वेंट के, बड़े घरानों के, पूंजीपतियों के चिकने चुपड़े लोगों की संख्या दिखायी पड़ती होगी लेकिन हमें प्रदेश के उन करोड़ों लोगों की उन दीनहीनों की, लकड़हारों की गरीबों की संख्या दिखायी पड़ती है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के दौरे की बीमारी सबको हो गयी है।

(हंसी)

श्री मोहम्मद आजम खां-

अभी नेता प्रतिपक्ष ने अपने शुभकमलों से सदन को फिर नवाजा है। महफिल में पढ़े लिखों की चुप रहकर तो देखो बुद्धु भी अगर होंगे तो होशियार लगोगे।

(हंसी)

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, पहले हमारी सुन लें। उनका जवाब तो आया नहीं। भाषण लम्बा चौड़ा हो गया। यह प्रश्नकाल है। टू द प्वाइंट सवाल होने चाहिए और टू द प्वाइंट जवाब आने चाहिए। अभी मैं योजनाओं को गिनाना शूरू करूंगा तो लोगों को बुरा लगेगा। वह कहानी सुना रहे हैं। आप जवाब दें न।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, वह पूछ रहे हैं कि आप कह रहे कि नहीं घट रही है। वह कह रहे हैं कि घट रही है तो क्या ऐसी कार्ययोजना आप बनायेंगे जैसे कि उनको कन्या विद्याधन और यह सब जो लिमिटेड क्षेत्र में दे रहे हैं उसको बढ़ाकर लड़कियों के आकर्षण के लिए कोई ऐसी कोई योजना आपके पास है।

श्री विजय बहादुर पाल-

मान्यवर, बेटियां पढ़ें उनकी संख्या आपकी चिंता के अनुसार घटने न पाये हम सब जनजागरण करेंगे और इस तरह की शिक्षा क्षेत्र की सामाजिक संस्थाओं से भी निवेदन करेंगे कि गांव गलियों में किसानों के बीच वह जायें और बेटियों की जिंदगी में पढ़ाई की कीमत उन्हें बतायें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

यह तो सर्वशिक्षा अभियान में है। हम यह कह रहे हैं कि लड़कियों का क्लास में जो परसेंटेज केंद्र सरकार और असर के आंकड़ों से मैंने बताया वह आंकड़े यू0पी0 में जो कम हो रहे हैं वह पूरे हों। क्लास में लड़कियों के जाने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना है। जैसे छोटे बच्चों को यूनिफार्म दिया जाता है। वैसे ही उनकी एडमीशन फीस न लगे, ट्यूशन फीस न लगे इसकी कोई योजना है ?

श्री अध्यक्ष-

आपने असर की रिपोर्ट पढ़ी। माननीय मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट बतायी। असर की रिपोर्ट पर कल चर्चा हो गयी और मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने उस पर अपनी बात कही थी। आपने असर की रिपोर्ट रखी कि उसके हिसाब से लड़कियों की संख्या कम हो रही है। यह एक कोई एन0जी0ओ0 है उसकी रिपोर्ट है। सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमारी संख्या नहीं घट रही है। आपका यह कहना है कि क्या इनको एप्रीसियेट करने के लिए कि लड़कियां शिक्षा में आयें, कोई ऐसी योजना करेंगे। आपने बजट को देखा होगा, बजट में शायद व्यवस्था हुई थी कि लड़कियों की शिक्षा नीचे से लेकर उच्च शिक्षा तक फीस माफ हो जायेगी। मंत्री जी बता दीजिए, क्या व्यवस्था करेंगे ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह)-

मान्यवर, मा0 सदस्य का सवाल है, मा0 मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आठ से बारह तक कक्षाओं की लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। तो मा0 सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि पढ़ने की संख्या लड़कियों की कम नहीं हो रही है। वर्ष 2008 में जो है 51.35 प्रतिशत था, 2009 में 67.89 प्रतिशत था, 2010 में 77.29 प्रतिशत था, 2011 में 78.92 प्रतिशत था और

2012 में 88.95 प्रतिशत था और यह सरकार लड़कियों की शिक्षा के लिए बिल्कुल संकल्प लिये है और जब-जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, तब-तब महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा बल दिया गया है और असेवित विद्यालय खोलकर के लड़कियों को पढ़ाने का काम किया गया और फिर आगे पूरी तरह से इन्हें लैपटाप देकर के, टैबलेट देकर के और खाना-पानी सब देकर के कपड़ा, पढ़ाई सब देकर के और मान्यवर, मा0 अखिलेश प्रताप सिंह जी से पूछ लीजिए इनके यहां लड़कियों की तादात घट नहीं रही है, इसलिए यह गोण्डा की तरफ शादी भी ज्यादा कर रहे हैं।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, इन्होंनें लड़कियों की संख्या नहीं बताई है, बल्कि इन्होंने लड़कियों के पास होने का परसेण्टेज बताया है।

श्री अध्यक्ष-

अगर आपको परसेण्टेज गलत लगे तो नियमावली में गलत बयानी के लिए नियम बना हुआ है, आप उसके अन्तर्गत मामला उठाइये। अब इसको समाप्त करिये। आप अखिलेश सिंह जी आखिरी सवाल कर लीजिए।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने अभी बताया कि लड़कियों की संख्या विशेषतौर से हमारे यहां इसलिए नहीं घट रही है, क्योंकि हमारे यहां की शादियां गोण्डा में हो रही हैं। माना हमारे मंत्री जी की ससुराल हमारे क्षेत्र में है, तो यह अपनी पत्नी के दिये आंकड़ों पर न जायं, यह सरकार के आंकड़े बतायें। यह आपकी पत्नी के आंकड़े थे या आपकी सरकार के दिये हुए आंकड़े थे ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह-

यह सरकार का आंकड़ा है, लेकिन जब आप लोग आते हैं तो हम लोग भी उसमें मदद करते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अक्सर लोग अपनी पत्नी को भी सरकार कहते हैं, तो यह किस सरकार के आंकड़े हैं, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब समाप्त करें। अब मैं नियम-301 की सूचनायें लेता हूं।

अतारांकित प्रश्न

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के गरीब पात्र लाभार्थियों के नाम लोहिया आवास आवंटित किये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

01-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के गरीब पात्र लाभार्थियों के नाम लोहिया आवास आवंटित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता

के पत्र के क्रम में मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या-पी0जी0-10161099, दिनांक 06-11-2012 जो प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास उ0प्र0 शासन को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के गरीब पात्र लाभार्थियों के नाम लोहिया आवास आवंटित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र के क्रम में मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या-पी0जी0-10161099, दिनांक 6-11-2012 प्राप्त हुआ था, जिसके साथ कुल 158 व्यक्तियों की सूची संलग्न की गई थी।

उपरोक्त पत्र पर कार्यवाही करते हुए शासन द्वारा जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 को निर्देशित किया जा चुका है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना विषयक शासनादेश सं0-107/38-4-2013-05 (बजट)/2012, दिनांक 20-2-2013 के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें। तद्नुसार मा0 सदस्य विधान सभा को भी अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री आर0 बी0 सिंह को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विनियमितीकरण निरस्त करने के आदेश का अनुपालन किये जाने की मांग

02-श्री सन्तराम कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेण्ट एण्ड्रयूज इण्टर कालेज, गोरखपुर के कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री आर0 बी0 सिंह के स्थायीकरण/विनियमितीकरण को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश 9-01-2012 द्वारा निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अशोक यादव के घर से डीहबाबा तक पानी निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने की मांग

03-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में हिरामनपुर में अशोक यादव के घर से मन्दिर तक सड़क एवं मढ़िया ग्राम सभा में दशमी के घर से डीहबाबा तक गली, नाली न होने से पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में नाली निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड नियमताबाद के ग्राम पंचायत महदिपुर के हिरामनपुर में अशोक यादव के घर से मन्दिर तक जल निकासी हेतु नाली की लम्बाई 400 मीटर है जिसे बनवाने पर लगभग 5.00 लाख रुपये व्यय अनुमानित है। वर्तमान में उक्त कार्य ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सोनभद्र में ग्रामवार खराब पड़े हैण्डपम्प को चालू कराये जाने की मांग

04-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में ग्रामसभावार कुल कितने हैण्डपम्प खराब हैं ? क्या सरकार खराब पड़े गहरे बोरिंग के इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1927 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब (रि-बोर योग्य) हैं।

जी हां।

स्थाई रूप से खराब (रि-बोर योग्य) 1927 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों में से वर्तमान वित्तीय वर्ष में रि-बोर हैण्डपम्पों हेतु निर्धारित लक्ष्य 400 नग हैण्डपम्पों को मार्च, 2013 तक ठीक करा दिया जायेगा। अवशेष हैण्डपम्पों को ठीक कराने का कार्य आगामी वित्तीय वर्षों में उपलब्ध वित्तीय संसाधन के सापेक्ष निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के कतिपय विकास खण्डों में लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अवमुक्त धनराशि की जानकारी

05-श्री रामहेत भारती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये चयनित लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड परसेन्डी, लहरपुर, हरगांव तथा बेहटा के किन गांवों को कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेलकूद व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड परसेण्डी में ग्राम भवानीपुर एवं विकास खण्ड बेहटा में ग्राम भवानीपुर का चयन किया गया है। इन ग्रामों में अवस्थापना सुविधा मद के अन्तर्गत 200.44 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

06-श्री काली चरन सुमन-

[3सरे शुक्रवार के अता0 प्रश्न संख्या-59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

07-श्री काली चरन सुमन-

[4थे गुरुवार के अता0प्र0सं0-30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा की ग्राम पंचायत अकोला के अनेकों ग्रामों में खारे पानी की समस्या का निराकरण

08-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की ग्राम पंचायत अकोला, रामनगर मिनानी, घड़ी हरलाल नानपुर एवं सहारा आदि गांवों में खारे पानी की समस्या है ? यदि हां, तो क्या इसके निदान के लिये सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

ग्राम पंचायत अकोला, रामनगर पिनानी, गढ़ी हरदयाल, नानपुर एवं सहारा आदि ग्रामों में खारे पानी की समस्या के निदान हेतु पाइप पेयजल योजना एवं टी0टी0एस0पी0 के माध्यम से ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

09-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूलों में कितने अध्यापकों के पद सृजित हैं तथा कितने अध्यापक वर्तमान समय में तैनात हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामगोविन्द चौधरी)-

जनपद कुशीनगर के प्राथमिक विद्यालयों में 8209 पद तथा जूनियर हाई स्कूलों में कुल 2464 पद सृजित हैं।

वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालयों में कुल 230 शिक्षक तथा जूनियर हाई स्कूलों में कुल 977 शिक्षक कार्यरत हैं।

इस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 5908 पद तथा जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के 1457 पद रिक्त हैं।

जी हां।

विगत दिनों जनपद में 26 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गई। प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से आन-लाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित कर काउन्सिलिंग की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी, परन्तु मा0 उच्च न्यायालय में विशेष अपील में पारित आदेश दिनांक 4-2-2013 के अनुपालन में नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर दी गयी है।

जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर प्राथमिक विद्यालयों के पात्र अध्यापकों को प्रोन्नत करके यथाशीघ्र नियुक्त किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया की तहसील बैरिया में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आर्सेनिक युक्त पानी की रोकथाम के उपाय

10-श्री जय प्रकाश अंचल

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया की तहसील बैरिया में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आर्सेनिक युक्त पानी पीने के कारण ग्रामीण जनता अनेकों प्रकार के रोगों का शिकार हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम कर स्वच्छ जल आपूर्ति करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया की तहसील बैरिया में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कुल 143 बस्तियां चिन्हित की गई हैं जिनके भू-गर्भ जल में आर्सेनिक निर्धारित मानक (50 माइक्रो ग्राम प्रति लीटर) से अधिक है किन्तु आर्सेनिक युक्त पानी से क्षेत्र में तरह-तरह की बीमारियां फैलने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

जी हां। इन बस्तियों में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 172 अतिरिक्त गहरे इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प एवं 180 आर्सेनिक रिमूवल यूनिट लगाये गये हैं। इनके अतिरिक्त गहरे नलकूप से प्राप्त जल पर आधारित 10 पाइप पेयजल योजनाएं बनाकर आर्सेनिक मुक्त पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार की 16 अन्य पाइप पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन है जो मार्च, 2013 तक पूर्ण कर ली जायेंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

11-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

[4थे बुधवार के अता0प्र0सं0-183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सिटी की ग्राम सभा भोरसर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने की मांग

12-श्री रमेश चन्द्र-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड-सिटी अन्तर्गत ग्राम सभा भोरसर में राजकीय कन्या इण्टरमीडिएट कालेज का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मानक के अन्तर्गत न होने के कारण।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की ग्राम सभा शाहपुर डगरा पर वियार बस्ती में जल निकासी हेतु नाला निर्माण कराये जाने की मांग

13-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामसभा-शाहपुर डगरा पर वियार बस्ती में जल निकासी हेतु नाला न होने के कारण जल भराव की समस्या रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामसभा की बस्ती में जल निकासी हेतु नाला बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड चन्दौली के ग्राम पंचायत शाहपुर में डगरा पर वियार बस्ती के पास शाहपुर सीकरी माइनर पर सायफन जाम है जिससे बगल में स्थित पोखरे का पानी निकल नहीं पा रहा है। वियार बस्ती का पानी प्राकृतिक रूप से बहकर उक्त पोखरे में जाता है जो उक्त सायफन द्वारा निकलकर नाले के माध्यम से जिसकी लम्बाई 100 मीटर है, मद्धुपुर माइनर पर बना साइफन जाम होने के कारण पानी निकल नहीं पा रहा है। वर्तमान में सिंचाई विभाग द्वारा उक्त जाम साइफन पर रिटेलिंग वाल का निर्माण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड ददरौल के जूनियर हाई स्कूल शाहवेजपुर के विद्यालय भवन की मरम्मत

14-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड ददरौल के जूनियर हाई स्कूल शाहवेजपुर के विद्यालय भवन के कमरों का फर्श जो वर्ष 2008 में बनाया गया था, पूर्णरूप से टूट चुका है, जिससे छात्रों को बैठने में अत्यन्त असुविधा हो रही है और शिक्षण कार्य प्रभावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधोमानक निर्माण की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये उक्त विद्यालय की फर्श का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जूनियर हाई स्कूल शाहवेजपुर विकास क्षेत्र ददरौल का निर्माण कार्य वर्ष 2007-08 में मानकों के अनुरूप कराया गया था, परन्तु वर्ष 2008 के माह अगस्त-सितम्बर में आयी बाढ़ के कारण विद्यालय में जल भराव हो गया जिससे बरामदे व कक्ष के फर्श क्षतिग्रस्त हो गये।

विद्यालय के बरामदे व कार्यालय कक्ष के फर्श का निर्माण कार्य करा दिया गया है तथा कक्षा-कक्षों के फर्श का निर्माण भी प्रारम्भ कराया जा चुका है। सम्प्रति छात्रों को असुविधा नहीं है तथा शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है।

विद्यालय निर्माण कार्य मानक के अनुरूप होने के कारण दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। फर्श का निर्माण कार्य गतिमान है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की पराग डेरी पुनः संचालित करने की मांग

15-श्री धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में स्थापित पराग डेरी जो पूरे जनपद के किसानों का दूध खरीदती थी, बन्द है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार किसानों के हित में इसे पुनः संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। दुग्ध संघ बरेली को पुनः संचालित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली दुग्ध संघ को दिनांक 25-2-13 से पुनः संचालित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज की ग्राम सभा सोनौरा बुजुर्ग में राजकीय इण्टर कालेज का प्रस्तावित निर्माण

16-श्री फतेह बहादुर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज की ग्राम सभा सोनौरा बुजुर्ग में राजकीय इण्टर कालेज के नाम 5 एकड़ भूमि दर्ज है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम सभा में राजकीय इण्टर कालेज या अन्य कोई माध्यमिक विद्यालय कब तक खोलने की सरकार की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक जनपद गोरखपुर के ग्राम सोनौर, बुजुर्ग तहसील कैम्पियरगंज में राजकीय हाई स्कूल का निर्माण प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड-वार लाभार्थियों को इन्दिरा आवास की दूसरी किस्त उपलब्ध कराये जाने की मांग

17-श्री जाकिर अली-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में विकास खण्ड-वार कुल कितने लाभार्थियों के वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में स्वीकृत इन्दिरा आवास की दूसरी किश्त न मिलने के कारण निर्माण कार्य अपूर्ण है ? क्या सरकार अपूर्ण इन्दिरा आवासों की सूची उपलब्ध कराते हुये उक्त अपूर्ण इन्दिरा आवासों को पूर्ण करने के लिये दूसरी किश्त जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद गाजियाबाद में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में विकास खण्ड भोजपुर को 30, विकास खण्ड मुरादनगर को 12, विकास खण्ड लोनी को 1 तथा विकास खण्ड रजापुर में शून्य, इस प्रकार कुल 43 लाभार्थियों के आवास स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2011-12 में मात्र विकास खण्ड मुरादनगर को 1 आवास स्वीकृत किया गया है। शेष विकास खण्ड भोजपुर, रजापुर एवं लोनी में किसी भी लाभार्थी को आवास आवंटित नहीं किये गये हैं। वर्ष 2012-13 में जनपद गाजियाबाद में कोई पात्र व्यक्ति शेष नहीं होने के कारण कोई आवास स्वीकृत नहीं किया गया है। उक्त वर्षों में लाभार्थियों को आवंटित आवासों की प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि समय से जारी कर सभी लाभार्थियों के आवास पूर्ण करा दिये गये है। किसी का निर्माण कार्य अधूरा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी में विधायक निधि द्वारा गत वर्ष हैण्डपम्प अधिष्ठापन विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

18-श्री राम सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में विधायक निधि वर्ष 2011-12 में 300 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट एग्रो को धन आवंटित करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-7-2012 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

प्रश्नकर्ता का दिनांक-रहित पत्र प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को दिनांक 20-07-2012 को प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 21-08-2012 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ को निर्देशित किया गया कि वे पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में आख्या शासन को उपलब्ध करायें।

इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ से प्राप्त आख्या के आधार पर निम्न स्थिति पायी गयी :--

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-2012 में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पूर्व सदस्य, विधान सभा के प्रस्ताव पर 300 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प के अधिष्ठापन हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट एग्रो, प्रतापगढ़ के पक्ष में 60 प्रतिशत धनराशि रु0 48.60 लाख अवमुक्त की गयी थी।

300 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों में से कार्यदायी संस्था द्वारा 180 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं तथा स्थापना हेतु 120 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों की स्थापना का कार्य अवशेष है। अवशेष 120 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प के अधिष्ठापन हेतु प्रश्नकर्ता (मा0 सदस्य, विधान सभा) से प्रस्ताव वांछनीय है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गैर हिन्दी भाषी पिछड़ी जातियों को जाति प्रमाण-पत्र में विसंगति दूर करने की मांग

19-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में अधिसूचित 79 जातियों में जाति के नाम के आगे प्रदेश के स्थायी निवासी गैर हिन्दी भाषी पिछड़ी जातियों के टाइटिल का अंकन न होने से जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के समक्ष भ्रम की स्थिति पैदा होती है ? क्या सरकार इस विसंगति को दूर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम-1994 की धारा-2 में उल्लिखित है कि नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है। अधिनियम की धारा 9 में भी यह उल्लिखित है कि ''इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण-पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करें, जारी किया जायेगा।''

अतः भ्रम होने का कोई कारण नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के कतिपय विकास खण्डों के प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती कराये जाने की मांग

20-श्री रामहेत भारती-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव, परसेन्डी, लहरपुर तथा बेहटा में संचालित प्राथमिक स्कूलों तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

शिक्षकों की कमी के फलस्वरूप विकास क्षेत्र हरगांव, परसेन्डी, लहरपुर तथा बेहटा में संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक कम हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से आन-लाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित कर काउन्सिलिंग की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी, परन्तु मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपीलों में पारित आदेश दिनांक 4-2-2013 के अनुपालन में नियुक्ति प्रक्रिया सम्प्रति स्थगित कर दी गयी है।

जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर प्राथमिक विद्यालयों के पात्र अध्यापकों को प्रोन्नत करके यथाशीघ्र नियुक्त किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने की मांग

21-श्री जाकिर अली-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में वित्तीय वर्ष 2008 से दिनांक 07-02-2013 तक अधिष्ठापित किये गये हैण्डपम्प में से कितने कार्य कर रहे हैं एवं कितने बन्द हैं ? क्या यह सही है कि बन्द पड़े सभी हैण्डपम्प मानक के अनुसार न लगाये जाने के कारण बन्द हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद गाजियाबाद में वित्तीय वर्ष 2008 से दिनांक 07-02-2013 तक कुल अधिष्ठापित 2986 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प में से किसी भी हैण्डपम्प के स्थाई रूप से खराब (रि-बोर योग्य) होने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

जी नहीं। सभी हैण्डपम्प मानक के अनुरूप ही अधिष्ठापित कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

22-श्री उमाशंकर-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद सीतापुर के कतिपय विकास खण्डों में हो रहे अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही

23-श्री रामहेत भारती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव, लहरपुर तथा बेहटा में वित्तीय वर्ष 2012-13 में रेता बालू तथा मिट्टी खनन के पट्टे किसको-किसको दिये गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त स्थल पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या अवैध रूप से खनन करने वालों के विरुद्ध जांच करवाकर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री अखिलेश यादव-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव, लहरपुर तथा बेहटा में किसी को कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया की तहसील रसड़ा की ग्राम सभा हजौली में कन्या हाई स्कूल की स्थापना

24-श्री उमाशंकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया की तहसील रसड़ा के अन्तर्गत 1200 से अधिक आबादी की ग्राम सभा हजौली तथा इससे सटे अन्य गांवों में भी बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, किन्तु यहां आसपास कोई कन्या हाईस्कूल न होने के कारण यहां की बालिकाओं को शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता से वंचित होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम सभा हजौली में कन्या हाईस्कूल खोले जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद बलिया की तहसील रसड़ा के अन्तर्गत ग्राम सभा हजौली में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में राजकीय हाईस्कूल की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा विद्यालय जुलाई, 2012 से संचालित है। उक्त विद्यालय में सह शिक्षा का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा हजौली में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल की स्थापना हो चुकी है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के कतिपय मार्गों का चयन डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना में किये जाने सम्बन्धी प्राप्त-पत्र पर कार्यवाही

25-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के विधान सभा क्षेत्र-पयागपुर के कतिपय मार्गों का चयन डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत किये जाने संबंधी, प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20-08-2012 के परिप्रेक्ष्य में श्री नरेश बहादुर, संयुक्त सचिव, समग्र ग्राम्य विकास अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ का अ0शा0प0 1110/66- 12-35 समग्र/12, दिनांक 10-10-2012 जिलाधिकारी-बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

जी नहीं।

प्रश्न में संदर्भित पत्र दिनांक 20-08-2012 के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त सचिव समग्र ग्राम विकास विभाग का पत्र संख्या-856/66-12-35(समग्र)/12, दिनांक 10-10-2012 जिलाधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुआ है।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 हेतु जनपद बहराइच में चयनित ग्रामों की सूची में उक्त पत्र में उल्लिखित 06 ग्राम सम्मिलित न होने के कारण इस योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण किये जाने की मांग

26-कुंवर भारतेन्द्र-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के जिला कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय में कितने वरिष्ठ सहायक/अधिकारी स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध 5 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के तहत इन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद बिजनौर के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में कोई वरिष्ठ सहायक/अधिकारी स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध 5 वर्ष से अधिक कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम रूकनापुर खुर्द में जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने की मांग

27-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम रुकनापुर खुर्द में जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/12-13/क-एस0नं0-157317/3029, दिनांक 04-02-2013 मुख्य मंत्री तथा मुख्य सचिव उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

मनरेगा मांग आधारित योजना है, जिसमें श्रमिकों के मांग पर कार्य दिया जाता है। मनरेगा योजनान्तर्गत श्रमांश व सामग्री का अनुपात 60:40 होना चाहिए। प्रश्नगत मामलें में जल निकासी हेतु पक्के नाले का निर्माण कराया जाना है, जिसमें श्रमांश व सामग्री का अनुपात दिशा निर्देशों में निर्धारित 60:40 के अन्तर्गत न होने के कारण मनरेगा के अन्तर्गत कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के जे0एस0 अंसार इण्टर कालेज छजलैट को बोर्ड परीक्षा केन्द्र बनाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

28-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के कांठ विधान सभा क्षेत्र के जे0एस0 अंसार इण्टर कालेज छजलैट को बोर्ड परीक्षा केन्द्र बनाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01-02-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

परीक्षा केन्द्र निर्धारण का दायित्व जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति तथा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मण्डल स्तरीय समिति को सौंपा गया है, तद्नुसार मा0 सदस्य, विधान सभा के उक्त पत्र को यथोचित कार्यवाही हेतु मण्डलीय समिति के पदेन सचिव, मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद को सम्प्रेषित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

29-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

30-श्री जय प्रकाश अंचल-

[3सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में अनेकों मार्गों का डामरीकरण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

31-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में आवागमन के दृष्टिकोण से विभिन्न अति महत्वपूर्ण मार्गों के डामरीकरण के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/12-13/क-एस0नं0-157625/ 2093, क-एस0नं0 157626/2094, क-एस0नं0 157637/2095, क-एस0नं0 157627/2096, क-एस0नं0 157628/2097, क-एस0नं0 157629/2098, क-एस0नं0 157630/2099, क-एस0नं0 157631/3000, क-एस0नं0 157632/3001, क-एस0नं0 157633/3002, दिनांक 02 फरवरी, 2013 उन्हें तथा प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

उक्त पत्रों के माध्यम से कुल 99 सम्पर्क मार्गों की सूची प्रेषित करते हुए उनके डामरीकरण कराने का अनुरोध किया गया था।

उक्त 99 सम्पर्क मार्गों की स्थिति निम्नवत् है :-

15 मार्गों से जुड़ने वाली बसावटें पूर्व से ही अन्य संरेखण द्वारा जुड़ी हुयी हैं। चूंकि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रस्तर 3.1 के अन्तर्गत किसी बसावट को जोड़ने के लिये एकल सम्पर्कता ही अनुमन्य है, अतः उक्त 15 मार्गों का निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत संभव नहीं है।

36 मार्गों से सम्बन्धित बसावटों की आबादी (वर्ष 2001 की जनगणना एवं कोर नेटवर्क में अंकन के अनुसार) 500 से कम होने के कारण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उनका

निर्माण संभव नहीं है। जैसा कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मात्र 500 या उससे अधिक आबादी की गैर जुड़ी बसावटों को ही योजना के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर-2.1 के अनुसार जोड़े जाने हेतु सम्पर्क मार्ग प्रस्तावित किये जा सकते हैं।

35 मार्ग जनपद के कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है, जबकि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 4.6 के अनुसार किसी मार्ग को योजनान्तर्गत प्रस्तावित किये जाने के लिये उसका कोर-नेटवर्क में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

03 मार्ग फेज-9 में प्रारम्भ में चयनित किये गये थे, परन्तु कृषकों द्वारा मार्ग निर्माण हेतु भूमि न दिये जाने के कारण उन्हें भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं किया जा सका था।

01 मार्ग वर्तमान में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन है तथा 08 मार्ग योजनान्तर्गत स्वीकृत है जिन पर अनुबन्ध गठन के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

01 मार्ग लोक निर्माण विभाग की विभागीय योजना के माध्यम से निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती मण्डल के अन्तर्गत उ0 प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् विनियमावली अन्तर्गत प्रधानाचार्य/अध्यापकों के नियुक्ति विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

32-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती मण्डल के अन्तर्गत उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् विनियमावली- 2009 के अन्तर्गत प्रधानाचार्य/अध्यापकों की नियुक्ति विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-10-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जांचोपरान्त बस्ती मण्डल में सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया को निष्प्रभावी एवं शून्य घोषित कर दिया गया। अतः वेतन भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में पेयजल संकट के निदान विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

33-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल संकट के निदान हेतु विधान सभा क्षेत्र रुदौली, जनपद फैजाबाद में वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव पर कुल कितने इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं ? क्या प्रत्येक विकास खण्ड में 100 हैण्डपम्प की दर से नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

पेयजल संकट के निदान हेतु विधान सभा क्षेत्र रुदौली, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत तत्समय प्रभावित शासनादेशों के अनुसार जिला प्रशासन के अनुमोदनोपरान्त 23 नग नये इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन तथा 74 नग रि-बोर योग्य हैण्डपम्पों की पुनर्स्थापना/रि-बोर किया गया है।

तत्समय प्रभावी शासनादेश के अनुसार प्रत्येक विकास खण्ड में 50 नग नये एवं 50 नग रि-बोर हैण्डपम्पों के निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद में कुल 550 नग नये एवं 550 नग रि-बोर हैण्डपम्पों का लक्ष्य निर्धारित था। उक्त लक्ष्य के सापेक्ष कुल 368 नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन तथा 423 रि-बोर योग्य हैण्डपम्पों का पुनर्स्थापना कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

34-श्री रमेश चन्द-

[3सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शासनादेश के अनुसार जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्रों में लगाये गये हैण्डपम्पों का विवरण

35-कुंवर भारतेन्द्र-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-2036/अड़तीस-5-2012-58 सम/2012, दिनांक 21-12-12 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 की अवशेष अवधि हेतु प्रदेश में 50,000 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन जनपदों के प्रभारी मंत्रीगण द्वारा अनुमोदित सूची के अनुरूप कराया जाना सुनिश्ति किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद बिजनौर के किन-किन विधान सभा क्षेत्रों में कितने-कितने हैण्डपम्प लगाये जाने प्रस्तावित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

शासनादेश दिनांक 21-12-2012 के अनुसार जनपद बिजनौर के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 400 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनका अधिष्ठापन निर्धारित मानकानुसार (150 की जनसंख्या पर 01 हैण्डपम्प तथा दो हैण्डपम्पों के मध्य 75 मीटर की दूरी) कराया जाना है। इनका विधान सभा क्षेत्रवार विभाजन नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जनरेटर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

36-कुंवर भारतेन्द्र-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में कम्प्यूटर संचालन हेतु जनरेटर उपलब्ध कराये जाने की नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में है कि जनपद बिजनौर के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जनरेटर नहीं है ? यदि हां, तो उक्त कार्यालय में कब तक जनरेटर उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में विकास खण्ड नियामताबाद में पेयजल समस्या का निराकरण किये जाने की मांग

37-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अति पिछड़े एवं पेयजल की समस्या से ग्रस्त विकास खण्ड नियामताबाद एवं चन्दौली को पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु 100-100 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगा कर सरकार शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद एवं चन्दौली के ग्रामों की वर्तमान जनसंख्या लगभग 506860 है तथा वर्तमान में वहां कुल 5693 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इस प्रकार वहां 89 व्यक्तियों पर 01 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं जोकि 150 की आबादी पर 01 हैण्डपम्प के निर्धारित मानक के अन्तर्गत संतृप्त हैं।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के कतिपय ब्लाकों में आई0आई0टी0 खोलने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

38-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ब्लाक छजलैट व डिलारी में एक-एक आई0टी0आई0 खोलने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 02-07-2012 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए व्यावसायिक शिक्षा विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत बजट व्यवस्था है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग के उपलब्ध बजट से ऐसी तहसीलें जहां कोई भी निजी अथवा राजकीय आई0टी0आई0 नहीं है, में आई0टी0आई0 खोलने का निर्णय लिया गया है। मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (एम0एस0डी0पी0) योजना से आच्छादित जनपदों में विभिन्न परियोजनायें जिनमें आई0टी0आई0

सम्मिलित हैं, का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। वर्ष 2012-2013 में जनपद मुरादाबाद में जिला स्तरीय समिति द्वारा विकास खण्ड छजलैट व डिलारी में आई0टी0आई0 की स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया की तहसील बैरिया में मिनी स्टेडियम बनवाये जाने की मांग

39-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया की बैरिया तहसील मुख्यालय पर मिनी स्टेडियम बनाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकरन आर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण स्टेडियम की योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 से शासन द्वारा समाप्त कर दी गयी है।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में शुद्ध पेयजल हेतु हैण्डपम्प स्थापित कराये जाने की मांग

40-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के चौरी-चौरा विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध न होने के कारण लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्रीय जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डीप इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगवायेगी/स्थापित करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद गोरखपुर के चौरी-चौरा विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता के कारण बीमारियां फैलने की कोई सूचना स्वास्थ्य विभाग द्वारा संज्ञान में नहीं लायी गयी हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आवश्यकतानुसार आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों में आर्सेनिक रिमूवल प्लान्ट लगाये गये हैं तथा ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित बस्तियों में नये 428 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा रहे हैं।

जुलाई, 2013 तक हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों की मांग

41-श्री रमेश चन्द-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत डायट में शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, मिर्जापुर में प्रवक्ता वेतनक्रम के 15 पद तथा स्नातक वेतनक्रम के 03 पद रिक्त हैं। प्रशिक्षण के सुचारु संचालन हेतु इन पदों पर नियमित पद धारकों की व्यवस्था होने तक शासनादेश संख्या-830/15-11-10, दिनांक 20-5-2010 तथा शासन के पत्र संख्या-1575/15-11-2012 दिनांक 30-5-2012 के अनुपालन में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, मिर्जापुर द्वारा 14 अतिथि प्रवक्ताओं को अनुबन्धित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में स्टेडियम बनवाये जाने की मांग

42-श्री रमेश चन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु स्टेडियम बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण स्टेडियम की योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 से शासन द्वारा समाप्त कर दी गयी है।

जनपद सोनभद्र में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना अन्तर्गत चयनित ग्रामों के संदर्भ में जानकारी

43-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन की प्रक्रिया में संशोधन करते हुये उन्हीं ग्रामों को शामिल किया गया है जिनकी कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 500 या इससे अधिक है ? यदि हां, तो जनपद सोनभद्र में कुल कितने ग्रामों को चयनित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

जी हां।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में वर्ष 2012-13 हेतु कुल 16 राजस्व ग्रामों का चयन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

44-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के विद्यालयों में प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाये जाने की मांग

45-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की प्रोन्नति पर रोक सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा अगस्त, 2012 में लगायी गयी है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार प्रोन्नति पर लगी उक्त रोक को हटवा कर प्रोन्नति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के काफी संख्या में पद रिक्त होने की दशा में पदोन्नति के पश्चात् और भी पद रिक्त हो जाने एवं विद्यालय बन्द हो जाने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की प्रोन्नति पर रोक लगायी गयी है।

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपीलों में पारित मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन की कार्यवाही स्थगित है। मा0 न्यायालय के अग्रेतर आदेश प्राप्त होने के उपरान्त चयन की कार्यवाही करके प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के उपलब्ध होने पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के जू0हा0 स्कूल शिक्षक संघ को कक्ष आवंटन सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

46-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0जू0हा0 स्कूल शिक्षक संघ बाराबंकी का पत्र दिनांक 21-11-12 संघ को एक कक्ष आवंटित करने के सम्बन्ध में है, मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र है, जिसमें जिलाधिकारी, बाराबंकी को कक्ष आवंटन हेतु आदेशित किया गया है तथा उक्त विषयक श्री अरविन्द कुमार यादव, पूर्व एम0एल0सी0, बाराबंकी का आपको सम्बोधित पत्र दिनांक 21-11-12 पर निदेशक, बेसिक शिक्षा को कक्ष आवंटन हेतु आदेशित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विद्यालय परिसर में शिक्षक संगठन/गैर शैक्षिक गतिविधियों के संचालन हेतु कोई प्राविधान न होने के परिप्रेक्ष्य में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, बाराबंकी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा कोई कक्ष आवंटित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

47-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती की विचाराधीन प्रक्रिया

48-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो उन पर भर्ती कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय ब्लाकों में बी0पी0एल0 कार्ड धारियों को इन्दिरा आवास आवंटित किये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

49-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक जलालाबाद के गांव करदोला भुड़िया, ब्लाक मिर्जापुर के ग्राम थरिया तथा ब्लाक कलान के ग्राम ग्योतिया खजुरी के पात्र बी0पी0एल0 कार्ड धारियों को इन्दिरा आवास दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 10-09-2012, 24-09-2012 एवं 06-10-2012 मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर को दिनांक 08-10-1012 व 05-10-1012 को प्राप्त हुये है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

मा0 सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 10-9-2012 मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्र दिनांक 24-9-2012 एवं 6-10-2012 मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में क्रमशः दिनांक 5-10-2012 एवं 8-10-2012 को प्राप्त हुये हैं।

पत्र दिनांक 24-9-2012 के सम्बन्ध में पात्रता की जांच करायी गयी। श्रीमती राम प्यारी बेवा पत्नी स्व0 विशाल सिंह, ग्राम थरिया विकास खण्ड मिर्जापुर का नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 एवं पात्रता सूची में न होने के कारण उनका आवास बनाया जाना सम्भव नहीं है।

पत्र दिनांक 6-10-2012 के सम्बन्ध में श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री राम, ग्राम थरिया विकास खण्ड मिर्जापुर के बारे में जांच करायी गयी। श्री महेश चन्द्र का नाम बी0पी0एल0 सूची में न होने के कारण आवास दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

कतिपय कक्षाओं के पंजीकरण आवेदन-पत्र क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी द्वारा जिला विद्यालय को प्राप्त कराने सम्बन्धी जानकारी

50-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया कार्यालय को पंजीकरण सत्र 2010-11 (कक्षा-9 व कक्षा-11) के पंजीकरण आवेदन-पत्र की प्रथम किस्त क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी से किस तिथि को प्राप्त हुयी और उन्हें जनपद के विद्यालयों को किन-किन तिथियों में उपलब्ध कराया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि उसमें से कितने विद्यालयों का पंजीकरण फार्म समयान्तर्गत उपलब्ध नहीं कराया गया है ? क्या सरकार इसके दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करके छूटे हुये विद्यालयों के पंजीकरण फार्म जमा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

कक्षा-9 व 11 के अग्रिम पंजीकरण आवेदन-पत्र दिनांक 20-9-2010 को क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त कराये गये थे, जिन्हें जनपद के विद्यालयों को किन-किन तिथियों को उपलब्ध कराया गया, इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के ब्लाक नजीमाबाद में सरकारी कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने की मांग

51-श्री तसलीम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद में सरकारी कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

वर्तमान में प्रत्येक ब्लाक में राजकीय इण्टर कालेज (बालक/बालिका) खोले जाने हेतु कोई योजना संचालित नहीं हैं।

प्रदेश में उच्च प्राथमिक स्कूलों की अनुसूचित जाति एवं मेधावी छात्राओं को साइकिल दिये जाने सम्बन्धी योजना की जानकारी

52-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद् के उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की मेधावी छात्राओं को मुफ्त साइकिल दिए जाने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

53-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[4थे सोमवार के अता0प्र0सं0-71 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक मोहम्मदी तथा पसगवां में ग्राम विकास अधिकारी के ब्लाकवार स्वीकृत पदों पर तैनाती की मांग

54-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक मोहम्मदी तथा पसगवां में ग्राम विकास अधिकारी के ब्लाकवार कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उसके सापेक्ष कितने कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक मोहम्मदी तथा पसगवां में ग्राम विकास अधिकारी के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :-

विकास खण्ड	स्वीकृत पद	कार्यरत कर्मी	रिक्त पद
मोहम्मदी	10	8	2
पसगवां	10	8	2

जी हां।

वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य

55-श्री राम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वर्ष 2012-13 तक कितने प्राथमिक विद्यालयों को स्वीकृति प्रदान की गयी ? स्वीकृत विद्यालयों में से कितने प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वर्ष 2012-13 तक सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 102 प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

स्वीकृत 102 प्राथमिक विद्यालयों में से 71 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 31 प्राथमिक विद्यालयों में से 12 प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माणाधीन है जिन्हें यथाशीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा। भूमि विवाद/भूमि की अनुपलब्धता के कारण अवशेष 19 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हो सका है। निर्विवाद भूमि की उपलब्धता होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने की मांग

56-श्री राम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कितने प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल नहीं है ? क्या सरकार उन प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

विधान सभा क्षेत्र पट्टी में 237 प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल नहीं है।

जी हां।

वर्ष 2012-13 में विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 15 प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष प्राथमिक विद्यालयों हेतु बाउन्ड्रीवाल का प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2013-14 में भारत सरकार को भेजा जा रहा है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के ग्राम पूण्डरीखुर्द में पशु सेवा केन्द्र के जर्जर भवन की मरम्मत कराये जाने की मांग

57-श्री तसलीम-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-बिजनौर के ब्लाक नजीबाबाद के ग्राम पूण्डरीखुर्द में स्थित पशु सेवा केन्द्र का भवन जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पशु सेवा केन्द्र भवन की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राम किशोर सिंह)-

भवन जर्जर नहीं अपितु मरम्मत योग्य है।

जी हां, बजट उपलब्ध होने पर।

58-श्री तसलीम-

[3 सरे शुक्रवार के अता0प्र0 सं0-78 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गाजियाबाद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना में चयनित ग्रामों का विवरण

59-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन प्रक्रिया में संशोधन करते हुए उन्हीं ग्रामों को शामिल किये जाने की योजना बनायी गयी है जिनकी कुल जनसंख्या 2001 के जनगणना के अनुसार 500 या उससे अधिक है ? यदि हां, तो जनपद गाजियाबाद में कुल कितने ग्रामों को डा0 राम मनोहर

लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना अन्तर्गत चयनित किया गया है ? क्या सरकार विकास खण्डवार चयनित ग्रामों की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

जी हां।

डा0 राम मनोहर समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 हेतु जनपद गाजियाबाद के कुल 13 ग्रामों का चयन किया गया है।

जनपद गाजियाबाद के चयनित ग्रामों की विकास खण्डवार सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर एवं सरदार नगर में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने की मांग

60-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विकास खण्ड-ब्रहमपुर एवं सरदार नगर में सरकार द्वारा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

जनपद गोरखपुर में 09 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 17 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं। इस प्रकार पूरे जनपद में राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की पर्याप्त संख्या है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के छत्रपति शिवाजी स्मारक पूर्व मा0 विद्यालय मुड़िला खुर्द चिल्हिया को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अनुदानित कर संस्था के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

61-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 34967/2012 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम प्रबन्ध समिति छत्रपति शिवाजी स्मारक पूर्व मा0 विद्यालय मुड़िला खुर्द चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर में निर्गत आदेशानुसार/निर्देशानुसार 30-11-2012 के परिप्रेक्ष्य में याचिका संख्या 48,347/2008 के अन्तर्गत निर्गत आदेश संख्या दि0 18-02-2010 के अनुपालन के क्रम में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1356/79-6-2012 दि0 05-12-2002 द्वारा वेतन वितरण अधिनियम 1978 के अनुरूप अनुदानित करके नियमित रूप से कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मियों को वेतन भुगतान की महामहित राज्यपाल ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विद्यालय को अनुदानित करने की तिथि से पूर्व के समस्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को भी अनुदानित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† (देखिये नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ-214 पर।)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय के अनुपालन में शासनादेश संख्या 1356/79-6-2012 दि0 07-12-2002 द्वारा छत्रपति शिवाजी स्मारक पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुड़िला खुर्द चिल्हिया, सिद्धार्थनगर को वेतन वितरण अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत अनुदानित कर संस्था में नियमित रूप से कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्नगत विद्यालय को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अनुदानित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

62-श्री पूरन प्रकाश-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

63-डा0 मो0 अयूब-

[4थे सोमवार के अता0प्र0सं0-53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

64-श्री रामहेत भारती-

[4थे बुद्धवार के अता0प्र0सं0-184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

65-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

[4थे सोमवार के अता0प्र0सं0-15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के अन्तर्गत विसावर विकास खण्ड बनाये जाने सम्बन्धी विचाराधीन प्रकरण

66-श्री देवेन्द्र अग्रवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के अन्तर्गत विसावर नाम से अतिरिक्त विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07-01-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के कस्बे सादाबाद में ग्रामीण स्टेडियम बनाये जाने की मांग

67-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में सादाबाद कस्बे में खेल स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण स्टेडियम की योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 से शासन द्वारा समाप्त कर दी गयी है।

जनपद मिर्जापुर के नगरपालिका के प्राथमिक पाठशाला के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक श्री रघुनाथ प्रसाद पाण्डेय के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन दिलाये जाने की मांग

68-श्री प्रदीप माथुर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रघुनाथ प्रसाद पाण्डेय सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, नगर पालिका, मीरजापुर में विसुन्दरपुर स्थित प्राथमिक पाठशाला में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात थे तथा सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी मृत्यु दिनांक 14 अक्टूबर, 1984 को हो गयी ? यदि हां, तो क्या उनकी विधवा श्रीमती फूलपत्ती ने स्व0 श्री पाण्डेय की पारिवारिक पेंशन हेतु दिये गये आवेदन-पत्र पर आप द्वारा दिनांक 07-08-2012 को पारिवारिक पेंशन जारी करने का आदेश निदेशक, बेसिक शिक्षा को दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

जी हां।

स्व0 रघुनाथ प्रसाद पाण्डेय वर्ष 1972 में बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे। तत्समय लाभत्रयी पेंशन योजना लागू थी, जिसके अन्तर्गत सेवानिवृत्त शिक्षक की मृत्यु के उपरान्त उसकी 65 वर्ष की आयु तक ही वैधानिक वारिसान को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता होती थी।

चूंकि श्री रघुनाथ प्रसाद पाण्डेय की मृत्यु 14 अक्टूबर, 1984 को हुयी है, ऐसी स्थिति में मृत्यु की तिथि को उनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण होने के कारण उनकी विधवा को पारिवारिक पेंशन देय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक मोहम्मदी तथा पसगवां में डा0 राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना के चयन मानक के सम्बन्ध में जानकारी

69-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- लखीमपुर खीरी के ब्लाक-मोहम्मदी तथा पसगवां में डा0 राममनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों का चयन किया

गया है तथा इनके चयन का मानक क्या है ? क्या क्षेत्रीय विधायक के प्रस्ताव पर विचार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के ग्राम अमरा व मोहम्मदपुर कामी तथा विकास खण्ड पसगवां के ग्राम भानपुर व ढकियापासी का चयन किया गया है।

उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन हेतु जनपद के समस्त राजस्व ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं यथा सम्पर्क मार्ग, आन्तरिक गलियां, पेयजल सुविधा, विद्युतीकरण, प्राथमिक/उच्च पाठशाला, स्वच्छ शौचालय एवं पंचायत घर के आधार पर सर्वेक्षण कराते हुए अंकों का निर्धारण किया गया। जनपद के राजस्व ग्रामों को प्राप्त अंकों के आधार पर आरोही क्रम में सूची तैयार की गयी।

जनपदवार ग्रामों की संख्या के निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 19 जून, 2012 के अनुसार जनपद हेतु निर्धारित ग्रामों की संख्या के तीन गुने गांवों की सूची जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी को जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। मा0 प्रभारी मंत्री जी द्वारा उस वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित संख्या के अनुसार चयनित ग्रामों की सूची जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जाती है। जिलाधिकारी द्वारा उक्त सूची शासन को उपलब्ध करायी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में अनेकों सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

70-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में त्वरित आर्थिक विकास योजना वर्ष 2012-13 में एन0एच0 28 नवीनमण्डी रुदौली से गुलचप्पा डेहवा होते हुए भेलसर रूदौली पहुंच मार्ग, सण्डवा सं0 मार्ग से बड़ेला सुखनन्दन पुरवा से सुख-सुखपुर-फरीदपुर सम्पर्क मार्ग, रूदौली बाबा बाजार मार्ग से सरैया सुल्तानपुर होते हुए ककरहिया तेर सम्पर्क मार्ग तथा बिगनिया पुल से लोहटी बरांव भर्रा होते हुए अमानीगंज बाजार तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी जिलाधिकारी, फैजाबाद का पत्र 639/त्वरित आ0वि0/2012-13 दिनांक 05-02-2013 प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित कार्यों पर यथोचित निर्णय लिये जाने हेतु पत्रावली लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के ब्लाक बुढ़नपुर में कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

71-श्री लोकेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्लाक बुढ़नपुर में कोई कन्या इण्टर कालेज स्वीकृत है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां पर कन्या इण्टर कालेज खोले जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

वर्तमान में प्रत्येक ब्लाक में राजकीय इण्टर कालेज (बालक/बालिका) खोले जाने हेतु कोई योजना संचालित नहीं है।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना के चयनित अनेकों ग्रामों में आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराये जाने की मांग

72-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में वर्ष 2012-2013 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायत उमापुर, मानापुर, मांझनपुर, जखौली तथा जमौली वि0ख0 बनीकोडर, जनपद बाराबंकी में आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार द्वारा तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

जी हां।

जनपद फैजाबाद एवं बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में वर्ष 2012-13 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने की निम्नानुसार कार्य योजना तैयार की गयी है :-

क्र0सं0	चयनित ग्राम	पात्र व्यक्तियों के लिए आवासों की संख्या
1	उमापुर	269
2	मानापुर	93
3	माजनपुर	18
4	जखौली	62
5	जमौली (बाराबंकी)	178

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों के सम्पर्क मार्गों के नवनिर्माण की मांग

73-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में वर्ष 2012-2013 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य योजनान्तर्गत चयनित समग्र ग्रामों की समस्त बसावटों को सिंगल कनेक्टिविटि से जोड़ने हेतु सम्पर्क मार्गों के नव-निर्माण की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो कयों ?

श्री राम करन आर्य-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के कतिपय खण्ड शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध जांच रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही की जानकारी

74-श्री उपेन्द्र तिवारी-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2012 के पहले मंगलवार के अता0 प्रश्न संख्या 113 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रकरण की जांच आख्या मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक आजमगढ़ से प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

जी नहीं।

प्रकरण की जांच आख्या प्रतीक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

75-श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद आगरा की ग्राम पंचायत सहारा में पेयजल समस्या के निराकरण की मांग

76-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की ग्राम पंचायत सहारा में श्री बासदेव के खेत में बड़ी पानी की टंकी (ओवर हेड टेंक) लगी है, जो काफी समय से बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल समस्या के निराकरण हेतु इसको चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शासकीय अनुदानित संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की संख्या एवं उसमें समुचित सुविधाओं हेतु निर्माण की मांग

77-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने शासकीय/अनुदानित संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हैं एवं इनमें से कितने स्कूलों के भवन जर्जर हैं तथा पेयजल, शौचालय व चहारदीवारी की सुविधा नहीं है ? क्या सरकार ऐसे विद्यालयों के जर्जर भवनों के निर्माण, पेयजल, शौचालय तथा चहारदीवारी का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अलिखेश यादव-

प्रदेश में कुल 02 शासकीय संस्कृत विद्यालय हैं जिनमें कोई भवन जर्जर नहीं है, शौचालय पेयजल की सुविधा उपलब्ध है तथा चहारदीवारी निर्मित है। कुल 785 अनुदानित संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें से 182 विद्यालय के भवन जर्जर हैं, 108 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा नहीं है, 337 विद्यालयों में शौचालय की सुविधा नहीं है तथा 355 विद्यालयों में चहारदीवारी नहीं है।

अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में विषयगत निर्माण कार्यों की कोई शासकीय योजना वर्तमान में प्रचलित नहीं है। अनुदानित संस्कृत माध्यमिक विद्यालय निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा संचालित होते हैं। अतः उनमें प्रश्नगत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का है।

प्रदेश में विधान मण्डल विकास निधि से बनाये गये स्मृति द्वारों पर जनप्रतिनिधियों के नाम हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

78-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2012 के समय विधान मण्डल विकास निधि से बनाये गये स्मृति द्वारों पर जनप्रतिनिधियों के नाम व फोटो बन्द करा दिये गये हैं, को पुनः खोले जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 04-06-2012, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहांपुर के पत्र संख्या-1459/विनि0/सांसद नि0/वि0/2012-13, दिनांक 13-7-2012 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या-सी0-2054, दिनांक 31-8-2012 तथा पत्र संख्या-2184, दिनांक 10-9-2012 द्वारा स्मृति द्वारों के बोर्डों को पूर्व की भांति करने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में युवा वर्ग को रोजगार हेतु व्यावसायिक शिक्षा विभाग की संचालित योजनाएं

79-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में युवा वर्ग को रोजगार हेतु कुशलता प्रदान करने हेतु क्या सरकार कोई योजना/कार्यक्रम चला रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

जी हां। प्रदेश में युवा वर्ग को रोजगार हेतु कुशलता प्रदान करने हेतु व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अधीन तीन योजनाएं संचालित हैं।

विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं संचालित हैं :-

1-शिल्पकार प्रशिक्षण योजना।

2-शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना।

3-स्किल डेवलपमेन्ट इनीशिएटिव योजना।

उपरोक्तानुसार।

[12.16 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 की सूचनायें लेता हूं।

आज दिनांक 12-03-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से 17 सूचनायें स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी को 'डार्क एरिया' घोषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना सदन में पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ दें।

(माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा सदन में सूचना पढ़ी गयी।)

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर महानगर के महाराजपुर स्थित डी-ब्लाक, डिफेंस कालोनी, जाजमऊ एवं जे0के0 कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) की मेरठ नगर निगम के कतिपय तालाबों की सफाई न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री रविन्द्र भड़ाना की जनपद मेरठ में दिल्ली रोड स्थित मेवला फ्लाई ओवर ब्रिज के पास की रोड पर जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री बावन सिंह की प्रदेश के वैकल्पिक शिक्षा आचार्यों एवं अनुदेशकों को शिक्षा मित्रों की भांति सहायक अध्यापक बनाये जाने के सम्बन्ध में है। (अनुपस्थित)

श्री बावन सिंह जी हैं कि नहीं, नहीं हैं, फिर नहीं हैं। वो रोज सूचना देते हैं और यहां रहते भी नहीं हैं। कल भी नहीं थे, परसों भी नहीं थे फिर भी लिख के भेज दिया। मा0 हुकुम सिंह जी अपने सदस्य को जरा इस पर बताइये कि रोज सूचना देते हैं और आते नहीं हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, केवल इसी समय नहीं रहते हैं जब उनका विषय आता है, बाकी समय रहते हैं। जब विषय आता है तब ही अनुपस्थित होते हैं। बाकी पूरे समय रहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

छठी सूचना श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य की जनपद कौशाम्बी के अजुहा क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कराकर उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने एवं किसानों के हित सुरक्षित कराने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के कतिपय गांवों में पेयजल संकट के निवारण हेतु ओवर हेड टैंक स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है।

नौवीं सूचना श्री वीरपाल राठी की जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली स्थित क्षतिग्रस्त दाहा-बरनावा मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप की जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा के ब्लाक बिशेश्वरगंज में संचालित कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवॉ के कतिपय मार्गों एवं पाइप लाइनों की मरम्मत/नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के कस्बा निगोही में निर्माणाधीन शहीद सरदार भगत सिंह स्मृति द्वार का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा स्थित छावनी एरिया वेटनरी कालेज के पास मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पशुवधशाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री मनीष रावत की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के कुछ ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। (अनुपस्थित)

पन्द्रहवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के सूखे हुये जलाशयों में पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सोलहवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की उ0प्र0 विधान सभा एवं परिषद् के माननीय सदस्यों के सुरक्षा कर्मियों को सत्र के दौरान सर्दी, गर्मी एवं बरसात से बचाये जाने हेतु विधान भवन परिसर में स्थान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सत्रहवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में विभिन्न चौराहों की बन्द पड़ी हाईमास्क लाइट चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :-

1-श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,

2-श्री धर्मपाल सिंह,

3-श्री सलिल विश्नोई,

4-श्री गुटियारी लाल दुवेश,

5-श्री अगयश राम सरन वर्मा

6-डा0 पूर्णमासी देहाती,

7-श्री राधेश्याम सिंह,

8-श्री राम चन्द्र यादव,

9-श्री विजय बहादुर यादव,

10-श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज तथा

11-डा0 धर्मपाल सिंह।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी को 'डार्क एरिया' घोषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

[अवगत कराना है कि सरेनी विधान सभा जनपद रायबरेली का ब्लाक सरेनी 'डार्क एरिया' घोषित कर दिया गया है। फलस्वरूप कृषि हेतु किसी प्रकार की बोरिंग आदि का कार्य प्रतिबन्धित है और किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। पानी बिना क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। नहर जैसे खजूरगांव रजबहा, सरेनी रजबहा, बेहटा माइनर व पुरवा ब्रान्च (शारदा नहर खण्ड उन्नाव) से सेवित समस्त रजबहों में पानी नहीं पहुंच रहा है जिससे जल स्तर के निरन्तर गिरावट के कारण फ्लूराइड व खारेपन की मात्रा अधिक होने से कृषि व पेयजल दूषित हो रहा है। निर्धन किसानों की भूमि गैर सिंचित रहने से जीविकोपार्जन करना दूभर हो गया है। जनहित में इस विषय पर ध्यान दिया जाना अपरिहार्य है। इसके निराकरण हेतु सिंचाई विभाग भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, कृषि विभाग (ड्राई लैन फारमिंग), वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, जल निगम विभाग आदि द्वारा कल्याणकारी योजनायें स्थापित की जायं जिससे हमारे ग्रामवासी लाभान्वित हो सकें।

अतः इस लोक महत्व व तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए मैं माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि अविलम्ब कार्यवाही करने की कृपा करें।]

कानपुर महानगर के महाराजपुर स्थित डी-ब्लाक, डिफेंस कालोनी, जाजमऊ एवं जे0के0 कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना-

[महोदय,

कानपुर महानगर के महाराजपुर स्थित डी-ब्लाक, डिफेंस कालोनी, जाजमऊ एवं जे0के0 कालोनी की अधिकांश सड़कें (मुख्य मार्ग) क्षतिग्रस्त हैं। उक्त डिफेंस कालोनी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी थी। तदुपरान्त नगर निगम को हस्तान्तरित करने के पश्चात् भी आज तक वहां की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिकांश सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं जिससे वहां पर पानी भरा रहने के कारण बीमारियों का अंदेशा बना रहता है। ऐसी स्थिति में वहां के लोगों का जीवन नरकीय हो गया है। क्षतिग्रस्त सड़कों पर चलने से आये दिन दुर्घटनायें घटित होती रहती हैं।

स्थानीय नागरिकों द्वारा कई बार शासन प्रशासन से उक्त मार्गों की मरम्मत हेतु अनुरोध किया जा चुका है। परन्तु सड़कों की मरम्मत नहीं करायी गयी है जिससे यहां रहने वाले नागरिकों में रोष व्याप्त है। नागरिक आये दिन धरना-प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं।

यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए डी0 ब्लाक डिफेंस कालोनी, जाजमऊ एवं जे0के0 कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़कों (मुख्य मार्ग) की मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

मेरठ नगर निगम के कतिपय तालाबों की सफाई न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

[मान्यवर,

मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत वार्ड नं0-4 का मोहल्ला पलहेड़ा स्थित तालाब तथा वार्ड नं0-16 के मोहल्ला दांतल एवं जटौली के मध्य का तालाब की सफाई का कार्य पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ। जिसके कारण तालाबों में दलदल जैसी स्थिति हो गयी है। तालाबों का पानी सड़क पर भर रहा है। बहुत भयंकर गन्दगी फैल रही है, जिसके कारण बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है तथा पलहेड़ा में तो तालाब के आस-पास रहने वाले गरीब मजदूर सैकड़ों व्यक्ति गम्भीर रूप से बीमार हो गये। जिला प्रशासन, नगर आयुक्त, मेरठ, चिकित्साधिकारियों की टीम ने भी इन दोनों स्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण हुए भी 6 माह हो चुके हैं लेकिन तालाबों की सफाई का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। दांतल जटौली के तालाब में कई बार भैंस आदि पशु दलदल में फंसकर मर चुके हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी एवं नगर निगम के अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है।

उपरोक्त दोनों तालाबों को तत्काल साफ किये जाने की आवश्यकता है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ में दिल्ली रोड स्थित मेवला फ्लाई ओवर ब्रिज के पास की रोड पर जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविन्द्र भड़ाना-

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली रोड मेवला फ्लाई ओवर ब्रिज के पास से देवलोक के बीच से होकर शिवपुरम् तक के लिए जाने वाला मार्ग एवं आन्तरिक गलियां पूर्णतया टूटकर जलमग्न हैं, न सड़कें हैं और न ही जल निकासी की कोई व्यवस्था है। सड़कें क्षतिग्रस्त होने एवं जलभराव की समस्या

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के कारण चलना दूभर हो गया है। मेवला फ्लाई ओवर दिल्ली रोड के सामने से माधवपुरम्, सरस्वती लोक, नूरनगर, फतेउल्लापुर से गैस गोदाम के पास से हापुड़ रोड एल0 ब्लाक के बिजली घर पर मिलने वाली रोड टूटकर समाप्त हो गयी है। इस मार्ग को, सड़क को, जल निकासी हेतु नाली निर्माण कराकर सड़क निर्माण कराना अत्यन्त आवश्यक है। मेरठ विकास प्राधिकरण की इस उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण जनमानस में आक्रोश है। जनहित में उक्त मार्गों का निर्माण एवं जल निकासी की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्गों का निर्माण एवं जल निकासी की व्यवस्था किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी

[मान्यवर,

अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र गंगोह, जनपद सहारनपुर के ग्राम शेरमऊ, शकरपुर, छोटी कैण्डल, बड़ी कैण्डल, बेग्गी, बल्ला माजरा व ग्राम रामसहायवाला में बिजली की व्यवस्था अत्यन्त खराब है। यहां ओवर लोडिंग की वजह से तथा विद्युतीकरण न होने की वजह से ग्रामवासियों को विद्युत की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। अतः इन गांवों में ट्रान्सफार्मर्स एवं विद्युत खम्भे लगाये जाने नितान्त आवश्यक है तथा इस क्षेत्र का एक अन्य गांव बाड़ी माजरा के मजरा मक्खन माजरा में 33 के0वी0 की लाइन किसानों के घर के ऊपर से जा रही है जिससे किसानों में जान-माल की असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई है। जनहित में उक्त कार्यों को कराये जाने हेतु विद्युत विभाग को कई बार लिखा गया है परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यन्त रोष है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कौशाम्बी के अजुहा क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं किसानों के हित सुरक्षित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

[महोदय,

जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में किसानों की दशा अत्यधिक खराब है। इसका कारण शासन की गलत नीति एवं प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार है जनपद के क्रय केन्द्रों पर भ्रष्टाचार की शिकायत की पुष्टि के बाद भी कार्यवाही नहीं होने से क्षेत्रीय किसानों से धान एवं गेहूं की खरीद में करोड़ों की लूट की गयी है। परन्तु कार्यवाही नहीं किये जाने से भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों का

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मनोबल बढ़ा है। किसानों को शोषण से बचाने के लिए कार्यवाही की मांग समय-समय पर की जाती रही है। किन्तु कार्यवाही नहीं होने से क्षेत्रीय जनता में आक्रोष व्याप्त है।

(1) 29-12-2012 को किसान छेदीलाल पुत्र श्री रामधनी के धान खरीद प्रकरण में दोषी अजुहा क्रय केन्द्र प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाय।

(2) किसानों से की गयी धान खरीद फर्जी खतौनी से करके क्रय केन्द्र प्रभारी और व्यापारियों के मिलीभगत की जांच करायी जाय।

(3) किसानों से गेहूं खरीद में धांधली को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही किया जाय।

(4) बोरों एवं भण्डारण की समय पूर्व व्यवस्था किया जाय।

अतएव लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर दोषी क्रय केन्द्र प्रभारी अजुहा के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए किसान हित में कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के कतिपय गांवों में पेयजल संकट के निवारण हेतु ओवरहैड टैंक स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह-

[मान्यवर,

मेरे विधान सभा बरौली, जनपद अलीगढ़ के निम्न गांवों में पानी का भू-स्तर काफी नीचा है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ता है। इस समस्या के निराकरण हेतु क्षेत्रीय जनता की मांग है कि निम्न गांव में पेयजल ओवर हेड टैंक स्थापित कराये जायें।

1-कलाई 2-बड़गांव उखलाना 3-गौधा 4-जवां 5-बरौली 6-तालिमनगर 7-गभाना 8-नगला पटवारी 9-कलुआ 10-वीरपुरा 11-मडौला 12-विसारा 13-रिगसपुरी 14-बरौला 15-देवसैनी 16-सपरोभानुपर 17-साथा 18-छिडावली 19-बरानदी 20-सौगरा 21-टमकौली 22-थानपुर 23-कौरह 24-राइट 25-जखौता 26-अमरौली 27-रठगांव 28-छेरत 29-छोटा जवां 30-बड़ा जवां 31-दोरऊ 32-भगवानगढ़ी 33-कस्तली वैश्य 34-सुमेरा 35-सुनाना।

अतः मैं चाहूंगा कि जनहित में पेयजल ओवर हेड टैंक की स्थापना कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली स्थित क्षतिग्रस्त दाहा-बरनावा मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरपाल राठी-

[मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र छपरौली, जनपद बागपत में दाहा, बरनावां मार्ग है जो कि 10 वर्षों से जर्जर पड़ा है इस मार्ग पर कांवरिया भी कांवर लेकर पूरा महादेव मन्दिर जाते हैं। यह मार्ग काफी महत्वपूर्ण है। इस मार्ग का स्टीमेट भी बना हुआ है जो शासन में आगणन हेतु लम्बित है। यह प्रकरण जनहित से सम्बन्धित है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं चाहूंगा कि इन मार्ग का अविलम्ब पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा के ब्लाक विशेश्वरगंज में संचालित कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[महोदय,

जनपद बहराइच के वि0ख0 विशेश्वरगंज में संचालित कस्तूरबा गांधी विद्यालय में चहारदीवारी न होने से इस विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियां अपने को काफी असुरक्षित महसूस करती हैं। इस विद्यालय में छात्राएं तथा अध्यापिकाएं निवास करती हैं यह विद्यालय पूर्णतया आवासीय है। ग्रामीण निर्जन इलाके में इस विद्यालय में सुरक्षा के लिए चहारदीवारी का होना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण करने की प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के कतिपय मार्गों एवं पाइप लाइनों की मरम्मत/नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र-

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र सहजनवां, जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर मार्ग एवं पेयजल की पाइप लाइन की मरम्मत/नवनिर्माण के सम्बन्ध में।

1-कस्बा संग्रामपुर उनवल बांसगांव डुमरीघाट सेमा 3 कि0मी0 दोनों पटरी एवं सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

2-कस्बा संग्रामपुर उनवल बांसगांव खजनी सम्पर्क मार्ग लगभग 4 कि0मी0 पटरी क्षतिग्रस्त हो गयी है। रिपेरिंग के सम्बन्ध में।

3-सुरगहना (ब्लाक पाली) मार्ग का रिपेरिंग का कार्य अभी जल्द कराया गया है। किन्तु सड़क की सारी गिट्टी उखड़ गयी है एवं दोनों पटरी क्षतिग्रस्त हो गयी है। कोई कार्य नहीं किया गया है शासन को शिकायत करने के पश्चात् अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया गया है।

4-ग्राम सभा बरौली टोला कोनी में निर्मित सामुदायिक केन्द्र बनाकर तैयार हैं। 2 वर्ष से अधिक समय हो गया है उसमें अभी तक न तो वायरिंग हुआ है और न पंखा लगा है एवं न ही किसी प्रकार का फर्नीचर है। जंगला दरवाजा भी नहीं लगा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5-उनवल कस्बा संग्रामपुर ग्राम में एक साल से ऊपर हो गया है पानी की टंकी तैयार है, आधे गांव में पानी की सप्लाई की लाइन पड़ गई है किन्तु अभी काम अधूरा होने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गया चलने योग्य नहीं है। पाइप लाइन डलवाने एवं सड़क मरम्मत का कार्य आदि निम्नलिखित ग्रामों का उपरोक्त कार्यों को न कराये जाने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त ग्रामों में पुनः नवनिर्माण एवं पाइप लाइन की मरम्मत कार्य अतिशीघ्र कराये जाने हेतु कार्यवाही की जाने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के कस्बा निगोही में निर्माणाधीन शहीद सरदार भगत सिंह स्मृति द्वार का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[मान्यवर,

सादर अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर कस्बा निगोही में हमजापुर चौराहे पर शहीदे आजम, सरदार भगत सिंह के सम्मान में मैंने अपनी विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से स्मृति द्वार लगवाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को दिनांक 11-2-2013 को पत्र लिखा था। जिसमें विभागीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शहीदे आजम भगत सिंह को जब अंग्रेज फांसी पर लटकाने जा रहे थे तब उन्होंने ये शेर कहा था।

नौजवानों जो तबियत में तुम्हारी खटके।
याद कर लेना कभी हमको भी भूले भटके।
आपके अज्वे वदन होवे जुदा कट-कट के।
और सद चाक हो माता का कलेजा फटके।

वहां पर स्मृति द्वार लगाने हेतु पाइप आदि लगाये जा चुके हैं। जाने किन कारण उप जिलाधिकारी तिलहर/थाना अध्यक्ष निगोही ने दिनांक 3-3-13 को फोन करके हमसे कहा शहीद भगत सिंह के सम्मान में किसकी इजाजत से स्वागत गेट लगवाया जा रहा है। जिन क्रान्तिकारियों के बदौलत हम सब लोग अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुए हैं ऐसे क्रान्तिकारियों का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है जो अधिकारी शहीदे आजम भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के प्रति क्षेत्रीय जनता में जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा स्थित छावनी एरिया वेटनरी कालेज के पास मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पशुवधशाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[मान्यवर,

मथुरा शहर के बीचोबीच मनोहरपुरा में एक शताब्दी पुरानी पशुवधशाला स्थापित है। इस पशुवधशाला से फैल रहे दुर्गन्ध के कारण इसे बन्द करने हेतु स्थानीय निवासियों की मांग पर इसे वर्ष

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1954 में नगरपालिका द्वारा बन्द करने का प्रयास किया गया था, जिस पर इस व्यवसाय से जुड़े लोगों ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में शरण ली। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दिनांक 28 जनवरी, 1957 को नगरपालिका, मथुरा को निर्देश दिये कि 03 माह के अन्दर मथुरा स्थित छावनी एरिया वेटनरी कालेज के पास उक्त पशुवधशाला का निर्माण कराया जाय, यदि 03 माह के अन्दर उक्त पशुवधशाला का निर्माण नहीं हुआ तो मनोहरपुरा स्थित पशुवधशाला पर ही व्यवसायी अपना कार्य कर सकेंगे। इसके उपरान्त श्री गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी यमुना जल प्रदूषण की आड़ लेकर याचिका संख्या-1644, वर्ष 1998 में मा0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 10-7-1998 को मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया कि पशुवधशाला को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये तथा शहर के बाहर समुचित पशुवधशाला का निर्माण कराया जाये। उक्त आदेश के संदर्भ में जिला प्रशासन ने मथुरा शहर से बाहर नई पशुवधशाला बनाये जाने के लिए एक समिति गठित की, जिसकी कई बैठकें हुईं परन्तु अभी तक 14 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त पशुवधशाला का निर्माण नहीं हो सका है जिससे इस व्यवसाय से जुड़े लोगों में शासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है तथा उनकी रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि मनोहरपुर में स्थापित उक्त पुरानी पशुवधशाला वाले परिसर में ही काफी रिक्त भूमि पड़ी है तथा इसके बाहर नगरपालिका की भूमि है जिसको अधिग्रहीत कर इसी स्थान पर ही आधुनिक सुविधायुक्त पशुवधशाला का निर्माण किया जा सकता है अथवा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार छावनी एरिया के वेटनरी कालेज के पास। आधुनिक संयंत्र के साथ पशुवधशाला स्थापित करने से पशुवधशाला से निकलने वाली दुर्गन्ध को रोका जा सकता है जिसके कारण ही उक्त पशुवधशाला को बन्द कराया गया था। उक्त पशुवधशाला के बन्द हो जाने से अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों लोग बेरोजगार एवं भुखमरी के कगार पर हैं। अतः इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की मांग तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पशुवधशाला का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के सूखे हुए जलाशयों में पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र-

[मान्यवर,

कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत बाढ़ सागर परियोजना स्थित है। जिसके माध्यम से क्षेत्र में स्थित लोवर खजुरी बंधी आदि छोटे-बड़े जलाशयों में पानी जाता है जिससे क्षेत्रीय कृषि भूमि की सिंचाई होती है और क्षेत्रीय किसान सिंचाई हेतु उन्हीं जलाशयों पर ही निर्भर हैं परन्तु वर्तमान समय में उक्त सभी जलाशयों में पानी नहीं जा रहा है, सभी जलाशय सूखने के कगार पर हैं उनमें पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण किसान अपनी खेतीहर भूमि की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। मा0 सिंचाई मंत्री जी ने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान सभी जलाशयों में पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश भी दिये थे परन्तु अभी तक क्षेत्रीय जलाशयों में पानी नहीं जा सका है। जिससे क्षेत्रीय जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए क्षेत्रीय जलाशयों में यथाशीघ्र पानी उपलबध कराये जाने की भी मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 विधान सभा एवं परिषद् के माननीय सदस्यों के सुरक्षा कर्मियों को सत्र के दौरान सर्दी, गर्मी एवं बरसात से बचाये जाने हेतु विधान भवन परिसर में स्थान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश त्रिपाठी-

[मान्यवर,

संज्ञान में लाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का सत्र आरम्भ होने के दौरान सभी 403 माननीय विधायकगण एवं मा0 मंत्रीगण सदन में प्रातः से देर शाम/रात्रि तक सदन में उपस्थित रहते हैं। इस दौरान मा0 विधायकगण, मा0 मंत्रीगण के साथ-साथ विधान परिषद् के मा0 सदस्यगण के सरकारी सुरक्षा कर्मी जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से परिसर के बाहर ही रोक दिया जाता है। वे गर्मी, ठण्डक एवं वर्षा में बाहर भटकते इधर-उधर किसी प्रकार समय बिताने को बाध्य होते हैं। जबकि सत्र के बाहर 24 घण्टे वे मा0 विधायकगण/मा0 मंत्रीगण की सुरक्षा में वे सदैव तत्पर रहते हैं। वे सभी इधर-उधर भटकते हुए समय बिताने को बाध्य हैं। चूंकि सुरक्षाकर्मी मा0 सदस्यगण से सदैव सीधे जुड़कर साथ-साथ रहते चलते हैं। ऐसे में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इनके लिए यथास्थान उचित व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में विभिन्न चौराहों की बन्द पड़ी हाईमास्क लाइट चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[मान्यवर,

मेरी विधान सभा गढ़मुक्तेश्वर में विभाग डूडा द्वारा विभिन्न चौराहों पर उपैड़ा, कुचेसर चौपला, बक्सर, हरोड़ा गौड़, ढाना मौड़, डहरा कुटी, बहादुरगढ़, पलवाड़ा, सदरपुर आदि पर हाईमास्क लाइट लगाई गई थी जो आज बन्द पड़ी है। अंधेरा होने से तमाम घटनाओं चोरी, डकैती आदि को बढ़ावा मिल रहा है। आम जनता परेशान है। जनहित में इन बड़ी लाइटों को ठीक कराना अत्यन्त आवश्यक है। अतः मैं इस जनहित की सूचना पर पुनः इन लाइटों को तत्काल प्रभाव से चालू कराने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।]

[12.19 बजे] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 में कुल 4 सूचनायें मिली थीं। मैं एक सूचना जो थी, मैं उसमें देख लूंगा और जो असंसदीय या संविधान विरूद्ध बातें हैं, उनको कार्यवाही से निकाल दूंगा। दूसरा है श्रीमती

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सीमा द्विवेदी जी का, इनका अपना मामला है लेकिन ये कोर्ट से सम्बन्धित बातें नहीं, अपनी बातें जो कहना चाहें, कह लें।

[12.21 बजे] मा0 अध्यक्ष पीठ के निदेशानुसार स्थानान्तरित किये गये जनपद जौनपुर के थाना मुगरा बादशाहपुर के थानाध्यक्ष श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्रीमती सीमा द्विवेदी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, दिनांक 20-02-2013 को मेरे द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक थाना है मुगरा बादशाहपुर। वहां थाने पर एस0ओ0 की दूसरी बार तैनाती हुई थी और उसके खिलाफ वहां की लोकल पब्लिक ने उसके अत्याचार से प्रभावित हो करके दरोगा के ऊपर कई मुकदमें किये थे। उसने अपने मुकदमों के साक्ष्य को मिटाने के लिये उसने वहां के लोगों से इतना ज्यादा पैसा कमा लिया था कि उसमें अपनी पोस्टिंग वहां पर फिर कराई। मैंने इसकी शिकायत की थी डी0जी0पी0 से। डी0जी0पी0 ने एस0पी0 से आख्या मांगी तो एस0पी0 ने उसके खिलाफ आख्या भेज दी। उसका स्थानान्तरण गोरखपुर जोन के लिये हो भी गया फिर उसने अपने प्रभाव के नाते तीसरी बार उसी थाने पर अपना स्थानान्तरण रुकवा दिया, तब मैंने नियम-56 के तहत इस विषय को आपके संज्ञान में लाया था। मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत आभारी हैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रति बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे दिये गये नोटिस पर अपने स्पष्ट निर्देश दिया कि उस एस0ओ0 को तत्काल वहां से हटा दिया जाये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री का मैं हृदय से बहुत आभार प्रकट करती हूं।

आपने तुरंत कहा कि मैं कार्यवाही कराऊंगा और एक घंटे के अन्दर कार्यवाही हो गई, मा0 अध्यक्ष जी, हमें आप पर भरोसा है, आपकी पीठ पर भरोसा है और इस सदन पर भरोसा है। मान्यवर, आज मेरी गरिमा नहीं घट रही है, इस पूरे सदन की गरिमा घट रही है, वह दरोगा फिर उसी थाने पर तैनात हो गया है। मान्यवर, आपके आदेश की अवहेलना हो रही है, सरकार की अवहेलना हो रही है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रतापूर्वक इस बात को कहना चाहूंगी कि अगर मान्यवर, आप का सम्मान नहीं बचेगा, इस सदन का सम्मान नहीं बचेगा तो हमारा सम्मान कहीं से भी नहीं बचने जा रहा है और मान्यवर, सरकार की मंशा बिल्कुल सही है, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप खत्म करें, अब आपकी बात आ गई है।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

मान्यवर, मैं आपसे इस बात को बार-बार कहना चाहूंगी, अगर वह तीसरी बार वहां पर पोस्ट हो गया है, तो आप कल्पना कर सकते हैं। हमारे इस औचित्य के प्रश्न पर मान्यवर, निर्णय लेने की कृपा करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हुकुम सिह-

मान्यवर, पूर्व में भी यह प्रकरण मैं आपके संज्ञान में लाया था और मान्यवर, यह दो पंक्ति पढ़ना चाहता हूं आपकी अनुमति से, इससे जाहिर हो जायेगा कि हम लोगों की स्थिति क्या है, सदन की स्थिति क्या है ''प्राइमाफेसी देट द ट्रान्सफ्रर ऑडर एज नॉट इन पब्लिक इन्टरेस्ट, बट इज इन पॉलिटिकल इनटेरेस्ट इन आर्डर सो अपील ए लोकल एम0एल0ए0,'' इससे ज्यादा हिमाकत कुछ और हो सकती है क्या ? एम0एल0ए0 का कुछ अपना स्टेट्स नहीं है क्या, इस सदन का कोई स्टेट्स नहीं है, किस बात से यह अंदाजा लगा लिया कि एम0एल0ए0 के इंटरेस्ट में है यह पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। मान्यवर, एक बार जब आप का निर्देश हो जाए, इस सदन का निर्देश हो जाए, मा0 संसदीय कार्यमंत्री केवल निर्देश का पालन करें, उसके बावजूद भी जो ऑब्जरवेशन है मान्यवर, वह ऑब्जरवेशन निहायत अपमानजनक है और आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, न्यायालय को तथ्यों से अवगत नहीं कराया गया होगा, इसलिए मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री से चाहूंगा कि न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जाए और यह बताया जाए कि विधान सभा द्वारा निर्देश पर उसका स्थानान्तरण हुआ, न्यायालय को पूरी बातें नहीं पता होंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन बातों को सरकार उसके संज्ञान में लाए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में पूरी बात है और सीमा द्विवेदी जी के साथ बातचीत हुई, प्रकरण तो दुःखद है ही और उस पर कम-से-कम सदन में इतना दुःख तो व्यक्त होना ही चाहिए कि मा0 सदस्यों के बारे में इस तरह की टिप्पणी, जरूरी नहीं है कि सारे ही सदस्य खराब हो, अगर पूरे सदन में कोई एक सदस्य अच्छे हों तब भी इस तरह की टिप्पणी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। हम किसलिए यहां बैठे हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं और उनकी भलाई की बात अगर यहां पर नहीं कही जायेगी तो कहां कही जायेगी। अगर कोई अधिकारी गलत है, यहां अगर उसके खिलाफ कार्यवाही आपके स्तर से हो जाए और फिर उस पर ऐसी टिप्पणी आना। मान लीजिए तथ्य नहीं मालूम थे मा0 न्यायालय को, बिल्कुल मान लिया, 100 प्रतिशत यह बात सही है, लेकिन जो आपने पढ़कर सुनाया है, यह बात कल हमारे सामने नहीं आई थी, जिस प्रकार की टिप्पणी न्यायालय की विधायकों के बारे में है कि यह विधायक के इंटरेस्ट में है, विधायक का क्या इंटरेस्ट है, हमें क्या लेना है, हमारा यह इंटरेस्ट है कि लोगों को न्याय मिले और जब लोगों को न्याय मिलता है तो हमारी छवि अच्छी होती है। हमारी छवि अच्छी होती है तो हम चुने जाते हैं, चुनने वाले लोग अगर बहुमत में होते हैं तो उनकी सरकार बनती है, तो हमारा तो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही कोलेप्स कर जायेगा, अगर हमारे इंटरेस्ट पर प्रश्न-चिन्ह लग जायेगा। अगर हमारे इंटरेस्ट को सिर्फ बुरा ही समझा जायेगा, तो सेवा नहीं हो सकती है, सरकार नहीं चल सकती है, डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी, तो इस पर थोड़ा-सा विचार होना चाहिए, मान्यवर, और यह विचार सिर्फ आपके स्तर से हो सकता है। न्यायालय को अवगत करा दिया जाए, यह अपनी जगह है, लेकिन आपके आदेश का, आपके निर्देश का पालन नहीं हुआ, उस पर आपकी तरफ से मेरा निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इस संदर्भ में यह भी जोड़ दिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के बड़े स्पष्ट विचार हैं, जस्टिस मार्कण्डेय काटजू की मैं रूलिंग भी आपको बता दे रहा हूं। विधायक अगर रिकमेण्ड नहीं करेगा तो करेगा क्या ? अपने क्षेत्र के बारे में नहीं कहेगा, तो किस बारे में कहेगा। तो अगर विधायक विकास के बारे में, किसी की शिकायत होगी, कहीं गड़बड़ी हो रही होगी, उसकी शिकायत के बारे में अगर नहीं कहेगा तो क्या कहेगा। जिस वक्त अन्याय कोई हो रहा होगा, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठायेगा, अन्याय कोई व्यक्ति भी कर सकता है, कोई सरकारी कर्मचारी भी कर सकता है, तो मान्यवर, मुझे कहना है कि यह तथ्य जब सदन को अवगत कराया जाए, तो उसमें जस्टिस मार्कण्डेय काटजू साहब का जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में निर्णय है, उससे भी अवगत कराया जाए।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने खुद अपने से सर्वोच्च अदालत का निर्णय या तो उनकी जानकारी में नहीं था या तो उसकी अवहेलना की है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। यह सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मान्यवर, ऐसे कुछ मामलों में खुलकर बात होनी चाहिए। या तो न्यायालय में पक्ष में नहीं रखा गया है। सरकारी वकील ने जस्टिस मार्कण्डेय काटजू जी के दिशा-निर्देशों के बारे में नहीं कहा है उन्हें वहां पर कोट करना चाहिए था। अगर नहीं किया गया है तो उनसे सरकार को जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी। मान्यवर, इसमें स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मान्यवर, चाहे विधान सभा सदस्य हों, विधान परिषद् सदस्य हों, राज्य सभा सदस्य हों या लोक सभा के सदस्य हों, वह जब कोई ऐसी बात देखते हैं तो उसके बारे में लिखते हैं हम उस बात को कोई चोरी छिपे नहीं कर रहे हैं। हम अपने लैटरहेड पैड पर लिखते हैं यह अधिकारियों का दायित्व है कि वह गुण दोष के आधार पर देखें। उसकी यह जिम्मेदारी बनती है अगर संविधान के अनुरुप या न्यायालय के अनुरूप नहीं है और वह कार्यवाही करे और अवगत भी कराये। यह बैठकर फैसले होने लगेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मान्यवर, विधायक अपने अधिकारों के तहत पत्र लिखते हैं विधायक ने एक पत्र लिखा आज पूरे सदन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि विधायक के उस पत्र को डिफेन्ड करें। यह विधायकों का अधिकार है। मान्यवर, आपको विधायकों के अधिकारों की रक्षा करनी है। यह जो जस्टिस काटजू जी के द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश हैं यह हमेशा के लिए ऐसे प्रकरणों में नजीर हो जानी चाहिए। अगर हम अपने क्षेत्र के बारे में लिखेंगे तो उस पर भी अधिकारियों को कार्यवाही करनी होगी। मान्यवर, हमें अपने क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, कहीं कुछ गड़बड़ दिखाई देता है तो हम उसके स्थानान्तरण के लिए लिखेंगे, हम निलम्बन करने के लिए भी लिख सकते हैं। सवाल आज उस अधिकारी के स्थानान्तरण को रोकने का नहीं है, आप आज उसे निलम्बित कर दीजिए। पता चल जायेगी उनको अपनी हैसियत कि इस तरह के मामलों में क्या होता है।

*उद्यान मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)-

मान्यवर, यह बड़ा ही गम्भीर प्रकरण हुआ है। मान्यवर, जौनपुर के थाना मुंगरा बादशाहपुर के थानाध्यक्ष का मामला है मान्यवर, चौथी बार वहां पर उनकी पोस्टिंग हुई है। शिकायत उसकी पता लगी है। माननीय सदस्या, सीमा द्विवेदी जी ने एक सवाल को उठाया था और आपका निर्देश हुआ। जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुझे जानकारी मिली है। मैं परसों गया था जौनपुर। मान्यवर, यह कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि यह थानाध्यक्ष रहेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा हो जाय कि वहां थानाध्यक्ष कोई दूसरा रहे और इनको सेकेन्ड आफिसर बनाकर रखा जाय। वह कुछ नहीं कर सकेंगे और अपने आप भाग जायेंगे।

(विपक्ष की ओर से नहीं-नहीं की आवाजें)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, माननीय सदस्या श्रीमती सीमा द्विवेदी जी के आग्रह पर पीठ से आपके निर्देश हुए थे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस कार्यवाही को सुनिश्चित कराने की बात कही थी। इस विषय में आज माननीय नेता भाजपा, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात रखीं हैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी पीठ एक संवैधानिक पीठ है। पीठ से निर्देश उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि कोई उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश। इसलिए मान्यवर आपके द्वारा दिये गये निर्देश के क्रियान्वयन पर यदि कोई भी माननीय न्यायालय का हस्तक्षेप होता है तो मैं समझता हूं कि यह इस पीठ का अपमान है और मान्यवर यह बहुत ही गंभीर मामला है। चूंकि माननीय मंत्री जी ने अभी अवगत कराया है वह चौथी बार वहां पर पोस्ट हुए हैं तो ऐसे हालात में भी उन्हें वहां पर नहीं रहना चाहिए उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। मान्यवर, इसलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का काम करें।

इसलिए मान्यवर, चूंकि यहां पर यह मामला पीठ से जुड़ा हुआ है तो हम समझते हैं कि जैसा कि माननीय प्रमोद तिवारी जी ने एक सुझाव दिया कि उसको सस्पेंड कर दिया जाय या इस पर और कौन सा प्रभावी कार्यवाही किया जा सकता है, इस पर आप विचार कर लें इस पर गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही होनी चाहिए और किसी भी हालत में, जिस तरीके से यह सदन का अपमान है, पीठ का अपमान है, यहां पर बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों का अपमान है इसलिए इस पर अति गम्भीरता से विचार करते हुए इस पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करें और सम्बन्धित दारोगा के खिलाफ तो अनुशासनात्मक कार्यवाही हो ही, साथ ही साथ माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है इसके संबंध में माननीय न्यायालय को आपके माध्यम से इस बात के लिए पत्र जाना चाहिए, निर्देश जाना चाहिए कि यह चूंकि सदन की कार्यवाही का हिस्सा है, पीठ से निर्देश हुआ था इसलिए इसमें जो इस प्रकार की कार्यवाही हुई है उचित नहीं है, उनके भी संज्ञान में ला करके इस पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यह मैं मान्यवर, आपसे अपेक्षा करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह जो दूसरा भाग है माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, असल यही है। देखिये, जो टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय की हुई है उच्च न्यायालय का आदेश सर्वमान्य है, पूरा देश कानून से चलेगा उस कानून में कहीं हम हिस्सेदार हैं। हम बनाते हैं कानून, उस कानून में अगर कहीं खोट और

गलती है तो उसको दुरूस्त करने का, उस पर अपनी राय और फैसला देने का कार्य माननीय उच्च न्यायालय का है लेकिन उस फैसले को लागू कराने का हमारा दायित्व है तो इस सदन की उस अहमियत को कहीं नहीं कम किया जा सकता। जो आपने बात कही और जो आपसे पहले हुकुम सिंह जी ने बात कही कि जो डेरोगेट्री सन्टेंस इस्तेमाल हुआ डेरोगेट्री, वह किसी एक विधायक के लिए नहीं, एक सांसद के लिए नहीं बल्कि पूरी चुनी हुई व्यवस्था के लिए है। इसके लिए हमें उच्चतम न्यायालय जाना चाहिए और जो हमारे खिलाफ डेरोगेट्री सन्टेंस है इसको खत्म कराना चाहिए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, केवल एक शब्द कहना चाहता हूं मान्यवर, जो कष्ट मुझको हुआ ट्रांसफर होना, न होना अलग बात है लेकिन जो कष्ट मुझको हुआ, पहले ही बिना तथ्यों के प्रकाश में आये कोई फैक्ट उसके सामने है नहीं यह फैशन हो गया इस प्रकार के आब्जरवेशन करने का, इस प्रकार की टिप्पणी करने का, क्या आवश्यकता थी जो आदेश होता आदेश होता रहता। लेकिन हम सबके बारे में टिप्पणी कर देना और यह कह देना कि प्राइमाफेसाई डेफियस विद द ट्रांसफर आर्डर इज नाट इन अ पब्लिक इंटरेस्ट। कैसे जानकारी हो गयी कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। क्या हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करते यहां पर, अगर यह सदन भी पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करेगा तो कौन सा सदन करेगा। यहां जो काम होता है जनता की भावनाओं के अनुरूप होता है उसी का प्रतिनिधित्व हम करते हैं उसी के प्रतिनिधि के रूप में हम यहां बैठे हुए हैं। अगर इस प्रकार की टिप्पणी होगी कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है और दूसरा मान्यवर, कितना हिमाकत वाली बात है बट इज इन पालिटिकल इंटरेस्ट राजनीतिक हित में यह है हमारे से राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं इन आर्डर टू प्लीज द लोकल एमएलए, 403 का यह सदन एक एमएलए को खुश करने के लिए आदेश करेगा। मान्यवर, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी के कुछ लोग आदी हो गये हैं। यह आगे न हो मैं ससंदीय कार्य मंत्री जी की भावना से अपने आपको जोड़ते हुए, नेता प्रतिपक्ष की, माननीय प्रमोद तिवारी जी की भावना से अपने आपको जोड़ते हुए आपसे यह आग्रह करता हूं कि इसमें सदन को राजनीतिक दलों की भावना से ऊपर उठ करके एक स्वर में बोल करके इसका समाधान होना चाहिए, निस्तारण होना चाहिए।

* बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

श्रीमन्, यह सदन सर्वोच्च है और जनता के चुनाव के द्वारा यहां पर माननीय सदस्य आते हैं। सभी माननीय सदस्यों का अपना विशेषाधिकार है और इतना विशेषाधिकार है कि आपने अधिकार दिया है कि हम किसी के चरित्र का प्रमाण-पत्र दे सकते हैं कि इसका चरित्र अच्छा है या खराब है, इतना हमको विशेषाधिकार मिला हुआ है और आप इसके सर्वोच्च आसन पर विराजमान है। आप ही सबसे बड़े न्यायाधीश हैं इस सदन के, अगर एक न्यायाधीश हाईकोर्ट सुप्रीमकोर्ट में है तो सदन के सबसे बड़े न्यायाधीश आप हैं, आपसे बड़ा कोई न्यायाधीश हो नहीं सकता जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के मामले में सारे अधिकार संविधान में आपको दिये गये हैं, इस सदन को भी दिये गये हैं। तो जो माननीय सदस्यों की राय है, यह सही है कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके निर्णयों को लागू करते हैं, लेकिन कभी-कभी बड़ी अड़चन पैदा हो जाती है, यह एक केस नहीं है, कोई भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदस्य अगर किसी मंत्री को लेटर लिखता है कि अमुक अधिकारी भ्रष्टाचारी है, अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं कि यह भ्रष्ट है, उसको अगर ट्रांसफर या निलम्बित कर दिया गया तो कोर्ट से तुरन्त वह बहाल हो जाते हैं। सदन बिल्कुल पंगु हो गया है श्रीमन् और सरकार को न्यायालय के माध्यम से पंगु बनाया जा रहा है। यह बहुत बड़ी महत्व की बात है। सर्वोच्च आसन पर विराजमान श्रीमन् आप इन तथ्यों को गंभीरता से देखें, आपके अधिकार को तो कोई चुनौती दे ही नहीं सकता, यह तो कई बार हो चुका है। आप सर्वोच्च आसन के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। आप इसको गंभीरता से लें, अपनी गरिमा को देखें, आसन की गरिमा को देखें, इस आसन पर इतने बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, उन्होंने जो निर्देश दिये हैं, जो व्यवस्थायें दी हैं, वह उत्तर प्रदेश में ही नहीं, लोकसभा में भी उसके उदाहरण दिये गये हैं। इस सदन में तमाम माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष, नेता भारतीय जनता पार्टी, माननीय तिवारी जी, नेता लोकदल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, सारे लोगों ने इस पर चिन्ता व्यक्त की, यह मामला बहुत गंभीर है और इस पर निश्चित रूप से आप कोई न कोई निर्णय लें श्रीमन्।

(श्री राजेन्द्र सिंह राणा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब कितने लोग इस पर बोलेंगे, अब बहुत हो गया, अब संसदीय कार्य मंत्री जी भी बोल चुके हैं।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट दे दीजिये, आपका संरक्षण चाहिये। मैं इसी विषय पर बोलना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि अभी यह जो विषय उठा है, यह संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देने वाला विषय है और एक षडयंत्र चल रहा है, जिसमें तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोग, तमाम सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले लोग, चूंकि मेरे सामने दो वाकये ऐसे आये, जिन्होनें पिछली बार यह कहा कि एक शिकायती-पत्र बना दीजिये और उसकी फोटोकापी हमको दे दीजिये। हमने संबंधित अधिकारी से पूछा कि क्या करोगे इसका, तो उन्होंने कहा कि इस फोटोकापी को हम अपनी रिट पिटीशन में लगा देंगे और यह कहेंगे कि वहां के स्थानीय विधायक हमको हटवाना चाहते हैं और इसके आधार पर मेरा स्थानान्तरण हाईकोर्ट से तुरन्त चैलेन्ज होकर रुक जायेगा। मान्यवर, यह गंभीर विषय है। इस तरह की परम्परायें .....

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। आपकी सारी बात आ गयी है। यह कोई बहस तो हो नहीं रही है।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

अब अध्यक्ष जी इस विषय पर भी बोलने नहीं देंगे, इतना महत्वपूर्ण विषय है, मुझे भी अधिकार है अपनी बात रखने का। मान्यवर, मैं सुझाव दे रहा हूं कि इस तरह लोग जो निर्वाचित संस्था सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, इनकी गरिमा के प्रतिकूल, इनके आचरण के विरुद्ध इस तरह का

काम कराना, फोटोकापी ले जा करके और समय-समय पर हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में उसका इस्तेमाल करना और उस आधार पर अपने निजी हितों को संरक्षण देना, बचाना और उन्हीं पदों पर जमे रहना कि फलां विधायक ने मेरी शिकायत कर दी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें, आपकी बात आ गयी। आपके संसदीय कार्य मंत्री ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया है।

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मैं भी दो वाक्य कहना चाहता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ सरकार का पक्ष और अपनी राय दोनों जिस मजबूती से रखी हैं, इसके बाद कहने को कुछ बचता नहीं। मैं आपसे सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया तो उससे आगे कोई बात बचती नहीं। लेकिन आपके सम्मुख व्यवस्था का जो प्रश्न उपस्थित हुआ है, इसका निर्णय देते समय आप इस बात पर विचार कर लेंगे कि यह जो प्रकरण है, जो टिप्पणी है, यह सीधे इस सदन में हमको प्राप्त अधिकारों के संबंध में है और वह अधिकार विशेष तौर पर, यह घटना विशेष में आपके द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में जो हुआ है, उससे संबंधित है, इसलिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर जाना हो या इस प्रकरण के संबंध में जो भी निर्णय लेना हो, उसमें सरकार अपने स्तर से करेगी, किन्तु विधान सभा को भी आपके नेतृत्व में अपने स्तर से अलग से अपने अधिकारों के बारे में जाना चाहिये।

मान्यवर, अगर कोई बात उठती है न्यायपालिका और विधायिका के बीच अधिकारों को लेकर अगर कोई स्पष्टता आनी है तो इस सवाल पर ही यह तय होना चाहिए और यह सबसे आदर्श उदाहरण है इस पर चलना चाहिए यही मेरा निवेदन है इसी के आलोक में मान्यवर, आप निर्णय कीजिएगा जो यह औचित्य का प्रश्न उठा है यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

मेरा मत यह है कि सबसे पहले तो एडवोकेट जनरल को सदन की भावनाओं से अवगत कराया जाय तथा यह कहा जाय कि कोर्ट को सदन की इन भावनाओं से अवगत करा दें। दूसरा सदन की जो कार्यवाही है उसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 211 और 212 में दिया गया है न्यायालयों द्वारा विधान मण्डल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना 1-राज्य के विधान मण्डल की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। यानी सदन की कार्यवाही का जूडिसियल रिब्यू संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित है इसलिए इन सारे विषयों पर जैसा कि हमने कहा कि एडवोकेट जनरल को बता दिया जाय और उसके बाद इस पर फिर बैठकर विचार कर लिया जाएगा।

श्री हुकुम सिंह-

जो सदन की ओर से आपने निर्देश दिया था सरकार यह सुनिश्चित करे कि उस निर्देश का पालन करने में कोई रुकावट न आए उसका पालन होना चाहिए यह बात पहले हो जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। पहले कोर्ट को अवगत करा दिया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कोर्ट का मामला अलग है। सरकार तो आपके निर्देश का पालन करेगी।

श्री अध्यक्ष-

इस पर आप सबके साथ बैठकर बात कर लेंगे और उसका निराकरण किया जायेगा।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

वह बार-बार क्यों जा रहा है। यह शासनादेश भी है।

[12.40 बजे] जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड जरवल के अन्तर्गत विभिन्न सम्पर्क मार्गों पर पिच रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अमित पाण्डेय आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287 पयागपुर के विकास खण्ड जरवल के अन्तर्गत विभिन्न सम्पर्क मार्गों पर पिच रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अमित पाण्डेय व श्री प्रभात पाठक निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत विभिन्न सम्पर्क मार्गों पर पिच रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अमित पाण्डेय आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों पर पिच रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अमित पाण्डेय व श्री प्रभात पाठक निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित विभिन्न ग्राम पंचायतों/मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री दीपक तिवारी आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित विभिन्न ग्राम पंचायतों/मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री दीपक तिवारी व श्री संजय तिवारी निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

† छापी नहीं गयी।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड कैसरगंज के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित विभिन्न ग्राम पंचायतों/मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री जटाशंकर मिश्र आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड कैसरगंज के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित विभिन्न ग्राम पंचायतों/मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री प्रभात पाठक व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित विभिन्न ग्राम पंचायतों/मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री प्रभात पाठक आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित विभिन्न ग्राम पंचायतों/मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री जटाशंकर मिश्रा व श्री भोले तिवारी निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड जरवल के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पुल/पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अनूप कुमार शुक्ल आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287 पयागपुर के विकास खण्ड जरवल के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पुल/पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक हस्ताक्षरित श्री अनूप कुमार शुक्ल व श्री विष्णु दत्त पाण्डेय निवासीगण जनपद बहराईच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड पयागपुर में बड़ना तालाब का बरसात के पानी की निकासी हेतु 500 मीटर पक्के नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री नरबदेश्वर प्रसाद आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड पयागपुर के ग्राम पयागपुर में बड़ना तालाब का बरसात का पानी की निकासी हेतु 500 मीटर पक्के नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री नरबदेश्वर प्रसाद व श्री भगवान दयाल सिंह निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित विभिन्न ग्राम पंचायतों/मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री विनय कुमार सिंह आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287 पयागपुर के विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित विभिन्न ग्राम पंचायतों/मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री विनय कुमार सिंह व श्री राजीव त्रिपाठी निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत तथा

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित विभिन्न ग्राम पंचायतों/मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री दीपक तिवारी आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287, पयागपुर के विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित विभिन्न ग्राम पंचायतों/मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री दीपक तिवारी व श्री संजय तिवारी निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4, मद संख्या-5, मद संख्या-6 में कुछ नहीं है।

विधान सभा की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना को लिये जाने का अनुरोध

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी मैंने भी नियम-300 में दिया था।

श्री अध्यक्ष-

इस पर पहले तय हो चुका है यह संभव नहीं है।

आपने दिया था कि इसका प्रसारण कराया जाय लोक सभा की तरह तो यह सम्भव नहीं है इस पर पहले निर्णय हो चुका है। जब मैं पिछली बार अध्यक्ष था तो पार्लियामेंट ने कहा था, इस पर फैसला पहले हो चुका है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि यदि सभी सहमत हों तो हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

आप परेशान न होइये, यह नहीं हो सकता है, इसमें बहुत धन लगता है मैं जानता हूं मैंने इस बारे में प्रयास किया था जब पिछली बार मैं अध्यक्ष था, माननीय चटर्जी साहब ने कहा था कि यह सम्भव नहीं है और इससे पहले भी आपके समय में निर्णय हो चुका है।

---

† छापी नहीं गयी।

[12.45 बजे] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12-03-2013 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से प्रथम दो सूचनाओं को शलाका के आधार पर ग्राह्यता हेतु स्वीकार किया जायेगा। अन्य सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री फेरनलाल, डा0 धर्मसिंह सैनी, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री राजबली जैसल एवं श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की दिनांक 10 मार्च, 2013 को जनपद गोण्डा थाना वजीरगंज में एक महिला के साथ दुष्कर्म एवं थाना मलिहाबाद में एक बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

माननीय मौर्या जी आज कानून-व्यवस्था पर मामला लगा है तो आप इस विषय पर उसी समय बोल लीजिएगा, अलग से बोलने की आवश्यकता तो है नहीं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, केवल एक मिनट लूंगा चूंकि संसदीय कार्य मंत्री जी हैं। आज नित्य प्रति जो इस तरह से लड़कियों के साथ छेड़खानी, दुराचार और बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उसी सन्दर्भ में थाना वजीरगंज गोण्डा जनपद का एक प्रकरण मैंने रखा है और दूसरा लखनऊ के मलिहाबाद का प्रकरण रखा है। दोनों एफ0आई0आर0 दर्ज हो चुकी हैं, अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसी तरीके आगरा एत्मादपुर।

श्री अध्यक्ष-

आगरा वाला प्रकरण आप कानून-व्यवस्था पर उठाइयेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हमारे कहने का मतलब है कि ऐसे मामले जो बहुत गम्भीर हैं, संगीन हैं और अमानवीय हैं, जहां भी एफ0आई0आर0 होती है, शिकायत होती है, उन एफ0आई0आर0 और शिकायतों के आधार पर तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिससे कि इस पर अंकुश लगे यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, ऐसे प्रकरणों में सरकार संज्ञान ले। इसी तरीके से औरैया अछलता थाना में एक घटना घटी।

श्री अध्यक्ष-

इसको आप कानून व्यवस्था में कहियेगा। इसमें जवाब आने दीजिए।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय मौर्या जी का गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है, इसमें आप कुछ कहेंगे।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री की सहमति पर)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हम इसको करा रहे हैं। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी जी की प्रदेश में तरल पदार्थों एवं खाद्य पदार्थों में कालाबाजारियों द्वारा मिलावट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक ऐसा प्रकरण उठा रहा हूं जो हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है और शायद इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है। मान्यवर, मैंने यह प्रश्न उठाया है कि बड़े पैमाने पर इस प्रदेश में चीजों में मिलावट हो रही है, खाद्यान्न पदार्थों में मिलावट हो रही हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों में मिलावट हो रही है। मैं इसलिए चिन्तित हूं क्योंकि हमारी सरकार ने खुद मान लिया है सुप्रीमकोर्ट में हलफनामा देकर कि 68 प्रतिशत दूध मिलावटी है। मान्यवर, आधा नहीं बल्कि 68 प्रतिशत का एफीडेविट लगाया है। मान्यवर, अगर 68 प्रतिशत दूध मिलावटी है और सरकार मान रही है तो हो सकता है कि प्रतिशत इससे ज्यादा हो। मान्यवर, अगर पानी हो तो बात समझ में आती है लेकिन इसमें जो इस्तेमाल हो रहा है वह है सोडा, आरारोट, सस्ता रिफाइन्ड, सिन्थेटिक आदि चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है और सबसे बुरी बात यह है कि इसमें वाशिंग पाउडर मिलाया जा रहा है। आप कल्पना करें कि एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल का बच्चा या बुजुर्ग व्यक्ति जब दूध पीते होंगे तो उनके स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। मान्यवर, यही कहानी कोल्डड्रिंक्स की है, बाजार में यह कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो ब्रांडेड कोल्डड्रिंक्स हैं उनकी नकली सप्लाई लोकल स्तर पर हो रही है। मान्यवर, इन कोल्डड्रिंक्स में जो रंग मिलाया जा रहा है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मान्यवर, इसी तरीके से खोया का है।

मान्यवर, दो चीजें जो सबसे ज्यादा मुझे व्यथित कर रही हैं वह है ''घी''। मान्यवर, घी के बारे में मैं पता दे सकता हूं खास तौर से आगरा, हापुड़, हाथरस तीन चार जगहों का। मान्यवर, आप सुन लें वह ज्यादा उचित रहेगा। घी में फैट के लिए जानवरों की चर्बी इस्तेमाल हो रही है तो मान्यवर, उनका क्या होगा जो शाकाहारी हैं। मान्यवर, अगर घी में बड़े पैमाने पर जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इस पर रोक लगनी चाहिए। मैं समझता हूं इससे आप भी सहमत होंगे, सरकार भी सहमत होगी, इसमें प्रभावशाली ढंग से एक अभियान चलाकर जहां-जहां चर्बी मिलाकर घी बेचा जा रहा है उस पर कार्रवाई करें। इस तरह का दूध, 68 प्रतिशत तो सरकार ही स्वीकार कर रही है अपने हलफनामे में, तो यह एक चिंता का विषय है। मान्यवर, मैंने एक जनहित का मुद्दा उठाया है। यह भी साफ कर दूं कि यह कोई 10-11 महीने से नहीं हो रहा है, यह पिछले कई सालों से हो रहा है और जिस एफीडेविट का जिक्र कर रहा हूं वह एक साल पहले का है। मान्यवर, यह एक सामाजिक समस्या है, सबसे जुड़ी हुई समस्या है, तो मैं चाहता हूं कि इस पर कोई सरकारी जवाब न आये। मान्यवर, आप भी देख लें। अगर घी की जगह हम चर्बी खा रहे हैं और कहीं गाय की और दूसरे जानवरों की चर्बी है तो फिर क्या होगा ? तो मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर मैं निश्चित जानकारी दे रहा हूं आगरा की, हापुड़ की, हाथरस की और मेरे पास समाचार-पत्रों की कटिंग भी है, सूचना भी है तो मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से एक आश्वासन यह जरूर आ जाए कि अभियान चलाकर इस तरह की जो मिलावट हो रही है उसको रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठायेंगे। यह अपरिहार्य है, लोकमहत्व का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, अविलम्बनीय है चूंकि चल रहा है तो मैं समझता हूं कि नियम-56 के अंतर्गत इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। इस पर हम सिर्फ सरकार का ध्यान और सहयोग चाहते हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि हम यह तो दावा नहीं कर रहे हैं कि हम पूरी तरह इसे रोक सके हैं लेकिन कमी जरूर आयी है और खासी कमी आयी है। इधर बहुत जांचें करायी गयी हैं, पकड़-धकड़ भी हुई है, तमाम लोग जेल को गये हैं। मैं उनकी बात की तस्दीक करना चाहूंगा कि सिर्फ मिलावट नहीं है बल्कि अब तो बाकायदा अदालतों में इस बात पर जिरह हो रही है और वकील साहबान की जो रिपोर्ट आती है मिलावट के बारे में लैबोरेटरी से, उसमें मिलावट है ही नहीं, एक बूंद दूध नहीं है तो कहीं कानून भी बदलना पड़ेगा। मिलावट में तो एक बूंद दूध तो चाहिए, वह कहते हैं कि हम पर मुकदमा ही गलत कायम हुआ है। सारा दूध ही सिन्थैटिक है इसमें पानी है, यूरिया है, वाटर कलर है, दूध है ही कब? दरअसल दूध में मिलावट है नहीं। मान्यवर, तो यह बहुत गम्भीर समस्या है लेकिन इससे निपटा जा रहा है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसमें जानवरों की चर्बी मिला रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

वह तो देखिये फैट तो होता ही है। फैट दूध में नहीं होगा, चिकनाई दूध में नहीं होगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

इसमें जानवरों की चर्बी मिला रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

वह तो गलत है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अच्छा एक प्रमोद जी और भी तो बात है आप इसमें कुछ मदद कीजिए। भारत सरकार में हमारी इस बुरी हालत के लिए रहम की दरख्वास्त लगाईये। जानवर बचे कहां हैं? दुधारू भैंस और गाय बचें कैसे, आपने जो कटान के कारखानों की परमीशन दे दी है। जहां चार-चार और पांच-पांच हजार जानवर एक-एक दिन में कट रहा है, बीस-बीस हजार कट रहा है, कई लाख जानवर उत्तर प्रदेश में कट रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी सहायता आपकी तरफ से मिल जाए। हमने तो इस सरकार में किसी को भी कटान की परमीशन नहीं दी है। जो आपकी तरफ से कटान की परमीशन है थोड़ी सी उसमें कृपा कराईये। जब जानवर बचेगा ही नहीं और उसकी वजह से पशुओं की चोरी बहुत हो रही है, दुधारू भैंस की, गाय की। सूरतेहाल यह है कि अगर आप बच्चों को जहर न दें तो दें क्या? जब भैंस है ही नहीं तो दूध मिलेगा कहां से? तो आप जरा लाइसेंस कैंसिल कराईये, थोड़ी सी मद्द हो जायेगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैंने एक कैंसिल कराया था तो आपके एक बड़े भारी रिश्तेदार को एक बहुत बड़े विभाग से, पर्यावरण से हटाकर कहीं और ले जाना पड़ा था। तो जरा अपने जख्मों पर भी थोड़ा मलहम लगा दीजिए, मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अब तो जो आपने चाहा वह हो गया न, तो अब तो एक-एक ग्यारह हो जाईये।

श्री प्रमोद तिवारी-

हमने चाहा या आपने चाहा बात एक ही है।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैंने मा0 प्रमोद तिवारी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम-56 में नहीं आता इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

इसके पहले वाली सूचना पर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुना। चूंकि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है इसलिए इसे भी अग्राह्य करता हूं।

तीसरी सूचना श्री प्रदीप माथरु, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री संजय कपूर, श्री प्रदीप चौधरी, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री अजय कुमार लल्लू, श्रीमती उमाकान्ती, श्री मो0 मुस्लिम, श्री संजय प्रताप जायसवाल एवं श्री राधेश्याम की प्रदेश में कार्यरत राजस्व सामयिक संग्रह कर्मचारियों को नियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो कार्यरत राजस्व सामयिक संग्रह कर्मचारी हैं उनकी संख्या 6000 के लगभग है और उनमें से तमाम लोग 20-25 साल सर्विस करके रिटायर भी हो गये हैं। यह बड़ी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं पूरे वर्ष भर में सिर्फ दो महीने ही काम करते हैं फिर पूरे साल इंतजार करते हैं। उत्तराखंड जैसे राज्य में एक समानान्तर नियमावली बनाकर उनको स्थायी कर दिया गया है।

इस प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री जी ने पत्रावली तलब भी की थी और माननीय मुख्य सचिव साहब के यहां लम्बित भी है फिर इन लोगों ने अक्टूबर माह में एक अनशन भी किया था तब राजस्व सचिव साहब ने जाकर कहा था कि इनको 45 दिन के अन्दर समायोजित करेंगे और उनको स्थाई करेंगे परन्तु इसके बावजूद भी इन संग्रह अमीनों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है और यह भूखों मरने की कगार पर आये हुए हैं। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि राजस्व मंत्री और माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं, इन 6 हजार सार्माक संग्रह कर्मचारियों को राजस्व विभाग के नियमित करें और उनको स्थाई रोजगार दें जिससे वह यह जो अनिश्चितिता की दौर से गुजर रहे हैं वह अनिश्चितता का दौर खत्म हो जाय और स्थाई होने के बाद वह और उनका परिवार एक निश्चितता का जीवन जी सकें। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है, मैं चाहूंगा कि इस मामले में जवाब दिलवायें।

(कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

जब आपके नेता ने इसमें सब कह दिया तो फिर क्या बचा है। बैठिये।

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदीप माथुर जी ने कार्य स्थगन के माध्यम से यह सूचना दी है सार्माक संग्रह अमीनों की। मान्यवर, सार्माक संग्रह अमीनों का जो उत्तरदायित्व है उनके जिम्मे जो कार्य दिये गये हैं उस कार्य का जो परिणाम है अगर उसके ऑकड़े प्रदीप जी के पास पहले पहुंच गये होते तो इस तरह से वो इस प्रश्न को नहीं उठाते। यह सही बात है कि उन्होंने लम्बे समय से बीच बीच में कुछ समय के लिये सेवा की है लेकिन श्रीमन् किसी भी स्तर पर उनको दूसरी सेवाओं में जाने के लिये रोका नहीं गया। कभी भी नहीं। वह हमेशा इस बात के लिये स्वतंत्र थे कि जब कभी किसी दूसरे कार्य के लिये, दूसरे रोजगार के जाना चाहते हैं तो वह परम स्वतंत्र थे, विभाग की तरफ से कोई रोक नहीं लगाई गई थी कि हमने तो रोक दिया और अब उनकी उम्र चली गई तो वो क्या करें। दूसरी बात यह है कि जितनी उनको तनख्वाह दी जाती है उतने की भी वसूली की स्थिति सम्पूर्ण राजस्व विभाग से वसूली वह करके लाते हैं वह उनकी तनख्वाह से भी कम है फिर भी इस व्यवस्था को चलाया जा रहा है समाप्त नहीं कर रहे हैं एक कठिनाई मान्यवर और है कि लगान पहले सीमान्त लघु सीमान्त तमाम ऐसे किसान के माफ कर दिये गये वह काम खत्म हो गया। एक अपासी थी, वह सिंचाई शुल्क भी सरकार ने माफ कर दिया। अब राजस्व विभाग की ओर से वसूली के कार्य निरन्तर कम हो रहे हैं। क्योंकि हम जनहित में यह कदम उठा रहे हैं, किसानों के हित में। इसलिये जनहित के यह कार्य किसानों की प्राथमिकता पर हैं इसके लिये हम जबरदस्ती उनकी वसूली के लिये कोई हेड नहीं बना सकते और फिर भी जहां तक संभव है उन संगठनों से वार्ता हुई है, सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार किया जायेगा। जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से देखेंगे। जो तथ्य थे मैंने बता दिये आपको कि उनका दावा नितान्त ही कमजोर है और इस आधार पर कि वह कभी-कभी महीने दो महीने के लिये विभाग में आ जायं जितना उनको तनख्वाह दी गई उतने की वह वसूली करके भेजें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने प्रदीप माथुर जी को सुना और राजस्व मंत्री जी को सुना। इन दोनों को सुनने के बाद मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरठ जनपद में गन्ना किसान चौधरी चरण सिंह पार्क में महीनों से बैठे हैं। उनके गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। कई लोगों की मरणासन्न स्थिति बनी है और कई लोग बीमार हैं। आज तक सरकार की तरफ से कोई अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी नेता उनकी राजी खुशी, खैर खबर पूछने नहीं गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मिल मालिकों ने किसानों का भुगतान नहीं किया है, उनकी आर0सी0 काटी जाय, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और किसानों को भुगतान किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

सुरेश राणा जी का भी इसी से सम्बन्धित एक है, आप भी कह लीजिये इसी समय तो जवाब दिला देंगे। (माननीय सदस्य श्री वीरपाल राटी के खड़े होने पर) राटी साहब आपके नेता बोल चुके हैं।

*श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वर्ष 2009-2010 का 185 भाव शुरू हुआ था और प्राइस वार के चलते 260 रुपये तक भाव गया था। माननीय न्यायालय ने कहा था कि आखिरी पर्ची के आधार पर किसानों के गन्ना मूल्य का जो अन्तर मूल्य है जो लगभग पांच करोड़ बैठता है उसका भुगतान कराया जाए। उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ और यह कहा गया था कि भुगतान न कराये जाने की स्थिति में 15 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान कराया जाए वह मान्यवर आज तक कोई पैसा नहीं मिला। मान्यवर, वर्तमान का लगभग 3800 करोड़ के लगभग गन्ना किसानों का बकाया है और एक आदेश मा0 न्यायालय द्वारा यह भी किया गया था कि जिन गन्ना किसानों का गन्ना भुगतान बकाया है उनकी कोई सरकारी या गैर सरकारी वसूली न की जाए। मान्यवर, आप देख रहे हैं कि लगातार इस तरह के सवाल सदन में उठते हैं चाहे बिजली का विषय हो चाहे को-आपरेटिव का विषय हो, तमाम प्रकार की वसूली जारी है कोई भी इस प्रकार की वसूली नहीं रुक रही है और 26 फरवरी से मेरठ के अन्दर हजारों की संख्या में किसान इस पेमेन्ट के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

(श्री वीरपाल राठी के खड़े होकर कुछ बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष-

जब तय हो गया था कि एक पार्टी का एक-एक आदमी बोलेगा, आपके नेता बोल दिए ..

श्री दलजीत सिंह-

एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

अगर उनको बुलवाना था तो फिर आप न बोलते। पहले आप उस विषय पर बोलगें, पीछे से फिर मा0 सदस्य बोलेंगे, यह अच्छी बात नहीं है। नेता जी फिर आप अपने सदस्यों से ही बुलवाया करे। अभी बजट है।

(शोर)

*श्री वीरपाल राठी-

एक मिनट सुन लें। गन्ना पेमेन्ट को लेकर कमिश्नरी चौराहे पर गन्ना किसान 15-20 दिन से बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

सवाल लगा, सरकार का जवाब आ गया, फिर उस पर बोल रहे हैं।

श्री वीरपाल राठी-

यह गन्ना पेमेन्ट 1993 से है कई गन्ना चीनी मिलें गन्ना किसानों का पैसा नहीं दे रही हैं। 2011-12 का 22 करोड़ रुपया बकाया है सात परसेन्ट कुल गन्ना पेमेन्ट हुआ है यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं यह गन्ना पेमेन्ट होना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं

श्री मोहम्मद आजम खां-

ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

पांचवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' की है इन्होंने बोर्ड की परीक्षायें तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की परीक्षाओं को देखते हुये समुचित विद्युत आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(श्री श्यामदेव राय चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप क्या बोलेंगे, सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। श्री सुरेश राणा जी ने मा0 उच्च न्यायालय द्वारा 29.6.2011 के निर्णय के परिप्रेक्ष में गन्ना किसानों को गन्ना भुगतान का अन्तर मूल्य न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी थी इस पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

बहुत महत्वपूर्ण विषय है एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। अब हम आगे बढ़ गए हैं। सातवीं सूचना श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी की है इन्होंने प्रदेश के लगभग 12000 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं विभागों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगी रोक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। आठवीं सूचना श्री दलजीत सिंह की है इन्होंने जनपद बांदा के विकास खण्ड तिंदवारी के ग्राम रेहुटा थाना पैलानी के अन्तर्गत दिनांक 4-3-2013 की रात्रि में श्रीमती पुष्पा पत्नी राजेश निषाद के साथ हुये बलात्कार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, सूचना दी है सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। नवीं सूचना श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य की है इन्होंने जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा के ग्राम दौलतपुर कछार में अवैध विद्यालय खुलने से उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव के संबंध में सूचना दी है, इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्यामदेव राय चौधरी जी आप बैठिए मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। आपने जो दिया वह मैंने पढ़ दिया है।

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

श्री अध्यक्ष-

मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। सब अग्राह्य है। अखिलेश जी आप भी बैठिए। मेरा आपसे नम्र निवेदन है आप बैठिए। मैंने आपका पढ़ दिया है आपका विषय आ गया है सरकार का ध्यान भी आकृष्ट कर दिया है।

(श्री शिवपाल सिंह यादव ने मद संख्या-8(1) प्रस्तुत करना प्रारम्भ किया लेकिन श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' तथा श्री अखिलेश प्रताप सिंह लगातार बोलने का प्रयास करते रहे)

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपका पूरा विषय पढ़ दिया कि विद्युत आपूर्ति की जाए। आपकी सूचना थी कि बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिजली की आपूर्ति की जाए। मैंने इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया, अब आप क्या चाहते हैं ? यही क्या कम है कि मैंने स्वीकार किया। सरकार ने वायदा किया है कि हम बिजली की आपूर्ति करेंगे। आप तो सीनियर हैं, आपको तो कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए। हर बार आप जिद्द न करें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने बजट ले लिया है, अब व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' तथा श्री अखिलेश प्रताप सिंह लगातार बोलने का प्रयास करते रहे)

श्री अध्यक्ष-

आप सदन न चलने दें यह आपकी मर्जी है। आपकी सूचना मैंने पढ़ दी, उसे ग्राह्य कर लिया। मैंने उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लिया। आप वही बात तो कहते कि बिजली नहीं मिल रही है, वह मैंने पढ़ दिया। अब उसमें आप अलग से क्या कहते ?

(श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' अपनी बात कहते हुए वेल में आ गये और वहीं बैठ गए, संसदीय कार्य मंत्री, श्री मोहम्मद आजम खां उनके पास गए और उन्हें मना कर वापस भेजा)

(श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' अपनी बात कहते रहे, लेकिन कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दिया)

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी सूचना पढ़ दी और उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लिया। अब आप क्या कहेंगे जो आपने लिखा, वही तो मैंने पढ़ा है। आप इतना नाराज मत होइए, बहुत आपका स्वीकार करते हैं।

*श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

सीनियारिटी का भी कोई ख्याल होगा, कोई संरक्षण मिलेगा ? हमें बोलने से और अपनी बात कहने से कोई नहीं रोक सकता है। आप हमें निकाल दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलिए, जो बोलना चाहते हैं। निकालने का काम हमारा नहीं है। आपकी आवाज जो थी, वह मैंने पढ़ दी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप इतने सीनियर मेम्बर हैं, आप यही तो पढ़ेंगे कि इम्तिहान हैं, बिजली नहीं मिल रही है, वह मैंने पढ़ दिया और उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लिया।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, अब आप बजट चलने दीजिए। अच्छा, व्यवस्था का प्रश्न क्या है, बताइये।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, एक प्रश्न उठाया गया, दरोगा को ले करके, तमाम लोग नियमावली को ले करके आधा घण्टा बोले। आधा घण्टा समय जाया हुआ, जिसके मन में आया, सब लोग बोले। हम लोग अगर नियम-56 के अन्तर्गत कोई बात कहते हैं, मुश्किल से उसको पढ़ने और अपनी बात कहने में 30-30 सेकेण्ड, 40-40 सेकेण्ड लगते हैं। हम यह कहते हैं कि आप सब की बात सुन लिया करें। कोई बोले लेकिन जिसका औचित्य नहीं, सब लोग बोलने लगते हैं, मान्यवर, आप उनको तो रोकते नहीं हैं। हम आपका आदेश मान रहे हैं लेकिन हर चीज पर हर कोई बोलने लगता है और जो प्रश्न उठाया जाता है, जिस पर 30 सेकेण्ड, 40 सेकेण्ड, 50 सेकेण्ड लगता है, उसकी मान्यवर, आप अनुमति नहीं दे रहे हैं

श्री अध्यक्ष-

आपकी भावना से मैं अवगत हो गया। अब हमारी बात भी सुन लीजिए। दरोगा वाला जो प्रकरण आया था वह विधान सभा के सम्मान से सम्बन्धित था और उसमें हर आदमी की जो भावना थी, वह उन्होंने व्यक्त किया और विधान सभा के सम्मान का मामला था, इसलिए जिस सदस्य ने जो वह कहना चाहता था, अपनी बात कह ली। आपका यह नियम-56 का है कि प्रदेश के लगभग 12 हजार अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं विभागों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती पर जो रोक लगी है, उससे उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, मैंने उसे पढ़ दिया, यही बात तो आप भी कहते। मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर लिया।

चौधरी साहब, आपका भी मैंने पढ़ दिया।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर एक मिनट मुझे अपनी बात कहने के लिए मिल जाता तो कौन सी ऐसी बात हो जाती।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात जब मैंने कह दी तो आपको क्या नुकसान हो गया ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

बहुत नुकसान हो गया।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो सरकार की नीति है, बेरोजगारी कम करने की उसमें मैं वही कहना चाह रहा था। दो साल पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी गयी है, अगर यह सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती खोल देगी तो क्या दिक्कत है ?

(श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' बोलने का प्रयास करते रहे)

श्री अध्यक्ष-

बिजली की आपूर्ति कराने की बात हमने कही है, वही आप भी तो कहते।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी आ गए हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

अगर सरकार रोक हटा दे तो एक लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

अखिलेश जी इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया। दादा आपकी सूचना पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

मान्यवर, अगर 30 सेकेण्ड आप दे देते तो मैं अपनी बात कह देता। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी उत्तर देते नहीं देते जो कुछ भी उनकी इच्छा होती वह करते।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन यह कहां से अधिकार मिल गया कि आप बोलें ही।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है। मेरी जिद का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो प्रश्न रखा मैंने उसको पढ़कर सुना दिया जो आप कहना चाहते थे उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया। आपकी बात मैंने कह दी और सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

तो मैं तो बहिर्गमन कर ही रहा था।

(श्री श्यामदेव राय चौधरी सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष-

अब बजट लेते हैं।

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

[1.10 बजे] लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं सहकारिता, भूमि विकास एवं संसाधन तथा परती भूमि विकास मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10,36,52,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता एक विश्वव्यापी आन्दोलन है। भारत वर्ष में इसका आरम्भ 1904 में हुआ था। देश के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों एवं जिला सहकारी बैंकों का गठन किया गया। प्रदेश में त्रिस्तरीय सहकारी साख ढांचे के अंतर्गत प्रदेश स्तर पर उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक, जनपद स्तर पर जिला सहकारी बैंक एवं न्याय पंचायत स्तर पर प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां गठित हैं जिनके प्रजातांत्रिक स्वरूप को बनाये रखने हेतु लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रबन्ध कमेटियां कार्यरत हैं। प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को उर्वरक, बीज एवं ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। विगत वर्षों में रबी अभियान के दौरान खाद की किल्लत हो जाती थी जिसके कारण खाद वितरण के समय कानून व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो जाती थी। वर्ष 2012-13 में हमारी सरकार द्वारा रबी एवं खरीफ अभियान के दौरान किसानों को समय से खाद उपलब्ध कराने के लिये उर्वरक की प्रीपोजिशिनिंग की गई, जिसके तहत 7.38 लाख मै0 टन फास्फेटिक एवं 2.58 लाख मै0टन यूरिया का अग्रिम भण्डारण किया गया। वर्ष 2012-13 में उक्त योजना हेतु सरकार द्वारा रुपये 100 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी। सहकारी समितियों को कुल 22.44 लाख मै0 टन यूरिया तथा 22.60 लाख मै0 टन फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी। पूर्वान्चल के 27 जनपदों की 2000 पैक्स निष्क्रिय एवं कमजोर होने के दृष्टिगत किसानों का समय से आवश्यकतानुसार उर्वरक/बीज उपलब्ध कराने हेतु आर0के0वी0आई0 के अंतर्गत प्रति समिति रुपये 5.00 लाख की दर से कुल रुपये 100 करोड़ स्वीकृत किया गया है।

इन समितियों द्वारा 02 लाख मैट्रिक टन उर्वरक तथा 43 हजार कुन्तल उन्नत बीज का व्यवसाय किया गया है, लगभग 9.74 लाख किसान लाभान्वित हुए तथा समितियों को 724 लाख रुपये की आय हुई। पैक्स के व्यवसाय में वृद्धि लाने हेतु प्रत्येक पैक्स में एक पूर्णकालिक सचिव की व्यवस्था की जा रही है, सचिव बैंक का एक्स कैडर कर्मचारी होगा, जिसका वेतन व्यय बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। प्रदेश की 100 सहकारी समिति के माध्यम से क्षेत्र के किसानों के हित में कृषि कार्य की सुगमता एवं गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु आधुनिक कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध कराने हेतु रुपया 15 करोड़ आर0के0वी0वाई0 योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये हैं। इस योजना से लघु एवं सीमान्त किसानों को भी कृषि में आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। प्रत्येक समिति को औसतन रु0 15 लाख के कृषि उपयोगी यन्त्र किसानों को कृषि कार्य हेतु किराये पर उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रदेश के 50 जिला सहकारी बैंकों में से 25 जिला सहकारी बैंकों को 31-03-2012 तक भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेन्स प्राप्त नहीं था। 25 गैर लाइसेन्स प्राप्त जिला सहकारी बैंकों में से 09 जिला सहकारी बैंकों को हमारी सरकार द्वारा अपने संसाधनों से रु0 219.15 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराते हुये आर0बी0आई0 से लाइसेन्स प्राप्त करा दिया गया है। वैद्यनाथन पैकेज के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश रु0 922.28 करोड़ धनराशि अवमुक्त न करने के कारण बैंकों को लाइसेन्स उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जबकि प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार एवं नाबार्ड के साथ हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 दिसम्बर, 2006 के अन्तर्गत निर्धारित समस्त बैंचमार्क समय से पूरे कर दिये थे, जिस पर केन्द्र सरकार सहमत भी थी, इसके बावजूद भी केन्द्र सरकार द्वारा धन अवमुक्त नहीं किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा उक्त धनराशि प्राप्त करने के बराबर प्रयास किये जा रहे हैं, अवशेष

धनराशि प्राप्त होते ही भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेन्स प्राप्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

हमारी सरकार द्वारा किसानों को विशेष रूप से निर्बल वर्ग के समिति सदस्यों को अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण किया जाता है। सहकारी समिति के माध्यम से रु0 3.00 लाख तक अल्पकालीन फसली ऋण प्रदेश सरकार द्वारा 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान करते हुये 3 प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में 16 जिला सहकारी बैंक बगैर लाइसेन्स होने के बावजूद वर्ष 2012-2013 में फरवरी 2013 तक रु0 4207 का फसली ऋण वितरण कर 34 लाख कृषक लाभान्वित किये जा चुके हैं। वर्ष 2013-2014 में रु0 4915 करोड़ के अल्पकालीन ऋण वितरण का लक्ष्य है जिसके लिए रु0 53.74 करोड़ की धनराशि ब्याज अनुदान के रूप में व्यय किया जाना प्रस्तावित है। हमारी सरकार द्वारा कृषि भूमि को बन्धक रखकर कर्ज लेने वाले किसानों को कर्ज न दे पाने की स्थिति में जमीन की नीलामी से बचाने हेतु रु0 50 हजार तक के ऋण माफी की योजना अनुमोदित की गयी है। उपरोक्त परिधि में आने वाले लगभग 8 लाख किसानों का रु0 1650.00 करोड़ का ऋण माफ होगा। जिस हेतु शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-2013 में रु0 900 करोड़ उपलब्ध कराने का प्राविधान किया गया है। अवशेष धनराशि रु0 750 करोड़ वर्ष 2013-2014 में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में सहकारी समितियों की अतिरिक्त खाली भूमि पर गोदाम निर्माण कर अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का सृजन करने एवं समितियों के हित में आर0के0वाई0 योजनान्तर्गत लगभग रु0 745 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 6.25 लाख मै0टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का सृजन प्रस्तावित है। वर्ष 2012-2013 में प्रथम चरण में रु0 100 करोड़ का प्राविधान किया गया, जिससे लगभग 800 समितियों में प्रत्येक समिति में 100 मै0टन क्षमता के गोदाम निर्मित कर 80 हजार मै0टन क्षमता का सृजन होगा।

- निर्बल सहकारी क्रय-विक्रय समितियों को गोदामों की मरम्मत हेतु राज्य सरकार की तरफ से अंशपूंजी के रूप में रु0 35 लाख की धनराशि वर्ष 2013-14 में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं व धान की खरीद-

- हमारी सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाये जाने के लिये कृत संकल्प है जिसके लिये मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों का गेहूं व धान सरकार द्वारा समर्थित मूल्य पर क्रय किया जाता है।
- किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए धान निर्यात से मण्डी शुल्क एवं वैट में छूट प्रदान की गई है।
- वर्ष 2012-13 में सहकारी क्षेत्र की क्रय एजेन्सियां उ0 प्र0 को-आपरेटिव फेडरेशन (पी0सी0एफ0) तथा उ0 प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ (यू0पी0एस0एस0) द्वारा 20.48 लाख मै0 टन गेहूं तथा 5.98 लाख मै0 टन धान कृषकों से क्रय किया गया था।

- वर्ष 2012-13 में इस योजना के अन्तर्गत 3342 सहकारी क्रय केन्द्र संचालित थे तथा वर्ष 2013-14 में लगभग 4500 केन्द्र संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

एकीकृत सहकारी विकास योजना (आई0सी0डी0पी0)-

- सहकारी समितियों के समन्वित विकास के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्तपोषित एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत गोदाम निर्माण व मरम्मत, बाउण्ड्रीवाल निर्माण तथा व्यवसाय वृद्धि हेतु मार्जिन मनी एवं अन्य प्रयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2013-14 में इस योजना हेतु रु0 2923.51 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

सहकारी समितियों का निर्वाचन-

- प्रदेश की प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों, केन्दीय सहकारी समितियों एवं निर्वाचन योग्य प्रदेश की शीर्ष सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन सम्पन्न कराकर सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करा दी गई है।

प्रशासनिक सुधार

- सहकारिता विभाग में विगत कई वर्षों से पदोन्नतियां अवरुद्ध थीं। वर्तमान सरकार द्वारा 365 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रोन्नतियां की गईं। 676 कर्मचारियों का विनियमितीकरण करते हुए 267 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराया गया जिसके फलस्वरूप अधिकारियों/कर्मचारियों के मनोबल एवं कार्यक्षमता में वृद्धि हुई।

मान्यवर, यह जो सहकारिता सहकारी आन्दोलन है इसमें हम मजबूत इरादों के साथ आये हैं क्योंकि ये प्रजातांत्रिक स्वरूप की प्रक्रिया है। इन इरादों के साथ, प्रदेश के जो गरीब, किसान, बेसहारा लोगों को ऋण वितरण करके और जो साहूकारी प्रथा थी तो साहूकारों से मुक्ति दिलाने के लिये यह सहकारी आन्दोलन प्रदेश में चला था। हम इन योजनाओं के साथ, मजबूती के साथ आज हम इस बजट को लाये हैं इसलिये हमारा सभी सदस्यों से निवेदन है कि हमारा बजट प्रजातांत्रिक है और हमने इसे पूरे प्रदेश में एक प्रजातांत्रिक स्वरूप दिया है और पूरे प्रदेश की सारी सहकारी समितियों से ले करके एपेक्स तक पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका है। जो उत्तर प्रदेश की 25 जिला सहकारी बैंके हैं, जो संकट में हैं उनमें से हमारे अपने संसाधनों के द्वारा 09 जिला सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक से लाइसेंस मिल चुका है और शेष जो 16 सहकारी बैंके हैं हमारा प्रयास है हमने कई बार प्रयास किया है, केन्द्र सरकार से जो बैद्यनाथन कमेटी का पैसा था 922 करोड़ रुपया, उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। कई बार हम पत्र भी लिख चुके है, मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री को भी लिखा है, केन्द्रीय वित्त मंत्री को भी लिखा है और मेरा अभी भी प्रयास है कि ये 16 बैंकें फिर से उत्तर प्रदेश में काम करें, इसलिए हमारा प्रयास है और हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को सुविधाएं दे सकें, ऋण दे सकें और उनको समय से खाद, बीज का प्रबन्ध कर सकें, इन्हीं योजनाओं के साथ हम बजट को लाए हैं, हमारा निवेदन है कि हमारे इस सहकारी आंदोलन में जो हमारा प्रयास है दलगत भावना से ऊपर उठकर यह हमने जो प्रयास किया है, आज का बजट पास कराने के लिए हम सभी सदस्यों से निवेदन करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मौर्या जी, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन कट मोशन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम नहीं आया है। (श्री अजय मिश्र 'टेनी' के खड़े होने पर) श्री अजय मिश्र जी आप रखेंगे, रखिए।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सहकारिता मंत्री जी ने अभी 10 अरब, 36 करोड़, 52 लाख, 97 हजार रुपये का जो सहकारिता से सम्बन्धित बजट रखा है, मैं उस पर कटौती प्रस्ताव रखते हुए सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया करने की मांग करता हूं, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। जैसा अभी मा0 मंत्री जी ने कहा वास्तव में वर्तमान जीवन में सहकारिता का बहुत बड़ा महत्व है और इसी महत्व को समझते हुए हिन्दुस्तान में जो साहूकारी प्रथा चल रही थी, उसको समाप्त करने के लिए वर्ष 1904 में सहकारिता अधिनियम लाया गया था, उसका प्रथम उद्देश्य यह था कि जो गरीब और असहाय लोग साहूकारों के चंगुल में फंसे हैं, उनको ऋण दे करके सहकारिता के माध्यम से हम लोग उनको भी समाज की मुख्यधारा में लाएं। वास्तव में यह आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है और सहकारिता का इतना व्यापक नेटवर्क है कि यह एक समानान्तर सरकार की तरह काम करता है और इसकी पहुंच गांव की हर गली-गली तक होती है और एक-एक किसान तक इसकी पहुंच होती है। वास्तव में सहकारिता आंदोलन जिस तरीके से चलना चाहिए, जितना सफल होना चाहिए, उतना आज नहीं हो पा रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, कालान्तर में ऋण के अलावा हम लोगों ने कुछ खाद देना, क्रय केन्द्रों को चलाना, जो समर्थित मूल्य होते हैं, उस पर धान और गेहूं खरीद करना, ऐसे सब कामों को करते हुए जो प्राइमरी सोसाइटी थीं, उनको बलवती करने का काम किया और अब जो हम लोगों का आंदोलन चल रहा है सहकारिता का यह सहकारी अधिनियम, 1965 से संचालित है, वास्तव में इसमें बहुत सारे सुधारों को करने की आवश्यकता है। मैं मा0 मंत्री जी कोई आलोचना करना नहीं चाहता लेकिन सहकारिता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे वास्तविक जीवन में हो सकता है। इसके लिए मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं, जिस तरीके से हम लोग सहकारिता में कर्ज देते हैं और कर्ज देने का काम सहकारी संस्थाएं जो हमारी करती हैं, किसानों से हम लोग 3 प्रतिशत ब्याज लेते हैं, लेकिन जिला सहकारी बैंकें सहकारी समितियों से 10.7 प्रतिशत का ब्याज लेती हैं, जिसमें से 4.70 परसेन्ट प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और 3 प्रतिशत केन्द्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन यह जो ब्याज का पैसा होता है यह काफी विलम्ब से पहुंचता है, जिसके कारण सहकारी समितियों की जो अर्थव्यवस्था होती है, वह गड़बड़ा जाती है, क्योंकि जिला सहकारी बैंक तत्काल ही उनसे 10.7 प्रतिशत का ब्याज जोड़कर पैसा ले लेते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार का जो योगदान होता है, वह एक साल से डेढ़ साल के बीच में पहुंचता है।

(इस समय 01 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता प्रो0 शिवाकान्त ओझा पीठासीन हुए)

मान्यवर, दूसरी एक समस्या जो आती है वह कर्जमाफी की आती है भूमि ग्रामीण विकास बैंक में तो आपने कर्ज माफ कर दिया। लेकिन जो लोग सोसाइटी से कर्जा लिए हैं उनका कर्जा माफ

नहीं हुआ है। मैं अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से सोसाइटी का कर्जा 1997 तक का माफ हुआ था उसकी समय-सीमा बढ़ाकर, 2010 तक कर दी जाय, ताकि ऐसे लम्बित खाते जिनमें पैसा जमा नहीं हो सकता है उनमें आप सोसाइटी को अनुदान दे देंगे। तो जो मृतप्राय सोसाइटी हैं वह पुनर्जीवित हो जायेंगी। क्योंकि वहां से जो वसूली होती है उसमें 2.5 प्रतिशत कमीशन मिलता है और जिससे कर्मचारियों का वेतन निकलता है। सहकारी समितियां लाभ के लिए कार्य करती हैं वह गेंहू और धान का साल भर क्रय करती है और इस प्रकार से सहकारी समितियां कार्यरत रहती हैं और वह उनके लाभ का एक बहुत बड़ा आधार होता है। लेकिन धीरे-धीरे जो हमारी प्रदेश स्तरीय समितियां जैसे पी0सी0एफ0, यू0पी0एस0एस0 यह अपना क्रय केन्द्र खोल लेती हैं जिससे प्राइमरी सोसाइटी के माध्यम से होने वाली खरीद कम होती जा रही है और उनके लाभ पर असर पड़ रहा है। इसलिए जो प्राइमरी सोसाइटी हैं उनको पहले क्रय केन्द्र खोलने में प्राथमिकता दी जाय और जहां खरीद न हो सके वहां पी0सी0एफ0 और प्रदेश स्तरीय समितियों को मौका दिया जाय। मान्यवर, जो हमारे किसान हैं वह उसके मेम्बर होते हैं मान्यवर, वह उसमें गल्ला बेंच सकेंगे और उनकी वसूली भी बिना किसी भाग-दौड़ के हो जायेगी और दूसरा यह रहेगा कि जब हमारी वसूली बढ़ जायेगी तो प्राइमरी सोसाइटी के कर्मचारियों को वेतन देने में आसानी रहेगी। मान्यवर, क्योंकि यह समस्या आये दिन आती रहती है इसलिए समाधान आवश्यक है। मान्यवर, इन सब परिस्थितियों में जब हमारे क्रय-केन्द्र कम होते जा रहे हैं तो सोसाइटी का लाभ कम होता है और वसूली पर भी प्रभाव पड़ता है। वसूली का 2.5 प्रतिशत न मिलने से कर्मचारियों का वेतन निकलना मुश्किल हो जाता है। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जिस तरह से प्रदेश सरकार अन्य कर्मचारियों को अपने कोष से वेतन देती है उसी प्रकार से अगर प्राइमरी सोसाइटी के लिए भी एक निश्चित योगदान सरकार तय कर दे चाहे वह 20-25 हजार रुपया महीना हो तो भी कर्मचारियों का वेतन उससे आसानी से निकल जायेगा। मान्यवर, कृषि यंत्र और कीट नाशक दवायें हमारी सोसाइटी बेंचती थीं। आपने यह अधिकार दे दिया है कि वह चाहें तो प्राइवेट फर्म से खरीद लें। इससे गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है और दूसरे जो एम0डी0 होते हैं वह बड़ी-बड़ी कम्पनियों से सामान लेने का प्रयास करते हैं और यह भी प्रयास करते हैं कि उसमें उनका भी कुछ थोड़ा बहुत भला हो जाय। तो जो यह कृषि यंत्र और जो कीट नाशक दवायें हैं तो इनकी गुणवत्ता पर तो असर पड़ ही रहा है। यह मंहगे भी मिल रहे हैं। मान्यवर कई बार ऐसा होता है कि खाद, बीज लेना है जो एम0डी0 होते हैं वह बड़ी-बड़ी प्राइवेट एजेन्सीज से समान लेकर रखते हैं और किसान को मजबूर करते हैं कि मंहगी दर पर वह खरीदें। इसलिए मेरा कहना है कि यह जो कृषि यंत्र हैं और कीट नाशक दवायें हैं यह सरकारी संस्थाओं से, सहकारी संस्थाओं से दी जायें ताकि किसानों को लाभ मिले और उसकी गुणवत्ता भी ठीक रहे।

मान्यवर, जो वैद्यनाथन समिति की सिफारिश हैं वह लागू हुई है। इसको आप लागू करायें। दूसरी बात यह है कि यह सभी सहकारी संस्थायें लोकतांत्रिक ढंग से काम करें। हर समय समितियों का चुनाव होता है। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके मन में हर समय भय बना रहता है कि पता नहीं कब चुनाव हो जाये। जब सरकारें बदलती हैं तो वह अपने नियम बदल देते हैं कभी पांच वर्ष से घटाकर दो वर्ष कर देते हैं और कभी बढ़ा देते हैं। इसलिए ऐसा अधिनियम लाया जाय जिसमें समय निश्चित हो। ताकि वह लोग अपना काम ढंग से कर सकें। इसी तरह से सहकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण की

बात है हमारे यहां 9 प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे थे वह सब बन्द पड़े हैं उनको चालू कराया जाय। वास्तव में आज प्रशिक्षण का कार्य सहकारिता के क्षेत्र में नहीं हो रहा है। प्रशिक्षण के नाम पर होता क्या है कि बड़े-बड़े अधिकारियों को गिफ्ट दे दिये जाते हैं और फिर प्रशिक्षण शिक्षण का काम एकदम खत्म हो जाता है।

यह मान्यवर, केवल प्राइमरी सोसाइटी से इसमें नहीं है। प्राइमरी सोसाइटी से लेकर इफ्को तक आपने तो सब कुछ देखा है प्राइमरी सोसाइटी से इफ्को तक आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। वहां पर देखते हैं हम लोग जो प्रतिनिधि जाते हैं सहकारिता आन्दोलन की बात करने के लिए हम लोगों ने इफ्को में देखा है कि वहां पर वह लाइन लगाकर पहले अपना गिफ्ट लेने के चक्कर में रहते हैं जिस विषय पर उनको बात करनी है उसको कहते नहीं हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि शैक्षणिक कार्यक्रम तो मजबूती से चलाये जायें लेकिन यह गिफ्ट देने की प्रथा यह जो को-आपरेटिव सोसाइटियां हैं इसमें बन्द हों। क्योंकि हम गरीबों को न्याय दिलाने के लिए गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हम लोग सहकारिता के क्षेत्र में आये हैं। वहां पर गिफ्ट देना, फालतू में पैसा खर्च करना, फाइव स्टार होटल में डेलीगेट्स को रोकना यह सब चीजें बन्द होनी चाहिए। इससे होता क्या है कि एमडी और ऐसे कर्मचारी होते हैं वह अपना कार्यकाल बढ़वाने में तो सफल हो जाते हैं लेकिन सहकारिता आन्दोलन को ठेस पहुंचती है। आप सब लोगों ने देखा ही है, हम लोगों ने इफ्को जैसी कम्पनी में देखा है कि वहां एमडी तो रिटायर ही नहीं होते हैं लगातार चलते रहते हैं इसलिए इस चीज को समाप्त होना चाहिए। दूसरा सरकारी हस्तक्षेप को-आपरेटिव सोसाइटी में बहुत अधिक है। उसको भी रोकना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग जो हमारा बोर्ड होता है, बोर्ड को अगर कोई एक सामान खरीदना है, तो उसको एआर या डीआर से अनुमोदन कराना आवश्यक है। अब पता चला कि एक कुर्सी खरीदना है तो तीन कुर्सी खरीदे तब उसका अनुमोदन हो। एक कुर्सी अपने लिए खरीदें, एक बिचौलिये के लिए खरीदें और एक अनुमोदन करने वाले के लिए खरीदें। तो ऐसी परिस्थितियां बन गयीं हैं और इसको आप देखेंगे हर क्षेत्र में जो-जो मंत्रालय आपके पास हैं, आप बहुत मेहनत से, बहुत पारदर्शिता से, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत अच्छी सफलताएं भी आपको मिल रही हैं तो मैं चाहता हूं कि जो बेमतलब का लास है उसको रोका जाय। यह काम अगर हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, जो नियुक्तियों के सम्बन्ध में होता है नियुक्तियों के सम्बन्ध में प्राइमरी सोसाइटीज को स्पष्ट आदेश है कि अगर लाभकारी संस्था है और उसके यहां स्थान खाली है तभी वह नियुक्ति कर सकती है। वह नियुक्ति करती है लेकिन फिर उसको अनुमोदन के लिए एआर डीआर के यहां जाना पड़ता है। तो जब बोर्ड में लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए हमारे डेलीगेट्स, जनप्रतिनिधि डायरेक्टर बैठे हैं तो उनके अधिकार पर अनुमोदन की व्यवस्था मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इसलिए यह अगर सरकारी हस्तक्षेप बन्द किया जायेगा तो हम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा एक माननीय मंत्री जी जो आदिवासी क्षेत्र में सोसाइटियां काम कर रही हैं उनको हम लोग थोड़ी सुविधाएं देते हैं और सरकार सुविधा इसलिए देती है क्योंकि वह अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर ठीक ढंग से काम हो सके वह लोग भी समान समाजिक विचारधारा में आ सकें और समाज की धारा के साथ चल सकें। लेकिन वास्तव में वहां पर होता है उल्टा, इसलिए होता है कि वहां पर जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वह तो सुयोग्य होते हैं लेकिन जो आदिवासी जंगल में

रहने वाले लोग उतना अपने अधिकारों के विषय में नहीं जानते हैं। आप उनको सुविधाएं देने के लिए धन आवंटित करते हैं, आप उनको सुविधाएं देने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, घोषणाएं करते हैं लेकिन उन सब घोषणाओं में से थोड़ा-थोड़ा हिस्सा करके वह उनको ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उनको ओबलाइज कर रहे हों कि देखो यह तुम्हारा हमने काम कर दिया और वहां अगर आप गये, उदाहरण के रूप में आपसे कहना चाहूंगा दुधवा नेशनल पार्क है उसमें दो ऐसी बहुउद्देशीय सोसाइटी हैं चन्दन चौकी और गौरी फन्टा वहां पर जो कर्मचारी हैं वह कम से कम 20-20 साल से वहीं पर हैं वह कहीं जाते नहीं और वह वहां के लोगों से बनाये हैं पूरा सिस्टम और वहां के जो रहने वाले जनजाति के लोग हैं वह उन्हें भगवान की तरह मानते हैं कि जो दे रहे हैं वह दे रहे हैं उन्हें यह नहीं पता कि सरकार की तरफ से यह योजनाएं आ रही हैं। तो इन योजनाओं का लाभ जो पात्र लोग हैं उन तक पहुंचे इसकी मानीटरिंग करने की आवश्यकता है। दूसरा मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो इसमें हमारी जो प्राइमरी सोसाइटी के लोग होते हैं जिनको हम लोग वेतन के मद में कोई अन्य भत्ता नहीं दे रहे हैं मेरा अनुरोध है कि प्रदेश सरकार अपनी तरफ से कुछ ऐसे फण्ड की व्यवस्था करे जिससे हम लोग उनकी प्राइमरी सोसाइटी को, वहां पर उनकी तनख्वाह ठीक ढंग से मिल सके और वास्तव में जो इसका उद्देश्य है, हम लोगों का जो उद्देश्य है वह सीधा-सीधा यह है कि जो तबका ऐसा है जो अपने आप खड़ा नहीं हो सकता, उसको सहकारिता के माध्यम से जो ऊपर उठे हुये लोग हैं, हाथ से हाथ मिला करके उनको अपने समान स्तर पर लायें। यह उनका उद्देश्य है लेकिन वास्तविकता में लोकतांत्रिक ढंग से जो चुनाव होते हैं, उसमें भी इतना हस्तक्षेप होता है, जो हमारे वहां पर कर्मचारी काम कर रहे होते हैं कि वह मनमाने अपने बोर्ड चुनवा लेते हैं इसलिये अगर वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू हो जायेंगी और पढ़े-लिखे लोग आयेंगे तो वह जब चुनाव लड़ेंगे तो बोर्ड को भी ठीक ढंग से चलायेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है और अब जो सोसाइटियां हैं, उनमें करोड़ों का व्यवसाय भी होने लगा है, आप लोगों ने माननीय मंत्री जी सरकार की तरफ से जैसे कि खाद का है क्रय केन्द्रों का है, ऐसे करके करोड़ों का व्यवसाय हो रहा है लेकिन उसका आडिट जो होता है, वह विभागीय आडिट होता है। विभागीय आडिट में बहुत सारी समस्यायें आती हैं, ठीक ढंग से आडिट नहीं हो पाता और जब जिसको चाहते हैं, फंसा देते हैं और जिसको चाहते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसका चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा आडिट किया जाये और आडिट को सरकार के द्वारा पुनर्निरीक्षण या मानीटरिंग करने का काम किया जाये जिससे अनावश्यक दबाव जो बोर्ड पर आडिट को लेकर बनता है, वह दबाव भी समाप्त हो और लोकतांत्रिक ढंग से हमारे लोग जो चुनकर आते हैं, जिस तरह से हम लोग विधान सभा में आये हैं, और हम अपनी कांस्टीट्वेंसी के प्रति जिम्मेदार हैं, उसी प्रकार वह भी अपने क्षेत्र में होते हैं। अब अगर आप जैसे लोग सहकारिता मंत्री के पद पर बैठे हैं तो मैं मानता हूं कि इससे बढ़िया अवसर नहीं आ सकता, मैं कहना चाहता हूं कि-

''ख्वाब जितने देखे है, आज सारे देख लो,
कल ये पागल हवा न जाने कहां ले जायेगी।''

इसलिये इससे बढ़िया अवसर सहकारिता के लिये दुबारा आना नहीं। इसलिये हम सब लोग यह ख्वाब देख रहे हैं कि एक बार कम से कम यह पूरी स्थितियां प्राइमरी सोसाइटी से लेकर प्रदेश स्तर तक अगर ठीक हो जायेंगी तो वास्तव में सहकारिता आन्दोलन का जो उद्देश्य है, वह हमारा उद्देश्य

सफल होगा और जो लोकतांत्रिक ढंग से बोर्ड हमारे चुनकर आयेंगे, वह ठीक ढंग से सोसाइटियों को चलायेंगे और इससे सोसाइटी की आमदनी बढ़े, उसके लिये आपने उनको बिजनेस दिया ही है, वह बिजनेस ठीक ढंग से चले और व्यवसाय हो, उनकी तनख्वाह की ठीक व्यवस्था हो जाये तो निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से गांव का एक-एक गरीब किसान, मजदूर हमारे समाजिक धारा में समान स्तर पर आ जाये तो निश्चित रूप से सहकारिता का सपना पूरा होगा। दूसरा, यह जो हमारी बीमार सहकारी समितियां हैं यह बहुत सी हैं। हमारे जिले में भी 70 से अधिक ऐसी सोसाइटियां हैं जो ठीक ढंग से चल नहीं पा रही हैं। जितनी भी प्रदेश में बीमार सहकारी समितियां हैं, उनके लिये आप अलग से कोई योजना बना दें, एक ऐसा पैक बना दें जो केवल बीमार सोसाइटियों के लिये ही हो, उनको किस तरह से बूस्ट कर सकें, उसका काम यह हो सकता है कि खरीद में उनका जो हम 22 रूपया क्विंटल देते हैं, उसको बढ़ाकर 30 रूपया क्विंटल कर सकते हैं। उनकी जो वसूली है उसमें ढाई प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत कर सकते हैं। ऐसा अगर आप कुछ पैकेज दे देंगे तो वह जो हमारी बीमार सहकारी समितियां हैं, वह भी ठीक हो जायेंगी। दूसरा जो जिला सहकारी बैकों में कम्प्यूटरीकृत किया गया था, उसमें बहुत सारे कम्प्यूटर वगैरह यह सब चीजें खराब हैं, इनको भी देख लेंगे और माननीय मंत्री जी वैसे आपका सब बहुत अच्छा है ही, लेकिन यह सब सुझाव इसमें शामिल नहीं है, यह भी इसमें आ जायें इसलिये मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये आपसे अनुरोध करता हूं कि इन सुझावों को शामिल कर लेंगे, तो निश्चित रूप से यह बजट प्रदेश के लिये बहुत हितकारी होगा और जो उद्देश्य सहकारिता आन्दोलन का है, वह सहकारिता आन्दोलन का उद्देश्य पूरा होगा और वह गरीब और महरूम लोग, कमजोर लोग भी समाज की मुख्य धारा में आयेंगे और समान स्तर हम सब अपने अधिकार प्राप्त कर सकें, यही आपका भी दृष्टिकोण है, यही मेरा भी दृष्टिकोण है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सहकारिता विभाग के बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। एक साल के कार्यकाल का जो बजट सहकारिता मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, इसके विषय में मैं अपना थोड़ा सा सुझाव रखना चाहता हूं। एक साल के पहले यह जो सहकारिता था, जिसको साधन सहकारी समिति कहा जाता था, क्रय विक्रय समितियां थीं, डी0सी0एफ0 थी, पी0सी0एफ0 थी कोआपरेटिव बैंक इसमें क्या हो रहा था। किस तरह से इन सोसायटियों पर लूट हो रही थी इन बैंकों में किस तरह से नियुक्तियां हो रही थीं कितना-कितना बड़ा घोटाला हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। हमारे मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उस बजट के पहले भी हमको जाना चाहिए था और देखना चाहिए था कि एक एक को-आपरेटिव बैंक घाटे में था को-आपरेटिव बैंक चल नहीं रहा था लेकिन ऐसे ऐसे आदमियों की नियुक्तियां हो गईं कि पूरे प्रदेश में करोड़ों करोड़ों का घपला हुआ और कर्मचारी भर्ती कर लिए गए। जबकि बैंक को कर्मचारियों की जरूरत नहीं थी। हमारी जो बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां हैं जिस तरह से श्रम सहकारी समितियां हैं इन सहकारी समितियों से भी कोई काम नहीं लिया गया इनके नाम पर फर्जी पैसा निकालकर करोड़ों करोड़ का घपला हुआ जिसकी आज जांच चल रही है और तमाम मंत्री जेल में गए। बड़े शर्म की बात है कि को-आपरेटिव सोसायटी किसानों की सोसायटी है गरीबों की सोसायटी है मजदूरों की सोसायटी है परन्तु इन

को-आपरेटिव सोसायटियों के साथ पांच साल तक नंगा नाच हुआ वह उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ तीन प्रतिशत ब्याज पर किसान पैसा पाता है कर्ज पाता है यह सोसायटियां जिस तरह से लूटी गईं पांच साल तक यह बड़े शर्म की बात है। माननीय सदस्य ने कटौती प्रस्ताव में ऐसा कुछ नहीं कहा जो हमारे बजट के खिलाफ हो तो कटौती प्रस्ताव को रखने की आवश्यकता ही क्या थी। इसके समर्थन में आपको अपनी बात कह देनी चाहिए थी कि हम बजट का समर्थन करते हैं तो अपने आप बजट पास हो जाता। अधिष्ठाता महोदय मैं को-आपरेटिव सोसायटी में लगातार 20 सालों से हूं को-आपरेटिव बैंक में डायरेक्टर था डी0सी0एम0 में था पी0सी0एम0 में था सब संस्थाएं मैं जानता हूं परन्तु जिस तरह से इन समितियों में पांच साल में लूट हुई थी उससे यह लगता था कि समितियां समाप्त हो जाएंगी। परन्तु हमारे सहकारिता मंत्री जी के हाथ में जिस समय यह बागडोर गई तो जो बीमार सोसायटियां थीं जो सोसायटियां मरने वाली थीं उन सोसायटियों को तीन-तीन लाख रुपया मुफ्त में देकर तीन लाख रुपया उनको अनुदान देकर उनको पुनः जीवित करने का काम किया कि आप तीन लाख की खाद खरीदिए और अपने मेम्बर्स को किसानों को खाद दीजिए। तीन लाख रुपया हमारी सरकार ने दिया सहकारिता मंत्री जी ने बीमार सोसायटियों को तीन लाख देकर उनके बिजनेस को चालू कराया यह हमारे सहकारिता मंत्री जी की देन है। यही नहीं सहकारिता मंत्री जी ने जो काम किया उसके चलते ईमानदारी से कोआपरेटिव के चुनाव हुए पी0सी0एफ0डी0सी0एफ0 के चुनाव हुए पांच साल पहले जब कोआपरेटिव सोसायटियों का चुनाव हुआ था उसमें क्या हुआ था किसी की हिम्मत नहीं थी कि नामिनेशन करा ले पी0सी0एफ0 में चला जाता, डी0सी0एफ0 में चला जाता जो जाता था वह मार खाता था उसका पर्चा छीन लिया जाता था पहली बार हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई झगड़ा नहीं हुआ एक भी अखबार में यह टिप्पणी नहीं छपी कि हमारे सहकारी समिति में कोई बेईमानी हुई। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं मैं इलाहाबाद से आता हूं इलाहाबाद के बैंक की हालत बहुत खराब है बैंक मरा हुआ है आपने उसके लिए आश्वासन दिया है कि उसको बचाने का काम करेंगे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इलाहाबाद का बैंक बचाइए इलाहाबाद में एक जगह है जार्जटाउन जहां पर डी0सी0एफ0 का दफ्तर है दसियों करोड़ की सहकारिता की जमीन है मैं चाहता हूं कि वहां सहकारिता भवन बनवा दिया जाय उसी में बैंक उसी में डी0सी0एफ0 उसी में इफ्को का आफिस और उसी में ए0आर0 और डी0आर0 का आफिस बनवा दिया जाय सहकारिता भवन बन जाएगा तो तमाम जनता और किसान जो जगह-जगह दफ्तरों में घूमते हैं उनके लिए सहकारिता भवन बन जाएगा तो उस सहकारिता भवन में रहने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राजेश त्रिपाठी-

अधिष्ठाता महोदय बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सहकारिता विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं भी किसान हूं और सहकारिता से जुड़ा हुआ हूं, ऐसा नहीं है हो सकता है कि आपको लगता हो। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो सहकारिता का बजट प्रस्तुत किया गया है उस पर भाजपा के नेता श्री अजय मिश्रा जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हमारी तरफ से सहकारिता विभाग के माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव हैं जो मैं रखना चाहता हूं। जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव पर बल

देते हुए अपनी मांगें और सुझाव रखे हैं उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं जितनी भी साधन सहकारी समितियां हैं उनकी स्थिति दयनीय है वह किन कारणों से है, कितने वर्षों से है मैं इस पर न जाते हुए यह कहना चाहता हूं कि उनके भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं और उनको जो खाद और बीज सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं वह अगर उसमें रखा गया और मौसम की मार पड़ी तो पूरा का पूरा चौपट हो जाता है। यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि जर्जर भवनों की मरम्मत हो। इसके साथ ही जो समितियों के सेक्रेटरी हैं उनकी संख्या घट रही है, एक-एक सेक्रेटरी कई-कई समितियों का कार्य देख रहे हैं इससे किसानों को परेशानी हो रही है इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। मान्यवर, जो जिला सहकारी बैंक हैं उनकी दशा इतनी दयनीय है कि जिन किसानों ने अपने पैसे जमा कर रखे हैं, एफ0डी0 जमा कर रखी थी और सोचा था कि 10 साल या 20 साल बाद हमें यह पैसा मिल जायेगा आज वह किसान दर-दर भटक रहा है। ऐसे कई लोग मेरी जानकारी में हैं उदाहरण के लिए मैं देवरिया के रुद्रपुर जिला सहकारी बैंक का जिक्र करना चाहूंगा कि 25 हजार रुपए किसान का वहां एफ0डी0 है और पिछले 15 सालों से वह भटक रहा है कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए। बैंक के कर्मचारी कहते हैं कि पिछले 10 साल से तो मुझे वेतन ही नहीं मिल रहा है हम तुम्हारा पैसा कैसे दे सकते हैं। हमारे यहां यह स्थिति नहीं है कि वह पैसा दे सकें इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे बैंक जो पूरी तरह से डिफाल्टर हो चुके हैं न उनके पास अपने कर्मचारी को वेतन देने के लिए पैसे हैं और न ही उनके पास खाताधारकों द्वारा जमा धन को वापस करने के लिए पैसे हैं, ऐसे बैंकों को सरकार अनुदान दे करके उन्हें जीवित करे और उन किसानों, खाताधारकों जिनके पैसे वहां जमा हैं वह पैसा उन्हें दिलाये जाने की व्यवस्था की जाए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो खाद की उपलब्धता सहकारी समितियों के माध्यम से हुई थी, गोरखपुर जनपद की यदि मैं बात करूं तो पिछली बार भी मैंने सदन को अवगत कराया था कि एक अजीब सा फरमान जारी हुआ था कि सेक्रेटरी अपने पास से स्वयं नगद व्यवस्था ले करके खाद खरीदें और बेचें, इससे बिचौलियों का काफी लाभ हुआ, किसान परेशान हुए। सेक्रेटरी के पास खाद खरीदने के लिए पैसे थे नहीं इसलिए उसने ब्याज पर पैसे लिए, व्यापारियों से पैसे लिए और पैसे ले करके उसने खाद खरीदी और फिर उन्हीं लोगों को वापस कर दिया तथा किसान मारा-मारा फिरता रहा। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जो पहले से व्यवस्था रही, माना कि तमाम समितियां कर्जदार हैं समितियां डिफाल्टर हो चुकी हैं और उनके पैसे किसान वापस नहीं कर रहे हैं, यह बिल्कुल सही है। अगर सरकार की यह नीति रही है कि वह किसानों के ऋण माफ कर रही है तो ग्राम्य विकास बैंक के जो किसानों के पैसे माफ किये गये हैं मेरा सुझाव है कि जिला सहकारी बैंक को भी इसमें शामिल किया जाए। साधन सहकारी समितियों के उन किसानों का, जिन किसानों ने ऋण ले रखा है और वह गरीब हैं वह इतना पैसा इकट्ठा करके नहीं दे पा रहे हैं जिससे कि वह खाद को पुनः वापस ले सकें, खाद को खरीद सकें, बीज ले सकें। ऐसी स्थिति में उन किसानों के ऋण भी माफ किये जाएं ताकि वह सोसाइटियां जीवित हो सकें, उनको आप अनुदान दे सकें और उन सोसाइटियों से किसान पुनः अपने को लाभान्वित कर सकें। गेहूं और धान की जो स्थिति रही है वह गोरखपुर और पूर्वान्चल के क्षेत्र में काफी दयनीय स्थिति रही है, बिचौलिये हमेशा भारी पड़े हैं। इस नाते इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि समितियों के माध्यम से जो क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं उस पर कहीं कोई बिचौलियों को उसका लाभ न मिले।

श्री अधिष्ठाता-

त्रिपाठी जी, समाप्त करिये।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। इसी के साथ श्री अजय मिश्र 'टेनी' द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री वीरपाल राठी-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने सहकारिता विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए मुझे मौका दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, किसानों के लिए जो खाद उपलब्ध होता है, जो किसानों को खाद दिया जाता है वह जुलाई के अन्दर दिया जाता है। इससे पहले सरकार की कोई व्यवस्था नहीं बन पाती और उससे जो पैसा लिया जाता है वह मार्च माह में ही उगाह लिया जाता है। अगर कोई किसान मार्च में पैसा नहीं दे पाता तो ऐसी स्थिति में 10 प्रतिशत ट्रांसफर इण्ट्री के नाम से विभाग के लोग अपने पास से पैसा जमा करके किसानों से 10 प्रतिशत पैसा उगाह लिये जाते हैं। अगर कोई किसान 10 प्रतिशत देगा तो उस पर कितना बोझ पड़ेगा, इस पर ध्यान देने की बात है। को-आपरेटिव मिलों में खाद दिया जाता है 6 माह के लिए, अगर कोई किसान जुलाई में खाद लेता है तो उस पर 6 माह का ब्याज लगता है और जुलाई से पहले कोई किसान खाद लेता है तो उस पर पूरे वर्ष का ब्याज लगता है। मेरा निवेदन है कि को-आपरेटिव सोसाइटी हो या को-आपरेटिव मिल दोनों में एक समानता पैदा करनी चाहिए क्योंकि विभाग तो एक ही है। किसानों को अगर सुविधा देनी है तो यह इस प्रकार से भी दी जा सकती है जैसे कि को-आपरेटिव मिल किसानों को खाद देने में कर रहा है। मान्यवर, जहां तक बीज का सवाल है, हम प्रमाणित बीज देते हैं को-आपरेटिव फैक्टरी से, मैं माननीय मंत्री जी जिन्होंने यहां पर अपना बजट रखा है उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि जितने भी प्रमाणित बीज हैं, आप जांच कराकर देखिये कि किसानों के घर से खरीदकर उसी बीज को को-आपरेटिव सोसाइटियों में रख दिया जाता है, उसी को विभाग के अन्दर रख दिया जाता है। हरियाणा से लोग क्योंकि मेरा जिला हरियाणा से जुड़ा हुआ है और वहां के किसान हरियाणा से तमाम बीज लाते हैं। अगर कोई को-आपरेटिव सोसाइटी से खरीदकर बीज को बोता है तो तरह-तरह का बीज उगता है। इससे साबित होता है कि प्रदेश के अन्दर भ्रष्टाचार है। प्रदेश के अन्दर किसान को कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी जा रही ताकि वह बीज भी प्रदेश के अन्दर से बो सके। मान्यवर, दवाईयों का भी यही हाल है, को-आपरेटिव सोसाइटी से अगर कोई दवाई लेगा तो वह फसलों पर कोई असर नहीं करती है। हरियाणा से अगर वह कीटनाशक दवाई लाता है तो उसको पूरा प्राफिट मिलता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सारा का सारा किसान हरियाणा से दवाई ला रहा है। इससे हमारे प्रदेश के राजस्व की भी हानि है। मान्यवर, यह भी ध्यान देने की बात है और इस पर अगर सरकार यह तय कर ले कि हम खाद, बीज किसानों को अच्छा उपलब्ध करायेंगें तो मैं मानता हूं कि प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। मान्यवर, जहां तक ब्याज का मामला है, भूमि विकास बैंक, उसका हाल देखिये। तमाम किसानों की भूमि बैंकों में गिरवी रखी हुई है और यहां पर हम कहते

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं कि उन्हें सस्ते ब्याज पर पैसा देंगे। एक बार अगर कोई किसान भूमि विकास बैंक की तरफ चला गया तो यह समझ लीजिए की उसकी तमाम भूमि, भूमि विकास बैंक की हो जायेगी, किसान को वापस नहीं मिलेगी। अभी सरकार का मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था और सरकार ने कहा कि हम किसानों के लिए ऋण राहत योजना लाये हैं। प्रदेश के ऐसे किसानों, जिन्होंने अपनी कृषि भूमि को बन्धक रखकर प्रदेश के सहकारी बैंकों से कृषि सम्बन्धी कार्यों हेतु एक निश्चित अधिकतम धनराशि तक ऋण लिया है, और ऋण अदा न कर पाने के कारण उनकी भूमि की नीलामी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2012-13 हेतु अनुदान मद में रु0 9 लाख आय-व्ययक प्राविधान है। 2013-14 हेतु अनुदान मद में रु0 75 लाख का आय-व्ययक प्राविधान प्रस्तावित है।

मान्यवर, एक व्यापारी या कोई भी हो प्रदेश के अन्दर या देश के अन्दर, कार को खरीदता है तो भूमि को मार्टगेज नहीं किया जाता उसके घर चाबी दे जाता है गाड़ी का मालिक, गाड़ी के फर्म के जो मालिक हैं बस उनके पास जाओ और अपना नाम नोट कराओ और अपनी आई0डी0 दो और वहां से कार खरीद लाओ। कार की कीमत 10 लाख, 12 लाख और किसान अगर थोड़ा सा खाद ले ट्रेक्टर ले तो उसकी भूमि को बंधक बना दिया जाता है। कितना बड़ा अन्याय है यह प्रदेश के अन्दर किसानों के साथ कि व्यापारी को तो कार के लिये सीधी चाबी घर पहुंच जाती है कोई भूमि बन्धक नहीं बनाई जाती और एक किसान की भूमि बंधक बना ली जाती है। मेरा अनुरोध है कि जैसे व्यापारियों को कार दी जाती है देश के अन्दर प्रदेश के अन्दर ऐसी व्यवस्था किसानों के लिये ऋण की योजना होनी चाहिए। मान्यवर, जहां तक अभी मेरे कुछ मित्रों ने यहां पर चर्चा की कि बोर्ड होना चाहिए। बोर्ड की कोई सुनता नहीं। जितने भी कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं बैंक की वह सब परसेन्टेज के चक्कर में पड़े रहते हैं। बैंक का चेयरमैन हो चाहे सोसाइटी का चेयमैन हो, तमाम के तमाम चेयरमैन अपना परसेन्टेज बांधे हुए हैं। यह व्यवस्था है लोकतंत्र के शासन में, इसीलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर कोई व्यवस्था करे।

*श्री राधे श्याम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने 2013-2014 के बजट को जो प्रदेश के किसानों के हित में है, रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और हमारे कटौती प्रस्ताव रखने वाले मिश्रा जी ने भी पूरे बजट का कहीं विरोध नहीं किया है, कहीं आलोचना नहीं की है। जब-जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और सहकारिता मंत्री माननीय शिवपाल सिंह यादव होते हैं तो किसान हित में सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाते हैं। 1904 में सहकारिता विभाग का गठन हुआ तब हिन्दुस्तान गुलाम था। गांवों के लोगों को भी विश्वास था सहकारिता पर, गांव के लोगों का विश्वास था साधन सहकारी समितियों पर। चाहे खाद लेने का सवाल हो, चाहे ऋण लेने का सवाल हो, गांव का किसान गांव का गरीब आदमी उस साधन सहकारी समिति तक पहुंचता था और समय से ऋण लेकर, समय से खाद लेकर वह कर्जे के रूप में उसे समय से जमा करता था। आज कारण क्या है कि सहकारी समितियां घाटे में है ? आज कारण क्या है कि सहकारी समितियों से किसानों का विश्वास उठता जा रहा है, इसका दोषी कौन है ? किस के कार्यकाल में किसानों के इस सहकारी समितियों का दमन किया गया ? किसके शासनकाल में को-आपरेटिव बैंकों को घाटे में रखा गया ? हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम पूर्वांचल से चुनकर आते हैं जहां गन्ना किसानों के गन्ने का

दाम भी को-आपरेटिव बैंक में जाता था। आज भी तमाम ऐसे को-आपरेटिव बैंक हैं जिन पर किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है। किसानों का पैसा जो को-आपरेटिव में जमा है वह बकाया है। किसानों का विश्वास था कि को-आपरेटिव बैंक से हम लेन देन करेंगें तो मुझे आसानी से ऋण मिल जायेगा। सहकारिता मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि अगर एल0डी0बी0 बैंक में गांव का किसान पम्पिंग सेट खरीदता है कर्ज के रूप में, ट्रेक्टर खरीदता है कर्ज के रूप में। एल0डी0बी0 बैंक में जो 50 हजार रूपया कर्जा माफी की जो घोषणा हमारी सरकार ने किया है वह किसानों के हित में है। मैं इसके लिये माननीय सहकारिता मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब उन किसानों की तरफ नजर दौड़ाए, आपने सोचा, अगर 16 को-आपरेटिव बैंक हैं, उनमें आपने नौ का उद्धार किया है 6 का उद्धार करने जा रहे हैं। आज देवरिया सहकारी बैंक है जहां आज भी देवरिया और कुशीनगर मिलाकर के, लाखों-लाख रुपया किसानों का उन बैंकों पर बकाया है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो देवरिया में को-आपरेटिव बैंक हैं उसको भी किन्हीं कारणों से इस संकट से उबारा जाए। जो भूमि बंधक रखा गया हैं, जो गरीब किसान हैं उनकी जमीन को अब नीलाम नहीं किया जाएगा यह हमारी सरकार ने घोषणा किया है यह बजट गांव के किसानों के हित में है। यह बजट गांव के गरीब किसानों के विकास के लिए है यह बजट जो है, जो बकाया को-आपरेटिव बैंकों पर, चाहे गन्ना किसान हों या और कोई भी किसान पर देय हो, यह गन्ना किसान के हित में हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं, अभी पिछले पांच साल तक किसी किसान को खाद नहीं मिला, को-आपरेटिव का खाद नहीं मिला आदरणीय तिवारी जी ने कहा कि सचिव लोगों को आदेश हुआ था कि खाद ले आइए, और बांटिए, हम कहना चाहते हैं कि हमने नगद खाद दिया, तो क्या हुआ, खाद तो दिया, कोई ऐसी समिति नहीं है जहां खाद नहीं था। कोई ऐसा चौराहा नहीं है,जहां खुले रूप से किसानों को खाद नहीं दी गई। पहली बार सरकार बनने के बाद 2012-13 के बजट में हमारे मंत्री जी ने प्राविधान दिया कि खाद के लिए किसान को लाठी नहीं खानी पड़ी।

श्री अध्यक्ष-

कृपया संक्षिप्त करें।

श्री राधेश्याम सिंह-

खाद के सवाल पर आज पांच साल तक जो किसान लाठी खाते थे, लाइन लगाकर धूप में खड़े होते थे, उनको लाठियों से मारा जाता था। मुकदमा दर्ज किया जाता था। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि किसानों को ऋण मिले, किसानों को खाद मिले किसानों को समय से जो उनका बकाया देय है धीरे-धीरे जो कर्ज में डूबा हुआ बैंक है हमारी सरकार ने इस बजट में पूरा प्राविधान किया है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री राधेश्याम सिंह-

मान्यवर,आपने सहकारिता के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और मा0 सहकारिता मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

*श्री रामचन्द्र यादव-

मान्यवर, सहकारिता के 2013-14 के बजट के कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता आन्दोलन सैकड़ों वर्ष पुराना आन्दोलन है, किसानों से जुड़ा आन्दोलन है जहां गांव के ऐसे वह काश्तकार जो सबसे कमजोर होते हैं वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, खेती के काम को बढ़ाने के लिए प्रारम्भिक समितियों से समय-समय पर ऋण लेते हैं और उनकी अदायगी भी करते हैं। लेकिन जब-जब इस प्रदेश के अन्दर सहकारिता आन्दोलन को झटका लगा तो उसके पीछे प्रारम्भिक समितियों से ,और उनके काम करने वाले, खासतौर से गांव में जिन समितियों पर कर्जा दिया गया उन पर ऐसे लोगों को लगाया गया, जहां पर काश्तकारों के ऐसे नाम जो उस गांव में नहीं हैं, दूसरे गांव में ढूढंने पर नहीं मिलते हैं, उनके नाम पर भी सहकारी समितियों से पैसा निकाल लेते हैं, दूसरे व्यक्तियों के नाम पर,जो उस गांव के नहीं हैं कृषि यंत्र खरीद लिए गए। आज ऐसी ही फैजाबाद जनपद की बहुत सारी समितियां हैं, जो इन समितियों के कारोबार से,चाहे अमानीगंज समिति हो,चाहे वह खंडासा समिति हो,राजागांव समिति हो इन सारी समिति पर ताले लगे हुए हैं। आज फैजाबाद जिला सहकारी बैंक उन 25 जिला सहकारी बैंकों में है, फैजाबाद जनपद और अम्बेडकर नगर जनपद यह दो जिलों के लिए सहकारी बैंक बना हुआ है। 2 लाख 35 हजार जो वहां के सहकारी समितियों के सदस्य हैं, करीब 1 लाख 30 हजार जो उसके साधारण सदस्य हैं, वह सारे के सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ वहां से जो व्यवस्था दी गई है, वहां पर जो काम देखने वाले लोग हैं, वह घाटा पहुंचा रहे हैं और दूसरी तरफ जो सरकार की ओर से इन्तजाम होना चाहिए था, उसमें भी 16 बैंकों में फैजाबाद बाकी रह गया। आज फैजाबाद बैंक के 300 कर्मचारी, मान्यवर, हमने आपके संज्ञान में डाला 2 लाख 35 हजार और 1 लाख 30 हजार उसके साधारण सदस्य, जब उस बैंक में व्यवस्था नहीं रही कि वहां से उनको ऋण मिले, उनके खाते खोले जायें, इस पर जब प्रतिबन्ध लगना शुरू हुआ तो पूरे जनपद में हाहाकार मचा। इसको मैं आज इस बजट के कटौती प्रस्ताव के अवसर पर आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो फैजाबाद जिला सहकारी बैंक है, जिसका लाइसेंस अभी तक नहीं मिल पाया है, जो बैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र से जो अंश मिलना चाहिए था, वह अभी तक नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि फैजाबाद जिला सहकारी बैंक को जैसे अब तक उसका संचालन किया गया है, उस फैजाबाद जिला सहकारी बैंक को भी वित्तीय सहायता दी जाए, उसका संचालन किया जाए। इतनी ही बात कहते हुए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री राम लाल अकेला-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने सहकारिता विभाग के बजट पर जो हमारे माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, पूरा प्रदेश जानता है कि सहकारिता आन्दोलन की जड़ें पूरे उत्तर प्रदेश में गांव, गरीब और किसानों से जुड़ी हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय-विक्रय समितियों के माध्यम से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संघों के माध्यम से, तमाम तरीके से सहकारी आन्दोलन किसानों को सहायता पहुंचाने का काम करता है और मैं बधाई देना चाहता हूं, अपने माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को जो सहकारिता विभाग के मंत्री बनने के बाद, उसके पहले पूरे उत्तर प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को पूर्ववर्ती सरकार ने कुचलने का काम किया था। सहकारी समितियों से लेकर, अध्यक्षों के चुनाव तक पूरी तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की थी, शायद उदाहरण में ऐसा काला अध्याय देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी किसान को, किसी भी सदस्य को पर्चा तक दाखिल करने का अवसर नहीं प्रदान किया गया और मैं तो स्वयं गवाह हूं, माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे निर्वाचन क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत एक उम्मीदवार पर्चा दाखिल करना चाहता था, तहसीलदार को रोक दिया गया कि आप उसका जाति प्रमाण-पत्र जारी करने का काम किसी कीमत पर नहीं कर सकते। पूरी तरीके से जो सहकारिता आन्दोलन था, उस लोकतंत्र को कुचला लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं, अपने माननीय मंत्री जी को कि आपने जो चुनाव कराया और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि इस बार के चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष कराये गए, बगैर किसी जोर दबाव के कराये गए और जिनको जनता ने चुना है, वही सहकारी बैंकों में, समितियों में चाहे अध्यक्ष बन कर आये हों, चाहे डायरेक्टर बन कर आये हों, पूरी तरीके से मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। हमारे माननीय मंत्री जी ने जब से हमारी सरकार बनी है, सहकारिता के माध्यम से किसान, सारे हमारे साथी जानते हैं, तिवारी जी, वरिष्ठ सदस्य हैं, साथी हैं, बोल रहे थे। लेकिन याद है आपके जमाने में एक-एक बोरी खाद के लिए आपने किसान के पीठ व सर पर लाठियां बरसाने का काम किया है। वह काला अध्याय उत्तर प्रदेश के किसानों ने देखा है लेकिन माननीय श्री अखिलेश यादव जी और माननीय श्री शिवपाल सिंह जी के सत्ता संभालने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में पता कर लो किसानों को खाद के लिए कहीं लाइन लगाने का काम नहीं करना पड़ा। किसानों को उनकी सुविधा के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराने का काम किया है।

मान्यवर, सरकार ने पैक्स के माध्यम से किसानों को 3 प्रतिशत की दर पर ऋण उपलब्ध कराने की जो योजना बनायी है उससे जो गरीब किसान है वह अपने संसाधनों को बढ़ा सकेगा इसके लिए माननीय मंत्री जी ने जो अपने बजट में व्यवस्था की है उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। और यह कहना चाहता हूं कि सहकारिता का आन्दोलन सहकारी समितियां और इनके क्रय विक्रय के जो भवन हैं इनका 20-25 वर्ष पहले निर्माण हुआ था लेकिन जब हमने पुस्तिका पढ़ी तो उसमें प्रावधान है कि क्रय विक्रय के जो पुराने भवन जर्जर हो चुके हैं उसकी मरम्मत की तरफ मा0 मंत्री जी ने ध्यान देने का काम किया है। इसी तरह से जो समितियों के भवन है जहां किसानों के गेहूं या धान की खरीद होती है वह भवन जर्जर होंगे तो वहां पर रखी जाने वाली फसल के खराब होने की आशंका बनी रहती है। हमारे मंत्री जी ने एक-एक बात पर गौर करके इस बजट को बनाने का काम किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 मुलायम सिंह यादव जी का सहकारिता से गहरा रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा था कि सहकारिता को मजबूती तभी दी जा सकती है जब एक-एक गांव में किसानों को सहकारिता के महत्व के बारे में बताने का काम किया जाएगा। हमारे वर्तमान सहकारिता मंत्री जी ने नेता जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए सहकारिता की जड़ों को मजबूत करने का काम किया है और सहकारिता के अन्दर लोकतंत्र को जिंदा करके उन्होंने दिखाने का काम किया है। हम लोगों ने भी कोई बात कही

तो उन्होंने साफ कहा है कि हमारे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव के चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष कराने का काम किया जाएगा। इसलिए मा0 मंत्री जी ने जो बजट यहां पर रखा है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मा0 मंत्री जी के नेतृत्व में चाहे खाद, बीज या ऋण हो इन सारी सुविधाओं से उत्तर प्रदेश के किसान की माली हालत में उसका जीवन स्तर ऊंचा उठाने में हमारी सरकार कामयाब होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

*श्री रवि शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से पूरा उत्तर प्रदेश सहकारिता के उद्देश्य से ही भटक गया लगता है। सहकारिता की राह पकड़कर इस देश के कई प्रांतों में वहां रहने वाले गरीब किसानों ने बड़ी तरक्की की है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार में देखने में आता है कि जब यह वहां पर होते हैं तो यह वही रास्ता चलते हैं और आज जो लोग वहां पर विराजमान हैं उसी रास्ते पर ही निश्चित रूप से वह लोग चल रहे हैं। ए0आर0 और डी0आर0 जिलों में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, मैं बुन्देलखण्ड के झांसी विधान सभा से आता हूं। वहां पर जिस तरीके से किसानों का खून चूसने का खुला खेल चल रहा है, एजेण्टों के माध्यम से किसानों का जो समर्थन मूल्य है, उसे नहीं दिया जा रहा है। वहां पर कांटे अपने लोगों के लगवा कर के पी0सी0एफ0 और नैफेड के जो कांटे हैं, उस पर अभी-अभी की बात है, उड़द खरीद में समर्थन मूल्य है 4300 रूपये, लेकिन वहां पर किसानों से 2800 से 3000 रुपये में उड़द खरीदने का काम किया जा रहा है। यह बिचौलियों को बढ़ावा देना नहीं तो और क्या है। मान्यवर, इस तरीके के जो प्रकरण हैं, मैं चाहता हूं इस सदन के माध्यम से कि इनकी जांच की जाय और बिचौलियों को बीच से हटाया जाय, धन्यवाद।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी बजट पर बहुत अच्छी चर्चा हुई, पक्ष और विपक्ष के बहुत सारे सदस्यों ने अपने विचारों को रखा और सबका एक उद्देश्य था कि कैसे यह सहकारिता आन्दोलन मजबूत हो, उसमें अपनी-अपनी तरफ से सभी लोगों ने अपनी राय रखी, बहुत अच्छे विचार इसमें आये। अभी हमारे सत्ता पक्ष के एक साथी ने चुनाव के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए कहा कि अब की बार बहुत अच्छे ढंग से चुनाव हो गये। बसपा के समय में बहुत धांधली हुई थी। बसपा के समय में धांधली हुई थी, इसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन इस बार चुनाव बहुत अच्छे ढंग से या लोकतांत्रिक ढंग से सम्पन्न हुए, ऐसा नहीं है। चुनाव के बारे में पता ही नहीं चला कई जगह मान्यवर, मेरा आलोचना करने का उद्देश्य नहीं है, इससे लोगों में अरूचि पैदा हो रही है। यह जो लोकतांत्रित व्यवस्था है कि सहकारिता के क्षेत्र में लोग चुनाव लड़ कर आयें। लोगों को पहले से लगता है कि अरे यार उनकी सरकार है, ऐसा आपने और बसपा ने मिलजुल कर के बना दिया है।

श्री राम लाल अकेला-

ऐसा नहीं है, जिस तरीके से पहले चुनाव हुए, लखनऊ के दफ्तरों में कोई भी आदमी अगर पर्चा खरीदना चाहता था, तो पूरी तरीके से पीएसी की घेराबन्दी कर दी गई थी, कोई वहां पर्चा नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खरीद सकता था और हम लोग तो नीचे स्तर पर चुनाव देखे हैं कि जिस तरीके से इवेनदेन आपको बतायें कि हम लोगों ने भी अगर कोई दबाव मंत्री जी पर डाला तो मंत्री जी ने कहा, नहीं, हम नहीं सुनेंगे, निष्पक्ष चुनाव करायेंगें। तो इस पर तो आपको बधाई देनी चाहिए कि पहली बार उत्तर प्रदेश में को-आपरेटिव के चुनाव एकदम निष्पक्ष तरीके से कराने का काम किया गया है।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मैं जो बात कह रहा हूं, उस बात को समझें, वास्तविकता यह है कि इसमें लोकतंत्र बहुत पारदर्शी और अच्छे ढंग से होना चाहिए, लेकिन जैसी परिस्थितियां बनती जा रही हैं, उससे आप देखें कि लोगों की इन चुनावों के प्रति अरुचि होती जा रही है। यह हमारे आपके लिए भी ठीक नहीं है और लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इनमें कुछ न कुछ ऐसे सुधार होने चाहिए, जिससे लोग इसमें अधिक से अधिक सहभागिता करें और सहकारिता आन्दोलन को मजबूत करने का काम करें। मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए केवल 5-6 बातें चूंकि मा0 मंत्री जी आ गये हैं, उन्हीं बातों को दोहरा कर के अपनी बात को समाप्त करूंगा, बाकी हमने आपसे बातें कही थीं, उसमें एक तो यह चाहता हूं कि चुनाव में पारदर्शिता हो और लोगों की सहभागिता बढ़े। दूसरा, बोर्ड मजबूत और सुयोग्य चुने जांय, चुनाव के माध्यम से ऐसी व्यवस्थायें हों। तीसरा, यह है कि जो हमारी प्राइमरीज सोसाइटीज हैं, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अधिक से अधिक वह किया जाय। चौथा जो सोसाइटीज का आडिट होता है, वह सी0ए0 के द्वारा कराया जाय। पांचवा, सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त किया जाय, कम से कम सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से इसको करें, जितना कम कर सकें, उतना उसको किया जाय। छठवां हमारा जो सुझाव है वह यह है कि जो ब्याज के रूप में अनुदान केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार देती है, उसके बारे में मेरा यह कहना है कि सोसाइटी से केवल 3 प्रतिशत जमा कराया जाय, जो किसान से मिलता है, जो आपको अनुदान देना है, वह आप चाहे बाद में दें या पहले दें, वह सीधे-सीधे जिला सहकारी बैंकों के एकाउण्ट में दे दें। पहले बाध्यता न की जाय कि 10.7 प्रतिशत आपको पहले जमा करना पड़ेगा और एक सुझाव हमारा यह है कि प्रदेश सरकार प्राइमरी सोसाइटियों में कुछ न कुछ अनुदान निश्चित कर दे। खाद, बीज, यंत्र, कीटनाशक की आपूर्ति प्रदेश सरकार स्वयं अपने हाथ में ले, जिससे गुणवत्ता इसकी ठीक हो, इसमें कमीशनबाजी समाप्त हो। आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उनके साथ-साथ जो एक दबाव बनाया जाता है, इसको तो खैर हम लोग प्राइमरी स्टेज पर स्वयं देखेंगे। इसको तो खैर हम लोग स्वयं प्राइमरी स्टेज पर देखेंगे कि एम0डी0 वगैरह दबाव न बना पायें। बीमार सोसाइटीज सर्वाइव करें उसके लिये कुछ न कुछ ऐसे विशेष पैकेज दें। वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिश पूरी तरीके से लागू हो जायें। यह अगर आप कर देंगे तो एक बहुत बड़ी सफलता सहकारिता के आन्दोलन में हम लोगों को मिलेगी। अभी हमारे एक साथी राम चन्द्र यादव जी ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक की बात की, उसको लाइसेंस शीघ्र मिल जाये और जो उनको केन्द्रीय वित्तीय अंश मिलना है, वह भी शीघ्र प्राप्त हो जाये। दूसरा हमारे एक झांसी के साथी ने एक प्रश्न उठाया है कि जो हमारे पी0सी0एफ0 वगैरह के सेण्टर चल रहे हैं उसमें उरद की खरीद हो रही है। वह बाजार मूल्य पर खरीद खरीदी जा रही है। उसकी खरीद रु0 3000 से 3200 रुपये प्रति कुण्टल के दाम पर की जा रही है और भुगतान उसमें 4300 रुपये जो समर्थन मूल्य है उसके अनुसार लिया जा रहा है। ये कुछ हमारे सुझाव हैं। इसके साथ

साथ मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर हम इन सब चीजों को लागू कर देंगे तो निश्चित रूप से सहकारिता आंदोलन भी मजबूत होगा।

(सत्ता पक्ष की ओर से यह कहने पर कि कटौती तो वापस ले रहे हैं।)

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

पहले पूरा बोल तो लें। पूरा बोल लें कि नहीं। हम तो वापस ले लेते, हमको कोई समस्या नहीं है। हमारा यह कहना है कि जो कमजोर और निर्बल वर्ग है, वह हमारे समाज की मुख्य धारा से जुड़े और उनका भी सामाजिक स्तर उठे। इसके लिये हम सहकारी आंदोलन के माध्यम से काम कर रहे हैं। इन सुझावों को आप शामिल कर लें और आप सुझाव शामिल कर लेंगे तो हो सकता है कि हम कटौती प्रस्ताव वापस ले लें। आप पहले शामिल कर लें तो हम वापस ले लेंगे। मान्यवर, मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैंने पहले ही कहा कि ये सहकारिता आंदोलन सहकारी आंदोलन है और ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है क्योंकि यह किसान और गरीब लोगों के लिये चलाया गया है। आजादी के बाद जब 1965 में इसका अधिनियम बना। अधिनियम बनने के बाद इस सहकारिता आंदोलन में बहुत अच्छे लोग सहकारिता मंत्री के रूप में रहे। उन्होंने समय-समय पर बहुत अच्छे परिवर्तन भी किये इस सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिये और इस सहकारिता आंदोलन में बीच बीच में बहुत गिरावटें भी आयीं। उसकी वजह से बहुत दिक्कतें भी आयीं। इसका सरकारीकरण भी हुआ और जब जब सरकारीकरण हुआ है तब तब इस सहकारी आंदोलन को बहुत बड़ा झटका लगा है। उसकी वजह से जो सहकारी समितियां हैं उनकी स्थिति बहुत खराब हुयी, जब जब प्रशासनिक व्यवस्था हुयी। जब जब जनता के चुने हुये लोग इस आंदोलन में आये तब ये सहकारिता आंदोलन बहुत बढ़ा और फला-फूला है। मान्यवर, हमने तो बीच बीच में बहुत सुधार भी किये। आपने देखा कि एक साल पहले क्या हालत रही थी। समितियों पर यूरिया बोरी नहीं मिल रही थी। डी0ए0पी0 का तो पता ही नहीं था। लेकिन जब हमारी सरकार आयी तो कहीं पर भी यूरिया खाद की कमी नहीं पड़ी। यहां तक कि डी0ए0पी0 खाद की कमी नहीं पड़ी। मान्यवर, यहीं तक नहीं, आपको पता है कि हमने तो पहले ही एडवांस में ही खाद खरीदवा ली थी जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के किसानों को लगभग 400 करोड़ का फायदा हुआ है और आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी खाद की कमी नहीं है। हमारे पास एडवांस में है। आज भी एडवांस में है, यूरिया भी, फास्फेट भी। कहीं पर भी कमी नहीं है और जहां तक किसानों के कर्जे का सवाल है। आपको पता है, मा0 सदस्य जी को भी पता है कि जब हमारे नेता जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो किसानों के 10 हजार रुपये के कर्जे सभी किसानों के माफ किये गये थे और आपको पता होना चाहिए इस प्रदेश की मैं तारीफ करना चाहता हूं कि स्व0 लक्ष्मी शंकर यादव जी की, उन्होंने भी इस सहकारिता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे, उसके बाद जब 1977 में नेता जी जब मुख्य मंत्री बने थे, तब ही असली रूप प्रजातांत्रिक स्वरूप इस सहकारिता आंदोलन को तभी मिला था, उससे पहले जो सोसाइटी के सदस्य, सचिव हुआ करते थे, पूरा को-आपरेटिव विभाग उनके थैले में रहता था। 1977

से लेकर 1980 तक जब तक जनता पार्टी की सरकार रही थी, तभी यह सहकारिता आंदोलन को प्रजातांत्रिक स्वरूप मिला था, उसके बाद कई बार हम लोगों ने तो पहले भी इसका समय 5 साल रखा था और अधिष्ठाता महोदय, मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरा प्रयास है कि इसी सत्र में फिर से मैं विधेयक लाना चाहता हूं, 5 साल करने का विधेयक लाना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट) सही समय से सही जनता के चुने हुए लोग इसमें भाग लें, अच्छे लोग इसमें भाग लें और अच्छे पदों पर ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ, इस आंदोलन में भाग लें। इस आंदोलन के पीछे जो मूल उद्देश्य हम लोगों का है, गरीब, बेसहारे जो किसान हैं, उनके लिए हम लोग तो यहां तक परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो किसान हैं, जो बेचारे अपनी मेहनत से और जो बेसहारा लोग हैं, इनको कम से कम उनकी फसल का, उनकी मेहनत का, सही से फल मिले। उस ओर इस आंदोलन को ले जाना चाहते हैं कि उनकी फसल का लाभकारी मूल्य उन्हें मिले। किसानों को समय से खाद, बीज मिले, इस आंदोलन को हम इस ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि इस उत्तर प्रदेश के 75 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं, किसानी पर निर्भर हैं और वे लोग जो मेहनत करते हैं, आज वे सबसे ज्यादा गरीब हैं, बेसहारे हैं। इसलिए मान्यवर, हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मा0 अधिष्ठाता महोदय, जब तक इस प्रदेश का किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग इस आंदोलन को एक सहकारी आंदोलन, जो गरीब से लेकर और पारदर्शिता के साथ इस आंदोलन में भाग लें और समय-समय पर हम आश्वासन देना चाहते हैं कि इस आंदोलन में जो गरीब-से-गरीब भाग लेंगे, उनको पारदर्शिता के साथ और हमारा सरकार का प्रयास होगा जैसे-जैसे हम संसाधन जुटा लेंगे, वित्तीय संसाधन जुटा लेंगे, तो शेष जो बचे हुए लोग हैं, जो जिला सहकारी बैंक और हमारी समितियों के जो मेम्बर हैं उनका भी हम बचाव करेंगे, उनको भी एक श्रेणी में लाएंगे, जो कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं और जो बैद्यनाथन कमेटी की, जो संस्तुतियां हैं जो 922 करोड़ रुपये मुझे केन्द्र सरकार से मिलना है, उस पर भी हमारा प्रयास आगे बढ़े और ये जो 16 बैंकें हैं, बन्द होने के कगार पर है, फिर से उन्हें रिर्जव बैंक का लाइसेंस मिले, यह हमारी सरकार की भरोसा है कि हम इन 16 बैंकों को चला करके इस सहकारी आंदोलन को पुनः जीवित करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मुझे भरोसा है कि जो सदस्य जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, वापस ले लें और इसे पास कर दें।

(मा0 नेता लोकदल, श्री दलवीर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

अब मा0 मंत्री जी के बोलने के बाद आप क्या बोलेंगे। मा0 नेता लोक दल जी, जब मा0 मंत्री जी बोल चुके हैं, कटौती प्रस्ताव पर मतदान होना है, तब आप क्या बोलेंगे ?

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अधिष्ठाता जी मैं, कार्य-मंत्रणा में चला गया था, मा0 मंत्री जी से मेरी बात हुई है, दो-एक सुझाव हैं, मान्यवर, मेरे पास।

श्री अधिष्ठाता-

तो आपको रहना चाहिए था।

श्री दलवीर सिंह-

मुझे पता है, नियम का भी पता है, मैंने वहां मंत्री जी से बात कर ली थी।

(इस समय 2 बजकर 34 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, प्रदेश में जितने भी सोसाइटी के कार्यालय हैं जो पुराने हैं वह काफी जर्जर हैं। आपके विभाग की ओर से उनके भवन निर्माण की मदद हो जायेगी तो उपयुक्त होगा। इसी तरह से जो नयी सोसाइटी बनी हैं उनके भवन निर्माण के लिए आपकी तरफ से व्यवस्था हो जाय तो उपयुक्त होगा। मान्यवर, जो क्रय केन्द्र हैं वह सोसाइटी के पास रहने चाहिए। एक जीओ हो गया है कि वह 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होंगे जबकि जो क्रय केन्द्र हैं वह कहीं-कहीं पर 2-1 किलोमीटर पर है। इसलिए इस व्यवस्था को बनाये रखा जाये। क्योंकि इससे किसानों को बहुत राहत मिलती है। उनके बकाये का भुगतान हो जाता है और अपना गेहूं भी आकर बेच लेते हैं। मान्यवर पिछली बी0एस0पी0 सरकार में सहकारिता के चुनाव हुए थे एन0एस0एस0 और सहकारी बैंकों में सभी में हुए बिल्कुल फर्जी हुए थे। हमारे यहां अलीगढ़ में एक हैं आप सब लोग जानते हैं वह बहुत बड़े सहकारिता के माफिया हैं उन्होंने बैंक की सारी सम्पत्ति को बेंच डाला है। जब जांच हुई तो उसमें भी लीपापोती हो गयी और यह कलाकारी हो गयी कि उन्होंने ए0आर0 को उसमें फंसवा दिया और खुद बच गये। मान्यवर, वह व्यक्ति कभी किसी के डायरेक्टर बन जाते हैं कभी किसी पद पर काबिज हो जाते हैं। मंत्री जी भलीभांति जानते हैं। अधिकारियों को सब पता है। आप उनकी जांच करायें और जो गलत ढंग से सम्पत्ति बेंची गयी है उसकी जांच करायी जाये।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं सुझाव दिये हैं उसकी जांच करायी जायेगी और उसमें कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री दलवीर सिंह-

मैं आभारी हूं कि आपने जांच के आदेश दिये हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8 (1) के अधीन सम्पूर्ण मांग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10,36,52,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर एक अनुरोध है कि मद संख्या 8 4 पहले ले लें क्योंकि इसे माननीय सहकारिता मंत्री जी को ही प्रस्तुत करना है।

[2.37 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास तथा जल संसाधन)

*लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग भूमि विकास एवं जल संसाधन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,08,59,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, भूमि विकास एवं जल संशाधन विभाग का गठन वर्ष 1998-99 में किया गया। विभाग का मुख्य कार्य वृह्द एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु विभिन्न सिंचाई प्रणालियों में उपलब्ध जल का प्रबन्धन कर सृजित सिंचन क्षमता का अधिकतम उपयोग करना है। विभाग द्वारा जल संग्रहण क्षेत्रों में भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, वनीकरण, उद्यानीकरण, सामुदायिक संगठन प्रशिक्षण के द्वारा लाभार्थियों के आर्थिक उन्नयन के लिए कार्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240.93 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 165.62 लाख हेक्टेयर कृषि अन्तर्गत है, जिसके सापेक्ष 134.35 लाख हेक्टेयर वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल है।

सृजित सिंचाई क्षमता का वैज्ञानिक ढ़ंग से अधिकतम उपयोग करते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रदेश में तीन समादेश क्षेत्र विकास परियोजनाओं को 1973-74 में प्रारम्भ किया गया था 1-शारदा सहायक 2-राम गंगा कमाण्ड 3-गण्डक। गण्डक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त 1990 में बन्द कर दी गयी। इन परियोजनाओं का वित्त पोषण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में किया जाता था, जिसे वर्ष 2004-05 से केन्द्र सरकार राज्य सरकार व कृषक अंश क्रमशः अनुपात 50:40:10 कर दिया गया है।

शारदा सहायक समादेश के अन्तर्गत प्रारम्भ से लेकर अभी तक 40.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल परियोजना क्षेत्रफल के रूप में घोषित किया गया है, जिसके सापेक्ष 26.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित किया जा चुका है तथा 13.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल अवशेष है। रामगंगा कमाण्ड समादेश के अन्तर्गत प्रारम्भ से लेकर अभी तक 43.42 लाख हेक्टेयर परियोजना क्षेत्रफल घोषित किया गया, जिसके सापेक्ष 30.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित किया जा चुका है तथा 12.79 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल अवशेष है। गंडक परियोजना के अन्तर्गत 3.95 लाख हेक्टेयर परियोजना क्षेत्रफल के सापेक्ष पूर्ण क्षेत्रफल 3.95 लाख हेक्टेयर आच्छादित किया जा चुका है।

इस प्रकार उपर्युक्त तीनों समादेश के अन्तर्गत 87.67 लाख हेक्टेयर परियोजना क्षेत्रफल घोषित किया गया है, जिसके सापेक्ष 61.10 लाख हेक्टेयर आच्छादित किया जा चुका है तथा 26.57 लाख हेक्टेयर अवशेष क्षेत्र है।

भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्य रूप से वर्तमान में दो परियोजनायें संचालित हैं- 1-समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम 2-समेकित जल प्रबन्धन कार्यक्रम।

(1) समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई प्रणालियों में उपलब्ध जल के बेहतर उपयोग की व्यवस्था की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत पक्की गूल, कच्ची गूल, जल निकास नाली एवं अन्य जल वितरण संरचनायें निर्मित की जाती हैं।

वर्ष 2012-13 में इस परियोजना के अन्तर्गत 280 करोड़ के आय-व्ययक का प्राविधान रहा, जिसके सापेक्ष माह-दिसम्बर, 2012 तक 195.90 करोड़ की उपलब्धता थी, जिसमें 139.31 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी। योजना अन्तर्गत 640 कि0मी0 पक्की गूल लगभग 4000 कि0मी0 कच्ची गूल व 47 किलोमीटर जल निकास नाली तथा 3077 संरचनायें निर्मित करते हुए 65510 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रक्षेत्र विकास कार्य कराये गये। उक्त कार्य में 9.70 लाख रोजगार दिवस सृजित हुए।

वर्ष 2013-14 में 02 लाख हेक्टेयर प्रक्षेत्र के विकास का लक्ष्य रखा गया है जिसके सापेक्ष 300 करोड़ की धनराशि कार्य मद एवं अधिष्ठान मद हेतु प्रस्तावित है। उपरोक्त कार्य में 15 लाख मानव दिवस सृजित होंगे।

समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम का संचालन भारत सरकार द्वारा निर्गत कामन गाइडलाइंस 2008 (यथा संशोधित 2011) के तहत किया जा रहा है। इस योजना का वित्त पोषण भारत सरकार व राज्य सरकार के मध्य 90-10 अनुपात में किया जाता है। वर्ष 2012-13 के माह दिसम्बर तक भारत सरकार द्वारा गठित स्टेयरिंग कमेटी द्वारा 471 परियोजनाओं में 23.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 2786.49 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2012-13 तक विभाग के पास उपलब्ध 359.72 करोड़ के सापेक्ष 240.32 करोड़ की धनराशि व्यय कर डी0पी0आर0 निर्माण, 11593 आस्था मूलक कार्य, 206177 लाभार्थियों का प्रशिक्षण, 142022 हेक्टेयर क्षेत्र को उपचारित करते हुये 34.34 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है। वर्ष 2012-13 में 25.15 करोड़ बजट प्राविधान के सापेक्ष 15.14 करोड़ की धनराशि निर्गत की जा चुकी है तथा माह दिसम्बर 2012 तक 2.16 करोड़ का व्यय हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 15.15 करोड़ का परिव्यय निर्धारित है।

इस प्रकार विभाग द्वारा सिंचित क्षेत्र तथा असिंचित क्षेत्र दोनों में ही कार्य करते हुये कृषि उत्पादकता को बढ़ाने तथा कृषक एवं प्रक्षेत्र में आवासित परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु कार्य किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

यह कट मोशन आप रखेंगे क्योंकि लिखकर नहीं आया है। कौन रखेगा, यह तय कर लें।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं रखूंगा। मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। इस बारे में बहुत सारे सम्मानित सदस्यों से मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमें यह विभाग ही नहीं मालूम। मैं सच बता रहा हूं, मैं सबके लिये नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत से माननीय सदस्य ऐसे थे। मान्यवर, तीन अरब से ज्यादा अनुदान राशि इसके अन्तर्गत मांगी गयी है। मैं कहता हूं कि अगर पूरे का पूरा सिस्टम ठीक है लेकिन स्विच खराब है तो पूरा सिस्टम चालू ही नहीं हो सकता, अगर यह विभाग सही तरीके से काम न करे तो सारी सिंचाई परियोजनायें बेकार हैं, सारे का सारा कृषि प्रबन्धन बेकार है, सारा सिस्टम बेकार है, अगर इसकी तरफ सही तरीके से ध्यान न दिया जाये। मान्यवर, सिंचाई के लिये नहर में पानी नहीं जाता था, अब नहर में पानी जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मान्यवर, सिंचाई में जो पानी जा रहा है, विगत कई वर्षों से जब पानी नहीं गया था तो जो उसकी नालियां हैं, वह सारी की सारी जाम हो गयी और खत्म हो गयीं। माननीय मंत्री जी जो मैनें कहा था मैं वहीं तक सुझाव रूप में अपने आपको सीमित रखूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि नहर में पानी जा रहा है, अब खेतों तक पानी गया तो नहर के किनारे खेत वाले डाल लें या उससे थोड़ी दूर जो नहर के किनारे नालियों का निर्माण करना था इस विभाग के द्वारा, वह कदाचित् कई वर्षो से निर्माण किया ही नहीं गया। पर अब अगर निर्माण की बात आती है और आप उसकी चिन्ता करेंगे तो जब तक उन नालियों का निर्माण होकर प्रत्येक क्षेत्र के सिंचित असिंचित क्षेत्र में पानी नही जाता, तब तक मान्यवर, पूरे का पूरा दिया गया पैसा बेकार है। आपने मान्यवर, इसमें बताया कि शारदा सहायक समादेश परियोजना के अन्तर्गत कितना क्षेत्रफल है, कितना सिंचित है, कितना रोजगार वहां पर दिया गया, यह सब आपने बता दिया, मैं इसलिये रिपोर्ट को पढ़ रहा हूं जो कि सरकार के द्वारा दी गयी है, सहायक शारदा नहर प्रणाली के अन्तर्गत जो परियोजना क्षेत्रफल था, वह 3 लाख 30 हजार हेक्टेयर था, उसमें सिंचाई कितनी हुयी 0.46 लगभग 10 प्रतिशत। सरयू नहर प्रणाली के अन्तर्गत 2.8 लाख हेक्टेएयर के सापेक्ष 0.263 सिंचाई हुई यानी 10 प्रतिशत भी नहीं। मान्यवर, जब हम सिंचाई के लिए पानी दे रहे हें हमारे पास उपलब्धता है हम उसके लिए सीरियस हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहर से पानी आकर टेल तक चला जाय। पानी आ रहा है यह अच्छी बात है अगर कोई अच्छी बात हो तो उसकी तारीफ करने में गुरेज नहीं करना चाहिए लेकिन उसका लाभ क्या है जब तक नाले के माध्यम से किसान के पास पानी नहीं पहुंचे। मान्यवर, भूमि संरक्षण और भूमि का विकास कैसे करेंगे जब तक पानी नहीं होगा इसके साथ साथ जल संसाधन विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग है विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से विभिन्न नियमों के माध्यम से इस विधान सभा के अन्दर इस पर कई बार चर्चा होती है आज भी सवेरे हुई है। अण्डर ग्राउण्ड वाटर दूषित हो रहा है सरफेस वाटर को संभालने के लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है। हमारे पास कोई साधन नहीं है। हैण्डपम्पों के बारे में सुबह चर्चा हुई कि पहला स्टेटा भी खराब है दूसरा स्टेटा भी खराब है और तीसरा स्टेटा भी खराब है। क्योंकि इसे प्रकृति ने बनाया है ओर प्रकृति ने पारा डाल दिया तो पारा हटाया भी नहीं जा सकता है मान्यवर, जल संसाधन एक बहुत बड़ी समस्या है और मैं सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा क्योंकि यह समस्याएं साल भर के अन्दर खड़ी नहीं हुई हैं क्योंकि सरकारें तो लगातार चलने वाली अनवरत प्रक्रियाएं हैं व्यक्ति सरकार

में कोई भी बैठ सकता है। कल कोई था आज कोई है कल कौन होगा भगवान जाने। मान्यवर, वर्षा सिंचित क्षेत्र की पूरी जानकारी कर लें, क्षेत्र में जल की कमी, भूजल स्तर में तेजी से गिरावट कमजोर परिस्थितीय प्रणाली का पता चलता है। अगर पानी का हम संरक्षण नहीं कर पाएंगे हम उसको बचा नहीं पाएंगे तब तक समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जल का संरक्षण सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सरफेस वाटर का हम किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं जो पोखरे हैं जो तालाब हैं जहां पर पानी जमा होता है लेकिन जिन पर कब्जे हो गए हैं वहां पर लोगों ने बना लिया है। जिस दिन हमने विधान सभा में यह सवाल उठाया था जिस पर संसदीय कार्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया था और कहा था कि इसको करेंगे। तो जहां पर मेरा सहायक रहता है तो उसने मुझे दो तीन दिन बाद बताया कि सर आपने कुछ पोखरों के बारे में बताया था तालाबों के बारे में तो मैंने कहा कि हां मैने बताया था तो उसने बताया कि मुझे गांव से टेलीफोन आया था कि तुम्हारे विधायक जी हैं जिनके साथ तुम चलते हो वह हमारा विरोध कर रहे हैं तो मैंने कहा कि मुझे पता नहीं कि तुम कहां रहते हो और कहां मैं विरोध कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैंने क्या विरोध कर दिया तो उसने बताया कि आपने यह कहा कि नालों के ऊपर, तालाबों के ऊपर और पोखरों के ऊपर से अतिक्रमण हटा लिया जाय तो बताइए हम तालाब के किनारे बसे हुए हैं हम कहां जाएं कुछ लोगों के हित के लिए पूरे का पूरा सिस्टम हम खराब कर रहे हैं पूरी की पूरी जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसको हम खराब कर रहे हैं। इसके ऊपर माननीय न्यायालयों ने भी संज्ञान लिया माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस पर बड़े स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि तालाबों के ऊपर से पोखरों के ऊपर से अतिक्रमण हटाया जाय। जब तक तालाब की तलहटी साफ नहीं की जाएगी गंदगी साफ नहीं की जाएगी तब तक दिक्कत आएगी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा जहां तक यह नहरें जाती हैं जैसा कि मैंने पहले कहा कि नहरों के पानी को संरक्षित करना जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह एक विभाग का कार्यक्रम नहीं है इसमें से कई विभागों का आपस में जब तक समन्वय नहीं होता जल संरक्षण के लिए जो समिति बनाते हैं। इस समिति में सिंचाई विभाग प्रमुख रूप से केन्द्रीय जल आयोग केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् भारतीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के नामित प्रतिनिधि मान्यवर, यह सारे के सारे इम्पार्टेंट डिपार्टमेंट हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो महत्वपूर्ण न हो तो जब सारे के सारे महत्वपूर्ण विभाग मिलकर उसके बारे में चर्चा करते हैं तो इसका मतलब है कि उस विभाग के महत्व को हमें समझने की आवश्यकता है। जब उसके ऊपर चर्चा करने के लिए सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो कुछ हम कर रहे हैं, यदि अच्छा कर रहे हैं तो तारीफ, लेकिन हमारा काम सरकार को चेताना है कि जो कुछ काम आप कर रहे हैं उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। जल संरक्षण के लिए एक योजना आई थी, नदियों को जोड़ने की एक योजना माननीय अटल बिहारी बाजपेयी के द्वारा लाई गई थी भारत सरकार द्वारा, मैं इसका संज्ञान इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नदियों को जोड़ने का निर्णय हम लोग यहां से नहीं कर सकते हैं लेकिन इस विभाग को मजबूत बनाने के लिए प्रस्ताव जरूर पास कर सकते हैं भारत सरकार के लिए कि नदियों को जोड़ने की जो योजना बनी थी उसको क्रियान्वित किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना हम जल को संरक्षित नहीं कर पायेंगे, हम पानी नहीं दे पायेंगे, हम दूषित जल दे पायेंगे, अगर किसी जगह नहर फट जाती है तो पानी वहीं तक सीमित हो जाता है,

प्रभावशाली आदमी उसमें से पानी लेना चाहता है तो आगे पानी ही नहीं जाता है। हर व्यक्ति का बराबर का अधिकार, हर किसान की भूमि सिंचित हो उसको उसका अधिकार मिले और जल संरक्षण के लिए हम जितना भी प्रयास कर सकते हैं हमें करना चाहिए। भू-गर्भ जल को सही तरीके से रखा जाए उसका ज्यादा दोहन न किया जाए। मैं अन्तिम बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा क्योंकि और भी महत्वपूर्ण बजट हैं। मान्यवर सबसे महत्वपूर्ण है सरफेस वाटर, जो सरफेस वाटर है मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि चाहे वह तालाबों के माध्यम से हो, चाहे पोखरों के माध्यम से हो, उसमें आप आंख बन्द करके सख्ती कर दीजिए, जो भी आये उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें और जिस समय वह पानी सुरक्षित होगा तो भू-गर्भ जल स्तर ऊपर उठेगा और प्रदूषण भी कम होगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो आपने लिखा है कि इतने प्रतिशत भूमि सिंचित हुई है, अगर उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो इस बजट का फायदा होगा जो तीन अरब से ज्यादा का बजट है, अन्यथा इससे कुछ फायदा नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है इसमें समस्याएं भी हैं। यह सही है कि इस योजना को तीन भागों में बांटा गया है, शारदा सहायक, रामगंगा और गण्डक। शारदा सहायक समादेश योजना को 31 जिले में, रामगंगा समादेश योजना को 33 जिलों में और गण्डक समादेश योजना चार जिलों में थी, यह योजना पूरी हो चुकी है। अब शेष जो बचा है जिसे हमें सिंचित करना है, कच्ची गूलें, पक्की गूलें बनानी हैं। जो नहरों के माध्यम से हम टेल तक पानी लाये हैं अब उस पानी को खेतों तक पहुंचाना है और जितनी भी परती भूमि है उसको भी हमें ठीक करना है और वहां भी पानी पहुंचाना है। जहां तक हमें पानी इकट्ठा करना है तालाबों के द्वारा, जलाशयों के द्वारा उसे हम इकट्ठा करेंगे और पानी को बरबाद नहीं होने देंगे। हमारे यहां पानी की कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में, यहां पानी नदियों से मिल रहा है गंगा हमारे प्रदेश में है, हमें पर्याप्त पानी मिलता है इसके साथ-साथ बरसात भी हमारे प्रदेश में बहुत अच्छी होती है तो हमें पानी का उपयोग सही तरीके से करना है, पानी को हमें बरबाद नहीं होने देना है। जहां परती भूमि पड़ी हुई है और जहां तक नहरों से कच्ची गूल की मरम्मत न होने से पानी जाने में दिक्कतें आ रही थीं, वैसे तो इस योजना में हमें केन्द्र सरकार से भी धन उपलब्ध होता है। तो हमने प्रयास किया है। मैंने बताया भी है, केन्द्र सरकार से भी प्रयास कर रहे हैं। इस योजना के द्वारा चाहे कच्ची गूलें हों या पक्की गूलें हमें बनाना पड़े और चाहे जलाशय में हमें पानी का प्रबन्ध करना पड़े तो जितनी भी हमारे प्रदेश में शेष जमीन है, परती भूमि पड़ी हुई है तो हम उसको ठीक करा करके जो हमने इस बजट में रखा है तो हम उसका सदुपयोग करके जितनी भी परती भूमि है, जितनी भी कच्ची गूलें हैं, पक्की गूलें बना करके हम योजना के माध्यम से तुरन्त प्रदेश में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने देंगें और बहुत जल्दी ही हम प्रयास करेंगें कि इस योजना के माध्यम से जिससे यहां का उत्पादन बढ़े और कोई दिक्कत न आये। ऐसी योजना हमने बनाकर दी है तो हम महाना जी से कहेंगे कि अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें। हम पारदर्शिता के साथ इस योजना को हम लागू करेंगे और प्रदेश में जल का कोई संकट नहीं आयेगा। वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री सतीश महाना-

माननीय मंत्री जी ने बड़े सहज भाव से इस बात को कहा है कि वह इसको करेंगे। उन्होंने माना है कि जितनी बातें मैंने कही हैं वह गलत नहीं है और उनको वह ठीक करने का प्रयास करेंगे। यह अच्छा प्रयास है आप करेंगें। आपका प्रयास जिस दिन सफल हो जायेगा, उस दिन मैं कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूंगा। अभी मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,08,59,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[3.01 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 96,88,82,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य एवं रसद विभाग से सम्बन्धित कई गतिविधियां हैं किन्तु मुख्य रूप से इसके दो कार्य हैं। इसका पहला कार्य है किसानों से धान और गेहूं क्रय करके और इस प्रकार उनसे क्रय किया जाए कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिल जाए। प्रयास यह होता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा किसानों को मिले। समाजवादी सरकार की जो एक संकल्पना है कि किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। विभिन्न विभागों के बजट प्रस्तुत हुए हैं, उनके माध्यम से हमारी वो नीतियां सदन के सम्मुख आयी हैं और हम निरन्तर इस दिशा में प्रयत्नशील हैं कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले किन्तु उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गारण्टी हो यह व्यवस्था खाद्य विभाग करता है और दूसरी व्यवस्था करता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लाभार्थियों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सामग्री के लिए जो प्रस्तावित है उसको पहुंचाने का काम करता है जिसमें कि राशन है, तेल भी है, चीनी भी है, खाद्यान्न भी है और कभी-कभी दूसरी चीजें भी थोड़े-थोड़े समय के लिए

(इस समय 03 बजकर 04 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुए।)

ली जाती हैं। इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दूसरे वर्ग की जो जरूरतमद हैं उसकी सेवा करने का कार्य। इस प्रकार से दो मुख्य कार्य इस खाद्य विभाग से सम्बद्ध है। श्रीमन् इस पूरी दुनिया के लिये एक बड़ा सिद्धान्त प्रतिपादित किया अर्मत्यसेन नोबल पुरस्कार विजेता जी ने कहा अपनी पुस्तक **'डेवलेपमेंट एज फ्रीडम'** में लिखा कि आधुनिक विश्व को भूख से निजात दिलाने के लिये दुर्भिक्ष के कारणों को बारीकी से समझना होगा। इसके लिये खाद्य एवं जनसंख्या के मैकेनिकल सन्तुलन के बजाय वितरण और व्यवस्था के उपयुक्त मार्ग के बारे में समझना आवश्यक है। तात्पर्य इसका सिर्फ यह है कि उन्होंने जो पूरा प्रतिपादन किया है इस सिद्धान्त का, उसमें यह कहा कि दुनिया में अगर कोई भूख से मरता है तो इसका कारण यह नहीं है कि अन्न का अभाव है। उसका मुख्य कारण यह है कि उसका प्रबन्धन ठीक से नहीं हो रहा है। और इसका एक मोटा आंकड़ा यह है कि सारी दुनिया में कई सरकारें तो अपने अतिरिक्त अन्न को नष्ट कर देती हैं समुद्र में डालकर दूसरे और कारणों से लेकिन 30 फीसदी से ज्यादा जो भोजन के लिये उपलब्ध खाद्यन्न है वह किसी न किसी प्रकार से नष्ट हो जाता है। चाहे सड़कर नष्ट हो जाता, चाहे जानवर खाकर नष्ट कर दे या कई बार उसको सक्रिय प्रयास से नष्ट कर दिया जाय। इस ओर ध्यान देते हुए अर्मत्यसेन जी ने यह राय व्यक्त की और मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारत जैसे देश के सम्बन्ध में जो एक बड़ी कठिनाइयों से उबर करके और खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्म निर्भर हो सका वहां आज खाद्य विभाग की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो खाद्यान्न है उसका भंडारण इस प्रकार हो, उसका वितरण इस प्रकार हो कि कोई खाने बिना नहीं मरे यह व्यवस्था करने की गुणतः जिम्मेदारी इस विभाग पर है। श्रीमन्, अपनी इस जिम्मेदारियों के निर्वहन में कई तरह की गतिविधियों को चलाने के लिये जो इसका सांगठनिक ढांचा है इसमें इसके प्रशासनिक नियंत्रण में आयुक्त खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, उत्तर प्रदेश सचिवालय सत्कार सेवा संस्था, नियंत्रक विधिक माप विज्ञान तथा राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग संचालित हैं। यह सारी बाडीज हैं जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये यह राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग संचालित है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहूंगा कि पहले 3 पीठ थीं लेकिन हमारी सरकार ने उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षित करने के लिये 3 पीठ की बजाय दो नई और पीठ बनाने का काम किया है। अब इस प्रतितोष के लिये क्योंकि उपभोक्ताओं की बात सुनी जाय और उस पर समुचित ढंग से समयानुसार निर्णय लिया जा सके तीन की बजाय पांच पीठ बनाने का फैसला किया है। श्रीमन्, गेहूं खरीद का उल्लेख करना चाहूंगा पिछले वर्ष का। श्रीमन्, इस सदन में यह सवाल कई बार आया और हम सब लोग इससे प्रभावित लोग हैं और फिर गेहूं की फसल आ रही है और थोड़े दिनों के बाद उसकी खरीद का सवाल पैदा होगा। यह सरकार बनी मान्यवर, 15 मार्च, 2012 को और जब सरकार बनी उसके तुरन्त बाद गेहूं खरीद का सामना करना पड़ा स्थिति यह थी, इसको आक्षेप के

रूप में नहीं, सदन में जानकारी के लिये रखना चाहता हूं। सबको ज्ञात है पूरे प्रदेश भर में बोरे का गम्भीर संकट और बोरे का गम्भीर संकट इस कारण से नहीं था कि वह किसी गोदाम में पड़ा था उसको ले आना था बल्कि उसकी खरीददारी के लिये अपने राजनैतिक कारणों से अन्य कोई अन्यथा कारण हो, मैं नहीं बता सकता। कोई अन्यथा कारण भी होगें क्योंकि बहुत से अन्यथा कारण थे उस समय की सरकार के काम काज में। लेकिन कहीं सौदा न बना हो, कहीं बात न पटी हो, यह कारण हो सकते हैं लेकिन मेरा उद्देश्य उस पर आक्षेप करना नहीं है। पिछली सरकार ने गेहूं की खरीद के लिये बोरों का कोई इंतजाम नहीं किया और बोरे हमारे प्रदेश में मान्यवर, इसका उत्पादन भी नहीं होता। पश्चिम बंगाल से बोरे मंगाने की स्थिति बनी और उसमें कुछ विलम्ब हुआ। श्रीमन् इस विलम्ब के बावजूद भी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि 42 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य था गेहूं खरीद का और उसके सापेक्ष 50.62 लाख मीट्रिक टन की रिकार्ड खरीद की गई(मेजें थपथपाई गईं)। श्रीमन्, आज तक कभी भी इस प्रदेश में जब से गेहूं खरीद का काम हो रहा है कभी भी किसी भी वर्ष में 50.62 लाख मीट्रिक टन की खरीद नहीं हुई है। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते भी जहां गेहूं के बोरे के चलते गेहूं की खरीद हमारी शुरू में प्रभावित हुई थी लेकिन सरकार ने इतना उत्तम प्रबन्ध किया। मान्यवर, दस लाख से अधिक किसानों को लगभग 65 सौ करोड़ का भुगतान किया गया। पिछले वर्ष के अपने अनुभव को देखते हुए हमने मुकम्मल तैयारी कर ली है और इस साल का लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

और सदन को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि 60 लाख मीट्रक टन गेहूं की खरीद हम करेंगे। मान्यवर, धान खरीद में 28 फरवरी तक का आंकड़ा हमारे पास आया है। 17.8 लाख मीट्रिक टन, यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं, हम मिथ्या जानकारी नहीं देना चाहते हैं, यह लक्ष्य से कम हो गया है, लेकिन उसके बड़े विशिष्ट कारण हैं। उस लक्ष्य को हासिल न कर पाने का कारण यह है कि पिछले साल कुछ प्राकृतिक कारणों से हमारे देश का चावल कुछ ज्यादा खराब हो गया और एफ0सी0आई0 ने जो देश भर का मानक है, तीन प्रतिशत से ज्यादा अगर उसमें खराबी है तो वह नहीं खरीदा जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने मुख्य मंत्री जी को, जिनके विशेष प्रयास से इसमें शिथिलता का मानक तय किया और एफ0सी0आई ने तीन प्रतिशत के बदले चार प्रतिशत स्वीकार किया। तब कहीं जाकर धान की खरीद गति पकड़ सकी। अन्यथा मान्यवर,धान की खरीद हमारी पिछड़ गई थी, हम सबकी चिन्ता थी मुझे स्मरण है कि आपने स्वंय इस पर चिन्ता व्यक्त की थी और हम सबका सरोकार है इस सवाल पर, धान की खरीद में इस बात की कठिनाई आई। मैं पुनः इस बात का उल्लेख कर देना चाहता हूं पिछले वर्ष जो एक लाख टन डिलीवरी कर दी गई थी एफ0सी0आई0 को, ले लेने के बाद एफ0सी0आई0 ने उसको लौटा दिया गया और चावल मिलों में वापस भेजकर हमने उसका रिप्लेसमेंट किया। उनको जो डिफेक्टिव चावल था उसको लौटा करके, पुनः उनके मानदंड के अनुरूप, जो उनका मानक है उसके अनुरूप जो तीन प्रतिशत से कम डिफेक्टिव चावल था, एक लाख टन रिप्लेस किया। श्रीमन् इससे एक दूसरी स्थिति बन गई कि एफ0सी0आई0 ने हमारे पूरे प्रदेश में साढ़े तीन सौ जो कर्मचारी, अधिकारी थे उसमें से 225 लोगों के विरुद्ध इतनी गम्भीर कार्यवाही कर दी कि पूरा महकमा बैठ गया। इस कठिनाई से जो खरीद करने वाले लोग थे एफ0सी0आई0 के,

प्रभावित हो गए। इन सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी धान की खरीद हुई, लक्ष्य से थोड़ा कम हुई है। वह मैंने सदन के सम्मुख बताया। एक और कारण है मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मिलें हैं हमारा प्रदेश बहुत विचित्र प्रदेश है। बड़ा इतना है जनसंख्या के हिसाब से कि दुनिया में छठे नम्बर पर आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा नहीं है लेकिन विविधता बहुत है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति कुछ और है,पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति कुछ और है, बुन्देलखंड की स्थिति कुछ और है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मिलें हैं मान्यवर, यह आधुनिक मिलें हैं इनकी क्षमता ज्यादा है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो मिलें हैं उनकी कुटाई की क्षमता कम है और वह आधुनिक भी नहीं हैं इसलिए इनको कैसे प्रोत्साहन दिया जा सके इसके लिए जो हमने खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू की है उस खाद्य प्रसंस्करण नीति में इस बात की व्यवस्था की है कि उनको इस नई खाद्य प्रसंस्करण नीति में छूट दे करके सब्सिडी देने का काफी प्राविधान रखा है। दूसरे उद्योगों के लिए भी रखा है। लेकिन उसमें मान्यवर, उसका लाभ हमारी राइस मिलों को भी मिलना है इसमें हम आशा करते हैं जब यह मिलें भी आधुनिक होंगी और इनक कुटाई की क्षमता ज्यादा होगी तो हमारी यह कठिनाई हल होगी और वहां की तरक्की होगी। दूसरा जो हमारा मुख्य कार्य है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पी0डी0एस0 में सुधार करने के लिए मान्यवर, इसको पारदर्शी बनाने के लिए चरणबद्ध ढंग से कम्प्यूटीकरण का काम किया जा रहा है और इस चरणबद्ध ढंग में अन्त्योदय, ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 के राशनकार्डों का डाटा डिजिटलाइजेशन कराया गया। इनका पूरा डाटा है। एक कोड आप फीड करेंगे तो आपको उसका डिटेल डाटा मिल जाएगा कि इस फेमिली में कौन इसका मुखिया है कौन इसके सदस्य हैं मुखिया का फोटोग्राफ और उससे जुड़ी जो सारी सूचनायें हैं वह इस डाटा डिजिटलाइजेशन के माध्यम से रखा है। यह विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराया गया है। यह कार्य होना बाकी नहीं है। यह जो मैंने बताया, इन तीन कार्डों से सम्बन्धित जो डाटा डिजिटालाइजेशन का कार्य है, यह विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराया गया है और दूसरा एक काम और हो रहा है क्योंकि पिछले दिनों खाद्यान्न के बड़े घोटाले की जांच आई, प्रदेश बड़ी विचित्र स्थितियों से गुजरा, सीबीआई ने जांच किया, ईओडब्ल्यू ने जांच किया। पता चला कि वह गोदाम से चला और पहुंचा ही नहीं और फिर वितरण हो गया तो उसको स्टेज टू स्टेज प्रत्येक स्तर पर वह कहां से कहां पहुंचा, इसके लिए जैसे गोदाम से चला, फिर ब्लाक से पहुंचने में या दुकान तक पहुंचने में प्रत्येक स्तर पर कम्प्यूटराइजेशन के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि जो खाद्यान्न जहां से चला और जहां के लिए चला, वहां निश्चित रूप से पहुंच गया, इसकी व्यवस्था मान्यवर, हम कर रहे हैं और यह पारदर्शी हो। जब कम्प्यूटर पर होगा, ऑन लाइन होगा, आप सबको पता हो जायेगा, अपने-अपने क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि जानना चाहेंगे, उनको उसकी जानकारी हो जायेगी और इस माध्यम से इस पर मजबूत निगरानी रखी जा सकेगी। मान्यवर, जो चीज अंधेरे में है, उसके बारे में भ्रष्टाचार की संभावना ज्यादा है और जहां पारदर्शिता बढ़ती है, वहां भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण करने में सहूलियत मिलती है। इस दिशा में हमारी सरकार प्रयत्नशील है। श्रीमन्, शिकायतों के निस्तारण के लिए इसी साल सितम्बर में हमने टोल फ्री नम्बर-18001800150 जारी किया है, इस पर कहीं से भी शिकायत की जा सकती है, उस पर मान्यवर, कोई शुल्क नहीं लगता है। इसकी व्यवस्था विभाग द्वारा की गयी है। श्रीमन्, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में जो खरीददारी होती थी, खरीददारी के मामले में आरटीजीएस की प्रणाली लागू की गई

है। यह आरटीजीएस की प्रणाली जब तक नहीं लागू थी तब तक इसमें कई तरीके की गड़बड़ी होती थी और कई मामलों में तो ऐसा होता था, पीडीएस से रिलेटेड कि जो राशन का दुकानदार है, वह जो पैसे जमा करता था, उसका चेक 3-3 महीने तक दफ्तर में पड़ा रहता था, कई बार बाउंस हो जाता था और विभाग उसमें अलग कठिनाई में पड़ा रहता था, अब यह सारा आरटीजीएस से ट्रान्सफर है और तत्काल जिस क्षण यह पैसा जमा हुआ, उसी क्षण वह विभाग के खाते में ट्रान्सफर हो जाता है, इसके कारण वित्तीय तौर पर भी गड़बड़ी नहीं हो पाती है और धन भी उनके पास उपलब्ध रह पाता है। इसकी समुचित व्यवस्था मान्यवर, विभाग ने किया है। श्रीमन्, एक जो इस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका कामन सर्विस सेण्टर्स के माध्यम से कराया, बहुत सारी सेवाओं को उससे जोड़ा, उसी सेवा के अन्तर्गत मान्यवर, राशन कार्ड हेतु आवेदन, उनका नवीनीकरण, संशोधन और समर्पण से सम्बन्धित सेवा लोक वाणी केन्द्रों से और जनसेवा केन्द्रों से जोड़ दी गई है, अब उसके लिए किसी कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां से भी उसके लिए अप्लाई करेंगे, उसकी कापी लेने के लिए भी आपको दफ्तर आने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से उसकी डिलवरी हो जायेगी। श्रीमन्, कई बार सदन में यह बात आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जितने लोगों ने सदन में अपनी बात रखी है, हम सब लोगों ने अपने घोषणा-पत्र को गीता और कुरान की तरह से अपने लिए पवित्र माना है और उसके एक-एक हर्फ को पूरा करने का उत्तरदायित्व है। इसलिए हम उसी दिशा में निरन्तर बढ़ रहे हैं। एक साल पूरा होने में मान्यवर, अभी तीन दिन बाकी हैं और इन तीन दिन कम एक साल में 5 साल में जो घोषणाएं पूरी होनी थी, उसमें 70 फीसदी से ज्यादा घोषणाओं को पूरा करने का काम सरकार ने किया है। इस दिशा में खाद्य विभाग से सम्बन्धित व्यापारियों से जो चुनावी वायदा हुआ था, जो हमारे घोषणा-पत्र में बात शामिल थी कि उनको लाइसेंस के लिए बार-बार, नवीनीकरण के लिए बार उनको जो चक्कर लगाना पड़ता था, उसके बजाय 10 वर्ष का एकमुश्त शुल्क लेकर उन्हें आजीवन लाइसेंस दिए जाने की कार्यवाही कर दी गयी है और यह जो डीजल के फुटकर दुकानदार हैं, उनका और पेट्रोलियम पदार्थों के अर्जन, विक्रय और भण्डारण से सम्बन्धित लाइसेंस और बॉट-माप निर्माता, विक्रेता और मरम्मतकर्ता, उन सब को जो लाइसेंस दिए जाते थे, किसी का एक वर्ष, किसी का तीन वर्ष, मान्यवर, अब उनसे 10 वर्ष का शुल्क ले करके आजीवन कर दिया गया है। अब उनको बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। घोषणा-पत्र में यह जो हमने संकल्प किया था, उसको पूरा करने का काम किया है।

मान्यवर, बी0पी0एल0 की संख्या पर बात हर बार सदन में आती है कि बी0पी0एल0 की संख्या क्या है, बी0पी0एल0 की संख्या में जायज लोग हैं, नाजायज लोग हैं उसमें पात्र लोग हैं या अपात्रों की संख्या ज्यादा है। यह प्रश्न बार-बार उठता है। बी0पी0एल0 की संख्या भारत सरकार तय करती है। हमारे प्रदेश में बी0पी0एल0 की संख्या 106.79 लाख निर्धारित की गयी है जो बहुत कम है। बी0पी0एल0 श्रेणी में आने वाले लोगों की वास्तविक संख्या इससे कई गुना अधिक है। बी0पी0एल0 के लिए उन शर्तों के अधीन जो खाद्यान्न और जो दूसरी चीजें मिलती हैं वह उसी हिसाब से मिलती हैं। लेकिन इसका प्रतिवाद किया और इसका प्रतिवाद करने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयत्नों से मार्च 2013 तक के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न बी0पी0एल0 दरों पर आवंटित करने के लिए प्राप्त हुआ और उच्चतम न्यायालय द्वारा

निर्धारित 5 हजार रुपये प्रतिमाह आय सीमा और एक्सक्लूसर मानकों को ध्यान में रखकर विभाग द्वारा अतिरिक्त बी0पी0एल0 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है। उसमें कई शिकायतें भी हैं। माननीय सदस्यगण ने जो उठाया कि इस आधार पर भी जो बी0पी0एल0 कार्डधारक नहीं हैं उनको भी बी0पी0एल0 मानकर किया जा रहा है इसमें शिकायतें आयी हैं लेकिन उन शिकायतों के निराकरण के लिए विभाग से 08 फरवरी, को दूसरा पत्र गया है इससे पहले सितम्बर, 2012 को भी गया है। 08 फरवरी, को खाद्य आयुक्त के हस्ताक्षर से समस्त जिलाधिकारियों को पत्र गया है इसमें कहा गया है कि चिन्हित लाभार्थियों में से 2 से 5 प्रतिशत राशन कार्डों की जांच खाद्य विभाग, राजस्व विभाग, नगरपालिका, ग्राम्य विकास व अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की संयुक्त टीम गठित करते हुए 22 फरवरी, 2013 तक कराने तथा अपात्रों को जारी राशन कार्ड के निरस्त्रीकरण की कार्यवाही कर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस तरह के निर्देश दिये गये और इसके परिणाम मिले। जिन जगहों पर जांच हुयी है उन जगहों पर कार्रवाई भी हुयी है और इसमें सुधार की गुंजाइश हुयी है। श्रीमन्, एक ऐतिहासिक अवसर अभी हमारे सामने था। जो हिन्दु धर्मावलम्बी हैं उनके ज्योतिषियों ने उनको बताया कि इस बार महाकुम्भ का जो संयोग और मुहुर्त आया वह 144 साल बाद आया। अर्धकुम्भ हर 6 साल बाद आ जाता है कुम्भ 12 साल बाद आ जाता है लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि 144 साल बाद आने वाले मुहुर्त के समय इस सूबे के मुखिया माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं और उनके नेतृत्व में इस कुम्भ में स्नान करने के लिए देश और विदेश से जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या 10 करोड़ से ज्यादा थी। उसमें मेले में जो निवास करने वाले लोग थे उन लोगों की सेवा करने का काम खाद्य विभाग ने किया। उसकी सराहना तो इस सदन में हुयी लेकिन किसी एक सदस्य ने उस पर टिप्पणी करने का काम नहीं किया। खाद्य विभाग ने इतने सुन्दर ढंग से इन तमाम चीजों का वितरण किया है। सबसे सुखद बात यह रही कि मेले में कल्पवासियों और मेले में निवास करने जो लोग आये थे उनका और इस धर्म के अनेक सम्प्रदायों के अनेक सन्त महात्मा जो आये हुए थे उन सबके के लिए पी0डी0एस0 की व्यवस्था की गयी। श्रीमन्, हमारा सौभाग्य है कि आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने बहुत नजदीक से इसको देखा है। इस व्यवस्था को भी देखा है। इसलिए हमारा अतिरिक्त सौभाग्य है कि आप पीठ पर विराजमान हैं। आपने इसको बहुत नजदीक से देखा है।

श्री अधिष्ठाता-

मेला तो हमारे निर्वाचन क्षेत्र में है।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन् आपने इसको देखा और सेवा में आप स्वयं शामिल रहे, इसलिए जो खाद्य विभाग की ओर से प्रबन्ध किया गया, सम्पूर्ण खाद्यान्न, राशन तेल, चीनी जिन चीजों का भी वितरण हुआ मान्यवर, वह सब बीपीएल दर पर हुआ, बाजार दर पर नहीं हुआ। भारत सरकार ने पहले अतिरिक्त खाद्यान्न देना तो स्वीकार कर लिया, किन्तु अतिरिक्त जो खाद्यान्न या चीनी या राशन तेल जो भी उसमें देते, उसको ओपेन मार्केट रेट पर भारत सरकार ने देना स्वीकार किया, किन्तु मा0 मुख्य मंत्री जी के प्रयत्नों से बीपीएल रेट पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यह बात बहुत उल्लेखनीय है, इन स्थितियों में। इसके अतिरिक्त श्रीमन् अब मैं उसकी राशि नहीं बताऊंगा कि कितना दिया, कितना नहीं

दिया, बहुत ज्यादा है, 35747 कुन्तल आटा, 962 कुन्तल गेहूं 28800 कुन्तल चावल, 22350 कुन्तल चीनी इस तरह से है, काफी है और विशेष बात यह है श्रीमन् कि बसन्त पंचमी के दिन 15 फरवरी को जो भंयकर वृष्टि हुई, घुटने-घुटने तक पानी टेण्ट में लग गया, सारे चकर प्लेट डूब गये अपना स्थान छोड़ दिये, उन स्थितियों में भी जब एकदम तबाही का मंजर था, टेण्टो में तक सप्लाई पहुंचाने का काम, इसको संचालित करने का काम सरकार ने किया है, मान्यवर यह विशेष उल्लेखनीय बात है। राशन कार्डों की जांच, मान्यवर, प्रर्वतन का भी कार्य मजबूती से हुआ है, श्रीमन् उत्तर का अगर अवसर आयेगा तो मैं उस समय प्रवर्तन के सम्बन्ध में इस सदन को अवगत कराऊंगा, अगर किसी मा0 सदस्य की ओर से कोई बात आयेगी तो मैं प्रवर्तन जो हुआ है, उसके सम्बन्ध में अवगत कराने का काम करूंगा। मान्यवर, इसी के साथ जो पेट्रोलियम पदार्थो में मिलावट, घटतौली, जमाखोरी की रोक थाम के लिए बड़ी मजबूत कार्यवाही हुई है। श्रीमन् एलपीजी सिलेण्डर उपलब्ध कराने के लिए भी हुआ है, बहुत विशेष स्थिति है मान्यवर, भारत सरकार ने अब तक कई तरह की नीति अपनाई, पहले कहा कि छः सिलेण्डर देंगे, फिर कहा कि नौ देंगें, उसके पहले बीच में कहा कि किसी को कुछ नहीं देंगे। अब जहां यह स्थिति आई है, अच्छा है मान्यवर आप वहां बैठे हैं, इसलिए आप निष्पक्षता से इसको देख सकेंगे, श्रीमन् ऐसी स्थिति थी कि तय कर दिया कि लोग देश में खा रहे हैं ज्यादा खा क्यों रहे हैं कि पका रहे हैं ज्यादा, इसलिए अब पकाओ मत, सिलेण्डर इतना कम कर देंगे कि छः सिलेण्डर में अपने पूरे परिवार का गुजर करो, इस तरीके की कन्फ्यूजन की स्थिति भारत सरकार ने पैदा की। श्रीमन् ऐसी रोक तो इसके पहले कल्पनातीत है कि सरकार यह तय कर दे कि भाई ईंधन नहीं देंगे ताकि न तुम पका सको न तुम खा सको, आधे पेट रहो या एक वक्त खाओ या तीन वक्त खाओ, यह सारा इन्तजाम किया। मान्यवर, इस प्रकार यह सारे कार्य किये गये हैं, इसलिए आज इस विभाग का यह बजट प्रस्तुत करते समय जो थोड़ी जानकारियां रखीं हैं हमने, मैं यह कह सकता हूं कि खाद्य विभाग ने जो उत्तरदायित्व उसके सामने था, उसका जिस जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया है और हम यह बजट लेकर के आये हैं, मान्यवर, सदन बिना कटौती के सर्वसम्मति से इसको पारित करने कार्य करे, इस अनुरोध के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 राघव लखनपाल जी, कटौती का प्रस्ताव रखेंगे ?

श्री राघव लखनपाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय अधिष्ठाता जी मेरी यह मांग है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत जो 96 अरब 88 करोड़।

श्री अधिष्ठाता-

एक व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्यों से जो लोग नए भी आये हैं, जो पुराने भी हैं, मैं अक्सर देखता हूं कि जो वक्ता बोल रहे होते हैं, पीठ के समक्ष जब उनके बीच से जाया जाता है उनके सामने झुक के जाना चाहिये, न कि उसके सामने खड़ा होना चाहिये।

श्री राघव लखन पाल-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, त्रुटि के लिये क्षमा।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं, आपके लिये नहीं कह रहा हूं। मा0 सदस्य से है।

श्री राघव लखन पाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर 01 रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

ये जो बजट पेश हुआ है 96 अरब, 88 करोड़, 82 लाख, 79 हजार रुपये का और मा0 मंत्री का जो उस पर वक्तव्य आया है। मा0 अधिष्ठाता जी, हम सब यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चित्र के सामने बैठे हैं। उन्होंने ये कहा था कि भूखे पेट के लिये रोटी ही भगवान है और यह वास्तविकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास खाना है, रोटी है तो उसके पास अनेकों समस्यायें और भी हैं लेकिन जिस व्यक्ति के पास रोटी नहीं है, खाना नहीं है, उसकी केवल एक ही समस्या है और वो समस्या है कि कैसे अपने और अपने परिवार के लिये वो रोटी का बन्दोबस्त कर सकता है। किस प्रकार से दो वक्त की रोटी वो अपने और अपने परिवार के लिये दिलवा सके और मा0 अध्यक्ष जी हम सब सदस्यों का चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे मा0 मंत्री जी हों, चाहे मा0 मुख्य मंत्री जी हों और स्वयं आपका भी यह दायित्व है, जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि इस प्रदेश का एक भी नागरिक रात को भूखा पेट न सोये। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है कि आज लैपटाप, कम्प्यूटर, रिक्शायें, कन्या विद्या धन और न जाने क्या क्या बांटते बांटते हम भूल गये कि अभी भी प्रदेश में लाखों लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो भूखे पेट रात को सोते हैं। मा0 मंत्री जी ने बात की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की और वो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अचीव करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में उससे हम कोसों दूर हैं, हजारों कोस दूर हैं। अभी कहीं उसके आस पास भी हम भटक नहीं पाये हैं। बहुत सी बातें हुयीं, एस0एम0एस0 द्वारा राशनकार्ड धारकों को सूचना देने की बात हुयी और किस प्रकार से बेहतर टेक्नॉलजी एडॉप्ट की जा रही है। लेकिन ये सब असत्य है और वास्तविक स्थिति यह है कि यदि आप उल्लेखनीय पुनरोद्धार करना चाहते हैं तो उसके लिये आपको तीन कदम उठाने पडेंगे और वो तीन कदम ये होंगे। एक तो आपको कवरेज बढ़ाना पड़ेगा, व्याप्ति का विस्तार करना पड़ेगा। दूसरा वितरण प्रणाली को और बेहतर बनाना पड़ेगा। तीसरा पारदर्शिता लानी होगी। पारदर्शिता हम जानते हैं कि इस पूरे सिस्टम में ऊपर से नीचे तक कहीं भी नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी ये कहना सही होगा कि शायद उत्तर प्रदेश में पी0डी0एस0 का अर्थ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम न होकर पब्लिक धोखा सिस्टम हो गया है और वास्तव में पब्लिक को धोखा देने का ही कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये केवल इस सरकार की ही बात नहीं है, इससे पूर्व जो सरकार थी उसमें भी इसी प्रकार से था क्योंकि यदि वे सुधार लाये होते तो आज तस्वीर सामने दूसरी होती। मा0 अधिष्ठाता जी, जो समस्यायें हमारे सामने उत्तर प्रदेश में हैं कि जो आवंटन होता है उस

मासिक आवंटन में बहुत देरी हो जाती है। कई कई दिनों तक लोग गोदामों पर खड़े रहते हैं उनको सामान नहीं मिल पाता। जब वह सामान ट्रकों में आता है तो रास्ते में ही उसे डायवर्ट कर लिया जाता है। रास्ते में ही पिलप्रिज हो जाती है और सांठगांठ के साथ उस सामान को रास्ते में ही इधर से उधर कर दिया जाता है और फिर जब वो फेयरप्राइज शॉप पर आता है तो वहां से जो इंचार्ज होता है जिसकी वो दुकान है उसकी पहले से ही तमाम अधिकारियों से और तमाम अन्य लोगों से अण्डर स्टैंडिंग है कि किस प्रकार से उस सामान को थोड़ा बहुत दिखावे के तहत एक आध दिन दुकान खोलकर और मुझे तो शायद ये भी पता चला है कि पूर्वी जिलों में तो एक दिन भी कई जगहों पर दुकानें नहीं खुलतीं। लेकिन अगर मैं गृह जनपद सहारनपुर की बात करूं तो शायद एक या दो दिन दुकानें खुलती हैं और एक खाना पूर्ति के तहत वो वितरण किया जाता है और उसके बाद सारा सामान ब्लैक मार्केट में दे दिया जाता है। उसमें वह दोषी जरूर है जिसकी दुकान है जिसको दुकान आवंटित हुयी है वह दोषी जरूर है लेकिन दोषी और कौन है। दोषी वह सरकार भी है जो उसे मात्र 17 रुपये प्रति कुण्टल के हिसाब से कमीशन दे रही है। जबकि उसकी लागत ही ट्रान्सपोटेशन की लागत ही 12 या 13 रुपये पड़ जाती है, तो कैसे कोई करे कोई अपने घर से लगाकर तो दुकान चलाने वाला नहीं। उसके अलावा मा0 अध्यक्ष जी, जो मैं कह रहा था कि पारदर्शिता नहीं है, जवाबदेही नहीं है। अब जवाब देने वाला कौन है, जवाब देने वाला होगा, तभी तो जवाब मिलेगा। अभी भी उत्तर प्रदेश में लगभग आधे जनपद ऐसे हैं, जहां कोई डी0एस0ओ0 तैनात नहीं है, शायद इस वर्ष कुछ डी0एस0ओ0 की भर्ती की है, लेकिन कम-से-कम 30 या 35 डी0एस0ओ0 और रखे जाने चाहिए। मेरे सहारनपुर जनपद में भी पिछले 2 माह से कोई डी0एस0ओ0 नहीं है और यही स्थिति खाद्य निरीक्षकों को लेकर है, जो सप्लाई इंसपेक्टर हैं, उनको लेकर है, वे खाद्य निरीक्षक जहां 10-12 होने चाहिए, जिस प्रकार से मैं अपने जनपद की बात कर रहा था, या अन्य जनपदों की भी अगर आप बात करें तो हर जगह कहीं 1, कहीं-2 और कहीं-3 हैं और वास्तविक स्थिति यह है कि जो आवश्यकता है, 10 या 12 खाद्य निरीक्षक हर जनपद में होने चाहिए। उसके अलावा चाहे वह हेड क्लर्क हो, चाहे लिपिक हो, उनका भी एक अभाव है, एक कमी है। एक बड़े पैमाने पर रिक्यूटमेंट ड्राइव इस विभाग के द्वारा की जानी चाहिए ताकि सही व्यक्ति, सही क्वालिफाईड व्यक्ति और जिसको सही मायनों में अनुभव है और ज्ञान है, वही उस पद को संभाल सके। ए0आर0ओ0 प्रभारी बनकर डी0एस0ओ0 का पद न संभालें। इसके अलावा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो वितरण प्रणाली है, वह लगभग एस0डी0ओ0 के ही अधीन रहती है। अब एस0डी0ओ0 के लिए वितरण करना तो सबसे कम अहमियत रखता है, उसके पास एक हजार एक सौ अन्य कार्य हैं, तो इससे अच्छा यह है कि हर तहसील पर जैसे ए0आर0ओ0 हैं, इनको प्रभारी बना दिया जाए, तो शायद कहीं-न-कहीं कोई सुधार नजर आने लगे। मान्यवर, अभी टैक्नोलॉजी की जो बात मा0 मंत्री जी कर रहे थे, यह डिजीटाइज्ड डेटाबेस राशन कार्डों का है, मैंने देखा है, मैं आपकी बेवसाइट पर गया और मैंने देखा और मैंने अपने जनपद की कुछ उचित दर की दुकानों के हिसाब से जो राशन कार्ड हैं, उससे कम्पेयर किया तो एक दुकान पर 900 कार्ड थे, लेकिन आपके डेटाबेस में, आपकी वेबसाइट में केवल 500 ही लिखे गए हैं। बहुत बड़ी गड़बड़ियां हैं इसमें, यह केवल एक कागजी खानापूर्ति है और वास्तविक स्थिति यह है कि उसका कहीं कोई लाभ नहीं होने वाला। यदि आप सोचते हैं कि इससे राशन कार्ड बनेंगे, यदि आप

सोचते हैं कि कम्प्यूटराइज्ड राशन कार्ड आप लोगों को देंगे आने वाले समय में, तो इस बेसिस पर यह कतई संभव नहीं हो पायेगा, दूसरा ये कि फर्जी राशन कार्ड बहुत हैं। बी0पी0एल0, अंत्योदय राशन कार्ड, अपात्र व्यक्तियों के बने हुए हैं, हम सब जानते हैं और पहले भी इस सदन में यह बात उठी थी कि लगभग 60 फीसदी जो राशन कार्ड है, बी0पी0एल0 और अंत्योदय के, वह सब फर्जी हैं और अपात्र व्यक्तियों को दिए गए हैं। मा0 अध्यक्ष जी, सप्लाई चैन मैंनेजमेंट उचित दर की दुकान और एक ग्रीवन्स रिडरेसल, जहां समस्याओं का समाधान हो सके, इन सभी पहलुओं पर टैक्नोलॉजी की आवश्यकता है। अब वह टैक्नोलॉजी किस प्रकार से लानी चाहिए, वह मैं दो-चार मिनटों में आपके समक्ष रखना चाहूंगा, बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्रेक्चरल और प्रोसीजरल सुधार होने चाहिए यानि की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधार चाहिए और ये सुधार किस बेसिस पर हम कर सकते हैं। एक मॉडल हमारे सामने है, एक मॉडल छत्तीसगढ़ का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मॉडल है, ऐसा मॉडल जिसके लिए सुप्रीमकोर्ट ने यह कहा है, केन्द्र सरकार से बल्कि जवाब मांगा है कि ''प्लीज टेस्ट दी इफीक्वेसी ऑफ द सिस्टम एण्ड टेल अस वेदर एट कैन बी एप्लाई इन अदर स्टेट्स '' कि इस सिस्टम की जो प्रभावकारिता है, उसकी असेस्मेंट कीजिए, जायजा लीजिए और हमें बताइये कि क्या यह संभव है कि उसको दूसरे प्रदेशों में भी लागू किया जा सकता है। (मेजों की थपथपाहट) यह वह वाला असेस्मेंट है, जिसकी मान्यवर, पार्लियामेंट की स्टैण्डिंग कमेटी ने भी सराहना की है और पार्लियामेंट की स्टैण्डिंग कमेटी में आप जानते हैं केवल एक दल के लोग नहीं रहते, तमाम राजनैतिक दलों के सांसद उसमें रहते हैं। पाइलेट स्कीम जो हम करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में, 19 जनपदों में कुछ कर रहे हैं, 18 जनपदों में कुछ करेंगे। प्रयोगों का और पाइलेट स्कीम्स का समय अब पूर्ण हो चुका है, इस प्रदेश की जनता भूख से मर रही है। इस प्रदेश की जनता की भूख को मिटाने का काम हमें करना है, इसलिए पॉजिटिव एक्शन हमें लाना है। हमें सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे और क्या हुआ छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से इस मॉडल को चलाया गया, सबसे पहला प्रदेश जिसने खाद्य सुरक्षा नीति रखी और स्थापित करी। अब पार्लियामेंट में चर्चाएं हो रही हैं फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर, वह कितना स्पष्ट है उसकी चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि वह एक बहुत अलग विषय बन जाता है।

मान्यवर, सर्वप्रथम वहां सरकार ने 2,872 निजी उचित दर की दुकानों को निरस्त किया और उन्हें महिला मण्डलों, स्वयं सहायता समूहों और कॉपरेटिव को एक वर्षीय ट्रेनिंग दी और फिर उनको वे उचित दर की दुकाने दे दीं संचालन के लिए। इनमें से कुछ उन लोगों को भी रोजगार दिया गया जिनकी दुकानें निरस्त हुई थी। मान्यवर, वहां महिला मण्डल समूह दुकानें चला रही हैं, उसमें एक दुकान पर दस महिलाओं की जिम्मेदारी है। मान्यवर, वह दुकाने आठ घण्टे रोज खुली रहती है। वहां पर सबको स्मार्ट कार्ड जारी किये गये हैं। और राशन-कार्ड बने हैं। बायोमेटिक्स सिस्टम में डेटा है। जब कोई सदस्य परिवार का राशन लेने जाता है तो वह मशीन पर कार्ड को स्वाइप करता है और उससे उसको कूपन मिलता है उसके आधार पर वह राशन लेता है। मान्यवर, सारा सिस्टम कम्प्यूटराइज्ड है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं करता कि आधा सामान कोटेदार का काले बाजार में चला गया होगा। मान्यवर, वहां पर लगभग चार हजार दुकान कम गोदाम भवनों का निर्माण कराया गया है वह पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत है। मान्यवर, जो सप्लाई चेन मैनेजमेण्ट है जिसे आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन कहते हैं वह आधुनिक है उसमें वास्तविक डिजिटाइज्ड राशन कार्ड डेटा बेस है, उसमें सब बाते

वास्तविक रूप में उपलब्ध हैं। उसमें वेब वेस्ड एप्लीकेशन से फेयर प्राइज शाप को आटोमेटेड वितरण से जोड़ा गया है जिसे पी0ओ0एस0 कहते हैं। मान्यवर, इस तरह वहां पी0डी0एस0 सिस्टम को संचालित किया जा रहा है। मान्यवर सप्लाई चेन को वहां पर डोर स्टेप डिलेवरी सिस्टम से जोड़ा गया है। यहां पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि 19 जनपदों में डोर स्टेप डिलेवरी सिस्टम की व्यवस्था लागू कर रहे हैं। लेकिन यह व्यवस्था अभी उत्तर प्रदेश में किसी जनपद में क्रियान्वित हुई नहीं दिखाई दे रही है। मान्यवर, वहां छत्तीसगढ़ में हर जगह डोर स्टेप डिलेवरी सिस्टम की व्यवस्था लागू है और सरकार स्वयं उचित दरों की दुकान पर सामान पहुंचवाती है। मान्यवर छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। आज आपने कुछ आंकड़े रखे और आपने कहा कि 17.8 लाख मैट्रिक टन किसानों से खाद्यान्न लेंगे। मान्यवर, वर्तमान सीजन में छत्तीसगढ़ सरकार ने, जबकि उसकी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल और आबादी से कोई तुलना नहीं की जा सकती है, उन्होंने 66.68 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदा है किसानों से। और 8407 करोड़ रुपये का पेमेण्ट भी किया हैं। मान्यवर अभी हमारे झांसी के एक विधायक जी बोल रहे थे वह कह रहे थे कि हमारे यहां कोई पेमेण्ट नहीं हुआ है ऐसी शिकायतें उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में हो सकती हैं। मान्यवर, यह राजनैतिक इच्छा शक्ति का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल है और उनको पेमेण्ट मिल जाता है। मान्यवर, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी युवा हैं, शिक्षित हैं और ऊर्जावान हैं मैं समझता हूं कि यदि वह पूरे पी0डी0एस0 सिस्टम की मानीटिरंग करेंगें तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं होगी कि वह गड़बड़ी कर जाये। जैसा कि छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं। मान्यवर, वहां डी0एम0, पटवारी, और तहसीलदार यह सारे लोग पी0डी0एस0 के प्रति जिम्मेदार हैं इनकी जबाबदेही है और इनको ऊपर जबाब देना होता है। वहां पर टोल-फ्री काल सेन्टर बना हुआ है उसमें किसी भी समस्या का तीन घण्टों में निवारण करना अनिवार्य किया गया है। मान्यवर, यहां उत्तर प्रदेश में भी एक टोल फ्री नम्बर दिया गया है लेकिन पता नहीं वह कहां कार्यरत है। मान्यवर, वहां पर हर अधिकारी कर्मचारी जो किसी व्यवस्था से जुड़ा है वह जिम्मेदार है मान्यवर, वहां पर जो राशन लेने पहुंच जाता है उसको राशन मिल जाता है। वहां पर हर महीने की सात तारीख को चावल उत्सव मनाया जाता है। इससे हर एक के लिए यह सुनिश्चित रहता कि सात तारीख को चावल जरूर मिल जायेगा। मान्यवर, जबकि हमारे यहां राशन लेने के लिए जो लाइन लगती है उसमें लोगों को यह सुनिश्चित नहीं रहता कि उनका नम्बर आने पर उनको पूरा राशन मिल जायेगा। मान्यवर, छत्तीसगढ़ में एक व्यवस्था यह भी है कि इसमें सप्लाई में यदि कहीं पर किसी प्वाइंट पर कोई गड़बड़ी करता है तो वह निगरानी में आ जाता हैं। मान्यवर, जब वहां पर गोदाम से उचित दर के दुकान के लिए राशन चलता है तो जो रजिस्टर्ड एस0एम0एस0 और ई0मेल हैं उन पर सन्देश पहुंच जाता है। जिससे कोई गड़बड़ी नहीं कर पाता। जो वहां पर ट्रक्स हैं वह पीले रंग के हैं कलर कोडेड हैं जी0पी0एस0 प्रणाली के साथ और जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं इस तरह से पूरी व्यवस्था वहां की सुव्यवस्थित है। मान्यवर, अब तो केन्द्र सरकार डाइरेक्ट टू कैश स्कीम की बात कर रही है। मान्यवर, आज जनता को आवश्यकता इस बात की है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अच्छी हो और उसे पूरा राशन मिल जाय वहां से अब यह सिस्टम छत्तीसगढ़ में अगले लेबिल पर जा रहा है उसका नाम है कोर पीडीएस सेन्ट्रलाइज्ड यह एक माडल है आप जरा पढ़िये इसके सम्बन्ध में। यह माडल सरकार ने कहा है, सरकार रिकमेन्ड कर रही

है सरकार उत्तर प्रदेश के लिए भी रिकमेन्ड कर रही है माननीय मंत्री जी जानते हैं वहां प्रमुख सचिव बैठे हैं सब लोग जानते हैं इस बात को। यह ऐसा माडल है जिसको केन्द्र सरकार कह रही है कि आप इसको लागू कीजिए इसी के आधार पर जो वह सारा रिकमेन्डेशन्स है इसी के आधार पर दिया जा रहा है यह समझने वाला विषय है लेकिन जिसे समझ आयेगी वही कुछ कर पायेगा। सेन्ट्रलाइज्ड आनलाइन रियलटाइम इलेक्ट्रानिक पीडीएस जिसमें एक बार फिर पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशलता इस सिस्टम की बढ़ जायेगी। कुल मिलाकर माननीय अध्यक्ष जी, बातें बहुत सी हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं और बहुत से आंकड़े यहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे लेकिन यदि करना चाहते हो तो हो भी जायेगा और अगर केवल आंकड़े ही प्रस्तुत करने हैं तो वह किताबों में बन जायेंगे अगले साल फिर हम खड़े होंगे, अगले साल फिर हम किताब खोलेंगे यही चलता रहेगा। अभी आपने कुछ कहा तो मैं कुछ कहूंगा मैंने कुछ कहा तो कोई और कुछ कहेगा लेकिन इसमें कहीं न कहीं अंकुश लगाना पड़ेगा और वास्तव में कुछ कारगर करके प्रदेश को देना होगा। मैं माननीय अधिष्ठाता जी आपकी अनुमति से एक पत्रकार रहे हैं बीसवीं सदी के इटली के, आप कांग्रेस वाले हमारे साथी जानते होंगे बाकी लोग नहीं जानते होंगे उन्होंने एक बात कही है यदि आप अनुमति दें तो वह मैं अंग्रेजी में कहकर उसका अनुवाद करना चाहूंगा इससे जुड़ी हुई बात है।

व्हेन यू शेयर योर लास्ट क्रस्ट आफ ब्रेड विथ ए बेगर यू मस्ट नाट विहेव ऐज इफ यू वेयर थ्रोविंग ए बोन टू ए डाग। यू मस्ट गिव हम्बल एण्ड थैंक हिम फार एलाविंग यू टू हैव ए पार्ट इन हित इन्गर...

यानि जब आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी रोटी का एक टुकड़ा देते हैं तो ऐसा व्यवहार न करें जैसे आप किसी जानवर या पशु को रोटी डाल रहे हैं। बल्कि उसे यह रोटी विनम्रतापूर्वक दें, और उसने अपनी भूख में आपको हिस्सा बनने का मौका दिया, अनुमति दी, इसके लिए आप उसका धन्यवाद करें।

मान्यवर, हमें भी मजाक नहीं उड़ाना है जनता का, उन्हें खड़ा नहीं रखना है लाइनों में, भूखे नहीं रखना है और हम जब उन्हें दे दुकान पर अनाज तो यह नहीं जताना है कि हम कोई एहसान कर रहे हैं अधिकार है जो उनको सही रूप में मिलना चाहिए। यह तभी हो पायेगा जब नयी क्रान्ति हम लायेंगे। आइये हम सब मिलकर नई क्रांति लायें और जो यह खोई हुई विश्वसनीयता है जो लास्ट क्रेडिबिलिटी है इसको फिर से हम बहाल करें इसको फिर से हम रिस्टोर करें। इतना कहते हुए मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूं और कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय राघव पाल लखन जी, आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं वहां एक नई क्रान्ति हो रही है कहीं आप उस क्रान्ति की तो नहीं बात कर रहे हैं।

*श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

अधिष्ठाता महोदय, मैं खाद्य एवं रसद विभाग पर रखे गये कटौती प्रस्ताव, जो भाजपा नेता श्री शर्मा जी द्वारा रखा गया है, पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जहां एक ओर शहर में कस्बों में छोटे शहरों में खाद्यान्न देने का काम कोटेदारों द्वारा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जा रहा है, ठीक है उसमें उतनी शिकायते नहीं आ रही हैं क्योंकि शहर के लोग जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और अधिकारी लोग भी शहरों एवं कस्बों में रहते हैं लेकिन दूसरी तरफ गांव के लोग जो गांवों में निवास करते हैं उनकी दशा और दुर्दशा वितरण प्रणाली की बहुत खराब हैं। सारी बातों पर शर्मा जी ने हमारे बड़ा विस्तार से बताया, प्रस्ताव भी रखा गया उधर से भी सब योजनाओं के बारे में बताया गया। मान्यवर, मेरे सामने से जो चीज गुजरी है जब अपने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान जाता हूं और पूछता हूं लोगों से कि क्या उनको खाद्यान्न सही तरीके से मिल रहा है, क्या उनको चीनी, मिट्टी का तेल यह सब सही मिल रही हैं तो मान्यवर, उनका उत्तर आता है कि नहीं। मैं आपसे इसी खाद्यान्न के मसले पर कहना चाहता हूं कि उत्पादन हो रहा है, अच्छा उत्पादन हमारे कृषक भाई कर रहे हैं, खूब अच्छी पैदावार हो रही है लेकिन उनके रखने की व्यवस्था को लेकर, उनके वितरण की व्यवस्था को लेकर, उनको बांटे जाने की व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रहा है कि इसको गरीबों में बांटो। सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रहा है कि जो खाद्यान्न यहां से बाहर भेजा जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, उसकी सी0बी0आई0 द्वारा जांच कराई जा रही है, उसमें धरपकड़ हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, कई जिलों में इसकी जांच प्रचलित है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका अधिक दुरूपयोग तो नहीं हो रहा है, उसका सदुपयोग हो, वह लोगों को मिले, अन्न मिले, अनाज मिले, खाद्यान्न मिले। मान्यवर, इसी के बारे में मैं अपने जिले और विधान सभा क्षेत्र धौरहरा की छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। मान्यवर, कहने को तो बात नेताओं के ऊपर डाल दी जाती है कि यह नेता लोग राशन की दुकानों को सस्पेंड कराने का काम करते हैं, यह नेता इनकी पार्टी जब आई, तब किये, अपनी पार्टी आई, तब किये। इन सब बातों में हम सब लोगों को उलझाने की कोशिश करते हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में 260 कोटेदार हैं, इनमें से 100 कोटेदारों की दुकानों को निलम्बित किया गया। मान्यवर, मैनें जब अधिकारियों से पूछा कि जांच करने का मानक क्या है तो उन्होंने कहा कि सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर इसकी जांच कर सकते हैं, लेकिन इनकी कमी की हालत यह है कि हमारे जिले में 5 तहसीलें हैं और मात्र दो सप्लाई इंस्पेक्टर थे, वह बिल्कुल दौड़ते-भागते घूम रहे हैं, वह कैसे इतनी दुकानों को अटैन्ड करे, जब उनके द्वारा संभव नहीं हुआ तो नायब तहसीलदार द्वारा और परगनाधिकारी द्वारा जांच कराई गयी। नायब तहसीलदार द्वारा जांच कराने के बाद में कोटों को सस्पेंड किया गया। मान्यवर, इसमें कोटे सस्पेंड करने की बात नहीं थी, जांच कराने की बात नहीं थी, बल्कि उनको मालूम था कि नायब तहसीलदार द्वारा कोटों की जांच नहीं हो सकती है। लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिये करी कि जब वह जांच करने के लिये जायें तो कोटेदार से उनकी बातचीत हो पावे और कोटेदार से बातचीत करने के बाद में उनकी दुकान को निरस्त किया। लेकिन जब कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि नायब तहसीलदार जांच कर सकता है तो वह भागकर लखनऊ आते हैं और लखनऊ में तो मान्यवर, एक न्यायालय ऐसा बना हुआ है, खाद्य उपायुक्त का, आप उसका परीक्षण करा लें कि उन्हें स्टे ही देना हैं। एक बार मैं वहां कमिश्नर महोदय से मिलने गया था तो उन्होंने बताया कि 800 जांचें कोटों के संबंध में प्रचलित हैं और 150 दुकानें इसी मामले में बहाल कर दिये। तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब हमारे सक्षम अधिकारियों को पता है कि वह जांच नहीं कर सकते, इस संबंध में हमने प्रश्न भी लगाये और उनसे जांच करवाई गयी जांच करवाने के

बाद में वह यहां से स्टे लेकर गये, उसके बाद दूसरा पक्ष भी स्टे लेकर गया, उस बीच नया प्रस्ताव करा दिया गया, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया तो तीन-तीन लोग मान्यवर, उस कोटेदार की दुकान के लाइसेंस अधिकारी बने हैं और कभी दो महीने बाद एक को किया जाता है, दो महीने बाद दूसरे को किया जाता है, तीन महीने बाद तीसरे को किया जाता है। नौबत यह है कि मान्यवर, एक-एक लाख रुपये प्रत्येक कोटेदार से वहां पर लिया जाता है। बदले में जो स्टोर बने हुये हैं, 50 किलो की जगह 45 किलो की कट्टी दी जाती है। कोटेदार को जब इतना पैसा देना पड़ेगा और इतना उसका खर्च आयेगा तो वह खर्च निकालेगा कहां से। खाद्यान्न अलग से कम मिल रहा है, उसके बाद में एक वी0आई0पी0 चलता है, प्रत्येक कोटेदारों से मंथली पैसे जमा किये जाते हैं, उससे उन सबको पहुंचाया जाता है। तो मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि 40,94,500 अंत्योदय योजना के अन्तर्गत हैं, 65,84,500 बी0पी0एल0 योजना के कार्डधारक हैं, ए0पी0एल0 योजना के तहत 3,38,54,511 हैं। मान्यवर, खाद्यान्न की बात जब कभी सदन में आई और हमारे वरिष्ठतम सदस्य माननीय हुकुम सिंह जी ने उस बीच चर्चा में यहां पर कहा था कि अगर हम लोगों के पास खाद्यान्न सरप्लस है और मार्च तक योजना है कि इन लोगों को दिया जाये और बी0पी0एल0 कार्डधारक योजनाओं की तरह खाद्यान्न का वितरण उन गरीबों को किया जाये जो उसके पात्र हैं, जो चिन्हित किये गये हैं, उनको बढ़ाने की बात की जाये। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहता हूं मान्यवर, अन्य राज्य देखें, आन्ध्र है, हरियाणा है, पंजाब है कहीं दो रुपए किलो चावल दिया जा रहा है कहीं तीन रुपए किलो गेहूं देने की घोषणाएं की जा रही हैं। हमारे यहां हमारी सरकार जो चिन्हित करती है तो जो यह चुंगल बना हुआ है जो रैकेट बना हुआ है जो व्यवसाय बना लिए हैं और उसका दोषारोपण नेताओं पर गलत तरीके से करते हैं। नेता लोग कतई यह नहीं चाहते हैं कि किसी की दुकान निलम्बित करके दूसरे को दिया जाय। नेता लोग यह कतई नहीं चाहते कि गरीब आदमी को राशन न मिले। गरीब आदमी को तेल न मिले गरीब आदमी को चीनी न मिले। यह कोई भी नेता नहीं चाहेगा यह सब उनकी आड़ में एक संगठित गिरोह जो अधिकारी वर्ग चला रहे हैं सिर्फ इन्हीं के द्वारा यह होता है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इसको रोका जाए और गरीबों की दशा और दुर्दशा तभी सुधरेगी और गरीबों के पेट तभी भरेंगे जब गरीब को दो जून की रोटी मिले मैं समझता हूं कि हमारी बातों से दो लोगों को ही खाद्यान्न मिल जाय तो मैं समझूंगा कि उन्होंने जो चुनकर यहां भेजा है मैं उनके ऋण को उतारने का प्रयास कर रहा हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आगे और बजट है दो घण्टे की चर्चा है।

श्री अधिष्ठाता-

कुछ लोगों को और बुला लें।

*श्री वीरपाल राठी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने खाद्य एवं रसद विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। अभी माननीय मंत्री जी बजट रख रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था कि पूरे प्रदेश के अन्दर किसानों के लिए न जाने कितनी सौगात उन्होंने दीं। लेकिन उन्होंने यह बताने का प्रयास नहीं किया कि पिछले 2011-12 में हमने कितने खाद्यान्न की खरीद की अन्य प्रदेशों ने कितनी की यह आंकड़ा भी माननीय मंत्री जी को प्रस्तुत करना चाहिए था सदन के अन्दर बताया गया कि 34 लाख टन गेहूं खरीदा जबकि पंजाब और हरियाणा में 85,90 लाख टन खरीदा गया। मध्य प्रदेश में 85 लाख खरीदा गया यह भी आंकड़ा देना चाहिए था कि हमारे प्रदेश का गेहूं का क्षेत्रफल कितना है और उन प्रदेशों का क्षेत्रफल कितना है। उसी के अनुपात में हमें प्रदेश के अन्दर गेंहूं की खरीद भी करनी चाहिए थी। मान्यवर धान के किसानों ने पिछली बार 2011-12 में विधान सभा के अन्दर प्रदर्शन किया था उसके बाद आज मैं विधान सभा के अन्दर खुले मन से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर डीजल की बिक्री, पेट्रोल की बिक्री खुले आम हो रही है लोग अपने घरों के अन्दर बांट रहे हैं यह किसके माध्यम से हो रहा है ? यह इंस्पेक्टर के माध्यम से, डी0एस0ओ0 के माध्यम से पुलिस के माध्यम से हो रहा है प्रदेश का कोई ध्यान नहीं है कि कैसा नकली डीजल, नकली पेट्रोल गांव के लोग खरीद रहे हैं। मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य जो कटौती प्रस्ताव रख रहे थे उन्होंने कहा भी कि महीनों-महीनों और बहुत से जो डीलर होते हैं वह एक-एक महीने का जो खाद्य होता है जो कोटा होता है उसे गायब कर देते हैं और गांव के लोगों से कहते हैं कि अबकी बार सरकार के यहां से कोई कोटा नहीं आया। मैं पूरब के यहां का तो दावा नहीं करता लेकिन मेरे यहां का दावा है मैं अपने पश्चिमी की रिपोर्ट भी दे सकता हूं और बता सकता हूं कि कब किस महीने में कोटा नहीं गया। बड़े अफसोस की बात है आज जितने भी डीलर हैं वह राशन कार्ड अपने पास जमा रखते हैं गरीबों को राशन नहीं मिलता और जो उनकी बात करते हैं जो उनके फेवर में रहते हैं वह हर महीने अपना चढ़ा लेते हैं और गरीबों तक राशन नहीं पहुंचता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज यह कोटा प्रणाली जैसे गन्ना मिलों में है यहां पर सरकार के बड़े-बड़े ओहदे के लोग बैठे हैं मैं कहूंगा कि जो कोटा प्रणाली मिलों के अन्दर है गन्ना मिलों के अन्दर है उसे समाप्त करनी चाहिए। जो कोटा प्रणाली केन्द्र निर्धारित करता है उसके लिए प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए यह बताना चाहिए कि इससे हमारे प्रदेश के किसानों का नुकसान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रदीप चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने कटौती प्रस्ताव पर बताई हैं, मान्यवर, दो-तीन बातें मैं बताना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। यह बात सत्य है कि जो वितरण गांव स्तर पर होता है वह वास्तव में दो-दो तीन-तीन महीने बाद होता है यदि हर महीने वितरण हो जाये और महीने के पांच-सात दिन लगातार रख दिये जाएं और बता दिया जाये कि फलां-फलां दिन आप लोगों को राशन मिलेगा। इससे मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं आयेगी और जनता को जो राशन लेने वाले लोग हैं उनको सुविधा मिल जायेगी। दूसरी बात यह कि जो सप्लाई इंस्पेक्टर तहसील स्तर पर तैनात हैं, उनके यहां अगर किसी कोटेदार की शिकायत कर दी जाए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। महीनों-महीनों तक जांच करने की बात

नहीं होती और यदि जांच करने की बात आ भी जाती है तो फारमेलिटी अदा करके, लीपापोती करके जांच रिपोर्ट कोटेदार के पक्ष में करने का काम कर दिया जाता है। बहुत सी जगह पर वितरण हुआ ए0पी0एल0 की सूची बना करके, बहुत से गांव ऐसे बचे हैं जहां अपात्र लोगों को पात्र बना करके उनको राशन का वितरण कर दिया गया है। जो पात्र लोग थे उनका नाम सूची में दर्ज नहीं किया गया और उनको राशन से वंचित रखा गया। हमारे क्षेत्र के गांव कुआंखेड़ा, बहलोलपुर, नयाकुंडा, बाडीमाजरा आदि ऐसे गांव के लोग हैं और वह बार-बार तहसील स्तर पर जाकर अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनके नाम ए0पी0एल0 सूची में शामिल नहीं किये गये हैं और वह आज भी राशन से वंचित हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं जो गांव स्तर पर बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि जब प्रस्ताव खुली बैठक में करने का निर्णय लिया गया है उसके बाद कुछ सेक्रेटरी स्तर पर बहुत बड़ी धांधली करने का काम करते हैं घालमेल करके, सॉठगॉठ करके बिना किसी खुली बैठक के इसका प्रस्ताव करके भेजने का काम करते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहां वजीरपुर गांव में खुली बैठक में प्रस्ताव न करके सॉठगॉठ करके भेजा हुआ है। वहां का वितरण अभी तक सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय इन सभी बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इन पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

*श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं भूमिका न बनाते हुए मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने सदन को बताया कि पी0डी0एस0 के या खाद्य रसद विभाग के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं, गेहूं की खरीद करना और कोटे का वितरण करना। जैसा कि हमने सदन में देखा कि किसानों की हितैषी कहलाने वाली यह सरकार जो अपने आपको गरीबों की हितैषी कहलाना चाहती है। मैं जनपद बदायूं का रहने वाला हूं जनपद बदायूं के अन्दर पिछली बार इसी सत्र में एक बात कही थी कि जब गेहूं की खरीद हुई तो एक भी किसान पूरे बदायूं में ऐसा नहीं जिसे पूरा समर्थन मूल्य मिला हो। मेरा दावा है इस सदन में आज भी जांच करा ली जाए अगर एक भी किसान को वहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला हो तो मान्यवर, जो सजा मुझे देनी हो दे दीजिएगा। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बदायूं जिला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी वहां से बहुत अधिक वोटों से जीते थे। उस जिले के अन्दर किसानों की अनदेखी उनके साथ अत्याचार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। इतना ही नहीं अभी जब पी0डी0एस0 के कार्ड बने, नये कार्ड धारकों के लिए अभी जब योजना लागू हुई तो किसी भी गांव में कोई मीटिंग नहीं हुई, कोटेदार के माध्यम से सूची मंगवा ली गई ....

(इस समय 04 बजकर 05 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, सौ का सौ प्रतिशत फर्जी राशनकार्ड वहां बना दिये गये, राशन कार्ड नहीं बनाये वहां सिर्फ सूची कोटेदार को दे दी गयी कि इन-इन नामों के लोगों को राशनकार्ड दे दिया जाए। मान्यवर, मेरा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दावा है कि जनपद बदायूं के अन्दर किसी भी राशनकार्ड धारक को जो बनाये गये हैं उसमें से 20 प्रतिशत लोगों को भी लाभ नहीं मिल पाया। इस बात की भी जांच करा ली जाए, यह सबसे बड़ा घोटाला इस सरकार के अन्दर आने वाले समय में सबसे बड़े घोटाले के रूप में सामने आयेगा। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं, संज्ञान में लाना चाह रहा हूं। मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले एक बात और बताना चाहता हूं कि पिछली बार गेहूं खरीद के अन्दर जितनी बड़ी धांधली हुई इस बार उससे भी बड़ी धांधली करने की वहां तैयारी चल रही है। वह तैयारी ऐसी है कि वहां पर किसी भी किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। मान्यवर, पी.डी.एस. की बात माननीय मंत्री जी ने कही, मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)-

मान्यवर, बस एक मिनट और लूंगा मेरी कोई अपनी व्यक्तिगत बात नहीं है। मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि जगह-जगह पारदर्शिता लाने के लिए हमने नियम और कानून बनाये हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पी.डी.एस. के गोदाम से जहां से गेहूं चलता है वहां से उत्पीड़न शुरू हो जाता है जो गोदाम पर आता है, गोदाम पर कोटेदार गेहूं लेने जाता है तो उसे 51 किलो का बोरा 45 किलो में दिया जाता है। 45 किलो उसमें राशन होता है और 51 किलो के पैसे लिये जाते हैं। जब वह दुकान पर आता है तो उसके बाद जो सत्यापन करने आते हैं वह उससे पैसा ले करके सत्यापन करते हैं। उसके बाद जब तेल लेने जाता है तो जनपद बदायूं में दो रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एन.ओ.सी. उसे तब दी जाती है जब दो रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उससे पैसा ले लिया जाता है। इतना बड़ा घोटाला इस सरकार के अन्दर, जनपद बदायूं जैसी जगह में हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस पर उचित कार्यवाही करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी परिवहन विभाग का बजट है उसके बाद लॉ-एण्ड-आर्डर पर चर्चा है और स्वभाविक रूप से बहुत लोगों की सूचनायें हैं तो आप समय के हिसाब से तय कर लें। श्रीमन्, इसीलिए हम लोगों ने कोई बात नहीं रखी और सभी दलों के विचार आ गये हैं।

डा0 मो0 मुस्लिम-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने खाद्य एवं रसद विभाग के बजट के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। बगैर किसी भूमिका के मैं सीधे अपनी बात कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी और बहुत अच्छे तरीके से रखी, मैं सदन के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान अमेठी में तिलोई विधान सभा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां किरोसीन ऑयल, चीनी ये दो चीजों पर बात करना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश की सरकार यहां आयी इत्तेफाक से

समाजवादी पार्टी की सरकार आयी, यह न समझा जाए कि मैं समाजवादी पार्टी की बुराई कर रहा हूं लेकिन इस बात को कहना पड़ रहा है कि ऐसे शख्स के बीच में खाद्य रसद चला गया हमारे तिलोई का जो किरोसीन आयल का जो हमारा शेयर था, तीस ग्रामों को काट करके जामों डिपो में चला गया जो जामों का डीलर है। हमारी विधान सभा तिलाई में डीलर है। जब हमारा कोटेदार वहां तेल लेने जाता है तो उसके यहां दरवाजे पर जूता टंगा हुआ है और वह जूता दिखाया जाता है कि 500 रुपया लो तेल आपको नहीं मिलेगा, भागो यहां से। आज हमारे क्षेत्र में तेल की इतनी किल्लत हो गयी है। बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। गांव एरिया जो क्षेत्र इलाका है वहां बच्चे इससे अपने विराग जलाकर अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं लेकिन दुःख इस बात का है कि सब मिल करके वो बात नहीं कहेंगें। राजा महाराजा मिलकर पूरा अपना मामला तेल का लेकर चले गये और चीनी भी चली गई। मुझे अफसोस है, सदन में मंत्री जी हैं, हमारे प्रमुख सचिव भी बैठे हैं, जांच करा लें कि क्या तिलोई विधान सभा का 30 ग्रामों का केरोसिन ऑयल जहां डिपो है तिलोई में उसके बजाय जामो क्यों गया। यह बात मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि यह बात सदन मे रखी गई है यकीनन इस पर हमें हमारे क्षेत्र के वासियों को मौका मिलेगा। आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे अब खत्म करिये। आपके भाजपा ने तो कटौती रखा है। माननीय तेजपाल जी बस दो मिनट में कहें।

*श्री तेजपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य एवं रसद विभाग का बजट आज बड़े विद्वान मंत्री जी ने पेश किया है। आपके माध्यम से मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि यह सबसे जो आपने गेहूं खरीद की बात कही है। गेहूं खरीद में सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वह हरियाणा बार्डर के जो जिले हैं उनको और वह सबसे ज्यादा परेशानी इसलिये होती है कि हमारे यहां गेहूं खरीदा नहीं जाता और हरियाणा में वह लेते हैं और तुरन्त भुगतान भी करते हैं। हमारे यहां से डीजल भी वहां चार रुपये सस्ता है। स्थिति यह हो जाती है कि किसान पूरा ट्रैक्टर में गेहूं भर कर ले जाता है अपना गेहूं वहां बेचता है और वहां से डीजल भी भर कर ले आता है। उसका नतीजा यह निकलता है कि हमारी जितनी मंडियां हैं बार्डर की वह सब सूनी पड़ी रहती हैं। इसलिये ऐसी कोई व्यवस्था जरूर करा दें जिससे वहां का किसान जो बॉर्डर के जिले हैं पूरे मथुरा से लेकर सहारनपुर तक जो हरियाणा बॉर्डर के जिले हैं सबमें यही परेशानी है। हुकुम सिंह जी जानते होंगे इस बात को, सब जानते होंगें। इस समस्या का जरूर समाधान होना चाहिए जिस माध्यम से भी आप खरीद करायें। यह अपने यहां का गेहूं जो हरियाणा जा रहा है। किसान परेशान है।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

नहीं रूबी प्रसाद आज नहीं, आप कल भी बोली हैं, परसों भी बोली हैं, आज नहीं। अभी डेढ़ घंटा चर्चा है। अब नहीं। आप लोग स्पष्टीकरण पूछ लीजियेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री तेज पाल सिंह-

किसान परेशान होकर हरियाणा में ले जाता है और वहां धक्के खाता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आई है कि 48-48, 72-72 घंटे तक किसानों ने हाई-वे जाम किया है। हमारे यहां कोसी जाम हुआ है और यह केवल इस वजह से करना पड़ा कि हरियाणा में किसानों के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार होता है। डंडे मार-मार कर उनको भगाया जाता है, नतीजा यह निकलता है कि किसान ने दुःखी होकर नेशनल हाई-वे तक जाम किया है। यह ऐसी व्यवस्था माननीय मंत्री जी जब अपना जवाब देंगे। (माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) अरे भाई सुन लो, एक मिनट बात तो पूरी होने दो। माननीय मंत्री जी आप अपनी तरफ से जब बात रखें तो जरूर इसका समाधान कोई ऐसा निकालवाइये क्योंकि बॉर्डर के जिले बहुत परेशान हैं और गेहूं खरीद में सबसे ज्यादा पिछड़ जाते हैं। गेहूं हो चाहे धान का हो। कोई न कोई व्यवस्था ऐसी जरूर निकलवाइये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब बात खत्म करिये। रोशन लाल वर्मा जी, आपने भाषण बहुत किया। मौर्या जी, आपके माननीय शर्मा जी ने कटौती प्रस्ताव रखा, काफी बातें उन्होंने कह दी होंगी अब आप लोग स्पष्टीकरण में पूछ लीजियेगा।

*श्री राकेश त्रिपाठी-

मान्यवर, एक आपके संज्ञान में एक जानकारी देना है एक मिनट में कह लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब संज्ञान में क्या, आप लोग स्पष्टीकरण में पूछ लीजियेगा। अरे त्रिपाठी को बोल लेने दो, पंडित आदमी है बहुजन में हैं तो कहां इनको मौका मिलता है, बोलने दीजिये।

श्री राजेश त्रिपाठी-

आपने बैलेन्स बनाया, इसके लिये धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मान्यवर, प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत खाद्य एवं रसद विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं आपको बहुत धन्यवाद कि आपने हमको अनुमति दिया। मैं बहुत अधिक विस्तृत चर्चा में नहीं जाना चाहूंगा। माननीय सदस्यों ने जो अपनी बातें रखी हैं मैं उसी से अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं इतना अनुरोध मंत्री जी से करना चाहता हूं कि जो गांव में राशन कार्ड और बी0पी0एल0 राशन कार्ड हैं, ऐसे लोगों के बनाये गए हैं, जिनके पास हवेलियां हैं, जो अपात्र हैं। मैं आपसे अनुरोध करा रहा हूं कि उसको ठीक करा लें। मैं यह कहना चाह रहा था कि उसकी जांच करा लें। क्योंकि भारत सरकार से आपने डिमाण्ड किया है और भारत सरकार से, केन्द्र सरकार से, आपको और अधिक बी0पी0एल0 कार्ड की अनुमति नहीं मिल रही है तो जो अपात्र हैं उनके राशनकार्ड निरस्त करके और जो गांव में पात्र हैं उनको दे दिए जाएं। ताकि कुछ लोगों का भला हो जाएगा। कहना मैं बहुत कुछ चाहता था लेकिन मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं मान्यवर गोला तहसील क्षेत्र में एक पूरे सिस्टम का आपको अनुमान

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगेगा, इसको उदाहरण मान लिया जाए, गोला तहसील में एक गांव है एक ग्राम सभा है सीधेगौल जहां पर ग्रामीणों ने शिकायत किया कि हमें राशन नहीं दिया जाता है। उसकी जांच हुई, एस0डी0एम0 महोदय ने उसमें स्वयं जांच कराई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि चार महीने का पूरा राशन वह कोटेदार बेच चुका है। जब साबित हो गया और वह निलम्बित हो गया उसके बाद एक शपथ-पत्र ग्राम सभा के प्रधान द्वारा दिया गया कि हम अपने ग्राम के कोटेदार की वितरण प्रणाली से संतुष्ट हैं अतः इनको बहाल कर दिया जाए। इसी आधार पर स्वयं अपने ही जांच में पकड़े गए एक हजार की पेनाल्टी लगाते हुए एस0डी0एम0 महोदय ने उसको बहाल कर दिया। ग्राम प्रधान पहुंचा और उसने कहा कि मैंने तो कोई शपथ पत्र दिया ही नहीं, यह किसका शपथ-पत्र है। यह दस्तखत फर्जी है मुझे पता ही नहीं कि कोटेदार ने यह शपथ-पत्र दे दिया वह भटक रहा है 420 का मामला भी है। पूरे गांव वाले आक्रोशित हैं जिन गांव वालों ने शिकायत किया था उनके राशन के डिब्बे फेंक दिए जा रहे हैं। उनके तेल के डिब्बे फेंक दिए जा रहे हैं मेरा अनुरोध यह है कि यह जो सिस्टम है, यह सिस्टम कहां है मुझे नहीं पता है इस तरह की जो चीजें हो रही हैं इसको आप दिखवाए। इसी के साथ जो हमारे बाकी साथियों ने कहा है उसके साथ मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग इतना बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। शर्मा जी आप बैठ जाओ। मंत्री जी जब जवाब देंगे तो स्पष्टीकरण में अपनी बात कह लीजिएगा।

श्री राघव लखन पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव मा0 सदस्यों के आए।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाओ स्पष्टीकरण में मंत्री जी से पूछ लेना।

रूबी प्रसाद आप बैठें। शर्मा जी बैठ जाओ स्पष्टीकरण में पूछ लेना। इनको मौर्या जी बोलने नहीं देते हैं तो क्या करें।

(शोर)

श्री जय प्रकाश निषाद-

मान्यवर, मेरे यहां गम्भीर समस्या है अभी जैसा कि पिछले बार मैंने बताया था। अभी जो हमारे मा0 सदस्य कटौती के प्रस्ताव पर बोले हैं मैं उस पर बल देना चाहता हूं और अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं। किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। समाजवादी सरकार, किसानों की हितैषी कहलाने वाली सरकार है। इसलिए किसानों की समस्या जटिल है। इस समस्या के समाधान के लिए मा0 मंत्री जी आपको इसमें नियम बनाने चाहिए, किसानों का गेहूं की खरीद बिचौलियों के द्वारा, जो गेहूं खरीद आने वाला है, पिछली बार देखा गया कि किसान का गेहूं बीच में दूसरे दलाल खरीद लेते थे अधिकारियों की मिलीभगत से, और खरीदकर तीन-तीन सौ, चार-चार सौ उनका घाटा करके उनको नगद पैसा देते थे इस तरह से उनको नुकसान पहुंचाया जाता था।

श्री अध्यक्ष-

अरे अपने क्षेत्र का बताओ ना।

श्री जय प्रकाश निषाद-

अध्यक्ष जी, खाद्य एवं रसद विभाग में वितरण प्रणाली का जो मामला है, आज जो भी गांव में वितरण होता है, कोटेदार जिस दिन अपना राशन लाता है, जिस दिन निकासी होती है, निकासी के दिन तमाम उसके ऊपर प्रतिबन्ध लगाये गए हैं, वह गांव में जब ले जाता है, मान्यवर, जिन बीपीएल कार्डधारकों को वह मिलना चाहिए, जिन गरीबों को मिलना चाहिए, वह उन्हें मिल नहीं पाता है। मान्यवर, दुकानदारों से 50 रुपया, 100 रुपया चीनी के बारे पर वहीं वसूला जाता है और मिट्टी के तेल पर 200-200 रुपये वसूली करते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाई के लिए कठोर कानून बनाये जाने चाहिए, जो ऐसा काम करते हैं, जो धन उगाही का काम करते हैं, गरीबों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। मान्यवर, बीपीएल कार्डधारकों के सुधार की जो बात माननीय मंत्री जी ने कही है, उसमें मैं बल देते हुए कहना चाहता हूं, बीपीएल कार्डों में सुधार के लिए यहां से जो आदेश जारी किए गए हैं, उससे सुधारने के बजाय और बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। जो असली बीपीएल कार्डधारक है, उसका नाम काटा जा रहा है जबकि अमीरों के नाम नहीं काटे जा रहे हैं, गरीबों के नाम काटकर उनको यह सरकार क्षति पहुंचा रही है। अध्यक्ष जी, हमारे यहां विकास खण्ड ब्रह्मपुर में विश्वनाथपुर गांव की बहुत जटिल समस्या है, नदुआ ज्ञान पार की बहुत जटिल समस्या है, ग्राम सभा बोटा की बहुत जटिल समस्या है, जगदीशपुर की बहुत बड़ी समस्या है, सरदार नगर में ग्राम सभा डुमरी खास की बहुत बड़ी समस्या है, टेल्डनापार की बहुत बड़ी समस्या है, महुअवा की बहुत बड़ी समस्या है और इसी प्रकार चौरी और राघवपुर की बहुत बड़ी समस्या है। मान्यवर, जो वास्तविक रूप से बीपीएल कार्डधारक हैं और पात्र हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं और अपात्रों के नाम बीपीएल सूची में शामिल किए जा रहे हैं। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए, कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री दीपनारायण सिंह 'दीपक यादव'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए खाद्य एवं रसद विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। हमारे साथियों ने कटौती का प्रस्ताव रखते समय बहुत सारी बातें सदन के समक्ष रखी हैं। मान्यवर, उन साथियों की बात सुनकर सोच रहा था कि किसी भी विषय पर सलाह देना, किसी भी काम में कमियां निकलना, सबसे सरल काम है, व्यक्ति के जीवन के लिए। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो बिगड़ी हुई व्यवस्था, जो बदहाल प्रदेश की स्थिति थी, उसको सुधारने के लिए वर्तमान सरकार ने किस कारगर ढंग से किस मजबूती के साथ, एक अच्छे मन के साथ इस प्रणाली को बदला है, व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जिस विभाग के माध्यम से मैं अपनी बात रख रहा हूं। दो महत्वपूर्ण कार्य जिनका जिक्र सदन में भी आया है और सच्चाई भी है कि किसान की फसल की खरीद और उपभोक्ताओं तक, बीपीएल कार्डधारकों तक, अन्त्योदय कार्डधारकों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक रसद सामग्री पहुंचाने का कार्य इस विभाग के द्वारा किया जाता है। मान्यवर, अभिभाषण से लेकर बजट तक इस सदन के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंची कि उत्तर प्रदेश में पहली बार एक ऐसा अवसर आया जब रिकार्ड उत्पादन हुआ और रिकार्ड उत्पादन के साथ-साथ रिकार्ड खरीद की गई। हमारे साथियों ने छोटे प्रान्तों से तुलना करने का प्रयास किया। मान्यवर, जिन प्रदेशों से तुलना की जा रही थी, उन प्रदेशों की आबादी जितने उत्तर प्रदेश में कार्डधारक हैं, उतनी पूरी उन प्रान्तों की आबादी नहीं है और उसमें सलाह दी जा रही थी कि फलां प्रान्त के भीतर बहुत अच्छी व्यवस्था है जहां फलां-फलां तरीके अपनाने गए हैं। मान्यवर, वर्तमान सरकार ने जो बेहतर प्रयास करने का काम किया है कि किसान का उत्पादन बढ़े, उसकी फसल की कीमत मिले, सरकार उसको खरीदे, समर्थन मूल्य पर और उपभोक्ता तक सामान कैसे पहुंचे उसके लिए बेहतर प्रणाली अपनायी गयी है। पहले कुछ कमियां थीं एकदम सारी बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता है लेकिन जिस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रदेश में रहने वाले गरीब को खाद्य सामग्री मिले उसको मजबूती के साथ पालन करने का प्रयास चल रहा है। साथियों, आपको इस बात का समर्थन करना चाहिए कि एक नौजवान मुख्य मंत्री जिसने बजट का एक-एक पैसा लोगों की तरक्की में खर्च करने का प्रयास किया हो उसके प्रयासों की सराहना, प्रशंसा होनी चाहिए। पहली बार ऐसा लग रहा है कि आज सत्ता किसी गरीब की तरक्की का साधन बन रही है। बजट का पैसा जो गरीब किसानों की मेहनत की कमाई है वह पैसा गरीब की तरक्की पर खर्च करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपने कटौती रखने वाले साथियों से कहना चाहता हूं कि सिर्फ सलाह से काम नहीं चलेगा मैं चाहता हूं कि अगर सलाह देना चाहते हैं तो सलाह पर काम करने की भी जरूरत है और सलाह वह लोग दे रहे हैं जिनको यह नहीं पता होगा कि अन्त्योदय कार्ड धारक का मानक क्या है ? बी0पी0एल0 कार्ड का मानक क्या है, राशन कैसे बटता है, किस मूल्य पर कौन सी चीज मिल रही है अगर कटौती रखने वालों से यह पूछ लिया जाये तो यह नहीं बता पायेंगे कि अन्त्योदय कार्ड धारक किन मानकों पर है और उसको किस कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। मान्यवर, समाजवादी सरकार का प्रयास है कि गरीब की मदद हो और इस विभाग के बजट के माध्यम से मजबूती के साथ गरीब तक राशन पहुंचाने का प्रबंध किया जा रहा है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राघव लखनपाल-

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ अच्छे सुझाव कुछ अच्छे वक्तव्य, सब तो नहीं। किसको कितना मालूम है कितनी जानकारी है किस विभाग के बारे में क्या चीज कैसे बनती है कैसे चलती है। तो यह शायद सरकार को ही ज्यादा जानकारी होगी हमें कम है आप हमें अवगत करवायें जो सुझाव दे रहे हैं वह बतायें और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे उसको सुधारने में। लेकिन आप पहल तो कीजिये। मान्यवर, मिटटी का जो तेल है कैरोसीन उसकी इतने बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है यह हम सब जानते हैं उसका परिणाम यह है कि आज जो हमें पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल और डीजल मिलता है वह भी मिलावटी है। शायद बहुत से माननीय सदस्यों की गाड़ियों के इंजन भी बैठ गये होंगे। मेरी एक गाड़ी का तो बैठ ही गया था और मुझे उसकी ओवरहालिंग करानी पड़ी। तो यह जो मिट्टी का तेल है और जो इसमें वितरण की बात आयी है इसमें जो मॉडल मैंने सुझाया है अगर सरकार वास्तव में वह उत्तर प्रदेश में अप्लाई करती है तो इनको सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। दूसरा एक

शासनादेश 05 नवम्बर, 2007 को पिछली सरकार द्वारा निकाला गया था जिसमें बी0पी0एल0 सूचियों का पुनर्सवेक्षण होना था और न जाने क्यों 04 अक्टूबर, 2008 को ही उसी सरकार के आदेश से इस कार्य को रोक दिया गया। मेरी समझ से तो यह बात परे है। जब हम सब जानते हैं कि पचास प्रतिशत से भी अधिक अन्योदय कार्ड, बी0पी0एल0 कार्ड अपात्रों को मिले हुए हैं तो इस सरकार द्वारा क्यों नहीं दुबारा से पुनर्सवेक्षण कराने का कार्य किया जाता है। सही मायने में जो पात्र हैं उन्हीं को दिया जाये दबंगई के बल पर नहीं। यह नहीं कि गांव में कोई प्रधान है वह सत्ता का है और कोई प्रभावशाली व्यक्ति है तो वह संरक्षण दे रहा है अपनी लिस्ट देकर बी0पी0एल0 बनवा दे। नहीं यह नहीं होना चाहिए। वहां पर पूरी लिस्ट लगे। अब छत्तीसगढ़, गुजरात का नाम लेता हूं तो न जाने क्या परेशानी हो जाती है। दे आर मॉडल्स फार दिस कन्ट्री। डेवलपमेंट माडल्स। उनको अपनाने की आवश्यकता है। आप यह न सोचिये कि वह भारतीय जनता पार्टी है। आप यह सोचिये कि उन्होंने अपने-अपने प्रदेशों में विकास करवाकर दिया है। अगर हम उनसे कुछ अच्छा सीख सकते हैं तो इसमें बुराई क्या है। मान्यवर, एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि गेहूं खरीद में धांधली है, धान खरीद में भी धांधली है, वितरण प्रणाली में भी धांधली है और सरकार का सीना घमण्ड से फूला हुआ है और गरीब का पेट भूख से। तो माननीय अध्यक्ष जी मैं एक बार पुनः सरकार से यह आग्रह करते हुए कि अपने इस बजट को काट कर एक रुपया कर दिया जाय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं और यह भी सरकार से आग्रह करता हूं कि सभी जो अच्छे सुझाव यहां पर दिये गये हैं, विशेषरूप से जो छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाने की बात कही गई है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, तो उसको सरकार अपने बजट में लेकर पुनः दोबारा उसको पेश करे।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 राखव लखनपाल शर्मा जी, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, शमशेर बहादुर सिंह जी, विनोद कुमार शाक्य जी, राजेश त्रिपाठी जी, जय प्रकाश निषाद जी, आदरणीय राठी जी, प्रदीप जी, मोहम्मद मुस्लिम साहब, तेजपाल सिंह जी और दीपक जी ने जो आज इस बजट चर्चा में भाग लिया है और अपने मूल्यवान विचार और सुझाव रखे हैं, इसके लिए मैं उन सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, आज जो अपनी बात रखते समय मैंने निवेदन किया था और जिन बातों को मैंने रखने का काम किया, मैं बहुत प्रसन्न हूं इस मामले में कि कटौती का प्रस्ताव रखने वाले और कटौती पर बल देने वाले हमारे तमाम साथियों ने भाषण चाहे जितने भी किये हों, लेकिन उसमें एक भी तथ्य को काटने का काम किसी भी साथी ने नहीं किया और इसमें हमारे लिए कोई अतिरिक्त प्रसन्नता की बात नहीं है, प्रसन्नता की बात सिर्फ यह है कि सकारात्मकतौर पर जो सुझाव आप दे सकते थे इसे और बेहतर करने के लिए, वह आपने दिये हैं और हम उनको स्वीकार करेंगे, लेकिन मैं चाहता यह था कि सचमुच कोई सुझाव आये। एक साथी कहते हैं मेरे यहां फलाने गांव में बहुत बड़ी समस्या है, फलाने गांव में और बहुत बड़ी समस्या है, उस गांव में उससे भी बड़ी समस्या है, लेकिन उसके बगल वाले गांव में उससे भी बड़ी समस्या है और उसके बगल वाले में तो उससे बहुत ही बड़ी समस्या है तो मान्यवर, इस तरीके से बात कहने से आखिर सुझाव क्या हुआ और कम्प्लेण्ट क्या मिली। मैं बात करना चाहता हूं रायबरेली से मुस्लिम साहब ने बताया, उन्होंने एक निश्चित शिकायत बताई कि हमारे यहां एक डिपो तिलोई में रहते हुए जामो भेज करके क्यों इस तरीके

से किया गया, जिसमें कि इस तरीके की कठिनाई हुई, तो मैं उसका समाधान उनको बताता हूं, उनकी सरकार से जो अपेक्षा है, निश्चितरूप से हम इसकी जांच करवायेंगे कि ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ और जो भी व्युत्क्रम हुआ उसको ठीक कराने का काम करेंगे। जब शिकायतें आती हैं और सुनिश्चित शिकायतें आती हैं तो उस पर कार्यवाही करना आसान होता है। आज अपना कटौती प्रस्ताव रखते समय यद्यपि वह बहुत ही प्रबुद्ध हैं, बहुत ही प्रखर हैं और उनका कहने का अन्दाज भी बहुत आकर्षक है, बड़ा प्रभावशाली है, लेकिन कटौती प्रस्ताव रखते समय मैं उनसे अपेक्षा कर रहा था, पिछले दिनों वह किसी विभाग पर रख रहे थे, बहुत ही प्रशन्सात्मक उनकी प्रस्तुति थी, मैंने अलग से उनको इसके लिए विश किया था, लेकिन मैं आज उनसे अपेक्षा कर रहा था, मुझे लगता है कि उनके नेताओं ने समय रहते उनको तैयार होने का मौका नहीं दिया अन्यथा छत्तीसगढ़ की बात कह कर और छत्तीसगढ़ पर शुरू छत्तीसगढ़ पर खत्म। छत्तीसगढ़ का मॉडल उत्तर प्रदेश नहीं ले सकता। मान्यवर, हमारे यहां हर चीज के लिए अलग-अलग चीजें हैं, आपके किचन में आठ लोगों के लिए जो रेसपी बनती है, उसी को जब 500 लोगों के लिए बनाना होता है तो हलवाई की जरूरत पड़ती है, बरतन और उसको पकाने के तरीके बदल जाते हैं और इन दोनों को मैच नहीं कर सकते यह आप अच्छी तरह से जान लें और किचन में आठ लोगों के लिए जो खाना बनाता है, उसको जिस दिन पांच सौ लोगों के लिए पकाने के लिए कह दिया जायेगा, उसका हाथ बिगड़ जायेगा और 500 लोगों का खाना बनाने वाले को जिस दिन आप अपने किचन में बैठा देंगे, तो जो रोज हम लोगों के घर में किचन में खाना बनता है, किसी के परिवार की कोई महिला बनाती हो, कोई पुरुष बनाता हो, वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, मैच नहीं हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह छत्तीसगढ़-छत्तीसगढ़ की जो बात आपने कही, धान के कटोरे से उत्तर प्रदेश की तुलना कैसे हो सकती है धान में, देश में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, तो धान के कटोरे से धान का मुकाबला बिहार का, उत्तर प्रदेश का करना चाहेंगे, नहीं हो सकता।

प्रश्न दूसरा है, हमने उपलब्धियों का कोई उल्लेख नहीं किया। मा0 अध्यक्ष जी, मैंने अपने पूरे बजट भाषण में उन्हीं प्रयासों का उल्लेख किया जिन प्रयासों को करके हम इन कठिनाइयों को दूर करना चाहते हैं। हमने कहीं नहीं कहा कि ये गड़बड़ी नहीं हो रही, हमने कहीं नहीं कहा कि बी0पी0एल0 कार्ड में गड़बड़ी नहीं है। हमने एक बार भी नहीं कहा कि गोदाम से चलता है तो सीधे दुकानदार के पास पहुंच जाता है और दुकानदार के पास से उसके पास पहुंच जाता है। हमने कहा कि हमने उसके लिये प्रयास किया। प्रयास किया पारदर्शिता लाने का। कम्प्यूटराइजेशन करके और अभी सेकेण्ड स्टेप हमारा बाकी है जो आपने सजेस्ट किया कि गोदाम चले, जी0पी0एस0 रहे, जहां-जहां पहुंचे उसकी जानकारी रहे। वो हमने ऑलरेडी अपने बजट भाषण में उसका उल्लेख किया है। अगर आपने ध्यान दिया होता तो उसको दोहराने की कोई आवश्यकता न होती। जिन सुझावों को आप दे रहे हैं उनको हमने एडाप्ट करने का काम किया और जो शिकायत अगर आ रही है जो हमने डेटा डिजिटाइजेशन का काम किया है। अगर कहीं कोई कमी होगी शिकायत होगी तो गंभीरता से देखेंगे और दूर करेंगे लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूं कि इस काम को बड़े मनोयोग से किया गया है और हम उसको आधार तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि मा0 मुख्य मंत्री जी की सराहना करते हुये आपने कहा है कि नौजवान हैं और उनका संकल्प मजबूत है और वे सुधार कर सकते हैं। पूरे प्रदेश का सभी विभागों का विशेषकर आज जो खाद्य एवं रसद विभाग का बजट प्रस्तुत

किया जा रहा है वो मा0 मुख्य मंत्री जी के प्रयासों के तहत ही यह बजट इस सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है। आपने उनकी सराहना की है तो मैं मानता हूं कि आपने हमारी सारी बातों को हमारे सारे प्रयासों को अपनी स्वीकार्यता प्रदान की है। मान्यवर, आपने शुरू में तीन बातें कहीं कि कवरेज बढ़ाना होगा। हमने प्रयास कर दिया। हमने अपना प्रयत्न आपको अपने बजट भाषण में बताया। आपने कहा पारदर्शिता लानी होगी तो हमने पारदर्शिता लाने के लिये जो सारे उद्यम किये हैं और जो हमारी भविष्य की योजनायें हैं। मैंने उनका उल्लेख किया और आपने कहा कि पी0डी0एस0 को सुदृढ़ करना होगा। शुरू में ही कहा कि इसको सुदृढ़ किये बिना हम उस भूखे के पेट तक अनाज का दाना पहुंचे, उसकी पतीली में, उसके डोंगे में पहुंच जाये तो पहुंचाने का इंतजाम करना पड़ेगा। उसके चूल्हे तक ले जाना पड़ेगा उस राशन को। इन्हीं उद्देश्यों के तहत ये सारा प्रयास हमने मान्यवर, किया है। छत्तीसगढ़ की जो डोर स्टेप डिलिवरी है वह हमने प्रपोज़ की है। हम उस पर नहीं आयेंगे इसलिये हमने उसका उल्लेख नहीं किया लेकिन वो क्रम में है हमारे उसी हिसाब से मान्यवर। अभी टिकल विल की जो आपने बात कही है तो श्रीमन् पोलिटिकल विल जो समाजवादी संस्कारों में है, हमारे मुखिया अखिलेश यादव में है। साबित करके रख दिया है कि 5 साल का घोषणा-पत्र 70 फीसदी एक साल में पूरा करने का काम किया है। राजनैतिक तौर पर कोई दल इस देश में ये दावा नहीं कर सकता कि अपने घोषणा पत्र को इतनी मजबूती से, इतने कम समय में लागू करने का काम किसी ने किया हो। पोलिटिकल विल तो हमको विरासत में मिली है, हमारे नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी की पोलिटिकल विल और आज मा0 मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी की पोलिटिकल विल। आपने ठीक कहा है कि कोई चीज लागू करने के लिये पोलिटिकल विल होनी चाहिये। सदन को हमें अवगत कराते हुये बहुत प्रसन्नता है कि पोलिटिकल विल और विश्वसनीयता अपने कामों की। मान्यवर, यही हमारी पूंजी है इसलिये आपने अपनी कटौती में जिन बातों को रखा है, उस पर उसके लिये आपको धन्यवाद देते हुये औपचारिकता जो आपने रखी है। इस औपचारिकता के लिये आपको धन्यवाद देता हूं। कुछ साथियों ने दूसरी बातें कही हैं कि गांव में वितरण प्रणाली खराब है, मैंने कब कहा कि अच्छी हो गयी है। मैंने तो नहीं कहा कि अच्छी हो गयी है। हम उसको नियंत्रित कर रहे हैं और बिगड़ी प्रणाली को ठीक कर रहे हैं। आपने अभी कटौती का प्रस्ताव रखने वाले सदस्य ने अभी कहा कि 2007 में बी0पी0एल0 की लिस्ट ठीक करने का शासनादेश आया, 2008 में वापस हो गया। सही है क्योंकि गड़बड़ी है उसके चलते। सदन में मैंने अपने भाषण में उल्लेख किया कि बी0पी0एल0 की सूची ठीक नहीं है और बी0पी0एल0 की सूची को ठीक करने का काम चल रहा है और इसी कारण कठिनाई है। एक करोड़ 07 लाख लोग थोड़े ही हैं बी0पी0एल0 सूची में उत्तर प्रदेश को। इसके कई गुना लोग हैं। भारत सरकार ने हमको एक संख्या दी है लेकिन उसके बाद भी जो प्रयास हो सकता था, उन चीजों को मान्यवर, हमने ठीक करने का प्रयास किया है। बार्डर का जो मामला है श्रीमन्, वो हम बताना चाहते हैं कि सचमुच में हरियाणा के बार्डर के पास के जो गांव हैं। मा0 तेजपाल जी ने अभी कहा, राठी जी ने कहा, आपने कहा, प्रदीप जी आपने भी कहा कि सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा मण्डलों में हरियाणा की समस्या के कारण 620 केन्द्र हम बढ़ा रहे हैं। 620 केन्द्र इस बार हम बढ़ा रहे हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि यू0पी0 की खरीद यू0पी0 में हो। यू0पी0 वालों को अपना गेहूं बेचने के लिये हरियाणा जाने की जरूरत न पड़े। ये विशेष प्रबन्ध कर दिया तो ये जो समस्यायें आयेंगी, उनका निराकरण करना आसान है लेकिन जो काल्पनिक समस्यायें आयेंगी और बिना आधार के फिर कहना खराब है, खराब है, बहुत

खराब है और वो आलाप लेने की तरह से जैसे शास्त्रीय संगीत की तरह से अगर लंबी तान लगा देंगे तो उससे कोई शब्द तो बनता नहीं और उसका निराकरण भी नहीं होता है। मान्यवर, जो सप्लाई निरीक्षकों की कमी की बात कही गई है, वह सही है, हमने कभी इंकार नहीं किया।

*श्री हुकुम सिंह-

जो केन्द्र बढ़ाने की बात आपने कही है, केन्द्र बढ़ाने से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। थोड़ा समझना पड़ेगा, उसको समझ लीजिए बस। समझना यह पड़ेगा हरियाणा में जो निजी क्षेत्र में क्रय होता है, चाहे गेहूं का हो या धान का हो, वह कुछ न कुछ पैसे बढ़ाकर देते हैं, दूसरा उन्हें फायदा यह है, दो-तीन समस्याएं हैं वहां पर, उनको हल कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, केन्द्र तो अभी भी थे, क्यों नहीं बेचते उनके यहां जा करके, इसलिए नहीं बेचते कि हरियाणा में जाकर उनको दाम अच्छा मिलता है, नंबर दो हरियाणा से एक संस्कृति उन्होंने व्यवसाय की विकसित कर ली है, उस आदमी से सम्बन्ध हो जाता है, संपर्क हो जाता है, वहां गेहूं देता है, खल लेकर आता है, बिनौरा लेकर आता है, तीसरी बात यह है कि डीजल के तीन ड्रम लेकर आता है जो यहां की अपेक्षा बहुत सस्ते हैं। ये तीन-चार कारण हैं, इसको अगर हल कर देंगे तो सारा काम ठीक हो जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मा0 श्री हुकुम सिंह जी ने जिन समस्याओं का उल्लेख किया है, ये विचारणीय बिन्दु हैं। मान्यवर, सप्लाई इंस्पेक्टरों की जो कमी की बात कही गई है, वह सही है। हमने कभी नहीं कहा कि सप्लाई इंस्पेक्टर पूरे हैं लेकिन सप्लाई इंस्पेक्टरों की जो कमी है, इसकी सीधी भर्ती के लिए मान्यवर, चार वर्षों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधियाचन लंबित है, लेकिन 514 पदों के लिए लंबित है, 250 पदों पर तो इम्तिहान हो गए हैं, जल्दी रिजल्ट आने वाला है, 250 हमें मिल जायेंगे और मान्यवर, शेष पदों पर आगामी जून तक हो पायेगा, लेकिन वह एक प्रक्रियात्मक है, जब उनके यहां रिक्यूजीशन जाता है, यदि उस समय ठीक से प्रयास हुआ होता आज त्रिपाठी जी, जो बात कह रहे थे, सप्लाई इंस्पेक्टरों की कमी की। अगर उस सरकार में इस पर समुचित ढंग से प्रयास हो पाया होता, जो प्रयास हमारी सरकार ने किया है। अगर इतना ही उस समय जोर लगाया गया होता तो यह संकट नहीं होता और तमाम सदस्यों को जो कठिनाई हो रही है कि सप्लाई इंस्पेक्टर नहीं है तो जांच कौन करेगा ? एक और दिलचस्प बात है एक मा0 सदस्य ने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए कहा कि साहब सप्लाई इंस्पेक्टर जा रहा है, अंधाधुंध दुकानें कैंसिल हो रही हैं, दूसरे ने कहा कि साहब कोई दुकान कैंसिल ही नहीं हो रही हैं, सप्लाई इंसपेक्टर सुन ही नहीं रहा है। हम समझते हैं कि इसका आपस में एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए कि उन दो बातों में से ज्यादा कैन्सिल हो गई, बिल्कुल नहीं हुई को, मान्यवर, स्वयं देख लेना चाहिए, उसका उत्तर स्वयं ही दे दिया, अब मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, मैं अंत में इनमें से कोई और विशेष बात न कहते हुए सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जिस ईमानदारी के साथ इस बजट को सरकार इस बार लेकर आई है किसी तथ्य को आगे-पीछे करने का काम नहीं किया और अनायास रूप से कोई अपने लिए क्रेडिट लेने का काम नहीं किए। इसके अलावा भी एक बात है, कुंभ की बात है और मान्यवर, ऐतिहासिक कुंभ, ऐतिहासिक प्रबन्ध और उस कुंभ में इस सप्लाई के बारे में जो मैंने बात कही है आपसे, बहुत सारी चर्चाएं हुईं,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विस्तृत चर्चाएं हुईं, तब भी किसी ने नहीं कहा और पानी भरे टेन्टों में, वहां तक पहुंच-पहुंच करके और उनको खाद्यान्न राशन, तेल, चीनी इन सारी चीजों को जो पहुंचाने का उल्लेखनीय कार्य हुआ, बी0पी0एल0 की दर पर हुआ, उस मेले के प्रभारी, मा0 आजम खां साहब मौजूद हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी ने और इन्होंने जिस प्रकार यह प्रयास किया कि ओपेन मार्केट रेट पर भारत सरकार जो खाद्यान्न और अन्य चीजें दे रही थी और अपना पक्ष रखकर के उसको बी0पी0एल0 के रेट पर जो दिलाने का काम किया मान्यवर, उसके लिए मैं पुनः अपनी सरकार को, मा0 मुख्य मंत्री जी को, मा0 संसदीय कार्य मंत्री को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। एक सुझाव मैं समझ रहा था कि शायद आयेगा, आपने नहीं दिया, तो मैं उस कमी को अपनी ओर से पूरी करना चाहता हूं। एक विचार है, क्योंकि बजट में प्राविधान नहीं था, इसलिए मैंने नहीं उल्लेख किया लेकिन इस सदन में मैं मान्यवर, एक राय रखना चाहता हूं। इस पी0डी0एस0 में अगर मोटे अनाजों को शामिल कर लिया जाए, सिर्फ चावल गेहूं की बजाय, मान्यवर, जो मोटे अनाज हैं, यदि उनको शामिल कर लिया जाए, तो एक बहुत बड़ी समस्या का निदान हो सकता है। आई0आई0टी0 दिल्ली और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक शोध किया, सर्वे किया और उस सर्वे रिपोर्ट में मान्यवर, 9 प्रदेशों का सर्वे हुआ उस 9 प्रदेशों के सर्वे में 93 प्रतिशत लोगों ने आंध्र प्रदेश में, 82 प्रतिशत लोगों ने उत्तर प्रदेश में इस पक्ष में अपनी राय दी कि जो हमारे मान्यवर, रागी, ज्वार, बाजरा मक्का मडवा इत्यादि जो अनाज लुप्त हो रहे हैं। उनको भी अगर पी0डी0एस0 में शामिल कर लिया जाए तो इसका बड़ा भारी लाभ होगा अभी बहुत सारे वैज्ञानिक बोलते हैं, सदन में भी चर्चा हुई, कुछ कहते हैं कि इसमें आयोडीन मिलाओ, कुछ कहते हैं कि खाद्यान्न में आयरन मिलाया जाए। अलग-अलग जो सप्लीमेंट्स हैं, उनको मिलाने की बात करते हैं, लेकिन अगर इनको किसी तरीके से शामिल कर लिया जाए पी0डी0एस0 में तो इनका ट्रान्सपोटेशन का खर्चा बचेगा, स्टोरेज का दूर ले जाने का खर्चा बचेगा और इनको लोग स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं।

मान्यवर, आदिवासी इलाकों अन्य पिछड़े क्षेत्रों में यहां पैदा होता है, विलुप्त हो रहा है अनाज, उसको बेंचा जा सके। वह पौष्टिक अनाज कम दाम पर हम दे सकेंगे। इस पर विस्तृत परीक्षण कराने की बात है वह सरकार कराने का काम करेगी। यह मेरी व्यक्तिगत राय है और इसे मैंने एक सदस्य के तौर पर कहा है और माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर वह कृपया विचार करने का कष्ट करेंगे। मान्यवर, अन्य सदस्यों ने भी उत्पादन के दृष्टिकोण से बातें रखी हैं। मान्यवर, जो भी माननीय सदस्यों के सकारात्मक सुझाव प्राप्त हुए हैं उनको लागू कराने पर हम विशेष तौर पर ध्यान देंगें, इसी के साथ मैं माननीय राघव लखन पाल शर्मा जी से अनुरोध करुंगा कि वे कृपया अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेने का कष्ट करें।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, यह सरकार अपने को किसानों की हितैषी सरकार कहती है मान्यवर, जो आप गेहूं खरीदने जा रहे हैं, जो आपके अगल-बगल के छोटे-छोटे राज्य हैं लेकिन दिल बहुत बड़ा है। वह दो सौ रुपये कुन्टल बोनस दे रहे हैं तो क्या आप भी दो सौ रुपये बोनस किसानों को देने का काम करेंगे। मान्यवर, दूसरी बात बी0पी0एल0 का सर्वे इस समय जो हो रहा है, पहले जो हुआ है वह भी गड़बड़ हुआ है, इसको सब स्वीकार करते हैं, आज भी गड़बड़ हो रहा है। तो क्या इसमें कोई क्रास

चेकिंग की व्यवस्था करायेंगे। जैसे पांच ब्लाकों का क्रास चेक करा लेंगे तो यदि गड़बड़ी होगी और उसमें कार्यवाही हो जायेगी तो उससे सन्देश दूसरों को चला जायेगा। अभी धान की खरीद की बात हो रही है स्टेट पूल से इसको खरीदने की आप व्यवस्था करेंगें, क्योंकि आपने बताया कि लक्ष्य से कम खरीद हुआ है। आपका केन्द्र सरकार से झगड़ा है और उसमें पिस रहा है हमारा किसान। तो स्टेट पूल में विशेष रूप से धान की खरीद की व्यवस्था करायेंगे। बोरियों का संकट आ गया था उसमें पिसा किसान तो क्या इस बार पूरी बोरियों की पूरी व्यवस्था आपके पास है क्या आप इसको सुनिश्चित करायेंगे। मान्यवर, क्रय केन्द्रों को लेकर समस्यायें आती हैं क्योंकि बहुत से क्रय केन्द्र दूर दूर पर स्थापित होते हैं। उसमें बिचौलिये किसानों से सस्ते में अनाज खरीद लेते हैं क्या आपने इस बार क्रय-केन्द्रों के लिए कोई सीमा निर्धारित की है कि इतने किलोमीटर में स्थापित होंगे। आप किसानों के हित में कम दूरी पर इसे स्थापित करायें। ताकि गेहूं और धान की खरीद में आसानी हो सके। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तहसील में एक गड़बड़ी पाई गयी उसमें उप जिला अधिकारी ने एफ0आई0आर0 भी करायी है। यह जो धांधली होती है इस पर विभाग कड़ी रोक-थाम कराये। अभी छोटे राज्यों की बात उठी समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी शायद छोटे राज्य की बात स्वीकार की है। तो जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात छोटे राज्य हैं उसी भांति चूंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है आप पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड को अलग राज्य बनवाने का काम करेंगे। -

(श्री अम्बिका चौधरी और श्री धर्मपाल सिंह के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग रूक जाइये, उत्तर सुनिये। यह तरीका नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह कभी परम्परा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह तरीका नहीं है कि आप भाषण दीजिए। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें कोई चीज आपकी समझ में न आवे, न स्पष्ट हो तो पूछ लें इसको कहते हैं स्पष्टीकरण। पूरा भाषण थोड़े ही होता है। मैं प्रश्न रखता हूं।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, जो साहित्य दिया गया है उससे स्पष्ट नहीं हो रहा है। यह 2013-14 का बजट प्रस्तुत किया गया है या 2012-13 का।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आपके पार्टी मेम्बर ने सब रखा है तो आपको कम समय लेना चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं बता दे रहा हूं सुन तो लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों को तो अपच हो गया अक्ल का, मैं क्या करूं ।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि कौन-कौन सी एजेंसियां गेहूं क्रय केन्द्र पर गेहूं खरीदने का काम करेंगी इन्होंने क्या इसको चिन्हित कर लिया है और उसको कितना कितना गेहूं आवंटित किया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि यह बजट 2013-14 का है या 2012-13 का है। मान्यवर, एक हमारे यहां कहावत कहीं जाती है, हम लोग कम पढ़े लिखे इलाके से आते हैं कि पूरी रामायण हो गयी सीता का बाप कौन था। बजट रख दिया गया, कटौती रख दी गयी, चर्चा हो गयी, उत्तर आ गया तब तक इनको पता ही नहीं चला कि बजट कौन सा रखा गया। मान्यवर, माफी चाहता हूं हो गया, अब मैं अपने ज्ञान से बोलूंगा आपके ज्ञान से थोड़े ही बोलूंगा। मान्यवर, यह स्थिति है।

मान्यवर, उन्होंने दूसरी बात यह कही है, कई चीजें कहीं है, बीपीएल की जो क्रास जांच की बात आपने कही है। हमने आपको पत्र लिखा और बताया आपको 8 फरवरी को ही जारी किया है और पूरी कमेटी बनाकर कर दिया है अतिरिक्त बीपीएल की जांच के लिए और बीपीएल की जांच होगी और श्रीमन्, बोरी की बात कही है, बोरी पिछली बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और चुनाव की वजह से और अपने घोटालों की वजह से बोरी का इतंजाम नहीं किया था उसका केन्द्र सरकार से लेना देना नहीं है, राज्य सरकार का है और हमने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था कि बोरी का हमने समुचित प्रबन्ध कर लिया है पिछली बार 42 लाख मीट्रिक टन के बजाय 50 लाख मी0टन से ज्यादा खरीदा था इस बार 60 लाख मी0टन का लक्ष्य है, लक्ष्य पूरा करेंगे, बोरी का हमारा पूरा इंतजाम है कहीं पर कोई अभाव होने वाला नहीं है। मान्यवर, क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गयी यह मैंने पहले ही बता दिया, कोटेदारों द्वारा खरीदे जाने की कोई योजना नहीं है। जो एफआईआर की बात आपने कही आप पेपर हमारे पास भिजवा दें हम पूरी कार्यवाही करा देंगे। श्रीमन्, यह पूर्वान्चल, बुन्देलखण्ड के बारे में जो आपने बात कही है समाजवादी पार्टी की निश्चित राय है कि उत्तर प्रदेश और देश का बटवारा नहीं हो सकता है, हम इसके पक्षधर नहीं हैं। प्रदेश एक रहना चाहिए इस पर किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है इसी के साथ पुनः अनुरोध करता हूं कि अब तो सभी सदस्यों की सभी शंकाओं का समाधान हमने कर दिया इसलिए मान्यवर, अब इस बजट को पास करें।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 8(2) का मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-21- खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 96,88,82,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[4.54 बजे] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 12 मार्च, 2013 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 13 मार्च, 2013 से दिनांक 22 मार्च, 2013 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 13 मार्च, 2013 को निधन के निर्देश लिये जायं।

2-दिनांक 15 मार्च, 2013 को सदन का उपवेशन न हो।

3-दिनांक 13 मार्च, 2013 से 22 मार्च, 2013 तक का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय।

मार्च, 2013

13 बुधवार 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।

2-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

मार्च, 2013

14 गुरुवार वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

15 शुक्रवार
16 शनिवार
17 रविवार
} बैठक नहीं होगी।

18 सोमवार
19 मंगलवार
20 बुधवार
} वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

21 गुरुवार 1-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-3.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

22 शुक्रवार 1-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

2-विधायी कार्य (आधा दिन)।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[4.57 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,76,24,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहता हूं कि परिवहन विभाग प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवहन विभाग द्वारा जनता को अनेक प्रकार की सेवायें प्रदान करने के साथ-साथ राजस्व अर्जन का महत्वपूर्ण कार्य भी संपादित किया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजस्व वसूली हेतु निर्धारित लक्ष्य रु0 2950 करोड़ के सापेक्ष माह फरवरी, 2013 तक रु0 2711.48 करोड़ की राजस्व वसूली की जा चुकी है और अवशेष धनराशि की वसूली इसी मार्च माह में सुनिश्चित कर ली जायेगी। आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये परिवहन विभाग हेतु राजस्व वसूली का लक्ष्य बढ़ाते हुये रु0 3713 करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसे प्राप्त करने हेतु विभाग वचनबद्ध है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वित्तीय वर्ष 2013-14 में परिवहन विभाग के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत कुल रुपया एक अरब 76 करोड़ 24 लाख का प्राविधान है। जिसमें से एक अरब 26 करोड़ 86 लाख 10 हजार की धनराशि आयोजनेत्तर पक्ष में वेतन भत्ते अनुरक्षण सम्बंधी कार्यों हेतु तथा 49 करोड़ 37 लाख 90 हजार की धनराशि आयोजनागत पक्ष में प्रस्तावित की गई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आयोजनागत पक्ष में प्रस्तावित धनराशि हमने 49 करोड़ 37 लाख 90 हजार जो हमने प्रस्तावित किया है उसमें निम्नलिखित कार्य कराना है। जिसमें हमने कम्प्यूटरीकरण की योजना लागू करने का काम भी किया है। नवसृजित चार जनपदों अमेठी, हापुड़, शामली तथा सम्भल के कार्यालयों के जेनरेटर हेतु रु0 16 लाख, स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट हेतु 100 लाख तथा डाटा डिजिटाइजेशन हेतु रु0 60.88 लाख का व्यय प्रस्तावित है। जिसमें हमने बजट व्यवस्था के लिए एक करोड़, छिहत्तर लाख, अट्ठासी हजार की व्यवस्था की है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि सड़क सुरक्षा योजना के अन्तर्गत हमने एक करोड़ रुपया प्रस्तावित किया है जिसमें सड़क सुरक्षा से सम्बंधित जानकारी के लिए विज्ञापन, साहित्य, सेमिनार, वाद-विवाद प्रतियोगिता व प्रत्येक वर्ष के

जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में मनाये जाने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह हेतु हमने एक करोड़ प्रस्तावित किया है।

मान्यवर, इसके अलावा मैं यह भी आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे परिवहन कार्यालयों का जो भवन निर्माण है प्रदेश के अन्दर जहां पर हमें जमीन उपलब्ध होगी उसके लिए हमने 20 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया है। आने वाले वित्तीय वर्ष में इसको और बढ़ाकर व्यवस्था करने का काम करेंगे। ओवर लोडिंग रोकने हेतु जो ट्रकें ओवरलोड होकर जाती हैं इस पर हमने विशेष ध्यान देने का काम किया है। ओवर लोडिंग रोकने हेतु वे इन मोशन प्रणाली की स्थापना की जा रही है। इस योजना द्वारा कैमरे के माध्यम से वाहनों को बिना रोके चलते रहने की दशा में ही उनका भार मापा जा सकेगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। यह कार्य भारत सरकार की आर्थिक सहायता से किया जायेगा। राज्यांश के रूप में इस धनराशि का प्राविधान किया जा रहा है। जो हमने एक करोड़ रुपया प्रस्तावित किया है।

(इस समय 04 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता श्री आरिफ अनवर हाशमी पीठासीन हुए)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह भी आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि वाहनों के फिटनेस चेक हेतु फिटनेस पिट का निर्माण किया जाना है सरकारी भवनों में संचालित 15 कार्यालयों में इस धनराशि से फिटनेस पिट का निर्माण प्रस्तावित है। एक फिटनेस पिट के निर्माण में रु0 20 लाख का व्यय अनुमानित है। इस हेतु 3 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया है। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ड्राइविंग टेस्ट हेतु टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण होना है एक ट्रैक के निर्माण में रु0 6.11 लाख का व्यय अनुमानित है। प्राविधानित धनराशि से प्रथम चरण में 10 कार्यालयों लखनऊ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, हरदोई, सीतापुर और गोण्डा में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाये जायंगे। इस हेतु इकसठ लाख रुपया प्रस्तावित किया गया है। मान्यवर, सड़क सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रोड सेफ्टी फण्ड की योजना है इस प्रस्तावित धनराशि रु0 12 करोड़ में से रु0 5.00 करोड़ राजस्व व्यय के अन्तर्गत तथा शेष रु0 7 करोड़ पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत निर्माण कार्य तथा मशीनों के क्रय आदि में व्यय किया जाएगा। योजना में 12 करोड़ प्रस्तावित किया है। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मोटरयान टेस्टिंग स्टेशन के लिए हमने भारत सरकार के निर्देश के अनुसार 03 एकड़ भूमि प्रदेश सरकार द्वारा दी जायेगी और भवन निर्माण हेतु तथा प्रथम वर्ष के संचालन के लिए 14.40 करोड़ रुपए भारत सरकार से प्राप्त होगा। इसके लिए हमने एक हजार टोकन का प्राविधान किया है। इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है। भारत सरकार की इस योजना में 10 से 15 एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्माण लागत एवं प्रथम वर्ष के संचालन का व्यय भारत सरकार वहन करेगी। झांसी में 6.625 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध हो गई है। इसके निर्माण में 32 सौ लाख रुपए का व्यय अनुमानित है। इसके लिए हमने एक हजार टोकन का प्राविधान किया है। परिवहन आयुक्त (नॉन रोडवेज) का जो योग है वह 39 करोड़ 37 लाख 90 हजार रुपए है। अब हम आपका ध्यान परिवहन निगम की ओर ले जाना चाहेंगे। उक्त के अतिरिक्त मथुरा एवं वृन्दावन में बस स्टेशन के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को अंशपूंजी के रूप में दस करोड़ रुपए स्वीकृत किये जाने का प्राविधान हमने रखा है। साथ-साथ निर्माण कार्य में आने वाले अनुमानित व्यय 17.80

करोड़ रुपए में से शेष व्यय परिवहन निगम अपने आंतरिक संसाधनों से वहन करेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम यही कहना चाहेंगे कि परिवहन विभाग सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। इसमें हमने जो कुछ प्रस्तावित किया है वह जनहित में किया है इसलिए हम यही चाहेंगे कि बिना विरोधाभास के सर्वसम्मति से इसे पास कराये क्योंकि परिवहन विभाग सभी के लिए है और हमारा पूरा विभाग इसको प्रगति के रास्ते पर ले जाने का पूरा प्रयास कर रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

वेतन कितना घटा दिया जाए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप मालिक हैं, जितना चाहें घटा दें जितना चाहें बढ़ा दें। मान्यवर, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए दो महत्वपूर्ण अंग हैं एक कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मान्यवर, परिवहन में केवल रोड ट्रांसपोर्ट हमारे यहां सक्रिय है, जल ट्रांसपोर्ट की संभावना तलाशी गई थी लेकिन अभी तक इस सरकार ने उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। मान्यवर, परिवहन व्यवस्था अगर सुदृढ़ हो तो संवादहीनता समाप्त होती है और प्रेम सौहार्द का वातावरण इसी से बनता है और पर्यटन का आधार इसी से लगाया जाता है कि पर्यटन किसी भी प्रदेश का, वहां के जो संसाधन हैं। जो वाहन हैं, विशेष रूप से जो बसें हैं उसके आधार पर ही उसको देख करके ही उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले वर्ष राजा साहब आये थे उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था और बहुत सपने दिखाये थे और यहां मेजें थपथपायी गयी थीं कि 1600 नई बसें देंगे। मैं खासतौर से पिछले बजट की कार्यवाही ले करके आया हूं और उसकी दो-तीन लाइनें पढ़ना चाहता हूं। यह 18 जून, 2012 की कार्यवाही है राजा साहब ने बजट प्रस्तुत किया था और आज भी वह इस मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं। 18 जून, 2012 की कार्यवाही के पेज-177 पर है कि- ''पहले उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, निगम 924 करोड़ रुपये के घाटे में चला गया। सरकार निगम को कोई पैसा देती नहीं है। निगम अपने ही संसाधनों से सारी व्यवस्था करता है। एक हजार अन्य बसें इस समय लेने का लक्ष्य है। इसके अलावा छःसौ और बसें लेना प्रस्तावित हैं जिससे निगम की हालत हम सुधार सकें और खटारा बसों की जगह नई बसें हम आप लोगों को दे सकें।'' यह सपना दिखाया था। जब यह सरकार बनी थी तो उसके तीन महीने के बाद जब बजट प्रस्तुत हुआ था तो उसमें मा0 राजा साहब ने 1600 बसों का सपना दिखाया था। आज बजट साहित्य देख लीजिए इसमें कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है और खोदा पहाड़ निकली चुहिया। (हंसी) (मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि चुहिया कहां गयी ? सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आयी कि दिल्ली में ढूंढ़ा जाए।) मान्यवर, 141 बसें नई इस सरकार के द्वारा अब तक खरीदी गयी, एक वर्ष बीत गया। 1600 बसों का लक्ष्य ले करके चले थे और इस बजट साहित्य में 141 बसों का लक्ष्य दिया है। एक और

बात इसी संबंध में कहना चाहता हूं कि इसमें जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना है और बारहवीं पंचवर्षीय योजना का पहला साल है, उसमें एक स्थान पर दिया है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 9040 बसें रहेंगी और यह पेज-15 पर दिया है। इन्हीं का साहित्य कहता है हम कुछ नहीं कहते। पेज-50 पर दिया गया है कि ''निगम द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक निगम एवं अनुबन्धित बसों की संख्या में वृद्धि कर बेडे को 11000 तक वृद्धि करना निर्धारित है।'' एक ही बजट साहित्य है, उसके अलग-अलग पन्नों के ऊपर अलग लक्ष्य बारहवीं पंचवर्षीय योजना का दिया गया है। मान्यवर, परिवहन निगम का लक्ष्य अगर आप देख लें कि कितना सुन्दर और अच्छा लक्ष्य दिया गया है वर्ष 2012 और 2013 में। ''सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-18 में निगम के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार निगम का कर्तव्य दक्ष, पर्याप्त, मितव्ययी और उचित तौर से समन्वित सड़क परिवहन सेवा प्रणाली का प्रबन्ध एवं उसमें अभिवृद्धि करना है। पेज-14 पर दिया है कि निगम की सेवाओं में सुरक्षा, सुविधा, समयबद्धता एवं स्वच्छता चार मुख्य लक्ष्य है।''

श्री अधिष्ठाता-

मान्यवर, शार्ट करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, क्या बैठ जाएं ?

श्री अधिष्ठाता-

मैंने बैठने के लिए नहीं कहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप तो संरक्षक हैं, पीठ से हमेशा संरक्षण मिला है अगर आज भी संरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर बैठ ही जाऊंगा।

श्री अधिष्ठाता-

पर्चियां बहुत आ रही हैं और सभी को अपने विचार रखने हैं इसलिए थोड़ा संक्षेप कर लीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, निगम के लक्ष्य के सम्बन्ध में एक भी बात जो मा0 मंत्री जी ने कही, उसको न कोड किया और न हाईलाइट किया कि इसको कैसे मितव्ययी बनायेंगे, कैसे दक्ष बनायेंगे और कैसे सुविधायुक्त परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करायेंगे ? मान्यवर, जो वायदा पिछली बार किया गया था उसमें मान्यवर, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। मैंने सबसे पहले इसकी आर्थिक स्थिति देखी तो आर्थिक स्थिति में मान्यवर, आपका साहित्य ही इस बात को परिलक्षित करता है कि 6 महीने में मान्यवर, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितम्बर तक 54.03 करोड़ की हानि हुई है। मान्यवर, यह निगम की बात है अभी विभाग की बात बाद में करेंगे। 934 करोड़ रुपये की हानि बताकर वह चले गये थे उसके बाद हानि बढ़ीं अगर विभाग की कार्यशैली बढ़ती, दक्षता बढ़ती या जिस उद्देश्य के लिये यह निगम गठित हुआ था उसमें अगर एक कदम भी आगे चलते, व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त किया जाता तो शायद यह घाटा

कम हो जाता और हम भी माननीय मंत्री जी को इसके लिये बधाई देते कि इसमें कार्य कुशलता का परिचय देकर घाटा कम किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो इस प्रदेश में मान्यवर कुल सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़क है 1 लाख 83 हजार 774 किमी0 सड़क पक्के मार्ग जो मोटर चलाने योग्य है जिसमें से 26,729 किमी0 मार्ग मान्यवर, राष्ट्रीयकृत है। इन राष्ट्रीयकृत मार्गों में से 9 हजार किलोमीटर के मार्ग ओवरलैपिंग है। इस प्रकार कुल राष्ट्रीयकृत मार्गों की शुद्ध लम्बाई 17,729 किमी0 है। इस प्रकार कुल लगभग 9.65 प्रतिशत है कुल मार्गों का। मान्यवर, अब आप बसों की स्थिति देख लें। लगभग जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है मान्यवर, 20 करोड़। 20 करोड़ जनसंख्या पर जो अनुबंधित बसें हैं और जो निष्प्रयोज्य हो गईं उनको माइनस करने के बाद लगभग 25 हजार जनसंख्या के ऊपर एक बस पड़ती है उत्तर प्रदेश में। केरल बहुत छोटा राज्य है मान्यवर, करीब 3 करोड़ 33 लाख की पापुलेशन है वहां पर 5,403 पर एक बस पड़ती है। मान्यवर, महाराष्ट्र में 7,250 पर एक बस पड़ती है गुजरात में 7,548 पर एक बस पड़ती है और आन्ध्र प्रदेश, यह सबसे आगे हैं इसमें 4,341 लोगों पर एक बस का प्राविधान है मान्यवर। एक दिन में चलती कितनी है ? सारी बसें मिलाकर पीपुल कैरिंग पर डे 13 लाख व्यक्ति उत्तर प्रदेश में, 70 लाख व्यक्ति महाराष्ट्र में, गुजरात में 27 लाख व्यक्ति, और केरल में 31.4 लाख व्यक्ति और आन्ध्र प्रदेश में 133.3 लाख व्यक्ति। मान्यवर, इतने लोगों को 1 करोड़ 33 लाख लोग एक दिन में सफर करते हैं केरल में और उत्तर प्रदेश में मान्यवर क्या हाल है। 2012-2013 में टोटल जो आपकी बसें हैं जिसके ऊपर माननीय मंत्री जी अभी बोल रहे थे 6,819 और 1926 अगर निजी बसें अनुबंधित की गई तो 8775 बसें मान्यवर, इसमें से 96 परसेन्ट बसें रोड पर रहीं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश वह स्टेट है जिसमें परिवहन की सुविधा, इस निगम की सुविधा सबसे कम है। आपने अपने भाषण में सड़कों की दूरी तो बताई लेकिन कितनी दूरी तक हमने नई बसें चयन कीं, कितने नये क्षेत्र लिये, नये कितने किलोमीटर तक बस को बढ़ाया। मान लीजिये बसें तो बढ़ी हैं लेकिन कितनी बसें कितने नये रूट इसके लिये गये इसके बारे में बजट साहित्य भी मौन है और माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। मैं विशेष रूप से दो तीन बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।....

इस वर्ष आपने लक्ष्य रखा था कि 5.30 किलोमीटर का, पर लीटर डीजल का एवरेज रखा था, 5.30 किलीमीटर, एक लीटर में बस को चलना चाहिए। लेकिन अभी तक जो औसत प्राप्त हुआ है आपके बजट साहित्य के अनुसार यह, 5.17 है। मान्यवर, मैंने पिछले साल इस बात की अपेक्षा की थी कि पुरानी और नई बसों में अन्तर होना चाहिए। रेलवे में जिस प्रकार से पुराना इंजन और नया इंजन, यहां तो इन्होंने 74 पैसे प्रति किलोमीटर का रेट रख दिया। जो नई बस हैं उन पर भी उतना, और जो पुरानी बसें हैं जो आठ लाख किलोमीटर बस चल चुकी हैं उसके ऊपर भी उतना, यह अपने आप में विरोधाभास है इसको जरूर ठीक किया जाना चाहिए। मान्यवर, जो बस आठ लाख पचास लाख किलोमीटर चल जाती है तो वह निष्प्रयोज्य होने लायक होती है वर्तमान नियमों के हिसाब से। इसको कम किया जाना चाहिए मान्यवर बसें अगर आकर्षक नहीं होगीं खूबसूरत नहीं होंगी, इसलिए लोग उस पर बैठते नहीं हैं। मान्यवर, इसलिए यह निगम घाटे में जा रहा है। विधायकों के लिए यह सुविधा समाप्त की। किसी विधायक ने यह मांग नहीं की कि विधायकों के लिए यू0पी0एस0आर0टी0सी0

की बस चलाई जानी चाहिए। यह सुविधा पूरी तरह से समाप्त की गई पूर्व विधायकों के लिए यह सुविधा है लेकिन वर्तमान विधायकों के लिए यह सुविधा नहीं है। उसकी वजह यह है मान्यवर, कि दिल्ली में अगर जाते हों, तो मन करता है कि टैक्सी से उतरकर खूबसूरत वाली हरी बस में बैठ जाएं। यहां अगर धोखे से भी नई बस आई हो तो उस पर बैठने का मन नहीं करता है। क्योंकि अगर बस में बैठ जाएं तो लगता है कि पता नहीं कब बस ड्राइवर कहे कि विधायक जी जरा उतरिए धक्का लगाना है। क्योंकि यह उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस प्रकार का इम्प्रेशन बन गया है कि कोई भी व्यक्ति जो जरा भी फाइनेंशियली एफोर्ट करने की क्षमता है वह इस बस में एफोर्ट करना नहीं चाहता है। मान्यवर, ट्रेन में यह व्यवस्था है कि 60 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन को उनके किराए में छूट है। चालीस परसेन्ट पुरुषों को छूट है और 50 परसेन्ट महिलाओं को छूट है। मान्यवर, हम मा0 मंत्री जी से अपेक्षा करेंगे कि कम से कम सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा उत्तर प्रदेश में लागू की जाए। मान्यवर, जहां तक सवाल टैक्सी का है इनके बेड़े में 97 टैक्सियां हैं और टैक्सियों का हाल यह है, मैं देख रहा था अभी, उसमें 48 लाख रुपये का घाटा है। टैक्सियां चला रहे हैं लेकिन 48 लाख का 6 महीने में घाटा दे दिया है। बजट साहित्य में दिया है। मान्यवर, मैंने पिछली बार भी इस बात पर विशेष जोर दिया था कि रोड पर जाम भी लगते हैं आबादी बढ़ गई है, वाहन भी बढ़ गए हैं, कि जल परिवहन के माध्यम से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वर्ष 1999-2000 में भारत सरकार ने 15 लाख रुपया दिया था सर्वे के लिए, उसके बाद 2001 और 2002 में तीन लाख और दो लाख रुपया दिया गया। मान्यवर, उसके बाद न संभावनाओं का पता लगाया गया न उसके बाद किसी प्रकार का उस संबंध में आगे कोई संभावना पता नहीं लगाई गई कि यह जल परिवहन की सुविधा लागू हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

संक्षेप कर रहे हैं। मान्यवर, यह बहुत अच्छा हो सकता है कि इलाहाबाद से लेकर बलिया तक गंगा नदी में और अयोध्या से लेकर बलिया तक, घाघरा में, इस पर जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। विधान सभा के एक सवाल के जवाब में कहा गया था कि इसको देखेंगे। लेकिन यह नहीं पता कि उस संबंध में क्या हुआ। मान्यवर, तीन-चार बातें विभाग के बारे में कहना चाहते हैं। मान्यवर, आपने नया लक्ष्य रखा, मान्यवर 3713 करोड़ की वसूली का लक्ष्य रखा है।

मान्यवर, 3713 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य रखा है और अभी तक की वसूली का लक्ष्य क्या है, पिछले साल का जरा देख लें, 2950 करोड़ रुपये का लक्ष्य था, उसके स्थान पर 2446 करोड़ रुपया केवल जमा हुआ है। 2950 करोड़ का लक्ष्य जब यह सरकार समय पर नहीं पूरा कर पाई तो यह 3713 करोड़ का लक्ष्य यह कैसे पूरा करेंगे, यह सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मान्यवर, विभाग में एक सबसे बड़ी समस्या है, ओवर लोडिंग की। ओवर लोडिंग के बारे में सपना तो दिखा दिया कि भारत सरकार के सहयोग से चलते हुए वाहन पर ऐसा यन्त्र लगायेंगे कि चलते हुए वाहन पर हम जांच लेंगे कि उसमें कितनी ओवर लोडिंग है और उसके ऊपर पेनाल्टी करेंगे, मान्यवर,

जब वह सामने आयेगा, तब देख लेंगे, फिलहाल बहुत बड़ी समस्या ओवर लोडिंग और डग्गामार वाहनों की है। जो इस सरकार के सामने वर्षों से चली आ रही है, जब 2003 से लेकर 2007 तक ये थे तो भी यह समस्या आपके सामने थी और आज भी यह समस्या है, छोटी गाड़ियों का परमिट 5 साल के लिए दिया जाता है, अगर इस परमिट की अवधि घटाकर 5 साल से 1 साल कर दी जाए तो सरकार का राजस्व भी बढ़ जायेगा और जो मंसूबा है, वह भी पूरा हो सकता है। लेकिन मान्यवर, आज तक उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। जहां तक नियमों का सवाल है, मोटर वेहिकिल ऐक्ट 207 का जबर्दस्त दुरुपयोग होता है। इसमें मान्यवर, सीज करने की पावर तो है लेकिन छोटी-छोटी बात के ऊपर गाड़ी को निरुद्ध कर देना, गाड़ी को बन्द कर देना और मान्यवर, गाड़ी माल सहित बन्द कर दी जाती है। कभी-कभी तो उसमें गाय-भैंसें जा रही हैं, उस गाड़ी को भी बन्द कर दिया गया और मान्यवर, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि अगर जरूरी है निरुद्ध करना तो कम से कम उसका माल और जो सामान उसमें है उसको उतार कर तब उस गाड़ी को निरुद्ध किया जाए। लेकिन जब पुलिस का डण्डा चलता है तो उसमें कानून-कायदा तो चलता नहीं। मान्यवर, स्टाफ की कमी है, अटैचमेंट बहुत बड़ी समस्या है, तनख्वाह कहीं से ले रहे हैं, अटैच कहीं हैं। कई विभागों में इसके ऊपर प्रतिबन्ध भी लगा दिया गया है, बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रतिबन्ध लगाया है, माननीय रामगोविन्द चौधरी जी बैठे हैं। यह अटैचमेंट की व्यवस्था बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए, इससे कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मान्यवर, यह जो रजिस्ट्रेशन फीस है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, हम नया वाहन खरीद कर उत्तराखण्ड से रजिस्ट्रेशन करा लाते हैं, हरियाणा से करा लाते हैं, दिल्ली से करा लाते हैं, पड़ोसी राज्यों से करा लाते हैं और उत्तर प्रदेश को मान्यवर, राजस्व की भी क्षति होती है।

मान्यवर, कन्ज्यूमर को परेशानी भी होती है लेकिन वह दूसरी जगह से करा लाता है। राजस्व को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन फीस पालिसी की समीक्षा करें और उसको पड़ोसी राज्यों के अनुरूप उसकी स्टडी कर लें और उसके अनुरूप रजिस्ट्रेशन पालिसी बनायें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर हो सकता है। कार्यालयों में दलालों का वर्चस्व बहुत दिनों से है, यह सरकार जब आयी थी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री समय-समय पर सुधार की बात करते हैं, हम उनका स्वागत भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि जैसा यह कह रहे हैं, वैसा हो जाए। लेकिन जो कहते हैं, चाहते हैं, उसको जमीन पर उतारना मुश्किल मान्यवर, यह कौन नहीं जानता कि एआरटीओ का दफ्तर पूरा दलालों के ऊपर चलता है। यह कौन नहीं जानता है, हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन आखिरकार सुधार कब होगा, वह कौन सा दिन होगा जब एआरटीओ के दफ्तर बिना दलालों के चलेंगे। यदि दलालों से ही चलाना है तो कम से कम उन्हें एजेण्ट बनाकर उनके गले में एक फीता लटका दें और लाइसेंस दे दें कि तुम एजेण्ट हो जो चाहो वह करो। इसीलिए एआरटीओ दफ्तर के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा है। वहां पर कोई बोर्ड नहीं है कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की कितनी फीस ली जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस की कितनी फीस ली जायेगी, मान्यवर, जो मन चाहा, जितने पर सौदा तय हो गया, दलाल से, वह फीस ले ली, धड़ल्ले से काम चल रहा है, कोई रुकावट नहीं है। जो पहले रफ्तार चल रही थी बेढंगी, वही अब भी है।

मान्यवर, दो बातें और कहना चाहता हूं। मा0 मंत्री जी ने अपने बजट में इस बात पर प्रकाश नहीं डाला है कि वह घाटे को कैसे पूरा करेंगे। पिछली बार 934 करोड़ का घाटा बताया था।

जब हमने बजट साहित्य देखा तो इसमें 1052 करोड़ या 1058 करोड़ का घाटा है। इसको पूरा करने के लिए, मान्यवर, यह 1038.42 करोड़ का घाटा है। इसमें माननीय मंत्री जी ने इसको कैसे पूरा करेंगे यह नहीं बताया है। मान्यवर, दो-तीन बातें विशेष रूप से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मान्यवर, कुछ सुझाव दे दें। मान्यवर, दुर्घटना के लिए इस समय मृतक आश्रित को निर्धारित राशि 50 हजार रुपया है और 25 हजार रुपये स्थायी विकलांग के लिए है। हमारी मांग है कि यह राशि दो लाख और एक लाख रुपये की जाये और अगर यह न हो सके तो 50 हजार के स्थान पर 1 लाख और 25 हजार के स्थान पर 50 हजार हो जाये। मान्यवर, 20 हजार मुकदमें विभिन्न ट्रिब्यूनल में, अदालतों में लंबित हैं। 12247 मुकदमे हाई कोर्ट में हैं इसके जल्दी निस्तारण हेतु बजट साहित्य में प्रकाश नहीं डाला गया है और न माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ कहा है। मान्यवर, विज्ञापन के माध्यम से इस विभाग की आय बढ़ सकती है। दिया है कि विज्ञापन से छः महीने में 1.77 करोड़ की आय हुयी है। यह आय विज्ञापन के माध्यम से बढ़ायी जा सकती है अगर उसकी संभावना का पता लगाया जाये। मान्यवर, ड्राइवरों को शराब पीने से रोकने की कोई योजना मा0 मंत्री जी ने नहीं बतायी है। केवल एक लाइन लिख दी कि कितने ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की गयी। ज्यादातर दुर्घटनायें शराब पीने के बाद ही ड्राइवर लोग करते हैं। उसको रोकने के लिए कोई कार्ययोजना माननीय मंत्री जी ने नहीं बतायी। मान्यवर, त्यौहार के मौकों पर जैसे भैया दूज है, होली, दिवाली, ईद यह ऐसे त्यौहार हैं जिसमें आदमी घर जरूर जाता हैं। जैसे ट्रेनें चलायी जाती हैं उसी प्रकार से अगर बसों का प्रबंध हो जाये तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी और हो सकता है कि निगम घाटे से उबर जाये। शाहजहांपुर से पंजाब से आवागमन बहुत ज्यादा है। पुवायां तहसील पूरे पंजाबियों की है। अगर शाहजहांपुर और पंजाब के बीच में बसें चलायी जायें तो वह आय का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। मान्यवर, विधायकों की एक समिति यातायात सम्बन्धी स्थायी समिति बनी हुयी है। मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी विधायक ने उसमें कोई पार्टिसिपेशन किया हो।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बस पांच मिनट में समाप्त कर रहे हैं। मान्यवर, जिस दिन उस समिति का विधान सभा का कोई नोटिफिकेशन होता है उस दिन तो पता चलता है कि यातायात समिति है, 16 सदस्य हैं। उन सदस्यों को अगर यह पूछा जाये कि वह यातायात सम्बन्धी समिति में हैं या नहीं हैं। उनकी एक भी मीटिंग साल भर में मेरी जानकारी के हिसाब से तो नहीं हुयी है अगर हुयी हो तो माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में इस पर प्रकाश जरूर डालें कि आखिर वह समिति किस लिए बनी और अगर बनी तो उसका काम क्या है। और उसका कुछ सुझाव लेते तो कम से कम कुछ फायदा ही होता।

मान्यवर, इन्क्वारी कहने के लिए तो है, बहुत बड़ा-बड़ा लिखा होता है, फूट प्लाजा खुलेगा, कैण्टीन खुलेगी और इन्क्वारी से पता चलेगा कि बस कहां है। मान्यवर, कहीं इन्क्वारी में अगर फोन करके देख लें, मैं तो शाहजहांपुर को जानता हूं, या तो आदमी नहीं मिलेगा और टेलीफोन की घण्टी बजती रहेगी, टेलीफोन कभी उठेगा नहीं, इनकी इन्क्वारी का यह सिस्टम है और समय सारणी के

ध्यान का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। समय-सारणी पर ध्यान अगर कर लेगा, तो मैं उस दिन उसको बहुत-बहुत बधाई दूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय खन्ना जी, यह कटौती का प्रस्ताव है, सुझाव तो अभी स्पष्टीकरण में आ जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, छोटी-छोटी कैण्टीन के पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये, यानी एक-एक हजार रुपये रोज मान्यवर, छोटी-छोटी कैण्टीन पर ठेके के लिये जाते हैं। अब अगर एक हजार रुपये किसी छोटी कैण्टीन वाले से ठेके के लिए ले लिये जायेंगे तो क्वालिटी ऑफ फूड क्या होगा, इसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं। वहां चाय कैसी मिलेगी ? मान्यवर, इस बजट में कोई संकल्प नहीं है, मान्यवर जेएनएनयूआरएम में घाटा है, सात जिलों में जेएनएनयूआरएम की बसें चल रही हैं- इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा और मथुरा में उसमें भी घाटा है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय खन्ना साहब आपकी सारी बातें आ गईं, कटौती प्रस्ताव में आपने लम्बा भाषण भी कर दिया अब कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मृतक आश्रित को जो नौकरी दी जाती है, मृतक आश्रित को नौकरी दी जाय, इसका हम स्वागत करेंगे, सरकार का भी स्वागत करेंगें, लेकिन उनको कण्डक्टर न बनाया जाय, परिचालक की नौकरी मान्यवर महिलाओं के बस की होती नहीं, अगर महिलाओं को पुरुष के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया तो सिवाय मुसीबत के और कुछ भी नहीं होती मान्यवर, इसलिए नौकरी तो दी जाय, लेकिन उनको परिचालक न बनाया जाय। छोटी सात सीटर गाड़ियों के ऊपर जो पेनाल्टी पड़ती है, वह पेनाल्टी है 13200 रुपये एक यात्री के ऊपर है, 4000 रुपये बिना परमिट के है और 4000 रुपये फिटनेस के हैं, इस तरह से 21200 रुपये पेनाल्टी पड़ती है छोटी गाड़ी के ऊपर अगर एक भी सवारी ज्यादा होती है या बिना परमिट के होती है। मान्यवर, यह पेनाल्टी दण्ड के क्वाण्टम में होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए कि जितनी चाहो लगा दो, अगर पेनाल्टी लगाना हो तो डग्गामार पर लगाओ, ओवरलोड पर लगाओ, यह पेनाल्टी ज्यादा है मान्यवर, मैंनें आपके माध्यम से अपने कटौती के प्रस्ताव पर कई बातों पर सरकार को सुझाव दिये हैं, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जब उत्तर देने के लिए खड़े हों तो उन बिन्दुओं पर प्रकाश जरूर डालें। मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेलकूद, युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने, मा0 मंत्री परिवहन के इस बजट पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, पूरे हिन्दुस्तान को या तो रेल जोड़ती है या प्रदेश के कोने-कोने को केवल बस ही जोड़ती हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश से अगर बस

व्यवस्था को निकाल दिया जाय, तो परिवहन का कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसीलिए बस परिवहन हमारे जीवन का मुख्य अंग है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी जो बसें हैं, पूरे देश में चल सकती हैं। मा0 खन्ना साहब ने केवल राय ही दिया है, कोई आलोचना नहीं की है, यह हमेशा आता रहता है, मेरी राय है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी से देश की जितनी भी राजधानियां हैं वहां बस चलाई जाए ताकि जो ट्रेन की हमारी समस्या है या दूसरी हमारी जो समस्याएं है, हम उसका निराकरण कर सकें और उत्तर प्रदेश का व्यक्ति देश के दूसरे किनारे पर जा सके और देश के दूसरे भागों से मान्यवर, लोग उत्तर प्रदेश में आ सकें। क्योंकि मान्यवर, इससे हमारे पर्यटन का भी सम्बन्ध है हमारे जो दर्शनीय स्थल है या हमारी जो संस्कृति और सभ्यताओं से जुड़ी हुई जो जगहें हैं, उसमें लोगों को आने का मौका मिलता है और उससे मान्यवर, राजस्व हमारा बढ़ता है। मान्यवर, छोटे-छोटे 2-3 सुझाव देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा और मैं इस बजट का समर्थन करूंगा। मान्यवर, पहला मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से, मा0 मंत्री जी से कि बसें छोटी-छोटी चलाई जायं क्योंकि बड़ी बसें तो जाती ही हैं, लेकिन हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश खासकर गांवों का है। हमारा बस्ती का इलाका है, गंगा या यमुना के किनारे या घाघरा के किनारे, जो नये-नये छोटे-छोटे कस्बों का ईजाद हो रहा है, वहां जाने के लिये आम लोगों के पास कोई साधन नहीं होते हैं, एक जिले से दूसरे जिले या प्रदेश के कोने में, बड़ी बसें तो चल ही रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी छोटी-छोटी बसें, जिले के कोने-कोने में और इंटीरियर में चलाई जायें। इसमें आम जनता को काफी सुविधा मिलेगी। मान्यवर, दूसरा चीज मेरा आपसे अनुरोध है कि आज ये जो ट्रक चल रहे हैं, सड़कों पर जो परिवहन विभाग से सम्बन्धित है, अगर 20 टन का उन्हें परमिट है तो मान्यवर, 100 टन यह लेकर जाते हैं, उससे हमारी सड़कें तो क्षतिग्रस्त होती ही हैं, क्योंकि उतनी कैपीसिटी सड़कों की नहीं होती है। बड़े-बड़े वाहन चलते हैं तो सड़कें तो बर्बाद होनी है। मान्यवर, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि अधिकारियों के लिये भी एक तरीके से नाजायज स्रोत बन जाता है उनकी अर्निंग का। यह केवल इस सरकार की बात नहीं है बाकी सभी सरकारों में भी यही बात होती है, आये दिन जब हम लोग अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं लालबत्ती, सामान्य व्यक्ति को तो छोड़ दीजिये तो पता चलता है कि ट्रकों का इतना जाम लगा हुआ है कि जब पता लगाया जाता है तो कोई दरोगा खड़ा है, कोई आर0टी0ओ0 अधिकारी खड़ा है और जब देखता है कि लालबत्ती आ रही है तो जल्दी-जल्दी मान्यवर, वह इधर उधर करने लगता है। इस ट्रक ओवर लोडिंग को हम सब लोगों को मान्यवर, बन्द करना चाहिये और उस पर, हम सभी लोगों को ध्यान देना चाहिये। मान्यवर, खासकर मेरा जनपद और एक हमारा जनपद ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में होगा, बड़े-बड़े जो हमारे रोडवेज बीच शहरों में बने हुए हैं पता यह चलता है कि पूरे शहर की और पूरे जनपद की जो यातायात व्यवस्था है, वह डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे बस्ती जिले में भी बीच शहर में हमारा रोडवेज है और पता यह चलता है कि जाम के कारण घंटों हम लोगों को खड़ा रहना पड़ता है, आम आदमी की बात अलग है। मेरा अनुरोध है कि बजट में प्राविधान हो और उन शहरों से, जो शहर अब विकसित हो गए हैं या घने हो गए हैं, उसके बाहर हमें रोडवेज की व्यवस्था करनी चाहिए। मान्यवर, नये रोडवेज हमको बनाना चाहिए, क्योंकि इससे कम से कम आने जाने के लिए सबसे बड़ी समस्या हल होगी। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये निगम की बसें अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल सहीं बात आपने कहीं, क्योंकि अगर

मंदिर नहीं सुन्दर है, मस्जिद साफ सुथरी नहीं है, तो लोग वहां पूजा भी नहीं करने जाते हैं। इसी तरीके से अगर निगम की बसों का रख-रखाव ठीक नहीं होगा, तो संभ्रांत व्यक्ति और अच्छे जनप्रतिनिधि हमारे इन बसों से नहीं चलेंगे। हमारी सरकारी बसों से जब ये प्राइवेट अच्छी बस वाले कम किराया लेंगे तो हमारी बसों से कौन चलेगा, इसलिए निगम की हमारी बसें अच्छी होनी चाहिए और हमारी अच्छी सेवा होनी चाहिए।

मान्यवर, तभी जाकर हमारा निगम फायदे में होगा। मान्यवर जो लोकतंत्र के रक्षक सेनानी हैं उनको बसों में जाने की सुविधा है लेकिन सभी बसों में नहीं है। मान्यवर, वे लोकतंत्र रक्षा सेनानी जो 19 माह जेल में रहे, जब वह साधारण बसों में चलते हैं तो कहीं पानी गिरा रहता है तो कहीं कुछ और। तो मेरा निवेदन है कि उन्हे सभी बसों में आने-जाने की सुविधा होनी चाहिए। इसी के लिए मैं खड़ा भी हुआ हूं कि यह अनुरोध करूं माननीय परिवहन मंत्री जी से, माननीय शिवपाल जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से। मान्यवर, पहले विधायक बसों में चल सकते थे यद्यपि बहुत कम चलते थे, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाय तो चल सकते हैं मान्यवर, अगर यह कन्डक्टर को पता रहे कि माननीय विधायक भी हमारी बस में सफर कर सकते हैं तो एक अच्छी व्यवस्था उसमें रहेगी। अगर माननीय सदस्य बसों में चलना छोड़ देंगें तो फिर कौन बस पर चलेगा। क्या बस पर केवल ले-मैन ही चल सकते हैं, कोई वी0आई0पी0, मंत्री, विधायक, आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 नहीं चल सकते हैं। मान्यवर, इसी तरह से हमारे प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति खराब हुई है कि उसमें किसी विधायक का बेटा, किसी मंत्री का बेटा या किसी आई0ए0एस0 अधिकारी का बेटा नहीं पढ़ता है जब उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगें तो कभी भी वहां की व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी उसी तरह से जब तक हमारी बसों में केवल आम व्यक्ति ही चलेंगें तब तक बसों की व्यवस्था में सुधार होने वाला नहीं है। इस पर हम सब ध्यान देगें। मान्यवर, यह बजट बहुत अच्छा है मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

मान्यवर, मैं सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया है मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, खन्ना जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और अनुभवी हैं उन्होंने अपने कटौती के प्रस्ताव में सारी बातों को विस्तार से रखा है और अपने सुझाव दिये हैं और आलोचनायें की हैं। मान्यवर, मैं इन बातों की पुनरावृत्ति न करते हुए उनको न दुहराते हुए अपने आपको उनसे सम्बद्ध करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र मुबारकपुर, जनपद आज़मगढ़ जहां से मैं जीत कर आया हूं वहां के बारे में मैं कहना चाहता हूं महोदय यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं जिस जिले से हूं उसी जिले से हमारे परिवहन मंत्री जी भी हैं। मान्यवर, शायद परिवहन मंत्री जी के संज्ञान में भी होगा क्योंकि हमारे विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर की जनता उनसे भी मिली होगी। चूंकि वह हमारे पास बार-बार आते भी हैं और हमसे आग्रह भी करते हैं। मैं उनकी समस्याओं को माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं मान्यवर पिछला बजट सत्र हुआ था तो उसमें आप की कृपा हुई थी मैंने उस वक्त भी आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में उनके समस्याओं को लाने का काम किया था। मान्यवर, यह विडम्बना है कि आजादी के 65 साल गुजर जाने के बाद भी मुबारकपुर में बस अड्डे की व्यवस्था नहीं है। वहां शाम को साढ़े छः बजे से लेकर सुबह तक कोई सरकारी ट्रान्सपोर्ट

सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, मैंने बजट भी देखा है इस बजट में बहुत सारी बाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में यह प्राविजन किया है जब वह आज़मगढ़ के दौड़े पर आये थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि उन्होंने पांच करोड़ रुपये यहां विपणन केन्द्र बनवाने के लिये रिजर्व करके रखे हैं।

(इस समय 05 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

चूंकि मेरा बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है तो बुनकरों के लिए एक विपणन केन्द्र बनाना चाहते हैं। हमने समाचार-पत्र मे पढ़ा और टी0वी0 में भी चला यह कि केन्द्र को चिट्ठी भी लिखेंगे कि यहां पर रेलवे पट्टी बनाई जाय मुबारकपुर में। उसके बाद जब मैं अपने क्षेत्र में भ्रमण पर गया तो मेरे लोगों के मन में एक बड़ी शंका थी और चिन्ता थी और उन लोगों ने मुझसे वह बात साझा किया, शेयर किया और उन्होंने कहा कि विधायक जी हमको यह समझ में नहीं आता कि मुख्यमंत्री महोदय ने और यहां पर सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री लोग हैं उन लोगों ने भी यह कहा कि चूंकि मुबारकपुर पिछड़ा क्षेत्र है, बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है जरूरतमंद लोग है समाज में पिछड़े हुए लोग है इनकी भलाई के लिए हम लोग गम्भीर हैं और उनके उत्थान के लिए प्रयासरत हैं और यह हम नही। समझ पा रहे हैं कि एक ऐसा काम जो सरकार के एक मिनट के फैसले से, एक पल में उसका फैसला उसका निर्णय हो सकता है, केन्द्र सरकार तो दूर है आप यहां से उनको प्रस्ताव भेज सकते हैं लेकिन जो चीज आपके हाथ में है जो आप महज एक दिन एक दो घंटे में जिसका निर्णय ले सकते हैं वह आपको कर देना चाहिए। आप मुबारकपुर में बस डिपों बनवा दें। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मुबारकपुर की समस्या को ध्यान में रखते हुए वहां पर बस डिपों बनवा दें ताकि वहा पर रहने वालों को, बुनकरों को इस समस्या से निजात मिल सके। अगर आप सचमुच से उनका भला चाहते हैं तो, अगर ईमानदारी से सीरियस हैं उनकी कोई मदद करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बस डिपों को बनवाने में कोई परेशानी आ रही है तो मैं आपसे दुबारा अनुरोध करूंगा कि कम से कम जो बनारस रूट से बसे जाती हैं आप तो वहीं के रहने वाले हैं, जो गोरखपुर की तरफ जाती हैं, दर्जनों बसे जाती हैं रात में, कम से कम 5-7 बसों का ही रूट आप चेंज करा दें जो मुबारकपुर होकर के जायें तो भी उनको उस समस्या से कुछ निजात मिल सकती है। चूंकि माननीय खन्ना साहब ने बजट में बहुत विस्तार से सारी बाते कहीं और मैं उसको दुबारा न कह करके अपनी इसी समस्या को आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता था हमारे जिले के हैं, वरिष्ठ हैं और हमारी जनता भी इन्हीं की जनता है, इनके लोग हैं इसलिए मुझे यह यकीन है कि माननीय मंत्री जी मेरे इस आग्रह पर, मेरे इस निवेदन पर गौर करेंगे इसके लिए कोई सकारात्मक कदम उठायेंगे, आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं इसके साथ अपने आपको खन्ना साहब के कटौती प्रस्ताव से जोड़ता हूं और उस पर बल देता हूं धन्यवाद।

श्री वृज लाल सोनकर-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने परिवहन बजट के समर्थन में मुझको बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं मान्यवर, एक लम्बे प्रयास के बाद मुझे आपका आशीर्वाद मिला है इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। आज माननीय परिवहन मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये एक अरब छिहत्तर करोड़ चौबिस लाख के इस भारी बजट पर जो अपने आपमें

परिवहन विभाग को सुदृढ़ करने के लिए भरपूर और उत्साहवर्धक है इस मजबूत शानदार बजट को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय परिवहन मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं मान्यवर इस बजट में हमारी सरकार ने कुछ बहुत अच्छी बातें प्रस्तावित किया है जैसे हमारे समाज में कुछ विकलांग हैं, दृष्टिबाधित हैं, पग बाधित हैं। उनके लिये पूर्णरूप से निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है, साथ ही साथ 80 प्रतिशत से ज्यादा विकलांग लोगों की सहायता के लिये एक अन्य व्यक्ति उनके सहयोग में निशुल्क यात्रा कर सकता है। इस प्रकार की सुविधा दे करके माननीय मंत्री जी ने अपनी सहृदयता और विकलांगों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया है। इसके लिये मैं अपनी सरकार और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। महोदय, इसमें लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को साधारण बसों के साथ-साथ जो हमारे यहां वोल्वो बसें चल रही हैं, उसमें भी निशुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया है जो अपने आप में काफी अच्छा कदम है। आगे 2012-13 में 1500 बसों का भारी बेड़ा उत्तर प्रदेश परिवहन में जोड़कर यात्रियों के लिये जो सुविधा प्रदान की गयी है, उससे भी काफी खुशी का माहौल है। अभी सुनकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आजमगढ़ जिले की मेहनगर विधान सभा से चुनकर आया हूं। महोदय, 2007-08 में हमारे आजमगढ़ जिले में 350 बसों का बेड़ा था। मैनें मांग किया था रीजनल मैनेजर से, कि मेहनगर विधान सभा में सारी की सारी बस सेवायें बन्द हो गयी हैं, उसको पूर्ववत् चालू कराया जाये। उनका जवाब मिला कि 2007-08 में बसपा सरकार के टाइम में 350 बसों का बेड़ा हमारे जनपद में था। हमारे यहां दो बस डिपो हैं, एक बाबा साहब अम्बेदकर डिपो और दूसरा आजमगढ़ डिपो। दोनों मिलाकर 350 बसों के बेड़े में 2011-12 में घटकर 289 बसें रह गयीं। इस प्रकार हमारी 51 बसें घट गयीं। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बढ़ती हुयी आबादी और यात्रियों की संख्या को देखते हुये इस 5 साल में कम से कम हमारे यहां 500 बसें होनी चाहिये थीं। वहां पर यात्री जाकर 8 बजे से लाइन लगाते हैं और उनको 4 बजे जाकर बस मिलती है। हमारे जनपद में केवल एक ही रेलवे लाइन है शाहगंज से मऊ, पूरी की पूरी जनता हमारे जनपद की बस सेवा पर निर्भर है। बस सेवा ही हमारे यहां सबसे बड़ा साधन है। हमारे क्षेत्र में गरीबी है श्रीमन्, इसलिये प्राइवेट टैक्सी और प्राइवेट जीप का भाड़ा वहन करने की क्षमता हमारे क्षेत्र के गरीबों में नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसके पहले भी मैनें मांग किया था, आठ महीनों से मैं मांग कर रहा हूं, हमें केवल 21 बसें मिली हैं। श्रीमन्, किसी भी हालत में हमारे दोनों डिपो में 50-50 बसें देकर के हमारे क्षेत्र की यातायात समस्या का समाधान करें। महोदय, इसके साथ-साथ एक समस्या और है हमारे यहां करीब आठ सड़कें ऐसी हैं, जिस पर मार्ग फार्मुलेशन के नाम पर बस चलाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, वहां पर प्राइवेट बसें चल रही हैं, वह लोग मनमानी करते हैं और मनमाना भाड़ा वसूलते हैं। यह दबंग लोगों की बसें हैं, इन लोगों के दबाव में हमारे यहां का आर0टी0ओ0 हमको रोड फार्मुलेशन के नाम पर परमीशन नहीं दे रहे है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन सड़कों पर भी रोडवेज की बसें चलाने की अनुमति दी जाये। महोदय मऊ, सलाहाबाद, चिरैयाकोट, मेहनाजपुर, वाराणसी मार्ग दूसरा आजमगढ़, चंदेसर, कमरिया, मेहनाजपुर, सिधौना, वाराणसी मार्ग तीसरा आजमगढ़, छतवारा, मेहनगर, पड़ना, मेहनाजपुर मार्ग चौथा बलिया, गाजीपुर, वाराणसी मार्ग, पांचवा पर्वतपुर, हनुमानगंज, अराष्ट्रीयकृत मार्ग, आजमगढ़, वाराणसी, मार्ग तथा जहानागंज, चिरयाकोट खरिहानी मार्ग तथा मेहनाजपुर सिधौना मार्ग, दोहरीघाट घोसी सराय

मोहम्मदाबाद चिरैयाकोट खरियानी मार्ग तथा मेहनाजपुर बिहारीगंज डगरा सिधौना मार्ग। इन सब मार्ग को फार्मुलेशन के नाम पर आर0टी0ओ0 महोदय परमीशन नहीं दे रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इन मार्गो को भी रोडवेज की बसें चलाने के लिये अनुमति दें जिससे हमारे लोगों को राहत मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी डेढ़ घण्टे कानून व्यवस्था पर चर्चा है इसलिए आप लोग बजट पास होने दें। रूबी प्रसाद आप कितना बोलेंगी।

श्री सुदेश शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद के साथ कहना चाहता हूं कि अभी मैंने माननीय सदस्य को भी सुना जो सत्तापक्ष में बैठे हैं वह भी शायद कटौती प्रस्ताव का ही समर्थन कर रहे थे। वह भी समस्याओं को ही बता रहे थे। कुछ बातें अवश्य हैं कि हमेशा परिवहन विभाग जहां घाटा ही दर्शाता है वह क्यों दर्शाता है। क्या परिवहन विभाग इतने दिन हो गये क्या हमको इस प्रकार की सुविधाएं नहीं दे सकता कि आज जो आम आदमी है जो मीडियम दर्जे का आदमी है जिसकी थोड़ी सी भी फाइनेंसिएल स्थिति अच्छी होगी वह भी अपनी प्राइवेट गाड़ी से चलना पसंद करता है। बस में बैठना पसन्द नहीं करता। चाहे वह सरकारी अफसर हो, चाहे वह बिजनेसमैन हो हमारे माननीय राज्य मंत्री जी कह रहे थे कि रेल और बस दोनों जोड़ने का काम करती हैं। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रेल तो शायद आज जोड़ने का काम कर रही है लेकिन उत्तर प्रदेश की परिवहन बसें आज ऊपर से लेकर नीचे तक आदमी तो जोड़ने का काम न करके तोड़ने का काम कर रही हैं। मैं बताना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि हमारे विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर का उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि क्यों घाटा हो रहा है। क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है मैं किसी भी बजट पर इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देता मैं केवल सुझाव देना चाहता हूं इस सदन में बड़े अच्छे विद्वान मंत्री लोग भी उपस्थित हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं बड़े विद्वान हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी मौजूद हैं जब यह लोग कोई बात कहते हैं तो उस बात का वजन होता है और लगता है कि इस बात पर अमल होगा। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के अन्दर मैंने माननीय मंत्री जी से भी कई बार अनुरोध किया वहां के ए0आर0एम0 से बात की एक गांव हैं कल्छीना जो मुस्लिम बाहुल्य गांव है वहां की आबादी लगभग 50 हजार होगी वहां 15 हजार तो वोट हैं उसके आस पास इतना देहात है लेकिन वहां के बच्चे और बच्चियां वहां से कई मील तक पैदल पढ़ने के लिए जाते हैं वहां पर कोई बसों का साधन नहीं है जब से यह जुगाड़ बन्द हुए हैं जब से टैम्पो बन्द हुए हैं तब से इतनी भयंकर समस्या आ गई है जब ए0आर0एम0 हापुड़ से बात करते हैं तो वह बताते हैं कि वहां पर इतने खतरनाक मोड़ हैं सड़कें बहुत छोटी हैं बस नहीं जा पाती है इस तरह की उनकी सर्वे रिपोर्ट आती है मैं बताना चाहूंगा कि आजकल अफसर केवल सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं वहां पर उस रोड पर कम से कम पचासों तो भट्ठे मौजूद हैं जिनकी छह छह हजार ईंटों का लोड लेकर इतनी चौड़ी रोडें हैं जो हाईवे की तरह सड़कें हैं उन पर जो ट्रक चलते हैं। दूसरे प्राइवेट बसें चलती हैं डम्पर चलते हैं लेकिन ए0आर0एम0 रिपोर्ट देते हैं कि बसें वहां पर नहीं चल सकती हैं। वहां पर सड़कों का मोड़ है और वहां पर रिस्क है। दूसरे कहा

जाता है कि राजस्व की प्राप्ति नहीं होती मैं कहना चाहता हूं कि जहां लाखों की आबादी हो और एक भी बस न चल रही हो तो किस तरह से राजस्व की प्राप्ति होगी। ऐसी-ऐसी जगह बसें लगा दी जाती हैं जहां से कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं होती लेकिन असरदार लोगों के कहने पर बसों का आवागमन किया जाता है इसलिए यह राजस्व का घाटा हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा एक गांव बिल्कुल हापुड़ से नजदीक तोड़ी गांव, हमारे यहां तोड़ी सात बिस्वा और तोड़ी तेरह बिस्वा, वहां के बच्चों और बच्चियों को भी हापुड़ जाना पड़ता है, उनको सड़क तक आने के लिए वहां से कई मील पैदल आना पड़ता है तब कहीं जाकर उनको रोडवेज बस मिलती है। जबकि वहां पर भी पूरा साधन है यदि तोड़ी सात बिस्वा और तोड़ी तेरह बिस्वा से भी हापुड़ तक बस लगा दी जाए तो अच्छे राजस्व की प्राप्ति होगी। मान्यवर, गांव खिंदौड़ा होते हुए वहां पर भी महमदपुर मुकारी जाने वाले मार्ग पर बस तो चलती है लेकिन एक बस सुबह जाती है और एक शाम को जाती है बाकी पूरे दिन कोई बस नहीं चलती है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन बातों को हमने कहा है और अनुरोध किया है संशोधन प्रस्ताव में इन्हें अवश्य जोड़ने का काम करें। अन्त में एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी परिवहन विभाग ने गाजियाबाद से मुरादनगर तक सिटी बसों को चलाया है और मान्यवर, मुरादनगर से मोदीनगर मात्र चन्द किलोमीटर है और वहां लाखों की आबादी रहती है लेकिन उन बसों को वहां तक नहीं चलाया गया। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जो बातें हमने उठायी हैं उन्हें भी इस प्रस्ताव में शामिल किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

(माननीय सदस्य श्री पूरन प्रकाश के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी पार्टी से एक सदस्य बोल चुके हैं, इसलिए आप कृपया बैठ जाएं।

श्री दलजीत सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय खन्ना जी द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है उस पर मैं बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आलोचना करने की बजाय दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बुन्देलखण्ड क्षेत्र से चुन करके आया हूं वहां का किसान बेरोजगारी, सूखे और कर्ज से परेशान हो करके आये दिन वैसे ही आत्महत्या करता रहता है। कोई रोजगार न होने की वजह से तमाम किसान ट्रैक्टर ट्राली से जब कभी मौका मिला, चूंकि खनिज सम्पदाएं बहुत हैं बालू, गिट्टी के हजारों ट्रक रोज निकलते हैं हमारे विधान सभा क्षेत्र से। हमारे यहां चार-चार आर0टी0ओ0 पोस्ट हैं, वह चारों आर0टी0ओ0 सुबह से शाम तक एक ही काम करते हैं प्राइवेट गाड़ियां और नाजायज असलहे ले करके दिन भर वसूली का काम करते हैं, हजारों ट्रकों से इन्ट्री के नाम पर करोड़ों रुपए वसूलते हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

खाली तो नहीं रहते हैं।

श्री दलजीत सिंह-

नहीं, खाली नहीं रहते हैं। सर मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, आप माने या न माने यह निर्णय आपका है। सुबह से शाम तक चारों आर0टी0ओ0 का केवल एक ही काम है दौड़ा-दोड़ा कर ट्रक वालों से अवैध तरीके से इन्ट्री के नाम पर करोड़ों रुपए वसूली करना। राजस्व घाटे की बात आती है तो बड़ा सरल सा उपाय है कि सरकार चाहे तो वसूली का 50 प्रतिशत भी जमा करा ले सरकारी खाते में तो अपने आप राजस्व घाटा पूरा हो जायेगा। मुझे इससे मतलब नहीं है ट्रक वालों से खूब लुटाई हो, जितना लूट रहे हैं उससे दुगना कर लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

क्या ये केन्द्र की सरकार का तजुर्बा बता रहे हैं। मुझे लगता है यह वहीं के घोटालों का तजुर्बा बता रहे हैं।

श्री दलजीत सिंह-

मान्यवर, यह पिछली सरकार में भी था और अभी भी बन्द नहीं हुआ है यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इस मामले में आज भी वही पोजीशन है जो पहले थी। बाकी बहुत चीजें सुधरी हैं पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार में। मैं जो मुख्य बात कहना चाह रहा था किसानों के बारे में कि कोई रोजगार नहीं है, आये दिन सूखा पड़ जाता है, किसान मजबूर है, आस-पास कोई काम धन्धा भी नहीं है, बुन्देलखण्ड का एरिया है सारे लोग सहमत होंगे। मुझे लगता है कि यह देश का सबसे पिछड़ा इलाका है तो सारी समस्याएं यहीं हैं, सूखा भी पड़ जाता है, एक ही फसल होती है। गरीब किसान यदि किसी तरह से कर्ज ले करके ट्रैक्टर ले लेता है। लोन नहीं भर पाते हैं तथा जमीनें नीलाम हो जाती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह गौर करने वाली बात है, अगर गलती से कोई किसान अपने गांव के किसी सक्षम व्यक्ति से भाड़े पर ट्रैक्टर ट्राली लेकर गिट्टी और बालू लेने चला जाए तो वह आर0टी0ओ0 की नजरों से बच नहीं सकता, चाहे जितनी कोशिश कर लें और एक ट्रैक्टर पर 25 हजार रुपये जुर्माना लिया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो सीधे कहा जाता है कि ऊपर से दबाव है, राजस्व पूरा करना है। मा0 अध्यक्ष जी, यह किसान हितैषी सरकार है और जब-जब यह सरकार बनती है तो किसानों को उम्मीद जगती है और किसानों के भले के काम भी यह सरकार करती है (मेजें थपथपायी गयी) तो मेरा निवेदन है कि सिर्फ इतना कर दें कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ट्रैक्टर ट्राली वालों को, जो गरीब किसान हैं उनको आर0टी0ओ0 और पुलिस की लूट से बचा दें तो मैं भी धन्यवाद दूंगा। अगर माननीय मंत्री जी ऐसा करेंगें तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा और जब सत्र चलेगा तो मैं खड़े हो करके, खुल करके धन्यवाद करूंगा। एक ही काम ट्रैक्टर वालों को छोड़ दिया जाए और ट्रक वालों से और बढ़ा लिया जाए, मुझे ऐतराज नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, एक दूसरी समस्या है, हमारे यहां बेरोजगारी बहुत है अगर गरीब आदमी छोटा टैम्पो जो सवा लाख रुपये की आती है पिछली बार एक टैम्पो वाले का आर0टी0ओ0 ने तीन बार चालान किया और हर बार 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वह मेरे दरवाजे पर आकर कहने लगा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर इससे बचाव न हुआ। सवा लाख रुपये की टैम्पो और तीन बार में 75 हजार रुपये जुर्माना। तो माननीय अध्यक्ष जी, इन गरीब टैम्पो वालों और ट्रैक्टर वालों को राहत दिला दें।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिये।

श्री दलजीत सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, एक और छोटी सी समस्या है। चूंकि आये दिन जब हम लोग गाड़ियों से गुजरते हैं तो जब भी रोड़वेज की बस दूर से दिखती है तो बड़ा डर लगता है कि पता नहीं कब हमारी गाड़ी में घुस जाए। उसका कारण है कि अनट्रेण्ड ड्राइवर रखे गये हैं तीन-तीन, चार-चार हजार में, जो सुबह से शाम तक शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं और अक्सर एक्सीडेंट करते हैं। लोग रोडवेज बसों में बैठने से डरते हैं और एक्सीडेंट के कारण होते हैं टायर। टायर में बड़े लम्बे घपले होते हैं, टायर कागजों में चेन्ज हो जाते हैं और घिसे हुए टायर चलते रहते हैं, जिससे आये दिन टायर फटने से भी एक्सीडेंट होते हैं। टायर, स्टेयरिंग और ब्रेक रोडवेज में ये तीन चीजें ठीक करा दी जाएं तो बस चाहे जितनी खटारा हो, दिक्कत नहीं होगी। अगर ये तीन चीजें ठीक हो जाएं और सभी ड्राइवरों का डाक्टरी परीक्षण करा लिया जाए। मानवीय जिन्दगी का सवाल है और जो ड्राइवर जरा भी शराबी हो कम से कम उससे रोडवेज की बस न चलवायी जाए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, अब अपनी बात खत्म कर दें।

श्री दलजीत सिंह-

मान्यवर, इसी के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बोलने का मौका दिया।

(श्री पूरन प्रकाश जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी आपकी पार्टी से शर्मा जी ने अपनी बात रखी है। पूरन प्रकाश जी अभी बैठिये। आपकी पार्टी से बोल चुके, बहुजन समाज पार्टी की संख्या ज्यादा है उनकी पार्टी से एक और माननीय सदस्य को बुलवा दे रहा हूं।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के अपने आसन पर खड़े होकर बोले जाने के लिए अवसर प्रदान करने का आग्रह करने पर शोर)

श्री दलजीत सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं अगर ट्रैक्टर ट्रॉली वाले मामले में थोड़ा आश्वासन आ जाए।

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठिये, रोशन लाल वर्मा जी को बुला लिया है।

श्री रोशन लाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने खन्ना जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए मुझे अवसर दिया। मैंने एक शिकायत की थी कि हमारे विधान सभा क्षेत्र तिलहर में

डालमिया चीनी मिल निगोहीं में बड़े पैमाने पर बड़े-बड़े ट्राला बनवाकर जिसमें चार-चार सौ क्विंटल गन्ना लादकर ट्रांसपोर्टर वहां के रोडों को खराब कर रहे हैं। मैंने परिवहन माननीय मंत्री जी से निवेदन किया कि वहां उन गन्ने के ट्रालों से कई दुर्घटनायें भी हुईं। माननीय मंत्री जी द्वारा संज्ञान लेते हुए उस पर यहां के वरिष्ठ अधिकारियों को फोन किया, उस फोन के ऊपर कार्यवाही उन ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ न करके जो वहां के छोटे-छोटे कृषक थे उनकी ट्राली बन्द की गयी जिस पर आर0टी0ओ0 महोदय चेक करने गये थे, मैंने अपने घर से उन्हें फोन मिलाने का प्रयास किया मैंने वहां अपने घर से फोन मिलाने का प्रयास किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया गया माननीय अध्यक्ष जी, डालमिया चीनी मिल लगभग 100 ट्राला चलते हैं जिन्हें माननीय अध्यक्ष जी छक्का बोलते हैं 6-6 टायर उसमें जोड़कर चेकिंग के समय ओवर लोडिंग करते हैं 10 ट्राला वहां पर फिर आ गये और थोड़ी देर के लिये हमारे माननीय आर0टी0ओ0 साहब एक किनारे अलग गये और अलग जाने के बाद पता नहीं ट्राला मालिकों से क्या बात हुई क्या नहीं हुआ। ट्राला सीधे फैक्ट्री चले गये तो माननीय अध्यक्ष जी, हमारा अनुरोध है कि ऐसे कृषक विरोधी अधिकारी, उसका रिकार्ड है मेरे पास कि ओवर लोडिंग करने वालों के बजाय कृषकों की ट्रालियों को बन्द की गई और माननीय अध्यक्ष जी जो ट्रक स्वामी हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह लिखकर दिया करो।

श्री रोशन लाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट हमारी बात सुन लीजिये। मान्यवर, मेरा ट्रक है तो मेरा अधिकार है कि हम अपने ट्रक को सरेन्डर करके खड़ा कर दें। लेकिन इसमें एक ऐसे आदेश हुए हैं कि ट्रक स्वामी हो उसके लिये केवल तीन महीने के लिये सरेन्डर कर सकते हैं बाकी 9 महीने के लिये टैक्स देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हमारा अनुरोध है सरकार से कि हम अपना ट्रक चाहे सरेन्डर कभी भी कर दें उस पर प्रतिबंध हटा देना चाहिए। अंत में दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने देखा माननीय अध्यक्ष जी मुझे केवल एक मिनट कह लेने दीजिये। कहे सुने की है नहीं देखा देखी बात। मैंने देखा है वहां पर।

कहे सुने की है नहीं देखा देखी बात

और दुल्हा दुल्हन मिल गये सूनी पड़ी बरात।

तो मैंने देखा है वहां पर। दोनों का लेन देन का मिलन हो गया उसके बाद में चेकिंग करना बन्द कर दिया। अंत में मैं माननीय खन्ना जी के परिवहन विभाग की कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी पार्टी के लोग बोल चुके। अच्छा आप दो मिनट में बोलो अपनी बात। दो मिनट में आप भूमिका बनायेंगे। मैं देख रहा हूं घड़ी। 6.15 बजे हैं 6.17 पर खत्म करिये।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे खन्ना जी के कटौती प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे साथियों ने सरकार की तरफ से भी आया कि कैसे रोडवेज घाटे में जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा। अधिकारीगण भी पीछे बैठे है, कि क्या कारण है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने वाहन खरीदे जाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन हरियाणा सरकार में होता है। चलते तो वह उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हैं और रेवेन्यू जाता है हरियाणा सरकार में। क्या कारण है मान्यवर ? मैं आपको बताऊंगा मान्यवर, यह कह रहे हैं कि बहुत नुकसान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

बहुत ज्यादा न बताइये, मंत्री जी जानते होंगे।

*श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बता रहा हूं कि हमारे स्टेट में 5 परसेन्ट टैक्स लिया जाता है और हरियाणा लेता है 2 परसेन्ट। अभी उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो अपने बराबर की बात कर रहा हूं। हमारे प्रदेश में जितने पश्चिम के जिले हैं टोटल रजिस्ट्रेशन हरियाणा में होता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर परिवहन विभाग की स्थिति सुधारनी है तो हमारे यह अधिकारी भी बैठे हैं, सरकार भी बैठी है, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें कि हरियाणा में रजिस्ट्रेशन न हो करके यू0पी0 में हो। दूसरी चीज मान्यवर,

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, बस हो गया।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, क्या कारण है कि दो बस खड़ी है एक दिल्ली की बस है और एक यू0पी की बस है। क्या कारण है कि आदमी यू0पी0 की बस में न बैठकर दिल्ली की बस में बैठता है। आज हमारे यू0पी0 की बसों की हालत यह है कि न तो मान्यवर, शीशे हैं न चेयर है, कब वह बस कहां खड़ी हो जाय, कब धक्का लगाना पड़े, कब वह अपने गंतव्य को पहुंचे। कोई श्योरटी नहीं है। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे यू0पी0 रोडबेज के पास नये नये बस स्टैन्ड हैं, डिपो हैं, करोड़ों की जमीन रोडवेज के पास मौजूद है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात खत्म हो गई। अब आपका नहीं लिखा जायेगा चाहे जितना बोलिये। आपका टाइम हो गया।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे खन्ना जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बोलने का मौका दिया। जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं उस पर बल देते हुए आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। उस पर बल देते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि बस वालों की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात तो सब कह चुके लेकिन ट्रक वालों की बात कोई कहता नहीं है जबकि बगैर ट्रक के कोई चल नहीं सकता है। यह बिल्डिंग भी नहीं बन सकती है, हमारे आपके मकान भी नहीं बन सकते हैं और ट्रक वाले लूटे जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण था कि उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, इसके बाद मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी,इन दोनों मुख्य मंत्रियों ने एक भी ट्रक वालों को कष्ट नहीं होने दिया। वह ट्रक खदान से निकलता था बहराइच से होकर जाता था..

श्री अध्यक्ष-

इतनी जोर से बोल रहे हो बीमार हो जाओगे।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

सिपाही आर0टी0ओ0 तो क्या होमगार्ड भी उसको नहीं छू सकता था। माननीय अध्यक्ष जी मैं कानपुर के बारे में भी कहना चाहता हूं कि कानपुर में जो फिटनिस गाड़ी की होती है वह शहर में आर0टी0ओ0 का कार्यालय है। अशोक कुमार जी बैठे हैं इनको मालूम है वहां जब गाड़ी जाती है, सुबह जाती और भाग आती, तो काफी लोगों की फिटनिस नहीं जमा होती है तो सरकार ने उस पर चार्ज लगा दिया है कि अमुक तिथि तक आपने जमा नहीं किया तो इतना रुपया और बढ़ जावेगा। गाड़ी जाने का समय नहीं है नो इन्ट्री लगी है कैसे हो जाएगा। जरा से चूके नहीं कि सरकार का डंडा चल जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात को हुकुम सिंह जी बहुत अच्छी तरह से रख चुके हैं। वह तरीका बता देंगे।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

आप इनकी सुनते रहे आप अध्यक्ष रहते रहे हैं। हम लोगों को भी मौका दीजिए। तभी हम लोग भी आगे बढ़ेंगे और कौन मैं गलत कह रहा हूं मैं तो कह रहा हूं कि गाड़ी सीधी आएगी तो सस्ता माल मिलेगा आप निधि मत बढ़ाइये केवल उत्तर प्रदेश के ट्रक वालों को छोड़ दीजिए और शिष्टाचार के नाते जो लिया जाता हो, धीरे से पीछे से पैसा ले लीजिए। सरकार के खजाने में डाल दीजिए, आपको सारा रेवेन्यू मिल जाएगा आपको जरूरत नहीं है आप कहते हैं कि पैसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह अखाड़ा नहीं है असेम्बली है, अब बैठिए अब लिखा नहीं जाएगा। आप ट्रांसपोर्टर हैं क्या ? बैठिए।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

खदान में 15 से 16 रुपया..

श्री अध्यक्ष-

लिखा नहीं जाएगा चाहे जितना इधर उधर करो। इसको पास हो जाने दो, आठ बजे तक चलेगा अभी डेढ़ घंटा चर्चा लगी है बहुत टाइम हो जाएगा।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

आप सत्ताधारी दल के हैं आप और बोल लें।

*श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

मान्यवर,मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं आपसे अपने क्षेत्र की दो बातें कहना चाहता हूं पहले मैं मा0 मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए बहुत बधाई देना चाहता हूं।

(मेजें थपथपाई गईं)

कि प्रदेश को परिवहन के माध्यम से प्रदेश को तरक्की पर ले जाने का और परिवहन को विकास पर ले जाने का, जो बजट रखा है उसका समर्थन करते हुए, मैं अपने क्षेत्र की दो तीन बातें कहकर आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मैंने मा0 मंत्री जी को लिखित भी दिया है मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र जनपद का, आखिरी निर्वाचन क्षेत्र है। जिला मुख्यालय से हमारे निर्वाचन क्षेत्र की दूरी करीब 80-85 किलोमीटर है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र के आखिरी बाजार मित्तूपुर से एक बस पवई ब्लाक होते हुए, फूलपुर होते हुए आजमगढ़ कचहरी जाने वालों के लिए एक बस सुबह चलाने का कृपा करेंगे और एक बस मित्तूपुर से होते हुए पवई होते हुए शाहगंज बदलापुर होते हुए इलाहाबाद के लिए ओर उसी में हमारे बहुत से साथी हैं रास्ते की खराबी से गड़बड़ी हो गई थी, बलिया से एक वाल्वो बस, आजमगढ़, फैजाबाद होते हुए लखनऊ के लिए जो लखनऊ दस बजे के करीब पहुंच जाए और एक आजमगढ़ से शाहगंज सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ के लिए दो वाल्वो की बसें एक एरोला से आजमगढ़ के लिए..

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए। अब आप समाप्त करें।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

मान्यवर, इलाहाबाद से गोरखपुर जाने वाली दो बसों को बिलरियागंज यमुना पार होकर करा दें, दोहरी घाट से महुलागढ़ होते हुए हैदराबाद तक करा दें। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इस चर्चा में माननीय राम करन आर्य जी, माननीय शाह आलम जमाली साहब, माननीय सोनकर जी, मेहनगर, माननीय सुदेश शर्मा जी, माननीय दलजीत सिंह जी, माननीय रोशन लाल वर्मा जी, माननीय पूरन प्रकाश जी, माननीय रघुनन्दन सिंह भदौरिया जी और माननीय श्याम बहादुर यादव जी ने भाग लिया। मैं दो बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूं। मान्यवर, जिन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थानों तक परिवहन निगम की सुविधा नहीं पहुंच रही है, कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों का जिक्र किया, वहां तक बस निश्चित रूप से चलायी जानी चाहिए। सरकार को बनिए के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए कि मुनाफा है या घाटा है। सरकार को यह जरूर सोचना चाहिए कि उसमें जनहित अगर इन्वाल्व है तो उस दृष्टि से जरूर देखा जाना चाहिए। भले ही कहीं पर उतना राजस्व नहीं आता हो तो भी सरकार का दृष्टिकोण एक आम व्यापारी की तरह नहीं होना चाहिए। मान्यवर, यह सही है कि निगम को घाटे से भी उबारने का भी प्रयास होना चाहिए। पुलिस उत्पीड़न और एआरटीओ की ज्यादती का जिक्र यहां पर माननीय सदस्यों ने किया। एआरटीओ और पुलिस यह दोनों ही लोग समय-समय पर ज्यादती करते हैं और अभी आपके सामने एक प्रकरण ऐसा भी आया कि जिन्होंने यह कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, एआरटीओ की ज्यादती की वजह से। ऐसे प्रकरण को जरूर दिखवाना चाहिए। मान्यवर, दुर्घटना की जो राशि है, मैंने पहले भी कहा था कि दुर्घटना से पीड़ित जो लोग हैं, उसकी राशि बढ़ाने के बारे में माननीय मंत्री जी इस बात की सदन में घोषणा जरूर करें कि 50 हजार के स्थान पर 1 लाख रुपये, मान्यवर, 50 हजार रुपये तक का नियम है लेकिन बहुत समय हो गया है, मंहगाई भी बहुत बढ़ गयी है, इसलिए 50 हजार के स्थान पर एक लाख और 25 हजार जो स्थाई विकलांगता के लिए हैं, उनके स्थान पर 50 हजार रुपया होना चाहिए। मान्यवर, प्रदेश में जो अधूरे कार्यालय पड़े हैं, जो पैसे की कमी की वजह से नहीं बन पाये। हमारे शाहजहांपुर का भी मान्यवर, वहां पर 3 बीघा जमीन पड़ी है, जमीन खरीदना नहीं है और वहां पर कार्यालय बन सकता है लेकिन मान्यवर, जब से दीवार टूट गयी, वहां पर दीवार और बाउन्ड्री तक नहीं बन पायी है। इसलिए मान्यवर, ऐसे स्थानों पर जहां पर कार्यालय नहीं हैं, निगम के कार्यालय नहीं हैं, वहां पर निगम के कार्यालय बनने चाहिए, वहां स्थान लेने की आवश्यकता नहीं है, स्थान मौजूद है और जो रूट्स भले ही अराष्ट्रीयकृत हों, उस पर भी यूपीएसआरटीसी को सोचकर उन क्षेत्रों को भी आच्छादित करें, उन मार्गों पर भी बसें चलाने की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार इसका संज्ञान ले और मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। माननीय मंत्री जी के जवाब के बाद मैं एक-दो स्पष्टीकरण जरूर पूछूंगा।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय खन्ना जी ने जो घाटे का जिक्र किया है। हम उस पर आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। मान्यवर, निगम द्वारा परिवहन परिक्षेत्र के नियमों का पालन करते हुए प्रति बस कार्मिक औसत 5.22 से कार्य लिया जाता है। इसके विपरीत निजी संचालक द्वारा एक बस पर अधिकतम दो से तीन व्यक्तियों से कार्य लेना प्रचलित है। निगम द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं अपनी बसों का संचालन सुचारु रूप से बनाये रखने के लिए बस स्टेशनों का निर्माण, रख-रखाव एवं वहां पर कर्मचारी तैनात करने पड़ते हैं जबकि निजी संचालकों द्वारा इस मद में कोई व्यय नहीं किया जाता है। मान्यवर, निगम के व्यय का मुख्य भाग डीजल और वेतन होता है। जिनके दर परिवर्तन पर निगम का नियंत्रण नहीं है। निगम द्वारा अपने कार्मिकों को वर्तमान में छठे वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है। जो कि निजी क्षेत्र के चालकों/परिचालकों के वेतन से लगभग दोगुना है। इसके विपरीत निगम की किराया दर शासन के नियंत्रणाधीन रहती है। फलस्वरूप निगम द्वारा इन मदों में भारी मूल्य वृद्धि उपरान्त भी नवम्बर, 12 तक, नवम्बर, 09 की किराया दर पर संचालन हेतु बाध्य होना पड़ा। निगम द्वारा अपने कार्मिकों को सेवानिवृत्त लाभ एवं अन्य सुविधायें भी

प्रदान की जाती हैं यथा कर्मचारी भविष्य निधि/पेंशन, गेच्युटी, अवकाश नगदीकरण, सामूहिक बीमा एवं चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति आदि। इन मदों पर वर्ष 2011-12 में लगभग रुपये 70 करोड़ का व्यय हुआ है। परिवहन निगम द्वारा अतिरिक्त कर के मद में लगभग रुपये 2.50 लाख प्रतिबस प्रतिवर्ष (50 सीट पर) का भुगतान किया जाता है। जबकि निजी संचालक द्वारा इतनी ही सीट पर लगभग रुपये 66 हजार प्रतिबस प्रतिवर्ष का ही भुगतान किया जाता है। इसके अलावा हम यह भी कहना चाहेंगे कि आज जो हमारे माननीय सदस्यों ने विभिन्न अंचलों में सेवाओं से जो जोड़ने की बात कही है हमारा प्रयास है। क्योंकि हम जब बसें चलाते हैं तो वह जनता के हितों और साधन के लिए चलाया जाता है और उसमें परिवहन निगम ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। अगर बस की कमी पड़ी है तो हमने बस अनुबंधित करके जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2012-13 में निगम की कुल आय 2029.52 करोड़ रही जो गत वर्ष से 211.06 करोड़ अधिक है। इस अवधि में डीजल, कलपुर्जों एवं टायर के मूल्यों में भारी वृद्धि तथा वेतन मद के व्ययभार में वृद्धि हुयी। जबकि यात्री किराया में माह नवम्बर, 2012 में अल्पवृद्धि ही अनुमन्य की गयी। इसका लक्ष्य भी हमने 2013-14 में किया है। मान्यवर, वर्ष 2013-14 में निगम के बेड़े में 1700 नई बसें जोड़ा जाना, 349 किमी0/बस/दिन का बस उपयोग तथा 70 प्रतिशत का लोड फैक्टर अर्जित किया जाना लक्ष्य के रूप में निर्धारित है। निगम की कुल आय रुपये 3272.94 करोड़ संभावित है। निगम द्वारा प्रतिफलों में सुधार कर तथा व्यय नियंत्रण के आधार पर कुल रुपये 3229.06 करोड़ के व्यय का अनुमान है। निगम को इस अवधि में रुपये 43.88 करोड़ के लाभ का अनुमान है। मान्यवर, हम यह भी कहना चाहेंगे कि वर्ष 2013 में नई बसों की स्थिति क्या रही। लक्ष्य, संसाधनों की कमी के कारण लक्ष्य 1600 से 1000 बस किया गया। अप्रैल से 30 दिसम्बर, 2012 तक 141 बसें, अप्रैल से 28 फरवरी, 2012 तक 728 बसें बेड़े में सम्मिलित किया गया। मार्च, 2013 तक लक्ष्य पूर्ण होने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ-साथ मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यों ने यह भी बात अपने सुझाव में कही है कि चालकों की भर्ती किस तरीके से होती है तो मैं बता दूं, चालकों का प्रथम टेस्ट क्षेत्र में होता है, दूसरा टेस्ट कानपुर संस्थान में होता है। बसों की दैनिक जांच की जाती है, टायर का किमी0 पूर्ण होने पर उन्हें समय पर बदला जाता है। नशे की बात मा0 खन्ना जी ने भी कही और भी मा0 सदस्यों ने भी कही, यह गम्भीर मसला है, इस सम्बन्ध में हमने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि नशे की हालत में अगर कोई भी ड्राईवर पकड़ा जायेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी और इसके लिए हमने बजट में यंत्र भी प्रस्तावित किया है ताकि उसके माध्यम से भी हम नशे की हालत का पता लगा सकें। इस तरह से मान्यवर, नशे में बस चलाने पर चालकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना है। चालकों का नेत्र परीक्षण भी नियमित समय पर किया जाता है। इसके साथ-साथ होली, दीपावली आदि त्योहारों पर बसों के विशेष संचालन की योजना बनाई जाती है। कार्मिकों को अतिरिक्त कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, बसों की अग्रिम बुकिंग भी की जाती है। इसके साथ-साथ हम यह भी बताना चाहेंगे कि महानगरों में जेएनएनयूआरएम बस सेवा है, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों में नगर बस के संचालन में हानि होती है, लेकिन इसका संचालन जनहित में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा हानि की प्रतिपूर्ति हेतु विशेष कोष की स्थापना प्रस्तावित की गई है। इसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष जी हम आपके माध्यम से यह भी बताना चाहेंगे कि हानि के

कारण यह भी हैं कि डीजल की दर में भारी वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि, मंहगाई भत्ता, वर्ष 2009 से नवम्बर, 2012 तक किराया में वृद्धि नहीं की गई। प्रतिफलों में सुधार हुआ वर्ष 2012-13 में बस उपयोगिता में 10 किमी0 एवं लोड फैक्टर में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ-साथ घाटे को कम करने के उपाय भी किये गये हैं। वर्ष 2013-14 में लगभग 1700 नई बसों को लाभकारी मार्ग पर चलाया जायेगा, जहां पर इसका लाभ हमको मिलेगा, साथ-साथ ग्रामीण मार्गों पर अनुबन्धित बसें बढ़ाई जायेंगी, इसके लिए भी हमारा निगम प्रयासरत है कि जहां भी बस की आवश्यकता पड़ेगी, हम अनुबन्धित बस बढ़ा कर चलाने की व्यवस्था करेंगे। संचालन के मुख्य मानक बस उपयोगिता लोड फैक्टर में वृद्धि की जायेगी। डीजल के मानक में सुधार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप संक्षिप्त करिये मा0 मंत्री जी, यह तो आप पहले बोल चुके हैं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से यह भी कहना चाहते हैं कि हमारे मा0 सदस्यों के जो भी सुझाव हैं हम उन पर गम्भीरता से विचार करेंगे और जहां भी जनहित के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्पित है कि जनहित में जनता की समस्याओं को देखते हुए जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, चाहे अनुबन्धित बस हो, चाहे बड़ी बस हो, उसको चलाने की व्यवस्था करेगी। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम 1700 से और भी ज्यादा बसें बढ़ाने का काम करेंगे, इसलिए हम माननीय खन्ना जी से निवेदन करेंगे कि आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री संजय कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं पिछली बार जब विधायक बना था, पांच साल से ज्यादा का समय हो गया, पिछली सरकार में भी आश्वासन था, मेरा क्षेत्र बिलासपुर है, जो उत्तरांचल के बार्डर पर है। मा0 अध्यक्ष जी, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मैं पिछली बार जब विधायक बना था। 5 साल हो गये पिछली सरकार के, पिछली सरकार में भी आश्वासन था। मेरा क्षेत्र बिलासपुर है जो उत्तरांचल के बार्डर पर है, वहां पर रोडवेज का बस अड्डा बनाया जाना है। सरकार का बराबर आश्वासन आ रहा है कि हम बनायेंगे। वो समय-सीमा निर्धारित हो जाये कि सरकार कब बनायेगी। बनायेगी या नहीं बनायेगी क्योंकि वह बहुत फायदे का बस स्टेशन है। अगर बन जायेगा तो यकीनन उससे फायदा होगा, मैं चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी का इस पर आश्वासन आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, इनका कहना है कि कहीं बस बन्द हो गयी है उसको चलवा दीजिये।

श्री प्रदीप चौधरी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र गंगोह से चण्डीगढ़, गंगोह से करनाल, गंगोह से मेरठ, गंगोह से दिल्ली, गंगोह से हरिद्वार और गंगोह से देहरादून। मा0 अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ये बसें ऑन रिकार्ड चल रही हैं।

अध्यक्ष जी, ये कागजों पर चल रही हैं लेकिन धरातल पर नहीं चल रही हैं। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये सिर्फ कागजों में ही चलेंगी या धरातल पर भी चलेंगी। अध्यक्ष जी, दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि गंगोह के अन्दर डिपो की स्वीकृति हुयी है। क्या मा0 मंत्री जी, उसकी जमीन के लिये जमीन की खरीद की भी व्यवस्था करेंगे या नहीं करेंगे।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

हमारे यहां हरियाणा बार्डर के क्षेत्र पर क्या सरकार कोई बस का डिपो सरकार बनवायेगी।

श्रीमती रूबी प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र की एक बात है। अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हमारा जनपद सोनभद्र और मेरा विधान सभा क्षेत्र दुद्धी अतिनक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वहां पर राज्य परिवहन निगम की एक भी बस नहीं चलती। वहां से मरीजों को वाराणसी ले जाना पड़ता है। 200 किलोमीटर की दूरी है दुद्धी तहसील से वाराणसी तक और दुद्धी तहसील से मिर्जापुर तक। मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि मेरे दुद्धी विधान सभा क्षेत्र में दुद्धी तहसील से वाराणसी के लिये और दुद्धी तहसील से मिर्जापुर के लिये बस चलायी जाये।

मद सं0-8(3)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर 01 रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,76,24,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[6.41 बजे] प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री हुकुम सिंह, श्री प्रदीप माथुर आदि की नियम-56 की सूचना पर नियम-52 के अन्तर्गत डेढ़ घण्टे की चर्चा

श्री अध्यक्ष-

अब मद संख्या-09 है। इसमें मा0 बहुजन समाज पार्टी, मा0 भारतीय जनता पार्टी और मा0 कांग्रेस पार्टी ने नियम-56 के अन्तर्गत इस प्रश्न को यहां उठाया था और उसी पर ये डेढ़ घण्टे की चर्चा निर्धारित की गयी थी तो इसका मैं ये चाहूंगा कि जो तीनों दलीय नेता हैं, वे अपना पहले 5-5 मिनट बोल दें फिर मंत्री जी बोल दें और फिर इस पर चर्चा शुरू हो जाये तो पहले कौन शुरू करेगा। मा0 मौर्य जी कि पहले आप शुरू करेंगे। जैसा आप कहें। मौर्य जी शुरू करिये।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी तो सबसे बाद में उत्तर देंगे न।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, ये नियम नहीं है। होता यह है कि चर्चा में सब भाग लेते हैं। आप लोग 5-5 मिनट बोल देंगे। वो कुछ फैक्ट्स दे देंगे तो उस आधार पर सारे सदस्यों को बोलने का अवसर मिल जायेगा। वो सूचनायें दे देंगे तो उसके बाद वो अन्तिम उत्तर देंगे फिर चर्चा में आप भी भाग ले सकते हैं। अन्तिम उत्तर के समय आप फिर बोल सकते हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 नेता प्रतिपक्ष दिन में कई बार कानून-व्यवस्था पर चर्चा कर लेते हैं। आज भी अपने दिल की खूब भड़ास निकाली है। अब क्या रह गया है दिल में, कहां से शब्द लायेंगे, कहां से इल्जाम लगायेंगे। है अब आपकी झोली में कुछ।

श्री अध्यक्ष-

अब वो कहीं से खोज कर लायेंगे ही, उन्हें बोलना है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अरे, मान्यवर, पौने सात बज रहे हैं। ये तो कई बार खाके आ गये और ये एक बार दोपहर में सो भी आये। अब हम तो यहां सुबह से बैठे हैं रात तक।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, कानून-व्यवस्था एक ऐसी आम जनता की प्रमुख आवश्यकता है, जिसे सभी चाहते हैं और मान्यवर, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसी-किसी को मिलता है, लेकिन कानून-व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे इसका लाभ प्रदेश के सभी जनता को समान रूप से मिलता है। इस सदन में प्रायः नित्यप्रति विभिन्न नियमों के अन्तर्गत कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, रोज-रोज इस कानून-व्यवस्था पर चर्चा से लगता है आजिज आ चुके हैं। हम भी चाहते हैं कि सदन के कार्यों का और भी किसी मद में सदुपयोग हो, लेकिन सरकार अगर कानून-व्यवस्था, चुस्त-दुरुस्त रखे, तो हम समझते हैं कि बार-बार नित्यप्रति इस मुद्दे को यहां उठाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े। मान्यवर, आज कानून का डर किसी भी अराजक तत्व को नहीं रह गया है और जिसके नाते आज गुण्डे, माफिया, अपराधी अराजक तत्व सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, बैंक डकैती, अपहरण और फिरौती आम और सामान्य घटना जैसी हो गई हैं, मान्यवर, यहां तक की कानून के रखवाले भी सुरक्षित नहीं हैं और इसी सदन में कुण्डा सी0ओ0 के मुद्दे को ले करके, हम लोग काफी चर्चा भी कर चुके हैं। यही नहीं मान्यवर, आए-गए दिन कभी थानों में घुसकर अराजक तत्वों द्वारा थानेदार की पिटाई, पुलिसकर्मियों की पिटाई, तो मान्यवर, सवाल उठता है कि जब कानून के रखवाले सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता की सुरक्षा कैसे हो, यही नहीं मान्यवर, कभी-कभी कानून के रक्षक, भक्षक भी बन जाते हैं, जब थानों में महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं प्रकाश में आती हैं और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना

चाहता हूं कि आज अराजक तत्व इतने बेखौफ हैं कि कभी कार्यालयों में घुसकर अधिकारियों के साथ बदसलूकी, कभी पिटाई और यहां तक की ऐसे कई दरोगा और पुलिस के मुलाजिम हैं, जो अराजक तत्वों की गोली के शिकार हुए हैं। पुलिसकर्मियों, सी0ओ0 या उच्च अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार आम बात हो गई है, इसलिए मान्यवर, आज मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, बहुत वरिष्ठ सदस्य है, इस सदन के और संसदीय कार्य मंत्री के रूप में, नेता विरोधी दल के रूप में, मा0 मंत्री के रूप में सभी पदों पर रहकर उनको काम करने का अनुभव भी है और मान्यवर, मात्र एक साल के अन्दर, अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, 15 तारीख को एक साल पूरा होगा। सरकार जश्न भी मनाएगी, हम जानते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि उस जश्न में चार चांद लगते, जब इस गुण्डाराज पर अंकुश लगा करके उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आप कानून का राज देते, कानूनराज की स्थापना होती। आज मान्यवर, जिस तरीके से एक दर्जन दंगे-फसाद की बड़ी घटनाएं हईं, कोषीकलां की आग चल करके फैजाबाद तक आई और उसकी चपेट में डेढ़ दर्जन से भी ज्यादा लोग मौत के शिकार हुए और 500 से भी ज्यादा, घर और दुकानें स्वाहा की गई।

मान्यवर, हिन्दू मुस्लिम भाई-चारा तार-तार हुआ है। हमारे देश की संस्कृति है हिन्दू मुस्लिम सिक्ख ईसाई सब आपस में हैं भाई-भाई। मान्यवर, हम आपसी सौहार्द के बिना पर पूरे दुनिया में धर्मगुरू भी कहलाये हैं। हमारे देश की संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम् का सन्देश देती है। इसी तरह का मान्यवर, सन्देश पूरे विश्व को भारत ने दिया है। लेकिन आज जो हमारी कानून-व्यवस्था की स्थिति हो गयी है उसमें हमारा भाई-चारा तार-तार हो रहा है। हिन्दू-मुस्लिम भाई-चारा बिगड़ रहा है। यह हो सकता है और सरकार कह सकती है कि इसमें किसी की साजिश है लेकिन सरकार को उसका खुलासा करना चाहिए। सरकार अपना दामन नहीं बचा सकती है। मान्यवर आज कानून का खौफ, कानून के रखवालों के मन में नहीं रह गया है। अराजक तत्वों के मन में नहीं रह गया है। अधिकारियों के मन में नहीं रह गया है। इसीलिए कभी-कभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को यह कहना पड़ रहा है कि अधिकारी डण्डे की बात मानते हैं। मान्यवर, दूसरी ओर, कानून का राज स्थापित होने से सरकार को सहूलियत मिलेगी आम जनता को सहूलियत मिलेगी और विपक्ष के लोगों को भी इस पर बार-बार अपनी बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। आज हालात क्या हैं। कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, अपराधी-अराजक तत्व मस्त हैं, उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है और समाजवादी पार्टी की सरकार पस्त है। आज हालात यह बन गये हैं और आज यह घटना मैं बताना चाहता हूं बीती रात की है कि फिरोजाबाद में थाना उत्तर क्षेत्र के दुल्ली में प्रेमचन्द्र नामक एक युवक को रसूलपुर थाने की पुलिस ले जाती है उस पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाता है और उसे मार दिया जाता है और उसको आत्म हत्या का रंग दिया जाता है। मैंने आज जिलाधिकारी से बात की और कहा कि इसकी जांच डॉक्टरों के पैनल द्वारा कराके पोस्टमार्टम कराया जाय और साथ ही साथ अपने स्तर से इसकी जांच करा करके जो भी पुलिस कर्मी दोषी हों सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करे। मान्यवर, आज अपराधी अपराध क्यों कर रहे हैं ? यह अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। इसलिए बढ़ रहे हैं कि अपराधी जब अपराध करता है तो उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज होती है। उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। मान्यवर, जब अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा तो फिर अपराधी मनबढ़ हो जाता है और फिर वह दस घटनायें और

करने की कोशिश करेगा। मान्यवर, इलाहाबाद में अविनाश द्विवेदी की माण्डा थाने के अन्तर्गत 19 फरवरी, को हत्या हो गयी। नामजद एफ0आई0आर0 हुई लेकिन अभी तक हत्यारों की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पायी है। इस तरह के हजारों प्रकरण मेरे पास हैं मैं दृष्टान्त स्वरूप इसलिए कह रहा हूं कि इन पर जब तक कानून का चाबुक नहीं चलेगा कानून का शिकंजा इन पर नहीं कसा जायेगा, तो अपराधियों के हौसले बढ़ते चले जायेंगे। मान्यवर, कुछ जगह ऐसी हैं जहां की सूचनाएं हैं कि अपराधी को लॉकअप तोड़कर निकाल ले गये, और कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, जब मन में कानून का भय नहीं रह जायेगा तो अपराध बढ़ेंगे मान्यवर, यह गम्भीर मुददा है आम लोगों से जुड़ा हुआ है इसलिए सदन में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।

मान्यवर, आपके माध्यम से हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि आज जब तक यह सरकार इन अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही नहीं करेगी तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा और जो प्रदेश की कानून व्यवस्था, जिस तरीके से प्रदेश में जंगलराज बन गया है जिस तरीके से अराजक तत्व सरकार को ठेंगा दिखा करके अपनी अराजकता को फैलाने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि आज तमाम साथी इस चर्चा में भाग लेंगे इसी लिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हर तीसरे दिन एक ग्राम प्रधान की हत्या होती है हर तीसरे दिन आखिर जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं होगा मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं यह सदन जिस दिन शुरुआत हुआ था, चेयरमैन अशोक मौर्य प्रतापगढ़ सिटी की हत्या हुई थी। मान्यवर, सपा नेता यशवीर सिंह यादव की गोली मार करके गाजियाबाद में हत्या हुई थी, मान्यवर, इसी तरीके से अंगदपुर के ग्राम प्रधान अवशाद खां जुमे की नमाज अता करने जा रहे थे लखीमपुर खीरी में उनकी सरेआम हत्या हुई थी। प्रतापगढ़ के बलीपुर ग्राम प्रधान की हत्या सीओ के साथ हुई यह देशव्यापी है, सब लोग जानते हैं। अम्बेडकर नगर में राम बाबू गुप्ता की हत्या के विषय में हम यहां चर्चा कर चुके हैं। सीतापुर मोहली गांव के दलित ग्राम प्रधान भोला की हत्या का भी जिक्र यहां आ चुका है। इसी प्रकार से मान्यवर, हम केवल दो दिन की घटना का ब्यौरा रखेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अभी और भी माननीय नेता को बोलना है, आप अब रहने दें, माननीय हुकुम सिंह जी भी रख दें। माननीय नेता विरोधी दल अब थोड़ा-थोड़ा सबको बोल लेने दीजिए चर्चा शुरू हो जाय तो फिर।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपसे केवल यह निवेदन कर रहा था हम केवल दो दिन की घटना का जिक्र आपके सामने रखना चाहते हैं। मान्यवर, यह एक बानगी होगी केवल दो दिन की घटना सरकार को संज्ञान लेने के लिए एक बानगी होगी हम पूरा ब्यौरा नहीं रख रहे हैं केवल दो दिन की बात रख रहे हैं।

मान्यवर, आज 12 तारीख है हम 9 तारीख से बात करते हैं। मान्यवर, 9 तारीख को यहां रात में जिस तरीके से विश्वविद्यालय में 15 दिन के अन्दर तीन-तीन बार छात्रों में आपसी द्वन्द हुआ लाठी,

कट्टे और डन्डे चले, बाराबंकी में 9 मार्च को तीन दिन से लापता अरविन्द का शव नाले में मिला, अम्बेडकर नगर में 9 मार्च को ही एक लड़की, बीएड की छात्रा से छेड़खानी करने पर उस पर तेजाब फेंक दिया गया, इसी प्रकार से धनकेट से स्कूल जा रही छात्रा को अगवा करने की कोशिश की गयी। हमने आपसे निवेदन किया है केवल दो दिन का 9 और 10 उससे ज्यादा नहीं देंगे। मान्यवर, रानीपुर थाने के ताजपुर गोबरहा गांव में बेटी की गरदन काटकर हत्या कर दी गयी और मान्यवर, निरालानगर में घर में घुसकर सुरेश की गोली मारकर हत्या कर दी गयी, फैजाबाद के बीकापुर के बाइकर्स गैंग ने राष्ट्रीय मार्ग पर इंटर के नवीन को गोली मार करके लूट लिया, विसन्डा थाना क्षेत्र के अलिहा गांव के सपा कार्यकर्ता शिरोमणि यादव की हत्या कर दी गयी, मलिहाबाद के टिकरा ससपन गांव के तहत 8 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया गया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी, इधर हुकुम सिंह जी को कुछ बोल लेने दीजिए तीनों दलों ने कानून व्यवस्था पर कहा था तो आप भी बोल लीजिए वह भी बोल लें, वह भी बोल लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, डेढ़ घन्टे का समय है सब बोल लेंगे।

मैं मात्र दो मिनट में सारी बात खत्म कर रहा हूं मान्यवर, लखनऊ वजीरगंज में सौंच के लिए जा रही महिला से सामूहिक बलात्कार किया गया। 9 मार्च में उन्नाव बीघापुर के टिकरी गांव में शौंच के लिए गयी 15 वर्षीय किशोरी के साथ 3 युवकों ने सामूहिक बलात्कार किया। इसी प्रकार से माखी में भी एक किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ, अब मान्यवर, 10 मार्च को जिस तरीके से विजय नगर में तैनात गाजियाबाद के महिला सिपाही के साथ छेड़खानी की कोशिश की गयी और इसी प्रकार से मान्यवर, बांसगॉव के पास शिवमंदिर जा रही एक ही परिवार की तीन-तीन महिलाओं को आठ लोगों ने मिल करके अपहरण किया। सुभाष प्रसाद की दिनदहाड़े बदमाशों ने हत्या की हमारे जनपद कुशीनगर में 10 मार्च को ही। 10 मार्च को ही ग्राम प्रधान जय प्रकाश सिंह के घर पर बड़े पैमाने पर लोगों ने लूटमार किया, रिटायर्ड दरोगा की अमेठी में पीपरपुर थाने में हत्या कर दी गयी और गुलशन बरकत के पास रहने वाले राजगीर हामिद की हत्या गोंडा में 10 फरवरी को कर दी गयी। मान्यवर, इसी प्रकार से किसान मोहम्मद अली को गोली मारकर हत्या अमेठी में 10 तारीख को ही कर दी गयी। रूपईडीहा थानान्तर्गत ग्राम मकनपुर में बदमाशों ने हत्या कर दी।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अभी तो दो दिन भी पूरा नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ एक चौथाई प्रकरण ही मैनें रखे। हम आगे नहीं रखने जा रहे हैं, हमने यह कहा कि यह नमूने के तौर पर केवल दो दिन की घटनाओं का ब्योरा अभी एक चौथाई आया है, अगर जबसे हाउस चल रहा है, तबसे हम घटनाओं का ब्योरा यहां पर रखेंगे तो हम समझते हैं कि-

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सब बोले तो बोलबे करें छलनियां का बोले जिसमें बहत्तर छेद। ऐसे लोग जो कानून राज पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, ऐसे लोग जिनकी हुकूमत में पूरा उत्तर प्रदेश [x x x] का चरागाह बन गया है, इनको चुल्लू भर पानी में शर्म से डूबकर मर जाना चाहिये। इसलिये मैं कहना चाहता हूं-

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी लगातार जारी रहने पर)

जब आपके नेता संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुये हैं तो आप सुनने का धैर्य रखो।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी लगातार जारी रहने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहिये, अरे जो भी बातें असंसदीय होंगी, वह कार्यवाही से निकाल दी जायेंगी। आप लोग बैठिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब जवाब देंगे तो आप सुनियेगा। अभी आप लोग बैठिये। मैं खड़ा हूं तो आप लोगों को बैठ जाना चाहिये। आप लोग बैठ जायें। माननीय सुधाकर सिंह जी बैठ जाइये। अब आप लोग नहीं मान रहे हैं, कहिये तो हम बन्द कर दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नेता प्रतिपक्ष ने अच्छी राय दी चुल्लू भर पानी की, मगर आप तो इतने बेशर्म हैं कि आपको चुल्लू भर पानी भी डूब मरने को नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, अब आप खत्म करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की यही टरकाऊ शैली आपकी नैय्या डुबो देगी और इसीलिये मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से बार-बार कहा कि....

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप अपनी भाषा सही रखेंगे। संयम बरतेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन में पहले कहा जा चुका है और यह तय हो चुका है कि नेता प्रतिपक्ष को अपने स्तर का ख्याल रखना होगा, नेता प्रतिपक्ष अपने पद के स्तर से नीचे नहीं गिरेंगे और ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे जो इस सदन की शालीनता को भंग करते हों यहां के वकार को भंग करते हों। नहीं करेंगे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल।

श्री अध्यक्ष-

जो शब्द सम्मान के खिलाफ हैं, वह कार्यवाही से निकाल दिये जायेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, कोई अश्लील शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, अगर सही बात अश्लील लगती हो तो सही बात मैं कहूंगा, सही बात कहने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्या बात करते हो।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मैंने उस दिन भी कहा था कि अपनी बात को कहने के लिये सभ्य समाज में कम से कम सभ्य तरीका तो सीखें। यह क्या तरीका है जैसे वामिटिंग कर रहे हैं आप। आप कै कर रहे हैं। वहां पर जब हम थे तो कौन जबान खोल सकता था। आपके आतंक के राज्य में इस सदन में कौन वहां बोल सकता था। जिस तरह से खामोशी से सत्तापक्ष सुन रहा है क्या कभी ऐसा हुआ ? हुआ कभी सदन में ऐसा ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आप कभी मौका नहीं देते थे। ऐसी बात मत करिए।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहें। आप लोग सुनने की भी कोशिश करिए।

*श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी सम्मानित सदस्यगणों से अपील करें कि इस विषय को गंभीरता से लें। यह केवल वाकपटुता का विषय नहीं रह जाता है। यह प्रदेश की जनता के जनजीवन से जुड़ा हुआ विषय है मैं चाहता हूं कि इसमें हम लोग थोड़ा सा संयम रखकर बात करें तो अच्छा रहेगा। अभी नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही कि कानून का डर खत्म हो गया मैं थोड़ा संसोधन करता हूं कानून का डर नहीं कानून का सम्मान होना चाहिए। अगर कानून का सम्मान होगा तो फिर डर की आवश्यकता नहीं। यह बात सही है कि सरकार को साल भर होने वाला है। पहले भी रही है कहीं न कहीं कमी तो आई है पहले भी आई हो या अब आई हो उसके ऊपर हमें बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अगर मैं घटनाओं का उल्लेख करूं तो डेढ़ घण्टा क्या दो घंटे लग जाएंगे। मैं सूक्ष्म में कुछ प्रकरणों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 20-2-2013 की घटना मेरठ के सर्राफ से नाका में लूट, ऐसे समाचार हमारे सामने आए हैं। 22-1 को हमारी जानकारी में आया कि इंदिरा नगर में सर्राफ से 4 करोड़ की लूट 28-12 में चिनहट में सर्राफ से 6 लाख की लूट 25-8 में इंदिरा नगर में सर्राफ की हत्या 14-4 में मड़ियांव में बाइक सवार बदमाश मारकर लूट का प्रयास किया 22-3-2012 को बाइक सवार बदमाशों ने चौक में इतने लाख रुपए के जेवरात लूटे 22-3-2012 में हजरतगंज में चिनहट के सर्राफ से लूट यह घटनाएं अगर पढ़ें तो मन में एक प्रश्न तो उठता ही है कि आखिर आम नागरिक इस प्रदेश में सुरक्षित है कि नहीं। मान्यवर, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में बाकी लोगों का क्या ख्याल है वह भी जरूरी है कि आपके संज्ञान में आ जाय ताकि उसमें कुछ टिप्पणी भी हो जाय और सुधार भी हो जाय। मैं अभी पढ़ रहा था मैं भी लगभग इस बात से सहमत हूं जो पत्रिका में लिखा है मैं उसकी चार लाइन पढ़ना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं ने ऊपरी हल्कों में खतरे की घंटी बजा दी है। इंटेलीजेंस ब्यूरो ने राज्य के नाजुक हालात के बारे में केन्द्र को चेताया है। शुक्रवार की रात गाजियाबाद के मसूरी इलाके में हुई हिंसा में 6 लोग मारे गए यह संकेत है कि राज्य साम्प्रदायिक दंगे के मुहाने पर है ऐसे मुहाने पर जिसमें एक छोटी सी चिंगारी भी दंगा भड़का सकती है। मान्यवर, केन्द्र को सूचना दी है कि यू0पी0 की नाजुक स्थिति एक बड़ी चेतावनी बन सकती है। मसूरी जलता रहा पुलिस असहाय लाचार मुद्रा में खड़ी तमाशा देखती रही। यह स्थिति बाकी लोगों ने भी देखी जो निष्पक्ष

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं मैं तो एक पार्टी विशेष का सदस्य हूं हो सकता है कि मेरी भावनाओं से आप लोग सहमत न हों। लेकिन जो लोग निष्पक्ष रूप से प्रदेश की समीक्षा कर रहे हैं उनका यह कहना है। मान्यवर एक बहुत ही विद्वान असगर अली इंजीनियर यह जुड़े हुए हैं आल इंडिया सेकुलर फोरम से इन्होंने यू0पी0 के बारे में क्या लिखा-फार द फर्स्ट फार मन्थ्स आलमोस्ट नो कम्यूनल डिस्टर्बेंस टुक प्लेस एण्ड आई वाज फीलिंग हैप्पी आफ्टर आल दिस ईयर में टर्न आउट ए रियोट फ्री ईयर हाउवेयर माई ड्रीम वाज सेटर्ड व्हेन ए सीरीज आफ रियोट्स विगेन टू टेक प्लेस इन अप स्पेशिली आफ्टर मुलायम सिंह एसपी वाज इलेक्टेड टू पावर व्हाट वाज सरप्राइजिंग वाज इवेन दी अप पोलिस हैज नो चेंज द लीस्ट जस्ट फाइट दि चेन्ज ऑफ रिजीम इन दि स्टेट। रिजीम चेन्ज हो गई और रिजीम चेन्ज होने के बाद उम्मीद यह थी कि पुलिस की मानसिकता बदलेगी, कानून के प्रति उनका सम्मान बढ़ेगा लेकिन रिजीम चेन्ज होने के बाद भी पुलिस की मानसिकता बदली नहीं। उसी का परिणाम है, मानसिकता बदल गई होती तो बहुत कुछ बदल गया होता, मानसिकता नहीं बदली तो आज क्या है, आज मान्यवर, 02 जून कोसीकला मथुरा, 03 जून मुजफ्फरनगर, 05 जून मेरठ, 24 जून प्रतापगढ़, 22 जून बरेली और 17 जून लखनऊ, इलाहाबाद और उसके बाद टांडा में कर्फ्यू आपको पता ही है। भारत बन्द के बाद जो नोएडा में स्थिति हुई वह आपको पता ही है। अगर यहां की पुलिस की मानसिकता बदल गई होती और यहां की पुलिस कानून के अनुरूप काम करना चाहती तो क्या नोएडा की घटना हो सकती थी, क्या कोसीकला की घटना हो सकती थी। मान्यवर, जहां भी घटना हुई है ऐसा नहीं है कि एकदम हो गई हो। पुलिस की मानसिकता एकदम कानून-व्यवस्था को संभालने की बजाय उनकी प्राथमिकताएं दूसरी हो गईं। छोटे स्तर पर भी दूसरी हो गईं और बड़े स्तर पर भी दूसरी हो गईं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वह हैदराबाद एकेडमी में सम्बोधन करने के लिए गये और उन्होंने कहा कि शायद छोटे स्तर पर पुलिस भ्रष्ट हो गई है, शायद छोटे स्तर पर पुलिस जातिवाद में बंट गई है, उनका कहना है कि बहुत सीनियर एक आई0पी0एस0 अधिकारी था, उसने खड़े होकर प्रतिवाद किया कि नहीं छोटे स्तर पर नहीं बल्कि आई0पी0एस0 के स्तर पर आज भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, आई0पी0एस0 के स्तर पर भी लोग जातिवाद में बंट गये हैं। तो फिर मान्यवर, यह मामला कैसे सम्भलेगा, मान्यवर, इस सरकार से उम्मीद ज्यादा क्यों थी, इसलिए ज्यादा उम्मीद थी कि बहुत बड़ा बहुमत ले करके यह सरकार आई थी, इनको किसी से समझौते की आवश्यकता नहीं है, किसी बात की चिन्ता नहीं है फिर आखिर स्थिति सम्भलती क्यों नहीं है। आज असुरक्षा का भाव इतना क्यों व्याप्त हो गया, महिला को छोड़ दीजिए, स्कूल जाने वाले बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, आज किसान भी अपने आपको असुरक्षित महसूस करता है। यदि रात में बिजली आये और वह नलकूप में जाना चाहे, उसकी हिम्मत जाने की नहीं होती, बार-बार कहता है कि साहब समय बदलवा दीजिए, दिन में करा दीजिए, रात को मैं नहीं जा पाऊँगा अगर जाऊँगा तो वापस नहीं आ पाऊंगा। गिरोह के गिरोह चल रहे हैं आजाद हो करके चल रहे हैं। आपकी थाने स्तर की जो पुलिस है वह एकदम ऐसे उदासीन हो गई है जैसे उनके ऊपर कोई फर्क ही नही पड़ता हो। जो संवेदनशीलता थी वह समाप्त हो चुकी है। सत्तापक्ष के लोग बैठे हैं, विपक्ष के लोग बैठे हैं हम लोग जब क्षेत्र में रहते हैं तो यही समस्या रहती है, रोती हुई महिलाएं जाती हैं, मोहल्ले में बदमाश माफिया पैदा हो गये हैं वह अपने आपको कानून से ऊपर समझते हैं और गरीब को सताते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गये, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आती है और कहती है कि फलां आदमी मेरी लड़की को ले करके चला गया और आज वह आ करके मेरी पिटाई भी करता है, मेरी लड़की भी गई और मेरी पिटाई भी करता है और कहता है कि खबरदार अगर थाने चली गई या

किसी नेता के पास चली गई तो तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूंगा। मैं इंस्पेक्टर से कहता हूं कि कम से कम इसकी रक्षा कर दो। वह कहता है कि साहब मेरे पास भेज दीजिए और जब वह गई तो दो गालियां उसने भी रशीद कर दी और कहा कि दोबारा गई तो तेरा इलाज कर दूंगा। यह सोच क्यों हुई और इस सोच को हम क्यों नहीं नियन्त्रित कर पा रहे हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा, सत्ता में आप बैठे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं लेकिन जनता की सुरक्षा कैसे हो, जनता की सुरक्षा बाहर से तो नहीं होने वाली, सुरक्षा तो सरकार ही करेगी। आप राजनैतिक लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं कोई सरकारी मुलाजिम नहीं हैं कि आप का ट्रांसफर हो जायेगा, आप सस्पेंड हो जाएंगे। क्यों नहीं सरकार का इतना दबाव हो पा रहा है कि वह अधिकारी कानून के प्रति सम्मान रखें, जो पीड़ित है उसकी बात सुनें। अगर नहीं सुनेंगे तो आज जो हाल हो रहा है, आप दूसरे क्षेत्रों में भी देख लीजिए। थोड़ा सा मैं दूसरा क्षेत्र भी लेना चाहता हूं, यह माफिया राज कब शुरू हुआ, यह अवैध खनन क्यों हो रहा था। आज उस अवैध खनन पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं हो गया। एक मिसाल देना चाहता हूं अपनी तरफ का, एक नेता हैं बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। खनन का ठेका हो गया, ठेकेदार खनन करने के लिए गया। वह नेता जी जाते हैं दस गुण्डों को ले करके उस ठेकेदार की पिटाई करते हैं जो खनून करवा रहा है, उसकी खूब पिटाई करते हैं, फायरिंग होती है, गोली चलती है। पुलिस की हिम्मत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए होती पर आपकी इतनी कृपा है कि वह भी आस्ट्रेलिया पढ़ करके आया है। गया था आस्ट्रेलिया, पर पता नहीं पढ़ करके आया या नहीं पढ़ करके आया पर अब यहीं काम कर रहा है। मान्यवर, आपने उसके ऊपर इतना उपकार जरूर किया कि बजाए उसको जेल में बन्द करने के पार्लियामेण्ट का टिकट और दे दिया उसको। यह जो स्थिति है महिमामंडित करने की उन लोगों को जिनको जेल में जाना चाहिए था। अगर हम राजनीतिक लोग उनकी महिमामंडित करेंगे तो प्रदेश के दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कोई दरोगा एफ0आई0आर0 दर्ज करने की हिम्मत कर लेगा, नहीं कर सकता। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है संसदीय कार्यमंत्री जी, मा0 शिवपाल जी आप दोनों वरिष्ठ मंत्री हैं, मैं आलोचना के लिए आलोचना करने का आदी भी नहीं हूं, मेरा आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश की 19 करोड़ जनता आपकी तरफ देख रही है कि कैसे आप उनको सुरक्षित रखें? कैसे इन बदमाशों, माफियाओं को आप जेल में बन्द करें, कैसे आम आदमी को यह अहसास हो जाए कि नहीं, मैं बस में जाऊंगा तो भी सुरक्षित रहूंगा, मैं गाड़ी में जाऊंगा तो भी सुरक्षित रहूंगा। क्या हो रहा है आज मेरठ, मुजफ्फरनगर और दिल्ली के बाईपास पर ? रात में इन बाइपासों पर निकलना मुश्किल हो गया है, रोज कोई न कोई घटना होती है। गाड़ी रोकी जाती है और लूटी जाती है और कार्यवाई कुछ होती नहीं है। ऐसी स्थिति में आपने पांच मिनट का समय दिया था, मैं साढ़े चार मिनट में अपने बात समाप्त कर रहा हूं ताकि बाकी लोगों को भी इस बहस में हिस्सा लेने का मौका मिल जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, काननू-व्यवस्था के इस अहम मुद्दे पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, जब यह सरकार एक एब्सलूट मेजॉरिटी के साथ आयी और माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्य मंत्री की शपथ ली तो पूरे प्रदेश में इस तरह की सोच थी कि काफी बदलाव आयेगा पिछली सरकार के जाने के बाद। एक और सोच बनी थी कि औद्योगिक विकास होगा, निवेश होगा, लोग आयेंगे, एक अच्छा वातावरण बनेगा पर, हुआ बिल्कुल उसके उल्टा। आज बिल्कुल एब्सलूट मेजॉरिटी में आने के बाद ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश बिल्कुल आजाद है और आजादी

का मतलब यह है कि गुण्डे, बदमाश, माफिया खुले तौर पर आजादी लिये हुए हैं और एक आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। एक आम आदमी जिसकी पूरा देश और प्रदेश बात करता है वह सुरक्षित नहीं है। महिलायें सुरक्षित नहीं हैं। यदि आंकड़ों की बात हमारे नेता प्रतिपक्ष ने की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज प्रदेश में जंगल राज है। पिछले 11 महीने में उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक हिंसा की 12 बड़ी घटनायें हुई, बलात्कार की 2432 घटनायें हुई, चोरी की 19758 घटनायें हुई, अपहरण व फिरौती की 5598 घटनायें हुईं, दहेज मृत्यु की 1479 घटनायें घटी जो कि विगत वर्षों के आंकड़ों से बहुत ज्यादा है। पिछले 6 महीने में तो गजब ही हो गया है। यदि हम आपको कुछ दिखायें या समाचार-पत्रों की कटिंग पढ़े तो बलात्कार, बहराइच में युवती को अगवा करके गैंग रेप, (सत्तापक्ष की तरफ से सदस्यों के द्वारा टोका-टाकी की जाती रही कि दिल्ली में क्या हो रहा है?) आप दिल्ली से कम्प्रेजन मत करिये, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। कानपुर में बदमाशों ने करेण्ट दिया और जूतों से पीटा, बंथरा में लूटी गयी दलित किशोरी की अस्मत, ठेकेदार के घर डकैतों का धावा, बाराबंकी में 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म एक लम्बी फेहरिस्त है। कोई दिन नहीं जाता जिस दिन प्रदेश के अखबार, पश्चिम से लेकर पूरब तक और सेण्ट्रल यू0पी0 से लेकर पूरे प्रदेश के अखबारों में बलात्कार लूट, राहजनी इन सब घटनाओं का जिक्र न हो। जो साम्प्रदायिक दंगा मथुरा जनपद के कोसी से शुरू से हुआ वह गाजियाबाद, बरेली, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फैजाबाद और लखनऊ तक पहुंचा। फिर आपने देखा कि नोयड़ा में किस तरह से आग लगी। अरबों रुपये का नुकसान हुआ उन उद्यमियों का। मान्यवर, बड़ा गम्भीर मामला है हम चाहते हैं कि एब्सलूट मेजॉरिटी की सरकार एक अच्छी इमेज बनाये। हम भी इस सदन के सदस्य हैं, जब हम बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि आपके प्रदेश में क्या हो रहा है ?

श्री इकबाल महमूद-

आज दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली से कम्प्रेजन करिये। दिल्ली को नहीं देख रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

आप दिल्ली से कम्प्रेजन मत करिये। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। दिल्ली की बात मत करिये। हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सुधाकर जी उन्हें बोलने दीजिये।

श्री प्रदीप माथुर-

हम उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की बात करने दीजिये। इनको आदत पड़ गई है इधर आरोप लगाने की और इनको आदत पड़ गई है उधर आरोप लगाने की और पिसती है जनता। मान्यवर, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि 2 मार्च की कुन्डा की सी0ओ0 की घटना। आपकी पुलिस सुरक्षित नहीं है। आम आदमी किसी भी पार्टी का मरे। आपने टांडा में लगाया कर्फ्यू उसके लिये कोई मुआवजा नहीं दिया। आपने वहां देखा कितनी घटनाएं हुईं, कितनी बुरी तरह आगजनी हुई उस पर आप काग्नीजेंस नहीं ले रहे हैं। झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी जाते हैं, उनको कम्पनसेट करके आते हैं वह सब बातें ठीक है। वह बातें स्वागतयोग्य हैं। परन्तु कानून व्यवस्था कैसे सुधरे ? कैसे निवेश आयेगा ? कैसे इन्डस्ट्री लगेगी ?

कैसे ? आपने आगरा में ग्लोबल सब्मिट करी उन लोगों को जिनको बुलाया विदेशों से, उनको कैसे मुंह दिखायेंगे। इतनी बड़ी सोच, इतनी एब्सोल्यूट मैजोरिटी, इतनी सारी बातें इन सबके होने के बाद कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के बाद सब कुछ चौपट हो गया। वो अन्धेर नगरी चौपट राजा वाली बात चल रही है अध्यक्ष जी, यह बड़ा गम्भीर मामला है, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

हो तो रही है चर्चा।

श्री प्रदीप माथुर-

इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष को एक होना चाहिए। हमारा प्रदेश है, प्रदेश आपका ही नहीं है। हमको भी चिन्ता है प्रदेश की। पक्ष और विषक्ष को कानून व्यवस्था के मामले में एक होना चाहिए। हमारा प्रदेश कैसे सुधरेगा? सरकार में चाहे यह लोग बैठे हों चाहे आप लोग बैठे हों हम लोग उसी तरह से फजीहतखोरी करके प्रदेश को पीछे ले जा रहे हैं। हम यह कहना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी कि दबंगई इस हद तक है पुलिस की। दरोगा राज, आज एस0एच0ओ0 जमीनों में शेयर होल्डिंग करते हैं। हालत यह है कि गरीबों के मकानों में जाकर धमकाते हैं कि इस जमीन को लिख दो हमारे नाम और उसमें जो भूमाफिया होते हैं उससे शेयर करते हैं। आज स्थिति यह है कि आम आदमी अगर थाने में जाता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। रिपोर्ट लिख भी जाती है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। चौक वसूली में लगी हुई है पुलिस और फिर इस सबके बावजूद इतनी कमजोर होती है कि जहां गोलियां चलती हैं वहां जाती नहीं है। जहां बदमाश आतंक करते हैं, वहां पहुंचती नहीं है। नेशनल हाई वेज पर रोज राहजनी होती है, गाड़ियों की गाड़ियां लूटी जाती हैं। गाड़ियां ले जाते हैं चोर और जो हमारे बॉर्डर हैं चाहे राजस्थान का बॉर्डर हो चाहे हरियाणा का बॉर्डर हो वहां रोज ऐसी घटनाएं होती हैं। आम आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय शिवपाल जी, माननीय आज़म खां और जितना भी पूरा मंत्रि-मंडल है, इस मामले पर गम्भीर चिन्तन करे, सोच करे कि किस तरह कानून व्यवस्था को दुरूस्त बनाया जाय और जो सपने आपकी सरकार ने सोचे हैं, इन सपनों को हमें पूरा करना है। वह तब ही पूरे हो पायेंगें जब प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक होगी। हम आंकड़े प्रस्तुत करें, यह उसका जवाब दें, और प्रदेशों से उसकी तुलना करें। उत्तर प्रदेश हमारा भी है, आप ही का नहीं है। उत्तर प्रदेश हमारा है तो हमें भी चिन्ता है उत्तर प्रदेश की कि कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी। मैं इसीलिये माननीय अध्यक्ष जी चाहूंगा कि यह गम्भीर विषय है, इसे गम्भीरता से लीजिये। कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने का मामला नहीं है। विपक्ष भी उतना ही चिन्तित है। यदि आप लोगों को चिन्ता होगी तो आप विपक्ष की ताल में ताल मिलाइये और प्रदेश को सही रास्ते पर ले जाइये। मैं इन बातों को कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं।

(दो-एक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका नोटिस में नाम नहीं है। अरे जब चर्चा होगी तब हिस्सा लीजिये। यह नहीं। एक नियम है। अभी संसदीय कार्य मंत्री बोलेंगे फिर जब चर्चा होगी तब आप बोलियेगा।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और चाहूंगा कि सदन के माननीय सदस्य अपने विचार रखें और सरकार ज्यादा सुने। लेकिन सरकार का पक्ष रखते हुए मैं इस बात का जरूर ख्याल रखूंगा कि मैं एक सभ्य समाज का और एक सभ्य सरकार का सन्देश दूं। मैं यह भी याद रखूंगा कि एक ऐसी सरकार के बाद यह सरकार आई है जो मानवता नहीं जानती थी। जो शराफत और इन्सानियत का शब्द नहीं जानती थी और जिसकी अमानवता की हदें इतनी पार हो गई थीं कि मासूम बच्चियों को बलात्कार के बाद थाने के दरवाजे पर टांग दिया जाता था और महिला मुख्य मंत्री यह कहती थीं कि इसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। मेरा हरगिज यह मतलब नहीं है कि मैं उन बुराईयों का मुकाबला करके इस सरकार की किसी कमी को छिपाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वह सरकार दहशत की थी, दहशतगर्दों की, राजनैतिक दहशतगर्दों की सरकार थी। उसमें किसी को अपनी बात कहने का, न सदन के बाहर किसी को हक था और न सदन के अन्दर, यह सदन गवाह है जिस तरह आज सदन में नेता प्रतिपक्ष की आवाज़ होती है, जिसके लिए मैं फिर कह रहा हूं कि सभ्य समाज में, न इस आवाज, न इस अंदाज़ के लिए कोई जगह नहीं है, जो लोग अपनी बात को कहने का तरीका भी इतना आक्रामक रखते हों, सत्ता में रहे होंगे तो उन्होंने गरीब जनता के ऊपर कैसे जुल्म ढाये होंगे। उसकी मिसाल है- मान्यवर, चंगेज खां गुज़रा एक रास्ते से और उसने देखा कि एक औरत रो रही है औरत से रोने की वजह पूछी, औरत ने कहा कि मेरा बच्चा इस गड्ढ़े में गिर गया है। चंगेज ने अपने भाले से घोपकर उस बच्चे को निकाला और मां को दे दिया, चंगेज की जिन्दगी का यह सबसे रहमदिल वाकया था। ऐसे ही वाकयात बहुजन समाज पार्टी की सरकार में इतने हुए कि वह जेलें, जिसमें हीनियस क्राइम करने वाले मुजरिम भी अपनी जमानतें तुड़वाकर जेल में चले जाते थे। वहां भी उनकी हत्यायें कर दी गई हों, एक ऐसी पापी सरकार थी। मान्यवर, एक ऐसी सरकार थी जिसने सत्ता में आने के एक सप्ताह के अन्दर एक ऐसा तानाशाही और ऐसा जालिमाना आदेश जारी किया, विशेष थाने बनाकर, कि जब भी किसी के साथ कुछ हुआ है, तो बदला लेने की भावना से, वह स्पेशल थानों के अन्दर, और स्पेशल मेज कुर्सी डालकर थाने में बैठे हुए, दरोगाओं या रपट लिखने वालों के पास जाकर बेगुनाहों के खिलाफ मुकदमें कायम कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, कितने सताए गए, राजनैतिक विरोधी जो ब0स0पा0 के थे कितने सताए गए, पूरा उत्तर प्रदेश उससे वाकिफ है। मान्यवर, हमारी एक बड़ी कमनसीबी यह है कि इस सरकार ने, अपने सत्ता में आने के बाद, अपने मैनिफैस्टो में किए हुए वायदों को पूरा करने की शुरुआत की यह विचार करने का विषय है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बड़ा विपक्षी दल है। नेता प्रतिपक्ष हैं उनके, और वह कभी यह सोच सकते है कि समाजवादी पार्टी से अगर कभी सत्ता लेंगे तो हम लेंगे। इसलिए कह रहा हूं। मान्यवर, यह बहुत विचार का विषय है, समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही अपने मेनिफैस्टो को लागू करना शुरू किया, उसमें समाज की गरीब बच्चियों को, उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए कन्या विद्या धन दिया, गरीब अल्पसंख्यक बच्चियों को 30 हजार रुपया दिया। बेरोजगारी का भत्ता दिया, किसानों का किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक कर्जा माफ किया, और न जाने कितनी योजनायें, लैपटॉप देना, यह ऐसे काम थे, जिसमें आम आदमी, जो सरकार बनाता है, जिसके वोट और जिसकी ताकत से सरकार बनती है उसके दरवाज़े तक, जब खजाने का पैसा पहुंचा, तो उसने पहली बार यह सोचा कि यह कौन

लोग हैं, और वह कौन लोग थे, जिनके भ्रष्टाचार की इन्तेहा में थी पूरा खजाना पत्थरों के हाथियों पर लुटा दिया गया और पत्थर के हाथी भी भ्रष्टाचार की गन्दगी को बर्दाश्त नहीं कर सके और वह पत्थर के हाथी फट गए।

(मेजें थपथपाई गईं)

बहुत बेदर्दी से लूटा था इन्होंने जनता के पैसे को, गाढ़ी कमाई को और वही गाढ़ी कमाई जनता की जो आज भी खजाने का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा क्योंकि उसे जनता तक पहुंचाया जा रहा है। लिहाजा जो असल वारिस हैं, अपराध के, असल गुण्डे हैं, जो माफिया, बदमाश और लुटेरे हैं, हत्यारे और बलात्कारी हैं, बसपा के, ये तमाम हत्यारे अभी तक जेलों में नहीं हैं और 5 साल जिस तरह से इन बलात्कारियों ने, गुण्डों ने, बदमाशों ने, डकैतों ने उत्तर प्रदेश को लूटा है, उनमें से बहुत बड़ा तबका है जो आज भी इन अपराधों में मुलब्बिस है और उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने में बसपा के [x x x] का हाथ नम्बर-1 का है। चार बार सत्ता रही है, बसपा के [x x x] की, बसपा के [x x x] की, बसपा के [x x x] की, बसपा के माफियाओं की।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, यही कानून-व्यवस्था पर चर्चा हो रही है?

(सत्तापक्ष तथा विपक्ष के तमाम सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

वही शब्द बोल रहा हूं, जो शब्द उधर से बोले गए हैं। वही शब्द बोल रहा हूं, जो शब्द नेता प्रतिपक्ष ने कहे हैं। वही शब्द कह रहा हूं, [x x x] कह रहा हूं, [x x x] कह रहा हूं, [x x x] कह रहा हूं, डकैत कह रहा हूं, लुटेरा कह रहा हूं। बसपा के [x x x], बसपा के [x x x], बसपा के [x x x], उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने वाले बसपा के [x x x] हैं, बसपा के बलात्कारी हैं, बसपा के अपराधी हैं, यह वही शब्द हैं जो बसपा के नेता ने बोले हैं।

(सत्तापक्ष और विपक्ष के कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें। आप भी तो बोल रहे थे, गुण्डा-बदमाश। आपको अभी मौका मिलेगा। आप लोग बैठिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह जो बोले हैं, वह सुनेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बहुजन समाज पार्टी के गुण्डों को, बहुजन समाज पार्टी के बलात्कारियों को, अपराधियों को, गरीब जनता के धन को लूटने वाले लूटेरों को, देगी सरकार सजा। अपराधों पर कन्ट्रोल करने के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाये हैं।

(बसपा के किसी सदस्य के बोलने पर)

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बोला [x x x], बोला [x x x] बोला। जो बोओगे, वही काटोगे। जो जो बोओगे, वही काटोगे। जो भाषा बोलोगे, वह भाषा सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी वही भाषा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, यदि यही कानून-व्यवस्था की चर्चा है तो फिर कानून-व्यवस्था की चर्चा का कोई मतलब नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं, जो भाषा बोली है, वही भाषा सुननी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप तथ्यों पर आयें।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा बसपा के सदस्य बोलते रहे-व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जो अन्दाज, जो शब्द नेता प्रतिपक्ष ने बोले हैं, उससे एक शब्द भी ज्यादा नहीं होगा, मगर उससे कम भी नहीं होगा।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैंने जो कुछ बोला है, वह कानून-व्यवस्था पर बोला हूं, इस तरीके से आपके रड़ापा मैंने नहीं बोला है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं आपकी [x x x] पर बोला हूं, मैं आपके [x x x] पर बोला हूं, आपके बदमाशों और लूटेरों पर बोला हूं, जो पांच साल लूट की है और जो [x x x] परवरिश किए हैं, जो [x x x] पाले और जवान किए हैं, आज जिनकी वजह से पूरा प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा है, बसपा के उन [x x x] के बारे में बोला हूं। उन बलात्कारियों के बारे में बोल रहा हूं, उन बसपा के हत्यारों के बारे में बोल रहा हूं जो दिया है, आपने उत्तर प्रदेश को, उसके बारे में बोल रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अगर यही चर्चा कराना है तो बन्द कर दीजिए, इस सदन को। हम यहां पर मानसिक दिवालियापन की बात सुनने नहीं आए हैं।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, तथ्यों पर बोलें।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, तथ्यों पर भी बोलें। माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसी सदन में हमें भाजपा से बहुत शिकायतें हैं। वैचारिक। उनके तरीके को भी हम नापसंद करते हैं। और अभी चंद रोज पहले इस सदन में एक वाकये पर हमारी बहुत गरम बहस भी हुयी थी। काश दूसरे दल के नेताओं से कुछ तो सभ्यता सीखी होती, कुछ तो शराफत से अपनी बात रखने का ढंग सीखा होता। इतने वरिष्ठ होने के बाद भी वही गुण्डाराज जो पांच साल उत्तर प्रदेश की जनता पर लागू रखा। उसी मिजाज के साथ अगर बहुजन समाज पार्टी के नेता यह चाहते हैं कि सरकार को पंगु कर दें, सदन के अन्दर डिमोरेलाइज कर दें तो मान्यवर, इस असभ्य अंदाज को मेरे ख्याल से सदन में बैठा हुआ कोई दूसरा विपक्षी दल पसंद नहीं करेगा। इतनी ही देर में भारतीय जनता पार्टी की अपनी बात रखने का अंदाज आपने देखा। माननीय नेता कांग्रेस का बात रखने का अंदाज आपने देखा। इसी शालीन अंदाज से इस प्रदेश की सरकार को चलाने की कोशिश की जाती है। उसी तरह से बातों का जवाब भी दिया जाता। आखिर क्या वजह है कि कोई ऐसा एक शब्द हुकुम सिंह जी और नेता कांग्रेस की जुबान से नहीं निकला जो अमर्यादित होता। लेकिन अगर अमर्यादित भाषा बोलने वाले यह समझते हैं कि अमर्यादित भाषा बोलने का सर्टिफिकेट सिर्फ उनको मिला है तो इस चीज को भूल जायें। फसल वही काटोगे जो बोओगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आप कार्यवाही दिखवा लें। एक भी अमर्यादित शब्द है तो मैं चुनौती देता हूं कि माननीय आजम खां साहब जिस तरीके आप यहां पर अपनी बिगड़ी मानसिकता को जाहिर कर रहे हैं यह मालूम है कि कानून व्यवस्था से आपका कोई लेनादेना नहीं है। अगर यही चर्चा है तो मान्यवर, मैं आपसे पहले निवेदन कर लेता कि इस प्रकार की चर्चा कराने की आवश्यकता नहीं है जिसमें कानून व्यवस्था पर एक शब्द न बोलकर जिस तरीके से यह आज अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। मैं अभी चुनौती दे रहा हूं अभी कार्यवाही दिखवा लें। उसमें जो भी शब्द इनको अमर्यादित लगा हो उसको दिखायें और बहस करें। कौन सा अमर्यादित शब्द है। मान्यवर, इस तरीके से अपनी सड़ी गली मानसिकता का परिचय देना, हम समझते हैं कि संसदीय कार्यमंत्री जी अपनी जवाबदेही से हट रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, अब तथ्यों पर आ जायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, ना, हरगिज नहीं। सरकार को गुण्डा, बलात्कारी, बेशर्म, चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाला, हत्यारा अगर यह सब न कहा हो नेता प्रतिपक्ष ने तो आप जो सजा चाहें हमारी तय कर दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आपने जो अभी कोट किया। मान्यवर, इसको कार्यवाही में दिखवा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसका मतलब यह हुआ कि अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष को अपनी कही हुयी बातें याद नहीं हैं तो फिर आप कहीं दिखाइये अपने आपको। आप अपना इलाज कराइये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसीलिए मैं पीठ से निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार का शब्द अगर कार्यवाही में है। तो मान्यवर, आप कार्यवाही में उसको खुद पहले देख लें। अगर इस तरह की कोई बात आयी है तो संसदीय कार्यमंत्री जी जो भी कह रहे हैं मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन कानून मुददे पर एक शब्द न बोलकर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है।

श्री अध्यक्ष-

थोड़ा-थोड़ा सब बोल लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जो भी अपराधिक घटनायें हुयीं। मैंने यह बात इसलिए कही कि हमने अपने मेनिफेस्टो में जितने भी वायदे किये थे उन्हें पूरा करने के लिए एक साल में हमने बहुत मेहनत की है। और बहुत हद तक हम अपने वायदों को पूरा कर सके। आम आदमी तक, मजदूर तक, किसान तक, मेहनतकश तक हम पहुंच सके। हम उन अपराधिक घटनाओं के लिए यह नहीं कह रहे हैं कि वह गलत नहीं हुयीं, लेकिन क्या कहीं उसमें सरकार की कमजोरी है, क्या सरकार ने उन मुजरिमों को पकड़ने में कोई कोरकसर उठा रखी है। मान्यवर, अपराध हुए। लेकिन वह नहीं जो बहुजन समाज पार्टी के जमाने में अपराध हुये।

अपराध लिखे ही नहीं गये और जो अपराध लिखे गये उनका इन्वेस्टीगेशन नहीं हुआ। आज तक बहुजन समाज पार्टी के जमाने के लिखे हुये अपराधों की विवेचना चल रही है, एक साल गुजर गया है, अभी तक विवेचना चल रही है। मुकदमा न लिखकर यह साबित करना कि अपराध नहीं हुआ, 21 करोड़ के उत्तर प्रदेश के अखबारों में निकली हुई सूचनाओं की लिस्ट को बार-बार सदन में पढ़कर सुना देने से, सरकार से क्या पूछना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं। मान्यवर, जितने वाकयात हुए उनमें किसी एक जगह पर अगर सरकार की मंशा किसी को बचाने की रही हो, तो शायद इससे बड़ा और कोई अपराध नहीं हो सकता। जो मंशा हमेशा बहुजन समाज पार्टी की अपने अपराधियों, अपने डकैतों, लुटेरों और बलात्कारियों को बचाने की रही है। मान्यवर, सर्राफा व्यापारियों की जो घटना हुई, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था की गई। फैजाबाद की जो घटना हुई, मुल्जिमान की गिरफ्तारी हुई, कर्फ्यू लगा, हालात को कण्ट्रोल में लाया गया। सी0ओ0 सिटी कुण्डा की हत्या हुई, मान्यवर सरकार के एक मंत्री को उसमें इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा कभी बसपा की सरकार में नहीं हुआ, बसपा की सरकार में अपराधी मंत्रियों ने, अपराधी सांसदों ने, अपराधी विधायकों ने इस्तीफे नहीं दिये, उन्हें बर्खास्त किया गया, लोकायुक्त ने बर्खास्त किया, समाज के दबाव ने बर्खास्त कराया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने कुण्डा के मामले में, जिन हालात में मुख्य मंत्री जी वहां गये, क्या थी किसी की हिम्मत, जो यहां बैठती थीं, थीं उनकी हिम्मत, क्या कोई एक ऐसा सबूत है कि

किसी बर्बाद होने वाले के घर या उससे मिलने के लिए गई हों, अगर पूरे राजनीतिक जीवन में एक भी ऐसी मिसाल मानवता की हो, जहां कि मजलूम के आंसू पोछने के लिए गई हों, तो मान्यवर, इस सरकार का बहुत बड़ जुर्म है। यही तो चाहा था बेवा ने कि स्वयं मुख्य मंत्री आयें, सिर्फ इतना ही समय तो लगा मुख्य मंत्री को जितने वक्त में पहुंचना चाहिए था, वह पहुंच गये। बहुजन समाज पार्टी के लोग वहां रास्ते में बैठ गये, दंगा कराने के लिए, गोली चलवाने के लिए, बेगुनाहों को मरवाने के लिए। मुसलमानों के साथ यह भाई-चारा कायम करेंगे, यह भाई-चारे का शब्द जानते हैं, इसका मतलब जानते हैं। मुसलमानों की बच्चियों के साथ बलात्कार करके थानों के सामने मार कर लटका देने वाले जानते हैं मुसलमानों के साथ क्या किया है इन्होंनें, उन्हें जाहिल रखा है, उन्हें भूखा रखा है, उन्हें नंगा रखा है, उनके शैक्षिक संस्थानों पर बुल्डोजर चलाये हैं, उन्हें जाहिल रहने के लिए मजबूर किया है। यह अच्छी तरह जानते थे कि पांच साल में अगर यह एक शिक्षा का दरवाजा खोल देंगे, तो हजारों मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां अपने हाथों में डिग्री लेकर जमींन का बोझ नहीं बन सकेंगीं। बहुत वैचारिक नुकसान पहुंचाया इन्होंने, मान्यवर, इन्होंने मुसलमानों की नसों में कोबरा का जहर भर डाला, इन्होंने जाहिल रखा उन्हें, बर्बाद रखा उन्हें, उनके विश्वविद्यालय पर बुल्डोजर चलाकर उन्होंने यह साबित किया कि तुम्हें रहने तो देंगें हम, लेकिन भीख का प्याला हाथ में रखकर जीने के लिए मजबूर करेंगे हम तुम्हें। यह जानते हैं भाई-चारा क्या होता है, इसलिए मान्यवर मैं इस बहस को बहुत लम्बी ले जाने के पक्ष में नहीं हूं, मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, फिरोजाबाद की वारदात हुई, मान्यवर उस पर काबू पाया सरकार ने, हुईं वारदातें, लेकिन उनको रोका गया और इन वारदातों के पीछे सिर्फ एक कारण वही है कि एक साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मेनीफेस्टो को शतप्रतिशत लागू करने के लिए जो कामयाब कदम उठाये, दरअसल वह बसपा के गुण्डों से बर्दाश्त नहीं हुए, इसलिए उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने में, अराजकता फैलाने में अगर अग्रिम भूमिका किसी ने निभाई तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने निभाई और वही अंदाज इनका जो सदन के बाहर है, वही सदन के अन्दर है।

मैंने मा0 हुकुम सिंह जी और नेता कांग्रेस ने जो बातें कहीं हैं। उनका गंभीर संज्ञान लेते हुये यह कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सरकार दहशत से नहीं चलती और ये बात तो कई बार सदन में आयी है कि अपने सीनियर साथियों से, हैं हम भी बहुत सीनियर लेकिन हुकुम सिंह जी से कम हैं। कुछ शब्दों को सीखने का मौका मिलता है। आपने सही कहा कि पुलिस का डर नहीं होना चाहिये। पुलिस का सम्मान होना चाहिये और जिस दिन सम्मान पैदा हो जायेगा। उस दिन कोई सरकार हो, सरकारों के लिये बहुत से मसले हल होते जायेंगे। बेटी का सम्मान खत्म हो गया, मां का सम्मान खत्म हो गया, बाप बेटी से बलात्कार करने लगा, भाई बहन से बलात्कार करने लगा, बेटा बाप को मारने लगा, बाप बेटे का कत्ल करने लगा। देंगे हम दोष सरकारों को लेकिन क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कौन सी सरकार होगी, कौन सी पुलिस होगी जो अंधेरी रात में बन्द कमरे के अन्दर उस बाप को पकड़ सकेगी जो अपनी बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है। समाज बहुत बिगड़ा है लेकिन दहशत के रास्ते से, केवल डर के रास्ते से, डण्डे के रास्ते से, कर्फ्यू के रास्ते से गिरफ्तारी के माध्यम से। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार चलेगी, इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा करके वक्ती तौर पर तो कामयाबी हासिल कर सकेगी लेकिन समाजवादी पार्टी जो संदेश देना चाहती है, वो शायद नहीं दे

सकेगी। इन अपराधों को जो हुये हैं, इससे हमें कोई खुशी नहीं है। बहुत दुःख है मान्यवर लेकिन क्या सरकार ने ये स्वयं कराया है? क्या इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की है? जरूर की है हो सकता है कि उसमें कोई कमी रही हो। उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे। एक साल गुजरा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन सुरक्षा के दिन होंगे, अच्छे दिन होंगे, कानून व्यवस्था के दिन होंगे। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा, विपक्ष को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि जितनी भी कार्यवाहियां सरकार की तरफ से हुयी हैं। सब निष्पक्ष हुयी हैं और कहीं भी उसमें दहशत के लिये, बेगुनाहों को जेल भेजने का, बेगुनाहों पर दबाव बनाने का या विपक्षी दलों पर दबाव बनाने का माहौल नहीं पैदा किया। इसी के साथ मैं अपने सभी साथियों से चाहूंगा कि सरकार को जो उनके सुझाव मिलें, वो ऐसे मिलें जिन पर सरकार अमल कर सके। हम किसी बात से खुश नहीं है। हम बहुत दुखी हैं। हम दुखी मन से ये बात कह रहे हैं, हम तमाम सत्तापक्ष के लोग आपसे कह रहे हैं कि जो माहौल, जिन कारणों से भी बना है, उस माहौल को खत्म करने में जितनी जल्दी हम कामयाब हो सकते हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद इस बात का देता हूं अध्यक्ष जी कि आपने सदन का प्रसारण लाइव न कराने का जो निर्णय लिया था। वह बहुत दूरदर्शी निर्णय था। अभी जब हम लोग कानून व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे तो लग रहा था कि कहीं यहीं न कानून व्यवस्था की बिगड़ जाये। खैर आदान प्रदान होगा सदन में। कोई बुराई कहेगा, कोई अच्छाई कहेगा। हम उस पर जाना नहीं चाहते लेकिन मूल प्रश्न यह है कि जो कुछ घटनायें हुयीं वो सबको पता है। क्या सरकार ने कदम उठाया सबको पता है। हम कुछ कांक्रीट बातें इस सदन के संज्ञान में लाना चाहते हैं। बताना चाहते हैं जिसको लेकर हम लोग चिंतित हैं। दोनों पक्ष चिंतित हैं कि कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिये। इसके मोटे मोटे दो पहलू होते हैं किसी भी कानून व्यवस्था को बनाने के लिये। एक त्वरित और एक लांग टर्म पालिसी क्या सरकार की है कानून व्यवस्था की। त्वरित क्या होता है कि तुरंत एफ0आई0आर0 हो, सख्ती से कार्यवाही हो, लोग पकड़े जायें। चाहे वो अपराधी हों, चाहे अधिकारी हों। उनको दण्डित किया जाये, उनके खिलाफ सख्त से सख्त मैसेजिंग जाये और सरकार निष्पक्ष भूमिका दिखाये। ये माहौल होता है और यह तरीका होता है, एक लॉग टर्म होता है, लॉग टर्म में कैसे आप कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करेंगे, कैसे जो फ्यूचर के बढ़ते हुए क्राइम्स हैं, उसको नियंत्रित करने की सोच रखकर आप क्या पालिसी बना रहे हैं, ये सारी बातें होती हैं, लेकिन सरकार को बहुत-सारी चीजें दिखनी चाहिए साल भर में मेरा जो मन सोचता है, वो चीजें अभी दिखी नहीं, जैसे मैं आपको बताऊं मान्यवर, कि इन्वेस्टीगेशन जो है, क्राइम के बाद, जो हीनियस क्राइम है, धीरे-धीरे उसकी इन्वेस्टीगेशन की शाखा अलग कर देनी चाहिए, लॉ एण्ड ऑर्डर कंट्रोल करने की शाखा अलग कर देनी चाहिए। हत्या, हत्या के प्रयास और बलात्कार, इन सब चीजों में अगर साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टीगेशन हो और उसकी एक अलग टीम बने, उसकी जो भर्ती हो उसमें मिनिमम एम0एस0सी0 जैसे आर्मी में हैं, उसमें मिनिमम एम0एस0सी0 के लड़के सिपाही रैंक में लिए जाएं, उनकी सैलरी अच्छी की जाए, वे टैक्नीकल लोग हों, एक शुरूआत हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में एक ही साथ हो जायेगा, लेकिन कुछ कावा टाउन से कुछ जगह से उसकी शुरूआत हो। जब अपराधी को यह लगेगा कि हम क्राइम करने के बाद नहीं बचेंगे, तकनीक ऐसी आ गई है, तो वह एक बार उसका

बहुत असर पड़ेगा अपराधियों पर और अपराधियों द्वारा इस तरह के अपराधों में कमी आएगी, ये एक चीज सोचनी चाहिए। दूसरा जो एक यहां पर डिपार्टमेंट है, टैक्नीकल एडीश्नल डी0जी0, ये लोग बैठते हैं, ये खाली वायरलेस-वायरलेस करते हैं, उनका काम देखते हैं और इतना बड़ा अमला है, बहुत बड़ा इनका अमला है। हर जगह पूरे प्रदेश में जो सैंसटिव जगह है, वहां पर सी0सी0 कैमरे की व्यवस्था की जाए, उस पर बजट एलोकेट किया जाए, उस पर टैक्नोलॉजी इनपुट लगाया जाए, उसकी मानीटरिंग की जाए और इसी के अन्दर यह कर दिया जाए, क्योंकि सी0सी0 कैमरे लगा दिये जाते हैं, लगने के बाद वह टूटे की, खराब हुये, रिपेयर तक का बजट नहीं होता है, उन सब चीजों के पास। सी0सी0टी0वी0 जहां भी लगे हुए हैं सब, मुझे पूरा विश्वास है कि, उसमें से जब खराब हुए होंगे तो पता नहीं कब बन पाये होंगे, नहीं बन पाये होंगे, उसके बजट का क्या है, नगर पालिका करती है कि जिला पंचायत करती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यह व्यवस्था करें, तीसरी बात जो पुलिस में भी दागी लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, उसमें भी चार्जशीटेड हो चुके हैं, जिनके खिलाफ एफ0आई0आर0 हो चुकी है, उनको भी चिन्हित करके, उनको भी अहसास हो कि आप हमारी पुलिस की उस फोर्स के लायक नहीं हो आप सेकेण्ड ग्रेड हो और उस पर तुरंत निस्तारण हो, जो कुछ भी होना हो, उस पर कार्यवाही हो और अच्छे लोगों को मौका मिले। बार-बार जब भी कोई बात आती है तो पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी आके एक ही बात करते हैं कि पुलिस रीफॉर्म्स होने चाहिए, पुलिस रीफॉर्म्स होने चाहिए। मैं मानता हूं कि रीफॉर्मस् की हमेशा आवश्यकता होती रहती है, रीफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन कब यह कहा गया है कि बिना रीफॉर्म्स के पुलिस पीपुल्स फ्रैन्डली न हो। पुलिस को जनता का साथी बनना पड़ेगा, मा0 हुकुम सिंह जी ने कहा कि हम उनका सम्मान करें, लेकिन उनका पहला फर्ज बनता है कि थाने पर जब गरीब आता है, जमीन पर बैठता है, डर के मारे बोल नहीं पाता है, उसमें यह विश्वास कब उठेगा कि यह पुलिस का थाना मेरा दोस्त है, हम अपनी सिफारिश करने आएं हैं, यह सुनेगा यह विश्वास जगाना होगा पुलिस में।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त कर दें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, तीन मिनट का था, दो मिनट हो गया है, तो यह पीपुल फ्रैन्डली बनाने के लिए प्रयास होने चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह मशवरा कि दागी लोगों को चिन्हित किया जाए, इस सिलसिले में मैंने एक राय दी है और उस पर विचार हो रहा है कि ऐसे पुलिस आफिसर्स और कास्टेबल्स्, जो तीन बार किसी बड़े इल्जाम में सस्पेण्ड हो चुके हैं, उनकी बर्खास्तगी की कार्यवाही शुरू की जाए, तो इस पर भी हम विचार कर रहे हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, एक-दो प्वाइंट और है, अगर आवश्यकता सरकार इस चीज की समझे तो पुलिस कमिश्नर चीफ भी अडाप्ट कर सकती है, यू0पी0 में, जैसे और प्रदेशों में है, उसको एडाप्ट कर सकती है। पांचवा एक प्वाइंट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, सर, बड़ा महत्वपूर्ण प्वाइंट यह होता है कि हमारा अगर

खुफिया तंत्र मजबूत है तो बहुत सी सूचनाओं का सरकार के पास उपलब्धता होती है, जिसके हिसाब से जिला प्रशासन और प्रदेश प्रशासन कार्यवाही कर लेता है। हमें जहां तक जानकारी है एल0आई0यू0 में बहुत सी भर्तियां होनी हैं, कमी है, उसको पूरा किया जाए। आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ0 संग्राम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कानून-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल को बताना चाहता हूं कि महान संत ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिये मन का आपा खोय, औरों को शीतल करे आपहों शीतल होय और दूसरी बात कह गये हैं कि बुरा जो खोजन मैं चला बुरा न मिलिया कोय जो दिल खोजो आपने मुझसे बुरा न कोय। मान्यवर, इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के सभा मण्डप में जन आकांक्षाओं को लेकर जन प्रतिनिधि लोग आते हैं, बड़ी उम्मीदें रखते हैं कि इसमें जो चर्चा होगी, इसमें जो विचार होगा, उससे प्रदेश के विकास को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई शुरुआत होगी। मान्यवर, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ का महामंत्री रहा हूं। मैं जब नेता प्रतिपक्ष के मुख से गुण्डा शब्द सुनता हूं तो मुझे बड़ा दर्द होता है और मैं अपने आसुओं को रोक नहीं पाता हूं। मान्यवर, मेरे यहां अतरौलिया ब्लाक है वहां मेरे पिता जी ब्लाक प्रमुख रहे हैं और उन्होंने सदैव भाई-चारा और समरसता कायम करने का काम किया है। मान्यवर, जब हमारे यहां पिछली सरकार के शासन काल में चुनाव हो रहा था ब्लाक में तो हमने वह मंजर देखा है कि उसको कैसे सदन को बताऊं। मान्यवर ब0स0पा0 के गुण्डों, लफंगों ने जो वहां चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने लोग जा रहे थे, हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे थे, उन पर कई राउण्ड फायरिंग की, जिसमें हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता महेन्द्र यादव और राम अवध यादव की ब्लाक के गेट पर ही हत्या कर दी गयी। पूरे क्षेत्र में ब0स0पा0 के लोगों ने भय और आतंक का माहौल उत्पन्न कर दिया था और सारा भाई-चारा और समरसता की भावना को समाप्त करने का काम किया था। उस दर्द को बांटने के लिए हमारे माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जो माननीय नेता विरोधी दल थे वहां आये थे और उन्होंने हम लोगों की हौसला अफ़जाई की। मान्यवर, आज नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे थे। इस ब0स0पा0 ने राजनीति के अपराधीकरण का काम किया है। इसमें ऐसे लोगों को राजनीति में प्रवेश कराया है। जिनका नाम सुनकर ही समाज में दहशत पैदा हो जाती है इसलिए माननीय नेता विरोधी दल जब गुण्डा शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। यह ब0स0पा0 के गुण्डे, लफंगें अपराधी लोग पिछली सरकार में क्या-क्या जुल्म नहीं किये। आज जब यह अखिलेश यादव जी की सरकार बनी है और जो प्रदेश के विकास में आगे बढ़ते हुए कन्या विद्या धन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटाप, टैबलेट और गरीबों को बैट्रीयुक्त रिक्सा बांट रही है, तो शायद प्रतिपक्ष के नेता को और ब0स0पा0 के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और वह लोग तरह-तरह का प्रचार करके प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बाते कहीं हैं वह सही हैं, बिल्कुल सही हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

मनोरंजन कर राज्य मंत्री (श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय)-

हमारे पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह जी हैं जो बार-बार हम सब लोगों को इस बात के लिए कहते हैं कि किसी के आंसू बहते हो कहीं कोई कमजोर हो, लाचार हो उसके पास जाओ। मान्यवर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कानून-व्यवस्था पर बोलने का अवसर दिया।

श्री नीरज कुशवाहा मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो आपने चर्चा की कार्यवाही शुरू कराई उसमें मुझे भाग लेने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी पूरे प्रदेश की चर्चा हमारे सभी पार्टी के नेतागण कर रहे हैं। मै दंगों की चर्चा नहीं करना चाहता न मैं कुंडा के सीओ काण्ड की चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन मान्यवर, मैं जिस मंडल से चुनकर आता हूं, बरेली मण्डल में शाहजहांपुर के जलालाबाद सीट से मैं आता हूं और अभी एक जनवरी, 2013 को परसों तक जितने अपराध इस मंडल में हुए हैं पुलिस की रिपोर्ट है हमारे पास, उसमें से तीन हत्याएं हमारे जलालाबाद क्षेत्र में हुईं, उन हत्याओं के बारे में मैंने आपको नियम-56 की सूचना भी दी थी और ऐसी दर्दनाक हत्याएं कि अगर पुलिस सचेत होती तो शायद हत्या न होती। 5 दिसम्बर को हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक अल्लागंज थाना है वहां से जगत पाल राठौर वह पिछड़े समाज का तेली बिरादरी का आदमी उसका अपहरण कर लिया गया। मान्यवर, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है जब उच्च अधिकारियों से बात मैंने की तब जाकर एफआईआर लिखी गयी, लगातार थाने में एसपी से डीआईजी से हम लोग सम्पर्क में रहे वह कहते रहे कि हमारी जांच चल रही है जगतपाल जीवित है शीघ्र मिल जायेगा। लेकिन मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि 15 जनवरी को उनके पूरे परिवार के लोग हमारे पास आये उन्होंने कहा कि हमारे पति नहीं मिल रहे हैं उसकी महिला और 7 बच्चे हैं उसमें तो हमने कहा कि अगर नहीं मिल रहे हैं तो चलिये हम लोग डीआईजी से बात करते हैं, लखनऊ चलते हैं डीजीपी से बात करते हैं। डीआईजी महोदय से बात हुई शाहजहांपुर आये थे वह, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे एसओ की रिपोर्ट है कि वह व्यक्ति जीवित है और शीघ्र हम उसको बरामद कर लेंगे। मान्यवर, 22 तारीख को सुबह यह खबर मिलती है कि जगतपाल की डेड बाडी उसी के गांव के पास गन्ने के खेत में मिल गयी है। एसओ से बात की जाती है एसओ कहता है कि मैं दिखवा रहा हूं कि बाडी उसी की है कि नहीं, घर के लोग जाते हैं वहां पर उसके कपड़े मिलते हैं वहां पर टेलीफोन उसका मोबाइल मिलता है और एसपी मुझे आश्वस्त करते हैं कि गिरफ्तारी के आदेश दे दिये गये हैं। लेकिन आज तक जिन लोगों को उनके परिवार के लोगों ने नामजद किया है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मान्यवर, यह ऐसी दर्दनाक घटना है और मैं इस पर आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी प्रदेश में ऐसी घटनाएं कुछ जगह हुई वहां के लोग सड़क पर धरने पर बैठे तो वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी को बुलाने की बात हुई, माननीय मुख्य मंत्री जी गये भी और उन्होंने उनकी

आर्थिक मदद की। यह एक ऐसा परिवार है जिसका घर अगर आप देख लें मजदूरी मेहनत करके खाना खाता है, मैने इसकी हत्या के कारण की जानकारी की तो वह शायद उसका एक जानवर उन दबंग लोगों के खेत में घुस गया था। उसकी लड़की जब उस जानवर को लेने गयी तो उन लोगों ने उस लड़की के साथ भी बद्तमीजी की और जब शाम को वह जगतपाल घर आया तो उसकी महिला ने बताया कि ऐसी बात हुई है तो उसकी केवल यह गलती थी कि उन लोगों के खिलाफ थाने में एप्लीकेशन लेकर चला गया था। उन्होंने उसी दिन उसको चैलेन्ज किया था और पूरी घटना एस0ओ0 को पता थी मान्यवर, मैं दूसरी घटना बताना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहां जलालाबाद नगर में एक राजीव गुप्ता हैं, उनका बेटा प्रिंस गुप्ता 18 साल का, उसको मान्यवर, 3 जनवरी की शाम को उसकी दुकान बन्द होती है और शाम को ही उसका अपहरण कर लिया जाता है। मान्यवर, 3 जनवरी से लगाकर 16 जनवरी तक जलालाबाद में थाने का घेराव हुआ, वहां पर एस0पी0 भी आये, उन्होंने कहा कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, मान्यवर, 16 तारीख को उसकी भी डेड बाडी मिलती है, वह भी मरा हुआ मिलता है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि पुलिस उस कोठरी में नही पहुंच सकती लेकिन अगर पुलिस के पास सूचना गयी है तो पुलिस को संवेदनशील होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, यह इतना गंभीर मुद्दा है कि अगर मैं अपने यहां महिलाओं के बारे में आपको रिपोर्ट दे दूं, हमारे यहां इतने गंभीर अपराध हुये हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह मात्र डेढ़ घन्टे की चर्चा थी, इस पर अब बहुत कम समय बचा है, पौने सात बजे यह चर्चा शुरू हुयी थी। पौने आठ हो गया। मौर्य जी अब आप बैठ जाइये। आपके नेता सब बोल चुके हैं। बैठिये डेढ़ घन्टे से ज्यादा नहीं चलेगा।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

सरकार उनकी आर्थिक मदद करने का काम करे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री अम्बिका चौधरी का नाम पुकारे जाने एवं श्री दलवीर सिंह के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनको बोल लेने दो। आप बैठिये। अरे रुकिये, अभी आपका नम्बर आ जायेगा। आप नोटिस देंगे नहीं और झगड़ा करेंगे। आप बैठिये न, आप बोलने दीजिये।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी-अभी एक सूचना मिली है। कि जनपद अलीगढ़ में थाना गोड़ा के अन्तर्गत ग्राम मुखार के इण्टर कालेज में नकल को लेकर सैन्य बल के एन0एस0जी0 कमान्डो श्री तेजवीर सिंह पुत्र राम सिंह की गोली मारकर आज दोपहर में हत्या कर दी गयी है, दो लोग घायल भी हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इस घटना की जानकारी करें और इसमें जो उचित कार्यवाही हो, वह कराने का कष्ट करें और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन उठने से पहले-पहले कार्यवाही के संबंध में अवगत कराने का कष्ट करें।

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, इतने महत्वपूर्ण विषय पर, इतने गंभीर विषय पर जो चर्चा सदन में हो रही है, किन्हीं घटनाओं का उल्लेख मात्र करके यह बात पूरी नहीं हो सकती। मैं आपकी अनुमति से अत्यन्त संक्षेप में सिर्फ इसके सैद्धान्तिक पहलू पर दो-तीन बातें रखना चाहता हूं। मान्यवर, कानून व्यवस्था की स्थिति को और अपराध शून्यता की स्थिति को, यह दोनों दो स्थितियां हैं। हम जीरो क्राइम की अगर बात करें किसी सोसाइटी में तो वह एक दूसरी स्थिति है और कानून व्यवस्था अमन-अमान बना रहे, यह एक दूसरी स्थिति है। श्रीमन्, जब से मनुष्य की सभ्यता की चर्चा होती है, तब से समाज में अपराधों की चर्चा होती है और हम एक विशेष संदर्भ में यह बात कहना चाहते हैं कि पिछली बार राजनैतिक तौर पर एक परिवर्तन हुआ, समाजवादी पार्टी जब सत्ता से बाहर गयी और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई तो उसके आते ही जो सबसे पहला काम शुरू हुआ मान्यवर, लोगों ने कहा राजनैतिक द्वेष के कारण बदले की कार्यवाही हो रही है, यह पूरी तरह से गलत बात थी, हमने इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जिसका यह बदला हमसे लेते। लेकिन डेढ़ लाख से ज्यादा मुकदमे दो महीने के अन्दर रजिस्टर्ड किये गये और कोई नहीं बचा हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं में मान्यवर, जिसके विरुद्ध मुकदमों की लम्बी फेहरिस्त न की गई हो। अब एक साल बीत गया है, एक भी व्यक्ति के खिलाफ उसके विरुद्ध अपराधों की जानकारी होते हुये भी, मैं कहना चाहता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से, आप हमारे नेता हैं, हम स्वयं एक कार्यकर्ता की हैसियत से यह महसूस करते हैं कि शायद अपने को इस बात पर बचाये रखते हुये, कि हमारे ऊपर यह इल्जाम नहीं आये कि इनके खिलाफ बदले की कार्यवाही की, बल्कि जो कार्यवाही होनी चाहिये थी, वह कार्यवाही शायद अभी तक नहीं हो पाई है। मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से, मंत्री की हैसियत से नहीं, समाजवादी पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता की हैसियत से सदन में मांग करना चाहता हूं कि इस भूमिका से बाहर आने की आवश्यकता है और जिसको जितने दण्ड मिलने की जरूरत थी उसको यथाशीघ्र उसको उतना दंड मिलना चाहिए। कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए इस बात की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई बातें हो जाती हैं जैसे बात आई पुलिस रिफार्म की पुलिस रिफार्म कह देने से बात नहीं चलेगी। कमिश्नरेट सिस्टम कह देने से बात नहीं चलेगी। आपको इन सारे पहलुओं पर विचार करके चलना पड़ेगा। अलग-अलग स्थितियां हैं हमारे प्रदेश की जैसी स्थिति है शहरों की जैसी स्थिति है उसके अन्दर आकर हम बिना संदर्भ के कोई बात

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं कह सकते हैं। जब कोई संदर्भ आएगा तो उस संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में जो बात करते हैं उन बातों पर चल सकते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति सिर्फ आंकड़ों पर तय नहीं होती है। हमारा दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आती है तो यह प्रोपोगण्डा प्रत्येक स्तर पर मैं किस-किस का नाम लूं आसानी से यह प्रोपोगण्डा जोर से किया जाता है कि यहां दबंगई हो रही है यहां कानून व्यवस्था खराब है इतनी आसानी से हम लोगों के ऊपर यह इल्जाम लगाने का काम किया जाता है। यह वह लोग हैं जो साजिशों में हैं यह वह लोग हैं जो अपराधों में मुत्तला हैं मैं समझता हूं कि हमारी प्राथमिकताएं दूसरी थीं हमारी प्राथमिकता थी अपने घोषणा-पत्र को लागू करना अपने घोषणा-पत्र को लागू करने की प्राथमिकता के चलते जहां इस बात की उपलब्धि है कि पांच साल के लिए जो हमने अपने घोषणा-पत्र में योजनाएं शामिल की थीं उसका 70 फीसदी से ज्यादा एक वर्ष में पूरा कर दिया है। लेकिन दूसरी प्राथमिकता भी हमारी है जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने चर्चा में शुरू में ही कह दिया है उन्होंने आश्वस्त किया है तो हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि बहुत जल्दी उन सारी चीजों का एकाउण्ट बनेगा और बहुत जल्दी उसका प्रदेश में रिजल्ट भी दिखाई देगा। दो वाक्य कमिश्नर प्रणाली पर कहना चाहता हूं दिल्ली में बलात्कार की घटना के बाद 15 दिन तक दिल्ली अनियंत्रित हो गई दिल्ली में तो पुलिस कमिश्नर है वह इस कारण से हुआ कि वहां पुलिस के भी पावर मजिस्ट्रेट के भी पावर एक ही कमिश्नर के पास होते हैं जब मौब का हमला होता है तो सीधे उसकी लड़ाई पुलिस से होती है बीच में कोई बातचीत करने वाला नही होता है हमारे प्रदेश में जो स्थितियां हैं उसमें किसी भी हालत में कमिश्नर प्रणाली को लागू करने की परिस्थितियां नहीं हैं इसको नहीं लागू किया जाना चाहिए अन्यथा स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने यहां जो भी बातें कही हैं इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और इसकी सख्त आवश्यकता है कि सारे साजिश करने वाले लोगों को जिनको अपनी नरम दिली से आपने अब तक रास्ता दिया हुआ है अपनी नरम दिली को वापस लेकर कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए जितनी सख्ती की जरूरत है उतनी सख्ती जितनी जल्दी हो सके की जानी चाहिए। मान्यवर, आपने अनुमति दी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

इसमें पांच मिनट बचा है अभी दलीय नेता भी बोलेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी नेता लोक दल ने जो सूचना दी थी उसके बारे में जानकारी आ गई है परीक्षा में नकल को लेकर दो लड़कों में कहा सुनी हुई उसमें झगड़ा हुआ उनमें से एक ने अपने पिता जी को बुला लिया वह 315 की रायफल लेकर आए वहीं पर एक एस0एस0बी0 के एक जवान खड़े थे लड़के के वालिद ने रायफल से फायर कर दिया जो उस जवान के गले में लगा और अस्पताल जाते-जाते उसकी मौत हो गई।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

इसमें चर्चा के लिए टाइम फिक्स है। यह नहीं कि जितना चाहे बोलें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र धौरहरा कोतवाली के ग्राम सिसैया कला के अन्तर्गत जो भाइयों में मारपीट हुई थी उनके बीच गोली चली थी जिसका मुकदमा अपराध संख्या 501/2012 और 501ए/2012 कायम हुआ।

मान्यवर, दोनों तरफ से बलवा हुआ और दोनों तरफ से गोली लगीं। एक पक्ष के आदमी गिरफ्तार हो करके चले गये दूसरे पक्ष के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। पांच लोग इंजर्ड हैं, जब मामला उठाया गया तो मात्र 324 दफा में उनका चालान किया गया। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रे लगे हैं, सीने में छर्रे लगे हैं, तो उसकी जांच कराकर कार्रवाई कराई जाए।

(सत्तापक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब देखिये चर्चा का टाइम समाप्त हो रहा है, अगर सदन सहमत हो तो इसका टाइम थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री की असहमति पर)

श्री अध्यक्ष-

तब फिर इसका टाइम समाप्त हो गया है। माननीय हुकुम सिंह जी आप इसको वाइन्डअप करें, बाकी सभी सदस्य कृपया बैठ जाएं।

(माननीय सदस्यों के न बैठने पर और अपनी बात कहते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग ऐसा करेंगे तो हम बन्द कर देंगे, इसका टाइम फिक्स होता है, यह जनरल डिबेट नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, आपको हमारी भी बात सुननी पड़ेगी। मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष-

अगर बोलना है तो टाइम बढ़ाइये। आप उपेन्द्र जी बैठ जाइये। यह जबर्दस्ती नहीं चलेगी। आप बैठ जाइये, जवाब ले लेने दीजिए। आपका लिखा नहीं जायेगा, कुछ नहीं लिखा जायेगा चाहे जितना बोलो।

(माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र तिवारी अकेले आकर सदन के वेल में बैठ गये)

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, अब आप मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूं। इनको कहिये कि ये जाएं, ये रोज यही करते हैं। आप जाइये आप मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं। जब टाइम डेढ़ घण्टा कुल था आपके तीनों बड़े नेता बोल चुके हैं अपने-अपने दल के, फिर दोबारा

उन्हें अवसर है तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उपेन्द्र जी यह कोई जरूरी नहीं है कि आप बोलेंगे ही। अब आप ज्यादा करेंगे तो समझ लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं। आप वेल से उठ करके जाइये। नहीं जायेंगे तो फिर आप अपनी मेम्बरी सोच लीजिए।

(माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र तिवारी वेल से अपने स्थान पर गये)

श्री अध्यक्ष-

माननीय राणा साहब बैठ जाइये, जब आप मिनिस्टर लोग भी इस तरह से करेंगे तो फिर यह माननीय सदस्य क्या करेंगे। अब हम बन्द कर देंगे। माननीय हुकुम सिंह जी आप अपनी बात कहें फिर मौर्या जी कह लें उसके बाद मंत्री जी जवाब दे देंगे। आप लोग बहुत व्यवधान डाल रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह आपके मंत्री का बिहैवियर है कि मेरे कहने के बाद भी नहीं बैठ रहे हैं। अब मैं नियम-51 ले करके खत्म कर रहा हूं। माननीय हुकुम सिंह जी, दो मिनट आप कह लें और दो मिनट मौर्या जी कह लें फिर समाप्त करते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, मैं आंकड़े ले करके आया हूं क्या दो मिनट भी नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष-

जब टाइम नहीं है तो मैं क्या करूं। आप टाइम बढ़ाइये, अपने नेता से कहिये।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, 40 मिनट तो यह बोलेंगे और 40 मिनट माननीय मौर्या जी बोलेंगे, 80 मिनट तो यह हो गया, उसके बाद हमारे माननीय नेता जी बोलेंगे, हम लोगों के बोलने के लिए समय ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये ना। नियम-51 लाइये, ये कुछ नहीं करेंगे। .....

श्री अध्यक्ष-

आप मंत्री हैं और व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, हमारा विशेषाधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

मेरा अनुरोध है कि आप बैठ जाइये। माननीय हुकुम सिंह जी आप दो मिनट में अपनी बात रख लीजिए।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि विषय सार्वजनिक हित का है, बहुत गंभीर है। कई माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रखना चाहते थे लेकिन नहीं रख पा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि दस मिनट का समय बढ़ा दिया जाए। मान्यवर, मेरा आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

जब सदन सहमत नहीं है तो कैसे समय बढ़ा दें ? आप अपनी बात रखें और आप अन्य माननीय सदस्यों की बात भी रख देंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मैंने बहुत ही गौर से विचार सुने और संसदीय कार्यमंत्री जी ने, मा0 राजस्व मंत्री जी ने कानून-व्यवस्था को छोड़ करके अपनी प्राथमिकता गिनाई कि हमारी प्राथमिकता जो चुनाव घोषणा-पत्र में थे उन वादों को हमने पूरा किया। हमने लैप-टॉप बांटे, कन्याओं को 30-30 हजार के चेक दिये, हमने किसानों के ऋण माफ किये। चलिये जैसा कुछ किया वह तो किया आपने। मान्यवर, आपका वायदा कुछ और भी था, घोषणा-पत्र में न हो। मैं आपका ध्यान आपके वायदे के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। 28 मई, 2012 को महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ और वह अभिभाषण सरकार की नीति होती है, सरकार के आगामी कार्यक्रम होते हैं उसमें क्या किया गया? पेज नं0-3 पर है, कानून-व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे ये और क्या इनके वायदे थे ? माननीय सदस्यगण सभी उसके गवाह हैं ये हुआ या नहीं हुआ ? जिला मुख्यालय पर राज्य सरकार का प्रत्येक अधिकारी 10 बजे से 12 बजे तक बैठेगा, केवल मंगलवार और रविवार को छोड़ करके ताकि वह जनता की शिकायत सुन सके और जनता की समस्या का समाधान कर सके। (श्री इकबाल महमूद ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि सभी जिलों में अधिकारी बैठ रहे हैं।) ठीक है, आपके लिए तो सभी बैठ रहे हैं। सदन इस बात का गवाह है और हम भी गवाह इस बात के हैं, न कोई बैठता है, टेलीफोन तक तो कोई सुनता नहीं है। आगे प्राथमिकता क्या है ? मैं उसी पर आ रहा हूं। कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करना, अमन-चैन और आपसी सौहार्द को लौटाना, अपराध नियंत्रण करना और अपराध पंजीकरण करना, ये महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में आपकी प्राथमिकतायें थीं जो 28 मई, 2012 को हुआ। हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक साल के बाद में जो अभिभाषण होगा उसमें हमें बताया जायेगा कि कितना नियंत्रण हुआ और नियंत्रण के क्या उपाय रहे ? अब मैं उस पर आना चाहता हूं। यह 14 फरवरी, 2013 में क्या-क्या कार्यवाही हुई। चार बड़े शहरों में कण्ट्रोल रूम का आधुनिकीकरण कर दिया, प्रदेश के अपराधों को नियंत्रित करने के लिए चार बड़े शहरों में कण्ट्रोल रूम का आधुनिकीकरण किया, पहला स्टेप यह रहा। इससे उत्तर प्रदेश में उन चार बड़े शहरों में कण्ट्रोल रूम बना दिया आपने, कितना अपराधों का नियंत्रण हुआ होगा ? दूसरा काम क्या किया ? कॉल-सेण्टर महिलाओं के लिए 1090 की व्यवस्था कर दी। तीसरा क्या हुआ ? कुछ आई0पी0एस0 और पी0पी0एस0 अधिकारियों के परमोशन कर दिये। मान्यवर, अगला कदम क्या उठाया पी0ए0सी0 में चयनित 50 वर्ष से अधिक आयु के जवानों को जिला पुलिस की सशस्त्र शाखा में स्थानान्तरित कर दिया। ये चार कदम इन्होंने उठाये और यह वायदा करके आये थे कि कैसा शासन देंगे, कैसे अपराधों पर नियंत्रण करेंगे ? इससे लगता है कि एक साल में आपकी जो प्राथमिकता थी उस प्राथमिकता को पूरा करने के लिए आपने क्या-क्या कदम उठाये ? उसी का परिणाम है और यह सही है, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के जो उद्गार थे उनको सुनने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि वास्तव में कानून-व्यवस्था को चुस्त करना आपकी प्राथमिकता नहीं थी। आपको लैपटाप बांटने की प्राथमिकता थी शायद इससे ही जीवन सुरक्षित हो जायेगा सबका और शायद उसी का परिणाम है कि अपराधों पर कोई नियंत्रण किसी प्रकार

का नहीं हुआ, और न होगा मान्यवर। अपराधों पर नियंत्रण कैसे होगा मान्यवर। बस यह मैं उसी लेखक का असगर अली का, इस पर काफी ऑब्जर्वेशन हुए हैं। उन्होंने कहा व्हाट कैन बी सैड एण्ड टेल एव्रीवडी इज देट दि पोलिस सबमिट टू वन्ली ए स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर हू डज नाट यूज देम फार हिज आर हर पोलिटिकल परपज एण्ड गोज बाय सरटेन प्रिन्सिपल सेन्ट्स करेक्ट मैसेज टू देम जब तक मुख्य मंत्री मजबूत नहीं होगा, निष्पक्ष नहीं होगा, राजनैतिक उद्देश्यों के लिये उनको इस्तेमाल नहीं करेगा तब जाकर पुलिस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप सोच लें कि क्या निष्पक्ष रूप से आज नियुक्ति हो रही है। अगर निष्पक्ष रूप से नियुक्ति हो रही है मान्यवर, मुजफ्फरनगर में एक आई0पी0एस0 अधिकारी की नियुक्ति होती है। ट्रांसफर होते रहते हैं। वह दो दिन रहता है, तीसरे दिन ट्रांसफर हो जाता है, फिर एक और चला आता है। मेरा छोटा सा जनपद है शामली, एक आई0पी0एस0 अधिकारी प्रमोट होकर जाता है वहां डेढ़ दिन रहता है वहां। उसकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। प्राथमिकता यह थी कि पहला अधिकारी जरा कुछ ज्यादा सख्त था, ईमानदार था, सारे वह दरोगा जो निगाह लगाये बैठे थे कोई बेईमान है पैसा देकर नियुक्ति पाये हैं डेढ़ दिन के अन्दर एक-एक लाख रुपये इकट्ठे होते हैं, दे दिया जाता है। जेब में डाल करके दूसरे दिन उसका तबादला हो जाता है। क्या मान्यवर, अगर डेढ़-डेढ़ दिन के लिये आप आई0पी0एस0 अधिकारियों के ट्रांसफर करेंगें, उनकी नियुक्ति करेंगे, उसके बाद उनको बदल देंगें इससे क्या मैसेज जायेगा ? इससे क्या आपकी निष्पक्षता का मैसेज जायेगा ? क्या आपके अच्छे प्रशासन का मैसेज जायेगा ? मान्यवर, आज आप समीक्षा कर लें, माननीय वरिष्ठ मंत्री दोनों हमारे बैठे हुए हैं हमारे आप समीक्षा कर लें कि थानों पर नियुक्ति क्या बिना पक्षपात के हो रही है। क्या जातिवाद को दर किनार करने में आप सफल हुए। जो पहले था वही तरीका आपने अपना लिया मान्यवर, और उसको अपनाने का परिणाम आज आप भी भुगत रहे हैं और प्रदेश की जनता भी भुगत रही है। आज उम्मीद करिये, आप निश्चय करिये कि प्रदेश की जनता को आपको अच्छा सुशासन देना है, तो कम से कम पुलिस में पक्षपातपूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार के आधार पर नियुक्ति न हो। नियुक्ति अगर होती रहेगी तो आज पुलिस का थानेदार इन्स्पेक्टर या एस0पी0 की सुनता है क्या ? वह सीधा फोन करता है। मान्यवर, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं। एक दरोगा की इतनी हिम्मत कि लोग बैठे जा करके, वह एक नम्बर पता नहीं फर्जी है क्या है, वह तुरन्त मिलाता है दिल्ली कि प्रोफेसर साहब, आप आ नहीं रहे इधर ? अच्छा मैं ही आ जाता हूं सेवा में। पता नहीं झूठा फोन है या क्या है लेकिन उसका साहस तो इतना हो गया। यह साहस क्यों दिया गया उसको। झूठा हो या गलत हो यह मैं नहीं जानता लेकिन मैं एक बात आपके सामने रख रहा हूं और यह बात आप समझिये जब तक उनका मनोबल उस हद तक होगा और यह दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे राजनैतिक सम्बन्ध बहुत ऊंचे हैं, तब तक वह आम जनता की कहां सुन लेंगें आम जनता के लिये कहां से समर्पण भाव कर देंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कम से कम जितना उम्मीद आप लगाये बैठे हैं और जितनी हम आपसे आशा करते थे, जनता आपसे आशा करती थी एक साल में धूमिल हुई है मान्यवर, और जनता अपने आप को पूर्णतया असुरक्षित महसूस कर रही है। कम से कम इस पाप को धो दीजिये। दूसरों को दोष दे कर आप दोष से मुक्त नहीं होते। आप कब तक उनको दोष देते रहेंगे। आप देखिये कि आपने क्या किया है, जिम्मेदारी आज आपकी है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जो कुछ उन्होंने किया, वह उनके सामने होगा। हम तो उनके लिये भी कह

रहे थे कि उस संस्कृति को आपने बदला कि नहीं बदला। अगर आप उस संस्कृति को नहीं बदलेंगे तो आप में और उनमें क्या अंतर रह जायेगा ? तो मान्यवर, आज मेरा अनुरोध है कि इस प्रदेश की जनता को सुशासन देने के लिये, सुरक्षा देने के लिये, कानून व्यवस्था अच्छी सुधारने के लिये आप निष्पक्षता से काम लें। बिना भ्रष्टाचार के नियुक्ति करें, बिना पक्षपात के नियुक्ति करें, बिना जातिवाद के नियुक्ति करें तो शायद कुछ मुक्ति मिल जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी।

(श्री उपेन्द्र तिवारी, श्री केशव प्रसाद मौर्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बोल चुके हैं, सबसे ज्यादा आप बोले हैं। समय अब समाप्त हो गया है। आप स्पष्टीकरण पूछ लीजियेगा। माननीय मंत्री जी, आप बोलिये।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट मेरी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप चाहे जो कर लें, आपकी जिद जो है, यह ठीक नहीं है। टाइम नहीं मिलेगा बैठिये। बैठिये, बहुत ज्यादा न करिये। आप क्या चाहते हैं, आगे असेम्बली में नहीं आना है क्या ?

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अच्छा आप मुझे अपने दिल की बात बता देना।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलेंगे तो और लोग भी बोलेंगे।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह ठीक नहीं हो रहा है।

श्री सुरेश राणा-

हम अनुशासित सिपाही हैं।

श्री अध्यक्ष-

देखिए राणा जी, इसके लिए डेढ़ घंटा था, अपके नेता ने सारी बातें करीं यह जनरल डिबेट नहीं है। बजट पर चर्चा नहीं हो रही है। यह तरीका नहीं है आप बैठें।

(शोर)

बन्द कर दें क्या, रघुनंदन जी आप बैठें, आपके नेता दो बार बोल चुके हैं। आप लोग बैठें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर मैं किसी चीज को बराबर नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरे पास एक लिस्ट आई है केवल पडरौना की,19-2-2002 को मोहन मुंडेरा कांड में एक सौ लोगों के घर जलाए गए। 2003 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद साम्प्रदायिक दंगे हुए। 6 दिसम्बर, 2008 को सी0ओ0 हरपाल सिंह का, हमराही सिपाही विजय बहादुर की हत्या हुई और कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 2009 में नंदा छपरा कसिया में साम्प्रदायिक दंगा हुआ। दस अल्पसंख्यक घर जलाए गए। 2010 में 22 फरवरी को धरिहरन यादव की हत्या हुई सिर्फ पडरौना में, 28-10-2011 को ग्राम खड्डा बुजुर्ग पडरौना में साम्प्रदायिक दंगा हुआ। 15 दिनों तक असामान्य कर्फ्यू जारी रहा, ग्राम दुधवाखुर्द में मस्जिद के जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा था, एक तरफा कार्यवाही हुई और 15 अल्पसंख्यक मुसलमानों को जेल भेज दिया गया। 2011 में ग्राम फुलवरिया में प्रधान की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई यह मान्यवर, केवल पडरौना की वारदातें हैं जो हुईं लेकिन इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि हम उन बातों से अपने जमाने के हुए अपराध का बराबर करके उसका कोई जवाज ढूंढना चाहते हैं हुकुम सिंह जी और माथुर साहब की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा है और आपने जिस तरह से बातों को कहा है वह बुरा लगने वाली हैं भी नहीं। बस इतना कहना चाहता हूं आपसे, कि मैं भी कहीं का रहने वाला हूं। हम सब लोग अपने इलाकों में अगर राजनैतिक असर रखते हैं तो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप अपराधों के मामले में रामपुर को देखेंगे तो कहीं नीचे नजर आएगा। खबरें भी कम पढ़ने को मिलती होंगी, चौथी बार सरकार है, लेकिन रामपुर से चार व्यक्ति भी मुख्य मंत्री जी, या किसी अन्य मंत्री के यहां नहीं आए होंगे। वह इसलिए कि हम इस बात की कोशिश करते हैं कि लोगों की समस्यायें छोटी-छोटी तकलीफें हैं उनकी, अस्पताल की, थाने की, तहसील की,वह वहीं दूर हो जाएं और उनको यहां तक न आना पड़े। रात में मुझे इत्तला मिली कि हमारे यहां एक मोहल्ला नाला पार है। उसमें दो ग्रुप की गोली चली। हमारे लोगों के फोन आए कि फलां शख्स के बारे में 307 का मुकदमा कायम न किया जाए, हमसे सम्बन्धित थे, उसके जवाब में मैंने एस0पी0 रामपुर से कहा कि रात में ही ऐसा माहौल बने कि सुबह शहर का माहौल खराब न हो और सारी गिरफ्तारियां रात में हों और 307 का मुकदमा कायम भी हो। मान्यवर, बहुत मुश्किल होता है, हम जैसी छोटी राजनीति करने वालों के लिए जो मंत्री तो बन जाते हैं लेकिन उतने मजबूत राजनैतिक तौर पर नहीं होते जितने बड़े नेता होते हैं और हम इस तरह का रिस्क इसलिए लेते हैं कि अगर हमारी तरफ से भी प्रशासन के ऊपर अपने राजनीतिक लाभ के लिए दबाव पड़ेगा तो उसका नुकसान सरकार को भुगतना पड़ेगा। कोशिश करते हैं, आगे भी करेंगे। अखिलेश साहब यहां नहीं हैं, चले गए हैं, विधायक कांग्रेस, उन्होंने एक मशविरा दिया था कि कानून व्यवस्था और विवेचना को अलग-अलग कर दिया जाए। मैंने उस वक्त भी किसी बात पर शायद कहा था कि मेरी यह राय है और मेरी राय यह है कि जिन पर तीन बड़े इल्जामात हों, ऐसे पुलिसकर्मियों को और ऐसे अफसरों को बर्खास्त करने पर विचार किया जाए। कानून-व्यवस्था और विवेचना को अलग करने की कार्यवाही सरकार ने शुरू कर दी है और यह कार्यवाही जल्द मुकम्मल भी हो जायेगी। सी0सी0टी0वी0 कैमरे को ट्रैफिक कन्ट्रोल से जोड़ा जा रहा है, आपकी राय थी, इसका काम शुरू कर दिया गया है। 8 जोन में मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट लगाये जा रहे हैं, काम तेजी से हो रहा है। मान्यवर, एक काम जब मैं शुरू में चुनकर आया था, उस

वक्त भी और अपने बचपन में भी देखा था कि दरोगा की बुलट गाड़ी की धक-धक से बदमाशों के दिल दहल जाते थे। अब वह बुलट की आवाज कहीं सुनायी नहीं देती। पहले थाने में सिर्फ हेड मोहर्रिर या हेड कान्सटेबल रहते थे, वायरलेस सेट रहता था और बाकी सारे कान्सटेबल और दरोगा लोग जीप से अगर है, वरना मोटर साइकिल से या साइकिलों से पेट्रोलिंग करते थे, यह सिलसिला बिल्कुल खत्म हो गया। हमारी यह कोशिश है कि थानों में अब दरोगा और कान्सटेबल बैठें नहीं, पेट्रोलिंग करें और ज्यादा वक्त उनका जनता के बीच में गुजरे। जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से भी यह अपेक्षा की जा रही है कि वह भी जनता के बीच जायें और उनसे समस्याओं को जानने की कोशिश करें। इस तरह की कार्यवाही हो रही है। आधुनिकीकरण हेतु 300 करोड़ रुपये देने के लिए केन्द्र सरकार ने कहा था, दरख्वास्त है, आपसे कोई व्यंग नहीं है कि यह रकम यदि हमें मिल जाये तो इस सिलसिले में और आगे बढ़ सकेंगे। मान्यवर, यह भी कहा था नेता कांग्रेस ने कि अच्छा हुआ, विधान सभा की यह कार्यवाही टी0वी0 के पर्दे पर नहीं दिखायी गयी। अगर आप कार्यवाही निकाल कर देखेंगे तो सबसे पहले इसका विरोध मैंने ही किया था। मुझे वाकई अफसोस है कि सदन का माहौल ऐसा बना लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, मान्यवर, ताली के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल होना जरूरी है। यह हो सकता है कि एक हाथ का दबाव कम हो, एक हाथ का दबाव ज्यादा हो। हमारी सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम उस हद तक न जायें और डोर को इतना न खींचे कि डोर टूट जाये और उससे हमारे हाथों को तकलीफ हो। हम प्रदेश की कानून-व्यवस्था को बेहतर करने के लिए तत्पर थे, तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। यह सही है कि हमारी प्राथमिकताओं में कोई चीज आगे और कोई चीज पीछे हो सकती है, यह भी बिल्कुल सही है कि अगर कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त नहीं होगी और लोग अपने आपको महफूज नहीं समझेंगे तो लैपटाप, पैसे, राहत, माफी इसका उतना मतलब नहीं रह जायेगा, जितना होना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। तो क्या आप समझते हैं कि हम ऐसा नहीं चाहते ? लेकिन फिर यही कहेंगे कि जहां हालात पहुंच गये थे और पहुंच चुके हैं। माननीय हुकुम सिंह जी आपने ने तो खुद मिसालें दी हैं चाहे वह एस0पी0 के बारे में हो, दरोगा के बारे में हों, चाहे टेलीफोन के बारे में हों। जब हमारे ऊपर राजनीतिक बुरे दिन थे तो हमारे रिश्तेदारों ने जो विदेश में रहते हैं, उनसे कभी किसी ने पूछा कि सुना है आजम खां आपके रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हम नहीं जानते कि कौन साहब हैं और जब सरकार आयी और हम मंत्री बने। तो उन्ही लोगों ने उनको रोक-रोककर कहा कि मालूम चला आजम खां कैसे वजीर हो गये। हमारे रिश्तेदार हैं वह। यह समाज का ऐसा चलन है जिसकी शिकायत सदियों से लोगों को रही है और जब तक दुनिया रहेगी यह शिकायतें रहेंगी। अम्बिका चौधरी जी ने कहां से बात को शुरू किया था। हमारे साथी बुरा नहीं मानेंगे वह आप पर व्यंग्य नहीं था। उसे आपने अपने पर व्यंग्य समझा। जब समाज सभ्य हुआ तभी सारे सवाल खड़े हुए। असभ्य समाज में तो लोग एक दूसरे को पत्थर से मार दिया करते थे। वही व्यक्ति ज्यादा बहादुर माना जाता था जिसकी झोपड़ी पर इंसानों के सिर सबसे ज्यादा टंगे होते थे। वहीं कबीले का सरदार होता था। लेकिन जब लोगों ने सभ्यता और इंसानियत के मतलब समझे तो सबसे पहला काम यह किया कि अपने शरीर को लिबास दिया। लिबास उन्होंने तैयार नहीं किया बल्कि पेड़ों की छालों से अपने शरीर को छुपाना शुरू किया। मैं आज भी इसे मानता हूं और जो संजीदा लोग हैं वह इसे जानते होंगे कि कानून बाद में काम करता है समाज का दबाव पहले काम करता है। समाज

कमजोर हो गया, समाज में जो जिम्मेदार लोग थे और जिनकी लोग बात मानते थे, शर्म और लिहाज जो आंखों में हुआ करता था वह शर्म और लिहाज खत्म सा हो गया। इसलिए कानून भी बहुत कमजोर हो गया। अच्छी उम्मीद के साथ इस आशा के साथ कि हम एक अच्छी कानून व्यवस्था देंगे, पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां-जहां कमी रह गयी है हम उस कमी को ईमानदारी से पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब चर्चा समाप्त हुयी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, कानून-व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुयी और यहां पर कानून-व्यवस्था पर जो भी बोला गया था मात्र इसलिए बोला गया था कि ऐसे नाजुक मुददे पर सरकार गंभीरता से उस पर विचार करे। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी कानून व्यवस्था पर बोलें। इसके पहले तो कानून व्यवस्था पर एक शब्द नहीं बोले। यह सही है कि हर सरकार की अपनी प्राथमिकतायें होती हैं। उन प्राथमिकताओं की बिना पर हम उत्तर प्रदेश को केवल लावारिस नहीं छोड़ सकते। यहां पर आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था का मुददा प्रदेश के सर्वसामान्य से जुड़ा हुआ मुददा है और इसको मैं-मैं और तू-तू के झगड़े से हल्का नहीं किया जा सकता। इसीलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कुछ भी यहां पर कहा वह सारे विशेषण यहां पर आये उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मेरा चर्चा का मतलब यह था कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिगड़ती हुयी कानून व्यवस्था की स्थिति को संज्ञान में लेते हुए इस पर रोक लगाने की कार्रवाई करनी चाहिए। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने समापन उद्बोधन में उस पर चिंता जाहिर की और उस पर तत्काल कानूनी कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया तो यही मकसद था। लेकिन बीच में कुछ ऐसा मामला आया, वह मामला गरम करने का नहीं, उलझाने का नहीं बल्कि मामले की गंभीरता को लाने का था। इसीलिए मैंने उस मामले को रखा उसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब आप खत्म करें।

[8.42 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12-03-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 48 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री मो0 आसिफ जाफरी की जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र चायल के विकास खण्ड मूरतगंज में इमामगंज से हर्रायपुर वाया नर्वरपट्टी होते हुये बदनपुर घाट तक की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र उर्फ बृजेश सिंह की विधान सभा क्षेत्र सहजनवां, जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत पेयजल की पाइपलाइनों की मरम्मत एवं विभिन्न मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

तीसरी सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में घाघरा नदी से हो रही भू-कटान की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौथी सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई'' की होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड में हो रही वित्तीय अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त बोर्ड को तत्काल भंग किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

पांचवीं सूचना श्री शारदा प्रताप शुक्ला की जनपद लखनऊ स्थित जानकीपुरम्, सेक्टर-एच कुर्सी रोड, पहाड़पुर चौराहे से कम्युनिटी सेन्टर होते हुए सहारा स्टेट को जाने वाली सड़क के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

छठी सूचना श्री विशम्भर सिंह की जनपद चित्रकूट के थाना पहाड़ी के ग्राम बरेठी में विद्युत व्यवस्था की विभिन्न समस्याओं का समाधान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

सातवीं सूचना श्री मनीष रावत की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली अन्तर्गत बिजली आपूर्ति किये जाने एवं नये ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

आठवीं सूचना श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर की उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के गैर तकनीकी कर्मचारियों को पंचम वेतन का एरियर भुगतान तथा छठे वेतनमान के अन्तर्गत ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

1-श्री धर्मपाल सिंह,

2-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

3-श्री छोटे लाल वर्मा,

4-डा0 धर्मपाल सिंह,

5-श्री सुरेश बंसल,

6-श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज,

7-डा0 रमेश चन्द्र,

8-श्री विजय बहादुर यादव,

9-श्री प्रदीप माथुर,

10-श्री बंशी सिंह पहाड़िया,

11-श्री गुटियारी लाल दुबेश,

12-श्री अगयश रामसरन वर्मा,

13-सुश्री सावित्री बाई फूले,

14-श्री जय प्रकाश निषाद,

15-श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली,

16-श्री मुकेश श्रीवास्तव,

17-श्री संगीत सिंह सोम,

18-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,

19-श्री दीपक पटेल एडवोकेट,

20-श्री विजय कुमार पासवान,

21-श्री प्रदीप चौधरी,

22-श्री सुरेश राणा,

23-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले),

24-श्री राजबली जैसल,

25-श्री प्रमोद तिवारी,

26-श्री भीम प्रसाद सोनकर,

27-श्री मदन चौहान,

28-श्री अनूप सण्डा,

29-श्री सुदेश शर्मा,

30-श्री संजय प्रताप जायसवाल,

31-श्री रामचन्द्र यादव,

32-श्री दलजीत सिंह,

33-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,

34-श्री गेंदालाल चौधरी,

35-श्री राजेश यादव,

36-श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,

37-श्री उमाशंकर सिंह,

38-श्री अजय मिश्र 'टेनी',

39-श्री जगन प्रसाद गर्ग तथा

40-श्री केशव प्रसाद मौर्य।

जनपद अलीगढ़ के राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी स्थल पर दुकानों के निर्माण में हुई धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, नियम-51 के अन्तर्गत प्राप्त उक्त सूचना में यह वर्णित है....

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[कि जनपद अलीगढ़ में राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के आयोजन में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं, इसमें भारी वित्तीय अनियमितता बरते जाने का उल्लेख करते हुए, उक्त आयोजन के पूरे आय-व्यय का ब्यौरा सदन के पटल पर रखे जाने एवं प्रत्येक वर्ष होने वाले आयोजन का आय-व्यय का ब्यौरा स्थानीय निवासियों के सामने रखे जाने का बिन्दु उठाया गया है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति उद्योग निदेशालय व जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्र के माध्यम से निम्नवत् स्पष्ट हुई है :-

(1) उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के पत्रांक 2784, दिनांक 26-02-2013 द्वारा अवगत कराया गया कि :-

> राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी से सम्बन्धित प्रश्नगत प्रकरण उद्योग विभाग/इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है। जिला स्तर पर राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें जिलाधिकारी पदेन अध्यक्ष एवं अपर जिलाधिकारी नगर पदेन प्रभारी अधिकारी/सचिव हैं।

(2) प्रकरण में जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्रांक 696/प्र0सहा0/2012-2013, दिनांक 26-02-2013 द्वारा तथ्यात्मक सूचना निम्नवत् प्राप्त हुई है :-

> प्रदर्शनी का आयोजन किसी शासकीय विभाग द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी एवं पंजीकृत ट्रस्ट है। जिसमें जनपद अलीगढ़ के सम्भ्रान्त लोग जो प्रदर्शनी कार्यकारिणी के सदस्य हैं सम्मिलित हैं तथा प्रदर्शनी की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद में तैनात जिलाधिकारी, पदेन अध्यक्ष प्रदर्शनी, अपर जिलाधिकारी (नगर) पदेन प्रभारी अधिकारी प्रदर्शनी, तहसीलदार, पदेन सामान्य मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। उक्त प्रदर्शनी का आयोजन राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी की कार्यकारिणी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णयानुसार कराया जाता है। उक्त आयोजन में जो भी कार्य किये जाते हैं वह नियम एवं शर्तों के अधीन होते हैं। उन्हीं नियम

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एवं शर्तों के अनुसार ही कार्य कराया जाता है। इस वर्ष प्रदर्शनी कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्राप्त निविदा के अनुसार लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार से निर्माण कार्य कराया गया है। राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी परिसर में पक्की दुकान संख्या-310 से 344 एवं 374 से 391 तक उक्त पुरानी दुकानें जो जीर्ण अवस्था में थी, के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में निविदा के आधार पर ठेका कार्यवाही सम्पादित किये जाने की सहमति कार्यकारिणी समिति द्वारा की गई। उक्त दुकानों के निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त निविदा में अंकित धनराशि रु0 38.46 लाख में प्रदर्शनी कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति उपरान्त निर्माण कार्य कराया गया। उक्त दुकानों का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण मात्र धनराशि रु0 20,00,000.00 (रु0 बीस लाख मात्र) बतौर अग्रिम का भुगतान प्रदर्शनी निधि से किया गया है। प्रदर्शनी का समापन हो चुका है तथा दुकानदारों द्वारा उक्त दुकानें रिक्त किये जाने के पश्चात् दुकानों का अपूर्ण कार्य पूर्ण कराया जायेगा। प्रत्येक वर्ष प्रदर्शनी आयोजन से पूर्व कार्यकारिणी समति की बैठक में गत वर्ष व्यय की गई धनराशि एवं प्रदर्शनी आयोजन हेतु आय-व्यय का प्रस्तावित बजट समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, जिसका प्रत्येक वर्ष आडिट भी कराया जाता है।

3-जिलाधिकारी, अलीगढ़ की आख्या से स्पष्ट है कि प्रदर्शनी का आयोजन किसी शासकीय विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। जिला स्तर पर राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें जिलाधिकारी पदेन अध्यक्ष एवं अपर जिलाधिकारी, नगर पदेन प्रभारी अधिकारी/सचिव हैं। प्रकरण औद्योगिक विकास विभाग के अधिकार क्षेत्र का नहीं है।]

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं, मौखिक रूप से भी मैंनें कई बार मा0 मंत्री जी को, आपको, सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को पहले बता चुका हूं कि अलीगढ़ नुमाइश जो हो रही है, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने खुद देखी है, जहां 10-12 करोड़ रुपये की आय होती है विभिन्न स्रोतों से, उसमें भारी घोटाला, बेइमानी की गई है, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार इसमें जांच नियत करे और जो दोषी लोग हैं, उन्हें दण्डित करें और इसकी पूरी तह तक जाने की कोशिश करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप अगर अलग से इसे लिख कर दे देंगे तो कमिश्नर से इसकी जांच करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

जनपद लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत ऐरा चीनी मिल प्रबन्धन द्वारा गन्ना तौल का कार्य कर रहे कर्मचारियों को निर्धारित वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शुरू भैय्या द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में जनपद-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा....

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[में स्थित ऐरा चीनी मिल प्रबन्धन द्वारा लगभग 70 लोगों से गन्ना तौल का कार्य कराये जाने का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि जिलाधिकारी द्वारा तौल लाइसेंस दिया गया है परन्तु चीनी मिल द्वारा उक्त लोगों को रु0 एक हजार से लेकर रु0 तीन हजार मात्र महीने की सेलरी दी जा रही है, जोकि निर्धारित सैलरी से अत्यन्त कम है। इससे उन लोगों के परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, जिससे परिवार के लोग भुखमरी के कगार पर हैं, जिससे लोगों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण में प्राप्त सूचना के अनुसार पेराई सत्र 2012-13 में चीनी मिल ऐरा को आवंटित क्रय केन्दों पर तौल कार्य हेतु 76 तौल लिपिकों को जिलाधिकारी लखीमपुर द्वारा लाइसेंस निर्गत किये गये हैं जिसमें 53 मौसमी प्रकृति के तौल लिपिक उक्त क्रय केन्द्रों पर नियुक्त हैं। शेष क्रय केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार दैनिक तौल लिपिक नियुक्त किये जाते हैं और उन्हें दैनिक उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जाता है। तौल लिपिकों को निर्धारित सैलरी से कम भुगतान के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है।]

श्री अध्यक्ष-

आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं?

श्री शमशेर बहादुर-

जी मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमने जो सूचना मांगी है चीनी मिल में तौल लिपिकों के लिए और जो उत्तर आया है, उसमें है कि जांच कराई जा रही है, तो उसमें सैलरी के सम्बन्ध में वह देख लें कि उनको मानक के अनुसार सैलरी नहीं मिल रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अगर उन्हें मानक के अनुसार सैलरी नहीं मिल रही है तो उन्हें मानक के अनुसार दिलवायेंगें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बस खत्म हो गई बात। अब अगली मद ले रहे हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुरादाबाद के कुन्दरकी प्राथमिक विद्यालय में मृत सहायक अध्यापक के स्थान पर आश्रित की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री जियाउद्दीन रिजवी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा अपनी सूचना में उल्लेख किया गया है कि जनपद- मुरादाबाद के अन्तर्गत कुन्दरकी ...

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[प्राथमिक विद्यालय में श्री अली अब्बास सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। इनका दिनांक 18-1-1998 को सेवाकाल में ही देहान्त/मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी श्रीमती सबीयेतजहरा और उनके बड़े बेटे श्री जहीर अब्बास द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-10-2002 को दिया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि उसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है। जो आवेदन शासन के नियमानुसार 5 वर्ष के अन्दर कर दिया गया है और इसकी पुष्टि बी0एस0ए0 अथवा ए0बी0एस0ए0 द्वारा की गई, परन्तु बी0एस0ए0 द्वारा इनकी नियुक्ति न करते हुए जानबूझकर मामले को उलझाया जा रहा है और प्रार्थी को बार-बार आवेदन देने पर भी कोई राहत नहीं मिली है। इन स्थितियों में यह आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं और न हीं इनके प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार किया जा रहा है। इनके साथ घोर अनियमितता बरती जा रही है। इससे यह क्षुब्ध होकर इनका पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अतः मा0 सदस्य द्वारा इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के प्रति कठोर कार्यवाही करते हुए मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति की मांग की गई है।

वक्तव्य-

मा0 सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि :-

श्री अली अब्बास सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय कुन्दरकी, विकास खण्ड कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद की मृत्यु दिनांक 18-1-1998 को सेवाकाल में होने के फलस्वरूप उनकी पत्नी श्रीमती शबीयेतजहरा के द्वारा अपने पुत्र श्री जहीर अब्बास की नियुक्ति हेतु दिनांक 30-10-2002 को प्रार्थना-पत्र दिये जाने का उल्लेख किया गया है जो असत्य है। इस तथ्य को पुष्टि कार्यालय, जिला

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद के अभिलेखों से नहीं हो सका। तदोपरान्त स्व0 अली अब्बास के पुत्र श्री जहीर अब्बास द्वारा मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु अपने पिता की मृत्यु के 05 वर्ष उपरान्त दिनांक 27-07-2004 को आवेदन किया गया, जो कालबाधित था।

2-इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-5193/15-5-2000-400(222)/99, दिनांक 4-9-2000 के प्रस्तर-3(8) में निहित व्यवस्था अनुसार मृतक आश्रित द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के मृत्यु की दिनांक से 5 वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। परन्तु जहां राज्य सरकार को यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा में किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

3-उ0 प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (सातवां संशोधन) नियमावली, 2006 के प्रस्तर-5 (3) में व्यवस्था है कि सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। परन्तु जहां राज्य सरकार को यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय-सीमा में किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु यह और की उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिये सम्बद्ध व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात् सेवायोजन के लिये आवेदन करने के विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिये सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।

4-अतः उपरोक्त शासनादेश के दृष्टिगत प्रकरण कालबाधित होने तथा मृतक आश्रित की अवयस्कता के अतिरिक्त समय-सीमा में शिथिलीकरण हेतु अन्य कोई आधार नहीं होने के कारण श्री जहीर अब्बास को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।]

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, यह जो जवाब आया है, यह पर्याप्त नहीं है। अभिकर्ता ने 30-10-2002 को आवेदन कर दिया था और मृतक आश्रित की उस पर नियुक्ति होनी चाहिए थी और यह दिखा रहे हैं कि हमारे रिकार्ड में नहीं है, जो यह गलत बोल रहे हैं, उसका प्रमाण है हमारे पास।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस मामले में भी साक्ष्य के साथ अगर पूरी बात मिल जायेगी, तो मा0 मंत्री जी से इस पर वार्ता कर लेंगे, आप भी रहिये।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

ठीक है मान्यवर।

जनपद कासगंज के क्षेत्र अमांपुर के अन्तर्गत ग्राम मोहनपुर कस्बा से गंजडुडवारा मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ममतेश शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर.....

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[के अन्तर्गत ग्राम मोहनपुर कस्बा से गंजण्डवारा मुख्य मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है जिससे किसानों एवं क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा सरकार के प्रति जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः उक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर जांच कराकर उक्त मार्ग का पुनः नवनिर्माण व चौड़ीकरण कराये जाने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग की गई है।

वक्तव्य-

उक्त के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर के अन्तर्गत ग्राम मोहनपुर से गंजडुण्डवारा कस्बे तक 7.95 कि0मी0 लम्बाई के मार्ग का निर्माण लगभग 20 वर्ष पूर्व मण्डी परिषद् द्वारा कराया गया था। यह मार्ग वस्तुतः सिंगल लेन का ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जो मण्डी परिषद् के स्वामित्व में है। मण्डी परिषद् द्वारा उक्त मार्ग की मरम्मत वर्ष 2004-05 में कराई गई है।]

जनपद गोरखपुर के तहसील गोला में छात्रों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमती राजकली सिंह इण्टर कालेज, अरांव जगदीश को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला-गोरखपुर ....

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

[की तहसील गोला के अन्तर्गत श्रीमती राजकली सिंह इण्टर कालेज, अरोव जगदीश को वर्ष 2007 से 2011 तक लगातार बोर्ड परीक्षा केन्द्र बनाया जाता रहा है, उक्त विद्यालय के पांच किलोमीटर में कोई भी विद्यालय बोर्ड परीक्षा केन्द्र नहीं है, उक्त इण्टर कालेज में 872 छात्रायें हैं, उक्त विद्यालय का केन्द्र वर्ष 2012 में 15 से 20 कि0मी0 दूर चार विद्यालयों पर दूर-दूर चला गया था जिसके कारण छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को काफी परेशानी हुई थी। इस वर्ष सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 07-11-2012 में बालिकाओं को स्वकेन्द्र सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सेन्टर बनाने का निर्देश हुआ है। संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 04-07-2012 को भी विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने का निर्देश हुआ है, परन्तु अभी तक उक्त विद्यालय परीक्षा केन्द्र नहीं बन सका है। जिसके कारण 872 छात्राओं एवं उनके अभिभावकों के सामने परीक्षा दिलाने का गंभीर संकट हो गया है। जिससे उनमें आक्रोश भी व्याप्त है।

अतः अनुरोध है कि मा0 मुख्य मंत्री जी धारा 9/4 के विशेषाधिकार के तहत उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनवाने की कार्यवाही तथा वक्तव्य देने का कष्ट करे।

वक्तव्य-

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के अन्तर्गत श्रीमती राजकली सिंह इण्टर कालेज, अरांव जगदीश, गोरखपुर विद्यालय के आस-पास क्रमशः श्री रामसूर्य सिंह इण्टर कालेज अरांव जगदीश, श्री राम रेखा सिंह इण्टर कालेज उरूवा बाजार, मीना देवी उ0मा0वि0 विलासपुर उरूवा, नवयुग इण्टर कालेज बैदौली, पं0 जवाहर लाल नेहरू उ0मा0 विद्यालय नगवा प्रेम पक्का बाजार गोरखपुर वर्ष को 2013 की परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। प्रश्नगत विद्यालय की हाईस्कूल की छात्राओं का केन्द्र आवंटन नवयुग इण्टर कालेज बैदौली एवं इण्टरमीडिएट की छात्राओं का आवंटन पं0 जवाहर लाल नेहरू उ0मा0 विद्यालय नगवा प्रेम पक्का बाजार गोरखपुर पर किया गया है, जो विद्यालय परिधि से अधिकतम 06 कि0मी0 के भीतर ही है। प्रश्नगत विद्यालय शासनादेश संख्या-1480/15-7-12-1(118)2010, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर-1(क) के अनुसार विगत वर्ष परीक्षा केन्द्र न होने एवं अनर्ह एवं गैर पंजीकृत छात्र/छात्राओं के आवेदन-पत्र अग्रसारित करने वाले 906 विद्यालयों की काली सूची में होने के कारण जनपदीय एवं मण्डलीय समिति द्वारा वर्ष 2013 में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है।

शासनादेश संख्या-2213/15-7-2012-1(1)/2011, दिनांक 7-12-2012 में नितान्त अपरिहार्य परिस्थितियों में अनर्ह एवं गैर पंजीकृत छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र अग्रसारित करने वाले

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

काली सूची के 906 विद्यालयों को बालिकाओं को स्वकेन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त केन्द्र बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे। इस विद्यालय के आस-पास 06 अन्य विद्यालय परीक्षा केन्द्र निर्धारित है। अतः यह विद्यालय काली सूची में सम्मिलित होने एवं नितान्त अपरिहार्यता की श्रेणी में न होने के आधार पर जनपदीय एवं मण्डलीय समिति द्वारा वर्ष 2013 में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है।]

जनपद सीतापुर में जिला योजना अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत स्वीकृत गांव में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में श्री रामहेत भारती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, जनपद सीतापुर में जिला योजना अन्तर्गत ...

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

[स्वीकृत गांव में सम्पर्क मार्गो का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में श्री रामहेत भारती, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07-03-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना निम्नवत् है :--

जनपद सीतापुर के निर्वाचन क्षेत्र 147 हरगांव में विकास खण्ड बेहटा, विकास खण्ड लहरपुर, विकास खण्ड लहरपुर, विकास खण्ड परसेण्डी तथा विकास खण्ड हरगांव में ग्रामीण सम्पर्क मार्गो के निर्माण कराये जाने के प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 20-12-2013 की जिला योजनान्तर्गत लोक निर्माण विभाग सी0डी0-4 तथा प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग सीतापुर के अधिशाषी अभियन्ताओं को दिया था, जिन्हें जिला योजना की कार्य योजना में शामिल करके कार्य योजना की विवरण पुस्तिका में छपवाकर विधान सभा के सदस्यों को उपलब्ध भी कराया गया। जिसके आधार पर क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान सम्बन्धित गांवों के ग्रामीणों को अवगत भी कराया गया, परन्तु अभी तक जिला योजनान्तर्गत तथा स्पेशल कम्पोनेण्ट योजना के अन्तर्गत स्वीकृत गांवों में सम्पर्क मार्गो के निर्माण कार्य प्रारम्भ न कराये जाने से क्षेत्रीय ग्रामीण जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अत्यन्त जनहित एवं लोक महत्व के अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

केवल वक्तव्यः-

जनपद सीतापुर में जिला योजना अन्तर्गत स्वीकृतियों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-3084नि0/132-02नि0/12 दिनांक 21-12-2012 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में से सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत रु0 40.00 लाख से अधिक के 01 कार्य लागत रु0 131.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रु0 12.75 लाख की स्वीकृति शासनादेश संख्या-98आ0जि0यो0/23-14-12-98आ0जि0यो0/12 दिनांक 19-02-2013 द्वारा निर्गत की जा चुकी है तथा रु0 40.00 लाख से कम की 26 परियोजनाओं की कुल लागत रु0 393.38 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रु0 146.18 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-54आ0जि0यो0/23-14-12-54आ0जि0यो0/12 दिनांक 1-03-2013 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।]

झांसी के बबीना क्षेत्र में नहर पटरियों का पुनर्निर्माण कराये जाने एवं सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

बहराइच के मोहल्ला घसियारीपुरा में जलभराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार ओझा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार ओझा का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

जनपद कुशीनगर में ए0पी0 तटबन्ध का एक्सटेंशन नरवाजोत व अमवाखास बंधे पर बाढ़ खण्ड में स्वीकृत परियोजनाओं पर बजट आवंटित कर समय से पहले कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री अजय कुमार लल्लू मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा ...

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

[उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली-1958 के नियम-51 के अधीन दिनांक 07-03-2013 को निम्न सूचना दी गयी है :--

मेरे विधान सभा क्षेत्र-331, तमकुहीराज, जनपद-कुशीनगर में ए0पी0 तटबन्ध का एक्सटेंशन नरवाजोत व अमवाखास बन्धें पर बाढ़ खण्ड द्वारा वर्ष 2013-14 में स्वीकृत परियोजाओं पर धन आवंटित करने व समय अवधि से पूर्व कार्य कराए जाने के लिए।

इन बंधों की स्थिति काफी चिन्तनीय बनी पड़ी है। नरवाजोत तटबंध की वर्तमान स्थिति यह है कि बन्धा को लगातार नदी काट रही है। जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा कई बार मौके का निरीक्षण किया गया है।

अक्सर यह देखा जाता है कि धन भी आवंटित होता है तो बाढ़ के समय होता है और उस समय धन का लूट-खसोट एवं बन्दर-बाट ही होता है। कार्य ठीक से नहीं हो पाता है। इस सम्बन्ध में वर्ष 2013-14 में विधान सभा तमकुहीराज के अन्तर्गत बाढ़ खण्ड कुशीनगर में स्वीकृत निम्नलिखित परियोजनाएं प्रस्तावित है :--

(1) जनपद-कुशीनगर के नरवाजोत तटबंध पर स्थिति स्पर कि0मी0 1,000 से 1,500 कि0मी0 की पुनः स्थापना, कि0मी0 1.300 पर एक अदद स्टड का निर्माण एवं कि0 मी0 0.800 से 1.300 के मध्य रिवेटमेंट एवं स्लोप पिचिंग का कार्य की परियोजना उ0प्र0 राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् के 45वीं स्थाई संचालन।

(2) जनपद-कुशीनगर में नरवाजोत तटबन्ध के सुदृढ़ीकरण की परियोजना।

(3) जनपद कुशीनगर में स्थित ए0पी0 तटबन्ध की कि0मी0 1.600 पर स्थित स्पर की पुनः स्थापना की परियोजना।

(4) जनपद कुशीनगर में ए0पी0 तटबन्ध के कट इण्ड-2 पर स्थित स्टड चैनेज 130 मी0 एवं 250 मी0 के पुर्नस्थापना की परियोजना।

(5) जनपद कुशीनगर में स्थित ए0पी0 तटबन्ध के कि0मी0 10518 पर निर्मित स्तर के नोज डाउन स्ट्रीम पिचिंग, एप्रन एवं अपस्ट्रीम में दो अदद टीथ निर्माण की परियोजना।

(6) जनपद कुशीनगर में स्थित अमवारखास तटबन्ध पर स्थित स्पर कि0मी0 4.200 पर स्पर कि0मी0 4.500 की पुनःस्थापना कि0मी0 4.500 से 4.900 के मध्य 05 अदद स्टड निर्माण की परियोजना एवं स्पर कि0मी0 4.900 के पुर्नस्थापना कार्य की परियोजना। क्रमांक-1 से 6 तक के कार्य-परियोजना उ0प्र0 राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् के 45वीं स्थाई संचालन समिति में स्वीकृत है।

(7) जनपद कुशीनगर में स्थित ए0पी0 तटबन्ध के कि0मी0 1.625 से 1.860 के मध्य रिवेटमेंट के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना, परियोजना स्वीकृत हेतु जिलाधिकारी कुशीनगर को प्रेषित है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री एवं सिंचाई मंत्री को पत्र द्वारा दिनांक 28-2-2013 को अवगत कराया जा चुका है।

अतः जनहित को ध्यान में रखते हुए कृपया अपेक्षित परियोजनाओं में बजट आवंटित कर समय से पहले कार्य कराया जाना लोकहित में है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराकर सरकार से कार्यवाही कर अपेक्षित परियोजनाओं पर बजट आवंटित कर समय से पहले कार्य कराते हुए सदन में वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।

श्री अजय कुमार लल्लू मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा की गई उपर्युक्त सूचना पर आख्या निम्नवत् है :-

विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर में गण्डक नदी के दायें तट पर अमवाखास, अहिरौलीदान, पिपराघाट (ए0पी0) ए0पी0 एक्सटेंशन तथा नरवाजोत तटबन्ध स्थित है। बड़ी गण्डक नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ अवधि में इन तटबन्धों के विभिन्न स्थलों पर प्रहार करती है। वर्तमान में नरवाजोत तटबन्ध की स्थिति चिन्तनीय है क्योंकि तटबन्ध में नदी की न्यूनमत दूरी मात्र 2.10 मीटर है। परन्तु अब इस समय और कटान नहीं हो रही है। बड़ी गण्डक नदी स्थित सभी तटबन्धों पर कार्य गण्डक उच्च स्तरीय स्थाई संचालन समिति के संस्तुति के अनुसार कराये जाते हैं। इस वित्तीय वर्ष में प्रकरणगत सभी तटबन्धों का निरीक्षण गण्डक उच्च स्तरीय स्थाई संचालन समिति द्वारा दिनांक 07 से 11 नवम्बर, 2011 के मध्य किया जा चुका है तथा समिति की संस्तुतियों के अनुसार परियोजनायें बनाकर उ0प्र0 राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति की 177वीं बैठक दिनांक 28-01-2013 में अनुमोदित एवं स्थाई संचालन समिति की 45वीं बैठक दिनांक 06-02-2013 में स्वीकृत कराई जा चुकी है। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	लागत लाख रुपये में
1	जनपद कुशीनगर में स्थित नरवाजोत तटबन्ध पर स्थित स्पर कि0मी0 1.000 से 1.500 की पुनर्स्थापना, कि0मी0 1.300 पर एक अदद स्टड का निर्माण तथा कि0मी0 0.800 से 1.300 के मध्य रिवेटमेंट एवं स्लोप पिचिंग कार्य की परियोजना प्राक्कलन	1401.78
2	जनपद कुशीनगर में स्थित नरवाजोत तटबन्ध के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य की परियोजना प्राक्कलन	182.10
3	जनपद कुशीनगर में स्थित ए0पी0 तटबन्ध की कि0मी0 1.600 पर स्थित स्पर की पुनः स्थापना की परियोजना	163.64
4	जनपद कुशीनगर में स्थित अहिरौलीदान-पिपराघाट तटबन्ध के कट इण्ड-2 पर स्थित स्टड चैनेज 130 मी0 एवं 250 मी0 के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना प्राक्कलन	124.90

क्र0सं0	परियोजना का नाम	लागत लाख रुपये में
5	जनपद कुशीनगर में स्थित अहिरौलीदान पिपराघाट ए0पी0 तटबन्ध के कि0मी0 10.518 पर स्थित स्पर के नोज के डाउन स्ट्रीम शैक पिचिंग एप्रन एवं अपस्ट्रीम में दो अदद टीथ के निर्माण कार्य का परियोजना प्राक्कलन	198.87
6	जनपद कुशीनगर के स्थित अमवाखास बांध के कि0मी0 4.200, 4.500, 4.900 एवं 05 अदद स्टड कि0मी0 4.500 से 4.900 के मध्य पुनर्स्थापना कार्यों की परियोजना	279.99

जनपद-कुशीनगर में ए0पी0 तटबन्ध के कि0मी0 1.625 से 1.860 तक रीवेटमेंट के पुनर्स्थापना की परियोजना लागत रु0 306.68 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही विचाराधीन है। स्वीकृति प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही सम्भव होगी।]

जनपद बलिया थाना कोतवाली गाजीपुर के ग्राम बिन्द निवासी सीताराम भारती की हत्या की नीयत से किये गये हमले की नामजद एफ0आई0आर0 होने के बावजूद भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य श्री गजेन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

जनपद लखनऊ के आलमबाग निवासी श्री गिरजा शंकर के मकान पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गेंदालाल चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य श्री गेंदा लाल चौधरी का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षकों के परीक्षा बहिष्कार से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री वीरपाल राठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य श्री वीरपाल राठी का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

हीवेट पालीटेक्निक, महानगर, लखनऊ में प्राचार्य की हठधर्मिता के फलस्वरूप छात्र-छात्राओं पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य श्री हुकुम सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल दिनांक 13-03-2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 08 बजकर 48 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 12 मार्च, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0-59 का उत्तर पीछे पृष्ठ-50-51 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के तीसरे मंगलवार के लिये निर्धारित श्री जाकिर अली, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-59 के उत्तर का संलग्नक

जनपद गाजियाबाद के चयनित ग्रामों का विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	चयनित ग्राम का नाम
1	भोजपुर	त्योड़ी बिसवा
2	भोजपुर	त्योड़ी 7 बिसवा
3	रजापुर	डासना देहात
4	रजापुर	मसूरी
5	रजापुर	नाहल
6	भोजपुर	नाहली
7	रजापुर	मोहम्मदीनपुर ढबारसी
8	रजापुर	कुशलिया
9	रजापुर	नसूलपुर सिकरोड़ा
10	रजापुर	निदौरी
11	भोजपुर	कलछीना
12	मुरादनगर	सुहाना
13	भोजपुर	मछरी

पी0एस0यू0पी0-एल0 40 विधान सभा (84)-27-06-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।